रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 2015/पौष 25, 1936
No. 32] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2015/PAUSA 25, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(रक्षोपाय महानिदेशक का कार्यालय)

(सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

अधिसूचना

2015

अंतिम जांच परिणाम

विषय : सोडियम डाय-क्रोमेट का भारत में आयात से संबंधित रक्षोपाय जांच

1997 को ध्यान में रखते हुए

क. प्रक्रिया

कहा गया है) के नियम 5 के अंतर्गत मैसर्स विष्णु कैमिकल्स द्वारा एक आवेदनपत्र सोडियम डायक्रोमेट के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण की मांग करते हुए दायर किया गया है क्योंकि आयातों में वृद्धि भारत में सोडियम डायक्रोमेट के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति कारित कर रहे हैं या/और गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं।

2. उक्त रक्षोपाय नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत की अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से आवेदक द्वारा प्रस्तुत गई सूचना का घरेलू उत्पादकों के संयंत्रों का स्थल दौरा करके आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया। सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल में रखा गया है। इस बात से संतुष्ट होते हुए कि नियम 5 की अपेक्षाओं को पूरा कर दिया गया है भारत में सोडियम डायक्रोमेट के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच की शुरूआत का

2014 के जांच शुरूआत नोटिस के एक प्रति तथा घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदनपत्र के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रमुख निर्यातक राष्ट्रों की सरकारों को भारत स्थित उनके राजदूतावासों के जरिए तथा अधोलिखित सूचीबद्ध हितबद्ध पक्षकारों को सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली 1997 के नियम 6(2) और 6(3) आयातों और निर्यातकों को प्रश्नावलियों भेजी गईं और उनसे कहा गया कि वे 30 दिनों के अंदर उसका प्रस्तुत्तर प्रस्तुत करें।

ख. घरेलू उत्पादक

(i) मैसर्स विष्णु कैमिकल्स
भुवनेश्वर
भुवनेश्वर
नागपुर
कोलकाता
सोनीपत
उड़ीसा
शाडोल
उड़ीसा
विजयवाड़ा

ग. आयातकर्ता/उपयोक्ता उद्योग

मुंबई
मुंबई
अम्बरनाथ
मुंबई
मुंबई

(vi) मैसर्स ए एस इंटरप्राइजेज थाणे

(vii) मैसर्स माइकास आर्गेनिक्स लिमिटेड वापी
कोलकाता
गुजरात
गुजरात

(xi) मैसर्स वापी पिगमेंट्स कैमिकल्स प्राइवेट लिमटेड वापी
बुलसार
कोलकाता

(xiv) मैसर्स के एन कैमिकल्स कानपुर

(xv) मैसर्स इंडो टैन कैमिकल्स लिमिटेड कोलकाता

(xvi) **मैसर्स शासुन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड**
लुधियाना
नवी मुंबई
कोलकाता
सोलन
कोचीन

(xxii) **मैसर्स सूद चेर्नी प्राइवेट लिमिटेड कोचीन**
मंगलौर
बड़ोदा
वापी

घ. निर्यातक

डीई
दक्षिण अफ्रीका

(iii) **मैसर्स सीसेकैम डिस टिकारेट ए एस तुर्की**
दुबई यूएई
रूस
काजिखस्तान
चीन
जापान

ड. निर्यातक राष्ट्र की सरकार

(i) **चीन जनवादी गणराज्य का राजदूतावास**

(ii) **दक्षिण अफ्रीका का राजदूतावास**

(iii) **रूस का राजदूतावास**

(iv) **कजाखिस्तान का राजदूतावास**

4. हितबद्ध पक्षकार के रूप में विचार करने के लिए निम्नलिखित पक्षकारों से अनुरोध प्राप्त हुआ :
रूस
महाराष्ट्र
मुंबई

(iv) **मैसर्स वोक्सो पिगमेंट्स एंड कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड**

(v) **मैसर्स टेक्नो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कोलकाता**
कानपुर

(vii) **यूरोपियन यूनियन नई दिल्ली**

(viii) **भारत गणराज्य में रूसी परिसंघ का व्यापार प्रतिनिधिमंडल**
मिनिस्ट्री आफ इकोनामी
राउरकेला

(xi) **मैसर्स सिद्धार्थ कैमिकल्स राउरकेला**

(xii) **मैसर्स मिडउराल कैमिकल्स एसए स्विटजरलैंड**

सभी अनुरोध स्वीकार कर लिए गए।

5. उनके द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दे अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों के समान ही हैं। इन पर तदनुसार उपयुक्त स्थानों पर विचार किया गया है।

जो निम्नलिखित हैं :

श्री कनकदुर्गा क्रोमेट्स (प्राइवेट) लिमिटेड और आर्कसैन कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने उल्लेख किया है कि भारत में संवर्धित आयातों ने उनको भारी क्षति पहुंचाई है।

(ii) मैसर्स वापी पिगमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड : मैसर्स विष्णु कैमिकल्स सोडियम डायक्रोमेट का अग्रणी उत्पादक है और उसका भारतीय बाजार में एक बहुत बड़ा हिस्सा है क्योंकि अपीलकर्ताओं का कुल भारतीय उत्पादन में 75/85 प्रतिशत से अधिक उत्पादन है। किसी भी रक्षोपाय शुल्क का परिणाम यह होगा कि घरेलू उद्योग की प्रभाविता हो जाएगी जिसके कारण घरेलू उद्योग की प्रवृत्ति एकाधिकारवादी हो जाएगी और उपयोगकर्ता/उपभोक्ता लोगों का शोषण होगा।

घरेलू उद्योग ने एक अलाभकर परम्परा अपना रखी है जिसमें उन्होंने उपभोक्ताओं को बताए बिना बंदी कर दी जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता यूनिटों में हलचल मच गई। उत्पादन और आपूर्तियां पुन: शुरू कर देने पर भी घरेलू उद्योग द्वारा कीमत में मनमाने ढंग से वृद्धि की गई जिसके कारण उपभोक्ताओं को इसी खरीद उनकी कीमतों पर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

अस्थिर आपूर्ति के कारण आयात करने पर विवश होना पड़ा। किसी भी विदेशी आपूर्तिकर्ता/उत्पादक ने भारतीय बाजार को सज्जित नहीं किया और न ही उन्होंने भारतीय बाजार का लाभ उठाया।

क्षमता उपयोग घरेलू तथा निर्यातों पर आधारित है। घरेलू उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से भी प्रभावित हो सकती है। हो सकता है कि घरेलू कारण एक बड़ा अंशदानकर्ता न हो।

घरेलू उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अग्रणी उत्पादकों की कारगर एवं कुशल प्रौद्योगिकी को प्रतिकृति करने में सफल नहीं हो सके जिसके परिणामस्वरूप वे कम लागत प्रभावी हो गए। प्रौद्योगिकी में किसी भी त्रुटि को उपभोक्ताओं/प्रयोक्ताओं द्वारा वित्तपोषित नहीं किया जाना चाहिए।

नफा और नुकसान (क) उत्पाद (ख) प्रौद्योगिकी (ग) लागत संतुलन (घ) मशीनरी का सेट अप (ड.) बिक्री नीति (च) बाजार मांग (छ) क्रेडिट उन्मुखीकरण आदि पर निर्भर रहती है। इस यूनिट के साथ कोई भी कारक संतुलित नहीं है।

सोडा ऐश आदि जैसी कतिपय सामग्री के आयातों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए उपभोक्तागणों के साथ अस्थिर आपूर्ति श्रृंखला और विनिमय जोखिम का खतरा रहता है।

गुजरात : माइकास अर्णनिक लिमिटेड भारत में एक अग्रणी क्रोम पिगमेंट विनिर्माता है और वह सोडियम डायक्रोमेट की खपत कर रहा है।

विगत तीन वर्षों से इस सामग्री की आयात कीमतें अधिक बनी रहीं और उन्हें अभी भी आयात करने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि मैसर्स विष्णु कैमिकल्स सोडियम डायक्रोमेट की आपूर्ति करने में संगत नहीं है और उनके उत्पाद की क्वालिटी भी वैसी ही नहीं होता है।

का उत्पादन भारत में केवल एकमात्र विनिर्माता (उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन) द्वारा किया जाता है। यह एकमात्र विनिर्माता क्रोम अयस्क की आधारभूत कीमतें लगातार बढ़ा रहा है और कच्चे माल की लागत के कारण इस उत्पाद की विनिर्माण लागत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध समाग्री की तुलना में अर्थक्षम नहीं रही।

जांच शुरूआत नोटिस में प्रदान कराए गए अन्य आपूर्तिकर्ताओं के ब्यौरों का सत्यापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा होना चाहिए क्योंकि यह आपूर्तिकर्ता सोडियम डायक्रोमेट की आपूर्ति करने के लिए बाजार में उपलब्ध नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने संयंत्र या तो पर्यावरण संबंधी शर्तें पूरी न कर पाने के कारण बंद कर दिए हैं या वे सोडियम डायक्रोमेट का विनिर्माण अपने आपस्ट्रीम या अनुप्रवाही उत्पादों के लिए ग्राही खपत के लिए करते है।

घरेलू उद्योग क्रोम अयस्क का आयात अंतर्राष्ट्रीय बाजार से करता आ रहा है और सोडियम डायक्रोमेट के आपूर्तिकर्ता के रूप में घरेलू उद्योग पर निर्भरता काफी जोखिम भरी है क्योंकि सोडियम डायक्रोमेट का विनिर्माण करने के लिए क्रोम अयस्क एक प्रमुख कच्चा माल है।

कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण बंद करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप सोडियम डायक्रोमेट की आपूर्ति बंद हो गई और अनुप्रवाही उत्पाद के उत्पादकों को अपना विनिर्माण बंद करना पड़ा और उन्हें भारी वित्तीय घाटा हुआ।

सोडियम डायक्रोमेट के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के परिणामस्वरूप उनके परिष्कृत उत्पाद (क्रोम पिगमेंट्स) की कीमत घरेलू बाजार में अप्रतिस्पर्धी हो जाएगी तथा इससे क्रोम पिगमेंट के अन्य अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माताओं को भारत में अपना उत्पाद निर्यातक करने का अवसर मिल जाएगा।

घरेलू उद्योग सोडियम डायक्रोमेट का एकमात्र उत्पादक होने के कारण उद्योग पर एकाधिकारिता स्थापित कर लेगा और वह क्रोम पिगमेंट विनिर्माण उद्योग का शोषण करेगा।

घरेलू उद्योग ने घरेलू चिंता और घरेलू जरूरत पर विचार किए बिना उस समय अधिकतम निर्यात किया जब वैश्विक कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों से अधिक थी।

2014 को समाप्त पिछली तिमाही के लिए 15 प्रतिशत के निकट रही है और पिछले तीन वर्षों के लिए उनकी पीबीआईटी वर्ष दर वर्ष आधार पर 13-14 के बीच रही है। लाभप्रदता में यह वृद्धि उनके वित्तीय परिणामों और बाजार निष्पादन के आधार पर उनकी संवर्धित शेयर कीमत में दृष्टिगोचर है।

घरेलू उद्योग का यह दावा कि यह विचाराधीन उत्पाद बिक्री का 40 प्रतिशत से अधिक है और यदि उनकी पीबीआईटी लगभग 14 प्रतिशत के बराबर है तो यह सच नहीं है कि उसे घाटा हो रहा है।

याचिकाकर्ता लागत लेखापरीक्षा की संवीक्षा किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि घरेलू उद्योग ने रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज के पास दायर कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षा के बावजूद उसका खुलासा किया है।

000 एमटी क्रोम पिगमेंट का विनिर्माण करता है और इसमें लगभग 1750-2000 व्यक्तियों को मासिक औसत रोजगार बंदी का सामना कर रहा होगा।

रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से क्रोम पिगमेंट के आयात प्रोत्साहित होंगे और इससे पिगमेंट उद्योग को 240 करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा होगा और 30 करोड़ रुपए का उत्पाद शुल्क घाटा होगा।

(iv) मैसर्स सोना सिंथेटिक्स प्रोडक्ट्स : वे लघु पिगमेंट विनिर्माता है और अपने उत्पाद का विश्व के कई भागों में निर्यात जापान आदि अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है।

घरेलू उद्योग भारत में केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ता है और भारतीय स्थानीय बाजार में एकाधिकारिता धारित करता है।

रक्षोपाय शुल्क पिगमेंट के सभी स्थानीय विनिर्माताओं के लिए एक चुनौती होगी क्योंकि उन्हें स्थानीय उत्पादक की अव्यवस्थित सुपुर्दगी और गुणवत्ता की असम्पुष्टता शामिल हैं।

जांच शुरूआत नोटिस के अनुरूप घरेलू उद्योग कभी भी जब आयात बहुत कम थे तब भी अपनी संयंत्र क्षमता के 35 और वे आवश्यकता पड़ने अपेक्षित मात्रा में प्रदान करने में असफल रहे।

सोडियम डायक्रोमेट का विनिर्माण करने के लिए प्रमुख कच्चा माल क्रोम अयस्क है जिसका घरेलू उद्योग द्वारा आयात किया जा रहा है। अपना कच्चा माल प्राप्त करने में होने वाला कोई भी विलंब का सोडियम डायक्रोमेट के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा और इसका पिगमेंट के सभी विनिर्माताओं पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

(v) मैसर्स वोक्सो पिगमेंट्स एंड कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड : मैसर्स विष्णु कैमिकल्स इसकी 70 प्रतिशत बिक्री करने के लिए उत्तरदायी है और पाटनरोधी या रक्षोपाय शुल्क से एकाधिकारवादी परम्परा स्थापित हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप सोडियम डायक्रोमेट के घरेलू एसएसआई प्रयोगकर्ताओं का शोषण होगा। मैसर्स विष्णु कैमिकल्स भी अपने आधारभूत कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर है और इस प्रकार वास्तविक अंतिम प्रयोक्ताओं को आधारभूत कच्चे माल की उपलब्धता की अनिश्चितता पर छोड़ दिया जाएगा।

सोडियम डायक्रोमेट का प्रयोग गई एसएसआई विनिर्माण इकाइयों द्वारा पिगमेंड और सैकरीन का उत्पादन करने के लिए किया जा रहा है। यदि इसकी उपलब्धता के लिए घरेलू बाजार में 70 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी वाले एकमात्र स्रोत उत्पादक पर निर्भर रहना पड़े और किसी अन्य स्रोत से कोई विकल्प न हो तो इसकी कीमतों से समझौता/सज्जित किया जा सकता है और तदनुसार एसएसआई उद्योग को अपना प्रचालन करना अनर्थक्षम बना देगा।

कई अवसरों पर मैसर्स विष्णु केमिकल्स की बड़ी उत्पादन क्षमता रहने के बावजूद आपूर्ति संबंधी समस्याएं रही हैं। सोडियम डाइक्रोमेट वॉक्सो पिग्मेंट्स और केमिकल्स के अंतिम प्रयोक्ता के पास कोई और विकल्प नहीं बचा है सिवाय इसके कि वह अन्य स्रोतों से उक्त की खरीद करे।

करना शामिल है। इससे इकाइयों के सामने उत्पादन संबंधी अनेक गड़बड़ियां उत्पन्न हो गईं और यह इस तथ्य का मुख्य याचिकाकर्ता को छोड़ अन्य स्रोतों से खरीदने के विकल्प का चयन किया।

याचिकाकर्ता के उत्पाद की गुणवत्ता विदेशी उत्पादकों की तुलना में निम्न दर्जे की रही है। घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका क्योंकि वे कार्बन डाई आक्साइड का उपयोग नहीं करते हैं। उनकी तकनीकी खामियों की खामियाजा उपभोक्ता नहीं उठा सकते हैं।

उत्पादकों की बिक्री की प्रमात्रा में हल्की गिरावट आई है परंतु उनके प्रचालन संबंधी लाभ और बिक्री-राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

बिक्री और उत्पादन से जुड़ी नीतियों का परिणाम है। विदेशी उत्पादकों ने तो मात्र घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक अति-आवश्यक विकल्प ही प्रदान किया है।

रक्षोपाय ड्यूटी को लगाना सोडियम डाइक्रोमेट के घरेलू उपभोक्ता के लिए हानिकर सिद्ध होगा।

तो इससे भारत में गौण उत्पाद संबंधी उद्योगों को गंभीर क्षति होगी।

मैसर्स विष्णु केमिकल्स भारतीय बाजार के 60 से 62 प्रतिशत को नियंत्रित करता है जबकि इसके मुकाबले आयात का प्रतिशत 12 से 26 है।

बाजार में हिस्सेदारी की प्रतिशतता का अध्ययन करने से घरेलू हिस्सेदारी और आयातों का कुल योग 100 प्रतिशत नहीं बैठता है।

ेलू उद्योग में उल्लेख किया है कि उनके प्रतिस्पर्धियों की उत्पादन लागत कम है क्योंकि प्राकृतिक गैस बेहद सस्ता है। भारत सरकार ने भारतीय उद्योग को पर्याप्त संरक्षण देने के लिए आयातित कच्ची सामग्री पर 7.5 प्रतिशत बेसिक ड्यूटी लगाई है।

उत्पादन और उपयोग आदि का ब्यौरा उपलबध नहीं कराया है। आवेदन में जिन विनिर्माताओं के नामों का उल्लेख किया गया है उनमें से अधिकांश ने अव्यवहार्य-क्षमता और उच्च-लागत तथा स्थानीय क्रोम अयस्क की उपलब्धता में उतार-जो स्थानीय अयस्क के मूल्य की तुलना में सस्ते मूल्यों पर दक्षिण अफ्रीका से अयस्क का आयात कर रहा है।

आवेदक अच्छा लाभ कमा रहा है। तथापि अधिक ऋण से उच्च ब्याज लागत होने के कारण लाभ कम है।

क्रोम पिगमेंट विनिर्माण उद्योग में श्रम प्रधान उद्योग है और अंतरिम रक्षोपाय ड्यूटी लगाए जाने के कारण बेरोजगारी क्रोम पिगमेंटों का अधिक दाम होने के कारण इसका स्थान आर्गेनिक पिंगमेंट ले लेंगी। आवेदक इस स्थिति का लाभ उठाकर मूल्यों में वृद्धि तथा आपूर्ति को सीमित कर सकता है।

जबकि स्थानीय आपूर्ति की स्थिति एक जैसी कभी नहीं रही है। आवेदक के संयंत्र समस्याओं के कारण निरंतर बंद होते रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति एक जैसी नहीं रही है/अनियमित होती है।

भारतीय बाजार में आवेदक निरंतर मूल्य के निर्धारण का फायदा उठाता रहा है जबकि घरेलू उद्योग ने अपने उत्पाद का निर्यात उन मूल्यों पर किया जो अंतरराष्ट्रीय बाजार के मुकाबले कम थे।

आय एवं कर के पूर्व लाभ (पी बी आई टी) इस तर्क को गलत ठहराता है: घरेलू उद्योग ने वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 के अनुसार 307 करोड़ रु. की बिक्री तथा 13.6 प्रतिशत की दर से 4.07 करोड़ रु. के पी बी आई टी होने का दावा किया है। घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विचाराधीन उत्पाद की बिक्री 129 करोड़ रु. हुई है। यह मानकर घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद की बिक्री से 13.6 प्रतिशत पी बी आई टी बनेगा। इसलिए 43.7 करोड़ रु. के कुल पी बी आई टी में विचाराधीन उत्पादन का योगदान 17 करोड़ रु. होना चाहिए। पी बी आई टी को 100 प्रतिशत सूचकांक माने जाने पर वर्ष 2013-14 में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री का पी बी आई टी से (-27) पी बी आई टी के साथ 38 करोड़ रु. की हानि होगी। वस्तुत: घरेलू उद्योग में वर्ष 2013-14 में 49.6 करोड़ रु. का पी बी आई टी अर्जित किया है। इसका अर्थ यह है कि 40 प्रतिशत पी बी आई टी की दर से 83 करोड़ रु. होना चाहिए जबकि विचाराधीन उत्पाद की बिक्री से पी बी आई टी (-27 प्रतिशत) है। पी बी आई टी के इस आंकड़े से उनका तर्क गलत सिद्ध हो जाता है और इसलिए लागत लेखापरीक्षक द्वारा तैयार की गई उनकी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट की जांच करने का अनुरोध किया जाता है।

उत्पादन की सटीक लागत जानने के लिए वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक की अवधि के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट की पुनरीक्षा की जानी चाहिए जिससे कि विचाराधीन उत्पाद की लाभ प्रदायकता से संबंधित स्थिति और स्पष्ट होने में मदद मिलेगी।

वर्ष	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
बिक्री की प्रतिशतता के रूप में उपर्युक्त खपत पर आधारित कच्ची सामग्री	53.3%	55.3%	46.1%	44.2%

सामग्री की उपर्युक्त लागत के आधार पर यह काफी स्पष्ट हो जाता है कि सामग्री की खपत के उपर्युक्त स्तर के साथ विचाराधीन उत्पाद से क्षति नहीं हो सकती है जिसे तथाकथित क्षति की अवधि के दौरान पी बी आई टी और घरेलू उद्योग के शेयर मूल्यों में निरंतर और उल्लेखनीय वृद्धि भी सिद्ध करती है। अत: घरेलू उद्योग को बढ़ते आयातों से न कोई क्षति हुई है और न ही उसे क्षति होने का खतरा है।

आयातों के बढ़ने का मुख्य कारण स्थानीय रूप से उत्पादित विचाराधीन उत्पाद की सही गुणवत्ता उपलब्ध नहीं होना है।

विचाराधीन उत्पाद से संबंधित मौजूदा वैश्विक गुणवत्ता विनिर्देशन को पूरा करने में प्रौद्योगिकी और अवसंरचना का अभाव।

कड़े पर्यावरण संबंधी मानदंडों का अनुपालन न किए जाने के कारण विभिन्न विनिर्माताओं को अपना उत्पादन रोकने पर विवश होना पड़ा है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद से पर्यावरण में बेहद जहरीली और खतरनाक सामग्री मुक्त होती है।

आयातित कच्ची सामग्री पर निर्भरता के कारण घरेलू उद्योग से विश्वसनीय आपूर्ति होने का अभाव

वर्ष 2013-14 में मैसर्स विष्णु केमिकल्स का मुख्य ध्यान विचाराधीन उत्पाद से गौण उत्पादों को बेचना था। उन्होंने 29129 मीट्रिक टन विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन किया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार प्रचालन के लिए सहमति (सी एफ ओ) के माध्यम से घरेलू उद्योग को जो अनुमति दी गई वह 36000 मीट्रिक टन है। घरेलू उद्योग की क्षमता 86000 होने का दावा गलत है। घरेलू उद्योग के पास न तो 86000 मीट्रिक टन विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने संबंधी अवसंरचना है और न ही आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकारियों से इस विनिर्माण से उत्पन्न होने वाली खतरनाक अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान का लाइसेंस मौजूद है।

घरेलू उद्योग ने वर्ष 2010 से 86000 मीट्रिक टन की चालू क्षमता होने का दावा किया है। तथापि अपनी वेबसाइट में वे फिलहाल केवल 70000 मीट्रिक टन का दावा कर रहे हैं। याचिका में घरेलू उद्योग ने वर्ष 2010-11 के लिए चालू क्षमता 93200 टन होने का दावा किया है। तथापि वर्ष 2010-11 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उन्होंने 86000 मीट्रिक टन क्षमता होने का दावा किया है। घरेलू उद्योग की सही चालू क्षमता तथा सी एफ ओ एवं खतरनाक अपशिष्ट की अनुमेय मात्रा का प्रमाणीकरण किए जाने की आवश्यकता है।

निफ्टी केमीकल्स (नागपुर) और जेसंस केमिकल्स हरियाणा : गौण उत्पादों में स्वयं ही 100 प्रतिशत खपत किया। अत: उत्पादित विचाराधीन उत्पाद स्थानीय बाजार की मांग को पूरा करने के लिए उपलब्ध नहीं है।

जयपुर भी विचाराधीन उत्पाद का उपयोग गौण उत्पादों में करता है और वह एक नियमित विनिर्माता नहीं है।

आंध्र प्रदेश: इस तरह की कोई कंपनी मौजूद नहीं है। यद्यपि श्री दुर्गा क्रोमेट प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी मौजूद है जिसने विगत तीन माह से एक किलोग्राम विचाराधीन उत्पाद का भी उत्पादन नहीं किया है। पर्यावरणीय और तकनीकी समस्याओं के कारण निकट भविष्य में भी उनके द्वारा प्रचालन आरंभ किए जाने की संभावना नहीं है।

उड़ीसा क्रियाशील नहीं हैं और पिछले कुछ समय से उन्होंने घरेलू बाजार के लिए विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण बंद किया हुआ है।

घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में उल्लेख की गई स्थानीय उत्पादकों की सूची गलत है और भारतीय उत्पादकों की कुल बिक्री आदि से संबंधित समूची सूचना तो पूर्णत: गलत है।

विष्णु केमिकल्स ने उक्त अवधि के दौरान भारत में आयातों की तुलना में कहीं अधिक सस्ते मूल्यों पर विचाराधीन उतपाद का निर्यात किया है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि आयात मूल्य उसकी उत्पादन लागत से कम है। इसका अर्थ यह हुआ कि विष्णु ने अपनी उत्पादन लागत से कम मूल्य पर विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया। अत: घरेलू उद्योग के निर्यात-मूल्य और लाभ-प्रदायकता की छानबीन करने का अनुरोध किया जाता है।

गौण उत्पादों के विनिर्देशनों को पूरा करने के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद में सल्फेट और अघुलनशील की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। घरेलू उद्योग का विचाराधीन उत्पाद का विनिर्देशन वैश्विक मानक की तुलना में निम्नतर दर्जे का है सोडियम सैक्रीन के भारतीय उत्पादक विचाराधीन उत्पाद का आयात करना ही पसंद करते हैं।

वर्ष 2010-11 में प्रतिदिन केवल 120 मीट्रिक टन का ही उत्पादन किया जा सकता है। उन्होंने 84 प्रतिशत क्षमता उपयोग के साथ 30407 मीट्रिक टन का उत्पादन किया जबकि आयात 4745 मीट्रिक टन का हुआ। उनके उत्पादन का स्तर लगभग समान रहा जिसमें वर्ष 2012 और 2013 में मामूली कमी आई। घरेलू उद्योग के उत्पादन में अधिकतम गिरावट 5.8 प्रतिशत की रही है। घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इसका मुख्य कारण कच्ची सामग्री और बिजली की कमी है।

वर्ष 2011-12 से घरेलू उद्योग की माल सूची 22 प्रतिशत से कम हो गई और वर्ष 2013-14 में उक्त सूची में 40 प्रतिशत की और तीव्र एवं उल्लेखनीय कमी आई। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई इस सूचना के आधार पर बढ़ते आयातों तथा माल सूची के स्तर में वृद्धि के बीच कोई अंतर-संबंध नहीं है।

घरेलू उद्योग अपनी वेबसाइट पर यह दावा करता है कि उसने 1000 हजार से अधिक कर्मचारियों को रोजगार दिया है। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि घरेलू उद्योगों द्वारा दिए गए इन आंकड़ों की जांच की जाए। यद्यपि विगत तीन वर्षों से यह भी नोट किया जाए कि आयातों के साथ-साथ उत्पादन में वृद्धि के बावजूद बिना किसी अचानक और उल्लेखनीय बदलाव के सूचित किए गए आंकड़े एक समान रहे हैं।

वर्ष 2013-14 के लिए 1104 मीट्रिक टन के वार्षिकीकृत आयात आंकड़ों में से जनवरी-मार्च 2014 के मध्य 416 मीट्रिक टन अधिक मूल्यों पर तीसरे देशों को बेचा गया। अत: तीसरे देशों को बेचे गए 416 मीट्रिक टन को भारत में आयातों के भाग के रूप में वर्गीकृत करना गलत होगा।

घरेलू उद्योग ने अप्रत्याशित घटना क्रमों के समर्थन में कुल मिलाकर कोई भी साक्ष्य नहीं दिया है। दिए गए स्पष्टीकरण महज ब्यौरे हैं और उन्हें अप्रत्याशित नहीं माना जा सकता है।

घरेलू उद्योग ने कच्ची सामग्री के तौर पर उनके उत्पादों को प्रयोग करने वाले सहायक उद्योग पर पड़ने वाले रक्षोपाय के न्यूनतम प्रभाव तथा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित अंतिम उत्पाद का प्रयोग करने वाली जनता पर पड़ने वाले परिणामी प्रभाव के बारे में सांख्यिकीय आंकड़ों के रूप में कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

(viii) मैसर्स कलर्स क्रोम्स प्राइवेट लिमिटेड: कलर्स क्रोम क्रोमिक एसिड के विनिर्माण में शामिल है और इस प्रकार के उत्पादन में सोडियम डाइक्रोमेट एक प्रमुख घटक होता है। क्रोमिक एसिड का विनिर्माण पूर्णत: सोडियम डाइक्रोमेट के प्रयोग पर निर्भर है।

नोटिस में बाजार में हिस्सेदारी के अंतर्गत खंड 'ग' में दिया गया चार्ट भी त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि आयातों की तुलना में विष्णु और अन्य की बाजार में सही हिस्सेदारी की गणना करने के लिए स्वयं के खपत में विष्णु के उत्पादन के प्रयोग पर विचार नहीं किया गया है।

घरेलू उद्योग के घरेलू बिक्री सूचकांक में वर्ष 2010-11 में 100 से वर्ष 2013-14 में 130 अर्थात् 12138 मीट्रिक टन से 15780 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। इस प्रकार से 8035 मीट्रिक टन की कुल घरेलू मांग की वृद्धि में विष्णु ने 3642 मीट्रिक टन (15780 मीट्रिक टन-12138 मीट्रिक टन) की मार्जिन द्वारा अपनी घरेलू बिक्री में वृद्धि की है। अपेक्षाकृत विष्णु ने 4 वर्षों की अवधि के दौरान बाजार की बढ़ती मांग के लगभग 45.3 प्रतिशत पर कब्जा करने में सफल रहा है।

बिक्री लगभग 1500 मीट्रिक टन हुआ करती थी।

जांच की अवधि के दौरान अन्य भारतीय उत्पादकों ने उत्पादक और बिक्री का समान स्तर लगातार बनाए रखा जबकि घरेलू उद्योग ने अपनी घरेलू बिक्री में 3642 मीट्रिक टन की वृद्धि की। आयात की मात्रा में वृद्धि से बढ़ती घरेलू मांग पूरी हुई है जिसे घरेलू उद्योग या अन्य घरेलू विनिर्माता पूरा करने में असफल रहे। अत: आयात की मात्रा में वृद्धि घरेलू किन्हीं ऐसे घरेलू उत्पादकों के कारण से नहीं हुई है बल्कि इसके विपरीत यह पाया गया कि वास्तविक अवधि के दौरान उन्होंने अपनी घरेलू बिक्री में 3642 मीट्रिक टन की वृद्धि की थी।

घरेलू उद्योग भारत में सोडियम डाइक्रोमेट का लगातार अग्रणी विनिर्माता बना रहा और उसने कुल घरेलू उत्पादन के 73 प्रतिशत पर कब्जा किया हुआ है। घरेलू उद्योग न केवल घरेलू बाजार में सोडियम डाइक्रोमेट को बेचता और निर्यात करता सेक्रीन और के-3 के विनिर्माण में अच्छी खासी मात्रा में इसकी खपत भी करता है। घरेलू उद्योग में अपनी स्वयं की खपत के लिए कहीं अधिक सामग्री का उपयोग किया है जिसके कारण उसकी घरेलू बिक्री के लिए सोडियम डाइक्रोमेट की उपलब्धता कम हो गई। इसके कारण देश की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात की आवश्यकता हुई।

देश में सोडियम डाइक्रोमेट के एक आपूर्तिकर्ता के रूप में अग्रणी भूमिका में होने के नाते रिकॉर्ड यह साबित करते हैं कि विष्णु का आशय सदैव यह रहा है कि एक तरफ वह अपनी इच्छानुसार सोडियम डाइक्रोमेट की आपूर्ति विनियमित एवं नियंत्रित करके क्रोमिक एसिड और अन्य डेरीवेटिप्स के भारतीय विनिर्माताओं को मिटा दे और दूसरी तरफ इस उत्पाद के लिए भेदभावपूर्ण कीमत की मांग करे।

अन्य भारतीय डेरीवेटिव्स विनिर्माता पहले से ही विष्णु की एकाधिकार वाली स्थिति से जूझ रहे हैं और चूंकि उन्हें विदेशी उक्त स्रोत को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वह इस प्रकार से भारतीय विनिर्माताओं पर दबाव बनाकर अपने एकाधिकार की स्थिति बनाए रखे।

सोडियम डाइक्रोमेट का आयात करने के निम्न कारण हैं

(क) घरेलू उद्योग निर्यात के मूल्य की तुलना में घरेलू बाजार में बेहद अधिक दर वसूलता है जिससे कि डेरीवेटिव्स विनिर्माता अव्यवहार्य हो जाते हैं।
(ख) उत्पाद की गुणवत्ता आयातित सामग्री की गुणवत्ता से कमतर है।
(ग) बैच की निरंतरता आयातित सामग्री की तुलना में बेहद निम्नतर दर्जे की है।
(घ) सहमत हुई संविदाओं को पूरा करने में आपूर्ति और प्रतिबद्धता को लेकर कोई विश्वास नहीं है।

हमेशा यह प्रयास रहता है कि छोटे डेरीवेटिव्स विनिर्माताओं से और ऐंठा जाए। क्योंकि घरेलू उद्योग का घरेलू उत्पादन पर नियंत्रण 75 प्रतिशत से अधिक है और वह एकाधिकार वाला व्यापार चला रहा है।

वर्ष 2009-10 के दौरान कलर्स क्रोम्स ने 820 मीट्रिक टन की आपूर्ति की मांग की थी जिसकी एवज में उसे मात्र 362 मीट्रिक टन की आपूर्ति दी गई। इसी प्रकार से वर्ष 2011-12 में 110 मीट्रिक टन की तुलना में कलर्स क्रोम्स को 98.5 वर्ष 2012-13 में 210 मीट्रिक टन की तुलना में 204 मीट्रिक टन तथा वर्ष 2013-14 में 100 मीट्रिक टन की तुलना में केवल 83 मीट्रिक टन की आपूर्ति की गई।

घरेलू उद्योग ने इस स्पष्ट इरादे के साथ जानबूझकर कर कम आपूर्ति की ताकि कलर्स क्रोम्स के व्यापार में अड़चनें पैदा की जाएं। स्पष्ट रूप से इस प्रकार के डेरीवेटिव्स का विनिर्माण तथा अपने ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय विनिर्माताओं की सहायता करने के बजाय उसने बाजार में सोडियम डाइक्रोमेट को बेचने तथा डेरीवेटिव्स के विनिर्माण में उक्त का प्रयोग स्वयं करने का विकल्प चुना है।

घरेलू उद्योग की प्रतिष्ठापित क्षमता लंबी समय से घरेलू आवश्यकता से कहीं अधिक रही है। यह संभवत: निर्यात बाजार को ध्यान में रखकर किया गया था। वर्ष 2010-11 में जब आयात केवल 11 प्रतिशत था और जब सोडियम डाइक्रोमेट के आयात के कारण तथाकथित रूप से क्षति होने का कोई खतरा नहीं था तब उस समय भी विष्णु की क्षमता उपयोगिता 33 प्रतिशत थी और यह क्षमता उपयोगिता वर्ष 2013-14 तक 34 प्रतिशत पाई गई थी। घरलू उद्योग में अपनी अतिरिक्त प्रतिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने का कोई प्रयास नहीं किया है। चूंकि चालू क्षमता का उपयोग कमोबेश एक समान रहा है इसलिए आयात में वृद्धि के पीछे क्षमता उपयोग में और वृद्धि करने में घरेलू उद्योग की असमर्थता नहीं है।

घरेलू उद्योग वास्तविक अवधि के दौरान अपनी घरेलू बिक्री बढ़ाने में समर्थ रहा है जिससे कि कम से कम यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसके द्वारा उन्हें कोई क्षति नहीं हुई अथवा यदि कुछ हुई भी थी तो यह सोडियम डाइक्रोमेट के आयात में वृद्धि के कारण से नहीं थी।

घरेलू उद्योग पिछले कई वर्षों से लाभ कमाने वाला उद्योग रहा है। विगत दो वर्षों के संबंध में इसका प्रचालन लाभ प्रतिवर्ष 56 करोड़ रु. रहा है। यह साक्ष्य इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन लागत से नीचे मूल्य पर बिक्री नहीं कर रहा है। रक्षोपाय ड्यूटी को लागू करवाने के प्रयास के पीछे एक मात्र उद्देश्य अपने ग्राहकों से अधिक मूल्य वसूलना तथा भारत में एकाधिकार रखने वाले आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी स्थिति को और बेहतर बनाना है क्योंकि इसने पहले से ही भारत में कुल उत्पादन के लगभग 75 प्रतिशत पर नियंत्रण बना रखा है।

जब घरेलू आपूर्ति एक जैसी रही है तो यह एकदम स्पष्ट हो जाता है कि घरेलू बाजार में बढ़ती मांग के अनुसार अपना उत्पादन बढ़ाने में स्वदेशी विनिर्माताओं की असमर्थता से हुई कमी को आयातों से ही दूर किया गया था।

जिसका सत्यापन उसके तुलन-पत्र से किया जा सकता है।

भारतीय उद्योग में उत्पादन का स्तर लगभग एक जैसा रहा है।

देश में आयातित सामग्री के आने के बावजूद विष्णु की घरेलू बिक्री वर्ष 2010 से 2013-14 के बीच 30 प्रतिशत अर्थात् 12138 मीट्रिक टन से 15780 मीट्रिक टन तक बढ़ी है।

क्षमता उपयोग एक समान रहा है। वर्ष 2013-14 में माल सूची के स्तर में लगातार कमी होकर 513 मीट्रिक टन रह गई जो केवल 4.7 दिन का उत्पादन है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि माल सूची में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके विपरीत यह इंगित करता है की उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं रहा है।

विगत 4 वर्षों से उत्पादकता और रोजगार एक जैसी स्थिति में रहा है। सोडियम डाइक्रोमेट पर रक्षोपाय ड्यूटी लगाए जाने के परिणामस्वरूप निश्चित रूप से कई सहायक इकाइयां बंद हो जाएंगी तथा नौकरियों में जबरदस्त नुकसान होगा। इससे घरेलू उद्योगों को एकाधिकार वाली तथा नियामक व्यापार पद्धतियों में संलिप्त होने का खुला अवसर मिल जाएगा जो सभी उपभोक्ताओं के लिए बेहद घातक सिद्ध होगा।

सोडियम डाइक्रोमेट के विनिर्माण के लिए घरेलू उद्योग सोडा ऐश और क्रोम अयस्क का निरंतर आयात करता है जो भारतीय बाजार में बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से अपेक्षाकृत सस्ते मूल्य पर सोडा अयस्क और क्रोम अयस्क प्राप्त करना है ताकि उनके पास मौजूद सोडियम डाइक्रोमेट की उत्पादन लागत कम हो सके। क्रोमो के संबंध में घरेलू उद्योग यह चाहता है कि वह विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से सस्ते मूल्य पर सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त करने का वैकल्पिक स्रोत समाप्त कर दे ताकि कलर क्रोम्स या अन्य के पास इसके सिवाय कोई विकल्प न बचे कि वे उच्च मूल्य पर घरेलू उद्योग से इसकी खरीद करें और उसके आपूर्ति के संबंध में उसके द्वारा जानबूझकर अपनाए गए अनियंत्रित तरीकों के अनुसार ही उत्पाद प्राप्त करें।

यदि घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार से सोडा अयस्क और क्रोम अयस्क का के आयात के विकल्प का लाभ उठाना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह क्रोमिक एसिड तथा सोडियम डाइक्रोमेट के अन्य डेरीवेटिव्स के विनिर्माताओं के प्रति कोई वैमनस्य न रखे ताकि उसे कम मूल्य पर प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार से अपने संसाधनों को जुटाने का एक समान फायदा प्राप्त हो सके।

घरेलू उद्योग केवल सोडियम डाइक्रोमेट डीहाइड्रेट का उत्पादन करता है जबकि कलर क्रोम अन्य की तरह एनहाइड्रिस सोडियम डाइक्रोमेट का आयात करता है। इन दोनों के बीच अंतर यह है कि एनहाइड्रिस किस्म में नमी की मात्रा 0 से 1 प्रतिशत होती है जबकि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित हाइड्रेटिड किस्म में लगभग 12 से 14 प्रतिशत नमी रहती है। अत: घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और आपूर्ति किया गया सोडियम डाइक्रोमेट को आयातित एनहाइड्रस सोडियम डाइक्रोमेट का एवजी नहीं समझा जाता। रक्षोपाय ड्यूटी लगाए जाने पात्र सिद्ध करने से संबंधित रक्षोपाय नियमावली के नियम 2 (ड.) के आयातित किस्म को "समान वस्तु" नहीं माना जा सकता है।

कलर क्रोम ने घरेलू उद्योग से प्राप्त ई-मेल की फोटोप्रतियां भी प्रस्तुत की हैं जिनमें उसने अंतरराष्ट्रीय विनिर्देशन को पूरा कर पाने में अपनी असमर्थता पर खेद व्यक्त किया है। विष्णु और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की जांच संबंधी रिपोर्टें भी प्रस्तुत की गई हैं जिनमें यह इंगित है कि उत्पाद की शुद्धता के साथ-साथ इसमें सल्फेट (SO_4) क्लोराइट (Cl) की मात्रा के स्तरों में काफी अंतर है। कलर क्रोम्स द्वारा विनिर्मित क्रोमिक एसिड के विनिर्माण में सोडियम डाइक्रोमेट में सल्फेट और क्लोराइट की मात्रा बेहद महत्वपूर्ण होती है। घरेलू सोडियम डाइक्रोमेट से उत्पादित क्रोमिक एसिड में सल्फेट और क्लोराइड और यह भारत और विश्वभर में संगठित क्रोमिक एसिड प्रयोक्ताओं द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। अत: विष्णु द्वारा विनिर्मित और आपूर्ति किया गया सोडियम डाइक्रोमेट को आयातित सोडियम डी डाइक्रमोमेट डी हाइड्रेट के एवजी के तौर पर पूरी तरह से तुलना नहीं की जा सकती है।

यदि रक्षोपाय ड्यूटी लगाई जाती है तो सोडियम डाइक्रोमेट की अनुपलब्धता और अधिक मूल्य दोनों के कारण अव्यवहार्य हो जाने के नाते निश्चित रूप से काफी कम समय में डेरीवेटिव्स के सभी घरेलू विनिर्माता समाप्त हो जाएंगे क्योंकि वे पूरी तरह से घरेलू उद्योग की आपूर्ति पर निर्भर रहेंगे। चूंकि विष्णु सोडियम डाइक्रोमेट के समान डेरीवेटिव्स के विनिर्माण में भी शामिल है इसलिए वह इस प्रकार के सभी डेरीवेटिव्स विनिर्माताओं के बाजार पर कब्जा कर लेगा और भारतीय बाजार एक मात्र खिलाड़ी बना रहेगा। इस प्रकार के डेरीवेटिव्स के अंतिम प्रयोक्ताओं के पास आपूर्ति का केवल एक स्रोत अर्थात विष्णु बचेगा और अंतत: उसे उन डेरीवेटिवों का आयात करना पड़ेगा और हो सकता है कि विष्णु के अनुरोध पर ऐसा ही तर्क देते संभवत: आयात पर और अधिक रक्षोपाय ड्यूटी लगाए जाने की आवश्यकता पड़ जाए।

(ix) **मैसर्स सुदर्शन केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड : घरेलू उद्योग कुल घरेलू उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत उत्पादन करके भारत के भीतर सोडियम डाइक्रोनेट के उत्पादन में एकाधिकार वाली स्थिति में है। याचिकाकर्ता विगत में प्रतिस्पर्धारोधी पद्धतियों में संलिप्त रहा है जिनमें सामान या सेवाओं की खरीद या बिक्री में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी पद्धतियों में संलिप्त रहना शामिल है जिनसे बाजार तक पहुंच न हो पाए।**

रक्षोपाय ड्यूटी के लगाने का प्रभाव सोडियम डाइक्रोमेट के घरेलू उपभोक्ता के लिए एक विपत्ति साबित होगा क्योंकि इससे लागत में बढ़ोतरी होगी जिसके कारण लीड क्रोम पिंगमेंट के उत्पादकों को अपनी उत्पादन सुविधाएं बंद करने तथा आउटसोर्स उत्पादन पर निर्भर रहने जैसे कठोर उपाय करने के लिए विवश होना पड़ेगा।

उत्पादक की बिक्री मात्रा में थोड़ी कमी आई है परंतु प्रचालन लाभ और बिक्री-राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रुपए की मात्रा में यह सकारात्मक प्रगति का कारण उत्पादकों का लगातार बढ़ता हुआ मार्जिन तथा उपभोक्ताओं को लागत संबंधी लाभ प्रदान किए जाने में उनकी अनिच्छा का परिणाम है।

(x) **मैसर्स सोना सिंथेटिक प्रोडक्ट्स : वे एक छोटे पैमाने के पिंगमेंट विनिर्माता है तथा इन आर्गेनिक पिंगमेंट और लीड क्रोम पिंग्मेंट्स के विनिर्माण हेतु कच्ची सामग्री के तौर पर सोडियम डाइक्रोमेट का प्रयोग करते हैं।**

घरेलू उद्योग एकमात्र स्थानीय आपूर्तिकर्ता है और इसलिए स्थानीय बाजार में उसका एकाधिकार है।

जांच आरंभ संबंधी नोटिस के अनुसार घरेलू उद्योग कम आयात होने के दौरान भी अपनी 35 प्रतिशत संयंत्र क्षमता से अधिक कार्य करने में असमर्थ रहा है तथा उनका अनुभव यह बतलाता है कि जब कभी अपेक्षित गुणवत्ता की आवश्यकता घरेलू उद्योग इसे मुहैया कराने में असफल रहा है।

घरेलू उद्योग सोडियम डाइक्रोमेट के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री (क्रोम अयस्क) का आयात करता रहा है और अपनी कच्ची सामग्री की खरीद में होने वाले किसी भी विलंब का सीध प्रभाव सोडियम डाइक्रोमेट के उत्पादन पर पड़ेगा जिसका जबरदस्त प्रतिकूल प्रभाव सभी पिंग्मेंट विनिर्माताओं पर पड़ेगा। आयात का विकल्प होने से उद्योग को इस बात की हमेशा सहायता मिलेगी कि वह केवल एक स्थानीय विनिर्माता पर निर्भर नहीं है।

(xi) **मैसर्स बजाज केमिकल्स लिमिटेड : भारत में सोडियम बाइक्रोमेट के लगभग 20 विनिर्माता हुआ करते थे। इनमें से एक-दो को छोड़कर सभी ने प्रदूषण और अन्य समस्याओं के कारण अपनी इकाइयों को बंद कर दिया है। घरेलू उद्योग का एक तरह से हमारे देश में एकाधिकार व्यापार है। रक्षोपाय ड्यूटी लगने से वे सभी इकाइयां बंद हो जाएंगी जो कच्ची सामग्री के रूप में सोडियम बाइक्रोमेट का इस्तेमाल करती हैं।**

(xii) **टर्की दूतावास : भारत गणराज्य द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 6 अंकों वाले एचएस कोड में भी सोडियम डाइक्रोमेट आयात की मात्रा के संबंध में टर्की की व्यक्तिगत हिस्सेदारी 3 प्रतिशत से नीचे के अनुपात में है जिसे रक्षोपाय समझौते के अनुच्छेद 9.1 के उपबंध के अंतर्गत ध्यान में रखा जाना चाहिए।**

(xiii) **मैसर्स लैंसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड :**

निम्नलिखित के मद्देनजर आपूर्ति संबंधी असमर्थता है :

(i) कच्ची सामग्री की कमी : वर्ष 2011-12 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि कच्ची सामग्री में कमी के कारण उसके उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

(ii) घरेलू उद्योग द्वारा स्वयं विचाराधीन उत्पाद का अधिक उपयोग : उद्योग में विनिर्मित विभिन्न प्रकार की क्रोम क्रोम ऑक्साइड आदि के लिए विचाराधीन उत्पाद एक महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है। विचाराधीन उत्पाद के इन इसलिए विचाराधीन उत्पाद के सभी उत्पादक अपने प्रचालन में विचाराधीन उत्पाद का स्वयं अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहते हैं तथा बाह्य तौर पर बेची जाने वाली विचाराधीन उत्पाद की मात्रा को कम कर देते हैं। अपने आवेदन में घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से वर्ष 2012-13 से 2013-14 तक स्वयं के द्वारा विचाराधीन उत्पाद के प्रयोग में होने वाली तीव्र वृद्धि का पता चलता है। स्वयं के प्रयोग में वृद्धि का सीधा-साधा संबंध उक्त अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयात में वृद्धि से है।

(iii) जांच की अवधि के दौरान अन्य घरेलू उत्पादकों ने उत्पादन रोक दिया : विचाराधीन उत्पाद के अधिकांश स्वदेशी भारतीय उत्पादक बढ़ते पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन करने में असमर्थ रहे और प्रचालन संबंधी अपना लाइसेंस खो बैठे। अत: विचाराधीन उत्पाद के प्रचालन हेतु एक वैध लाइसेंस होने का सत्यापन पर्यावरणीय संरक्षण ब्यूरो से कराया जाना चाहिए। विचाराधीन उत्पाद के इन भारतीय उत्पादकों की अनुपस्थिति में विचाराधीन उत्पाद का आयात बढ़ जाना घरेलू उत्पादन क्षमता में कमी होने का परिणाम है।

(ख) घरेलू उद्योग को आयातित विचाराधीन उत्पाद से कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई है क्योंकि

(i) घरेलू उद्योग का ब्याज एवं कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी) जांच की अवधि के दौरान लगातार बढ़ा है। विगत 2 वास्तविक तथा तुलनात्मक दृष्टि से निरंतर बढ़ता रहा है।

भारत में विचाराधीन उत्पाद के तदनुरूपी आयात मूल्यों से कम मूल्य-स्तर पर विचाराधीन उत्पाद का निर्यात कर रहा है।

(iii) जांच की अवधि के दौरान मालसूची के स्तर तथा विचाराधीन उत्पाद के आयात के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है। विचाराधीन उत्पाद के आयात में वृद्धि होने के बावजूद वर्ष 2011 से मालसूची के स्तर में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है।

(ग) विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय ड्यूटी लगाए जाने के कारण इसका संभावित परिणाम होगा :

(i) घरेलू उद्योग की बाजार में अर्ध एकाधिकार की स्थिति : बाजार में घरेलू उद्योग की मौजूदा हिस्सेदारी 30-35 प्रतिशत के बीच है। बंद संयंत्रों की संख्या के आधार पर बाजार में यह हिस्सेदारी 50 प्रतिशत तक हो जाने की संभावना है। आयातित विचाराधीन उत्पाद के अभाव में घरेलू उद्योग की पहले से मौजूद बाजार में प्रभावी स्थिति में और वृद्धि होगी और जिसका परिणाम होगा एक अर्ध-एकाधिकार की स्थिति जो अंतत: सहायक विचाराधीन उत्पाद के सभी भारतीय उपभोक्ताओं को क्षति करेगी और गंभीर खतरा उत्पन्न करेगी।

(ii) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी भारतीय क्रोम केमिकल्स उद्योग की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता निम्नतर हो जाएगी।

(घ) बेसिक क्रोम सल्फेट तथा क्रोमिक एसिड की कच्ची सामग्री की लागत पर रक्षोपाय ड्यूटी का प्रभाव निम्नानुसार होगा :

उत्पाद	अनुमानित रक्षोपाय ड्यूटी दर	कच्ची सामग्री की लागत में वास्तविक वृद्धि	कच्ची सामग्री की लागत में अनुपातिक वृद्धि
बेसिक क्रोम सल्फेट	20 प्रतिशत	130 यूएसडी/टी	17 प्रतिशत
क्रोम एसिड	20 प्रतिशत	430 यूएसडी/टी	18 प्रतिशत

कुल लागत में वृद्धि होने से प्रभावित उद्योगों की उनके निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धा क्षमता में उल्लेखनीय कमी जाएगी और इस प्रकार कुल बिक्री तथा लाभ मार्जिन में भी कमी होगी।

(xiv) मैसर्स ट्रिगॉन गल्फ एफजेडसीओ : वे भारतीय औद्योगिक प्रयोक्ताओं को एनहाइड्रस सोडियम डाइक्रोमेट का निर्यात करते हैं जिनका विनिर्माण न तो मैसर्स विष्णु केमिकल्स द्वारा या किसी अन्य कंपनी द्वारा किया जाता है। भारतीय उद्योग को अपने उच्च तकनीकी पैरामीटरों तथा निष्पादन हेतु इस विशिष्ट ग्रेड की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि उनके द्वारा दिए गए उत्पाद में नमी की मात्रा 11 प्रतिशत है जबकि उनके द्वारा निर्यातित उत्पाद में नमी की मात्रा अधिकतम 0.5 प्रतिशत होती है। अत: ये दोनों उत्पाद अलग-अलग हैं।

याचिकाकर्ता इस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा विशिष्ट ड्यूटी लगाए जाने का अर्थ होगा कि उक्त कंपनी को लाभ में स्थिति में रखना।

मैसर्स विष्णु केमिकल्स अपने उत्पादों का निर्यात करता है और वह भी अंतरराष्ट्रीय मूल्यों से कम मूल्य पर।

घरेलू उद्योग अपनी कच्ची सामग्री के लिए आयात के स्रोत पर निर्भर है और सोडियम डाइक्रोमेट के आयात को सीमित करने से प्रयोक्ता उद्योग बेहद सुभेद्य हो जाएगा।

एस ए : याचिकाकर्ता सोडियम डाइक्रोमेट में एकाधिकार रखता है। इससे पूर्व कई घटनाएं हुई हैं जिनमें उत्पादक ने बिना किसी सूचना के उत्पाद की आपूर्ति मनमाने ढंग से रोक अथवा सीमित कर दिया था जिससे कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन संबंधी अनेक समस्याएं खड़ी हो गईं तथा यह उन कारणों में से एक है कि क्यों उपभोक्ताओं ने याचिकाकर्ताओं को छोड़कर अन्य स्रोतों से खरीदने विकल्प चुना।

विदेशी उत्पादकों की तुलना में उत्पाद की गुणवत्ता निम्न कोटि की है।

उन्होंने स्वयं यह उल्लेख किया है कि उनकी प्रौद्योगिकी किफायती नहीं है क्योंकि वे CO_2 का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उनकी तकनीक कमजोर होने का दंड निर्यातकों और क्रेताओं को नहीं दिया जाना चाहिए।

उनकी याचिका उनकी वास्तविक प्रतिस्पर्धारोधी मूल्य निर्धारण संबंधी नीतियों की साक्ष्य है। उत्पादकों की बिक्री की मात्रा उत्पादकों की लगातार बढ़ रही मार्जिन तथा उपभोक्ताओं को लागत संबंधी लाभ दिए जाने में उनकी अनिच्छा का परिणाम है।

आयातों में वृद्धि के लिए कोई भी अप्रत्याशित घटनाक्रम उत्तरदायी नहीं है।

याचिकाकर्ता का कम लाभ प्रदायकता संबंधी दावा पुरानी तकनीक के कारण हो सकता है।

उनके द्वारा निर्मित उत्पाद एनहाइड्रस है जबकि याचिकाकर्ता द्वारा बेचा गया उत्पाद डिहाइड्रेट है। अत: यह पूर्णत: एक समान उत्पाद का मामला नहीं है।

आयातों और याचिकाकर्ता को तथाकथित रूप से हुई क्षति के बीच कोई मूल और उल्लेखनीय कार्यात्मक संबंध नहीं है।

रक्षोपाय ड्यूटी जनहित में नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता की बाजार में हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से अधिक है और रक्षोपाय ड्यूटी लगाए जाने से वह एक एकाधिकार वाली स्थिति में आ जाएगा।

आयातों के बढ़ने तथा घरेलू बाजार को गंभीर क्षति होने के मध्य कोई कर्यात्मक संबंधी होने का अभाव है।

अनंतिम रक्षोपायों पर विचार करने का वस्तुत: कोई कारण नहीं है क्योंकि इस मामले में किसी गंभीर परिस्थितियां विद्यमान नहीं हैं।

रक्षोपाय ड्यूटी एक आपात युक्ति है जिसे आयातों में हुई तीव्र वृद्धि के कारण हुई गंभीर क्षति से घरेलू उद्योग को मुक्त करने के लिए तैयार किया गया है। लंबे समय तक होने वाली क्रमिक वृद्धि से ऐसी संभावना नहीं है कि घरेलू उद्योग ऐसी स्थिति में पहुंच गई हो जहां रक्षोपाय ड्यूटी जैसे आपातकालीन समाधान को न्यायसंगत ठहराया जा सके।

7. दिनांक 05.08.2014 को सार्वजनिक सुनवाई हुई थी। इस संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 17.07.2014 को नोटिस भेजा गया। इस नोटिस के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने सार्वजनिक सुनवाई में हिस्सा किया :

(i) मैसर्स विष्णु केमिकल्स
(ii) मैसर्स निफ्टी केमिकल्स
(iii) मैसर्स कोणार्क क्रोम केमिकल्स
(iv) मैसर्स श्री कनकदुर्गा क्रोमेट्स प्राइवेट लिमिटेड
(v) मैसर्स कलर क्रोम प्राइवेट लिमिटेड
(vi) मैसर्स सोलर केमफर्टस प्राइवेट लिमिटेड
(vii) मैसर्स आईओएल केमिकल्स एंड फार्मा
(viii) मैसर्स शासुन फार्मास्युटिकल्स
(ix) मैसर्स मधु चन्द्रा टेक्नो केम कॉम्प्लैक्स
(x) मैसर्स सोना सिंथेटिक प्रोडक्ट्स
(xi) मैसर्स सुदर्शन केमिकल्स
(xii) मैसर्स वापी पिंग्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
(xiii) मैसर्स मिकास आर्गेनिक्स लिमिटेड
(xiv) मैसर्स रवेंशिया कलर्स प्राइवेट लिमिटेड
(xv) मैसर्स अनुपम कलर क्रोम
(xvi) मैसर्स वॉक्सको पिंग्मेंट्स
(xvii) मैसर्स लैन्सेस्ज इंडिया
(xviii) मैसर्स अनुपम कलर प्राइवेट लिमिटेड
(xix) डीएसके लीगल

8. लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 12.08.2014 थी। इस तारीख को या इससे पूर्व प्रस्तुत सभी लिखित लिखित प्रत्युत्तर सार्वजनिक फाइल में रखे तथा सभी विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के बीच परिचालित किए गए ताकि वे अपना उन्हें दिनांक 03.09.2014 तक अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का समय दिया गया। दक्षिण अफ्रीका की सरकार से प्राप्त

प्रत्युत्तर पुन: हितबद्ध पक्षकारों को इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया कि वे दिनांक 10.09.2014 तक अपनी टिप्पणियां दे दें।

9. दिनांक 30.07.2014 को माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें न्यायालय ने मामले में मैसर्स चंडीगढ़ केमिकल्स प्राइवेट को सुने जाने का निदेश दिया। माननीय उच्च न्यायालय के निदेशानुसार घरेलू उद्योग की उपस्थिति में दिनांक 10.09.2014 को मैसर्स चंडीगढ़ केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की सुनवाई हुई। मैसर्स चंडीगढ़ केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उठाए गए बिंदु पर अपना प्रति प्रत्युत्तर दिनांक 18.09.2014 तक प्रस्तुत करने के लिए घरेलू उद्योग को अनुमति दी गई। डीएसके लीगल और मैसर्स लैनसेस के अनुरोध पर उन्हें घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए अतिरिक्त प्रति प्रत्युत्तर पर अपना प्रत्युत्तर देने के लिए 31.10.2014 तक का समय दिया गया।

10. सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात घरेलू उद्योग तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए व्यक्तिगत प्रत्युत्तरों को एक समेकित तरीके से रिकार्ड किया गया है और उनके संबंध में विवरण नीचे दिया गया है :

क. मैसर्स विष्णु केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसका प्रतिनिधित्व टीपीएम कंसलटेंट्स द्वारा किया गया)

(i) निर्यातकों से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला है। रूस (जो भारत में विषयगत सामान का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है) तथा दक्षिण अफ्रीका के भारतीय एजेंट ने प्रत्युत्तर (प्रश्नावली का प्रत्युत्तर नहीं) प्रस्तुत किया है। निर्यातकों के अतिरिक्त केवल दो व्यापारियों ने प्रत्युत्तर दिया है।

दुबई और मिडुरॉल केमिकल्स एसए- स्विटजरलैंड नामक व्यापारियों से महानिदेशक द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।

(iii) निम्नलिखित आयातकों और उपभोक्ताओं ने प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया तथा मौखिक सुनवाई में भी भाग लिया परंतु किसी भी पक्षकार ने आयातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है :

- कलर क्रोम
- अनुपम कलर्स इंडस्ट्रीज
- अनुपम कलर्स प्राइवेट लिमिटेड
- सुदर्शन केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- मिकॉस आर्गेनिक लिमिटेड
- रवेशिया कलर्स
- सोलर केमफर्टस प्राइवेट लिमिटेड
- सोना सिंथेटिक्स प्रोडक्ट्स
- वॉक्सको पिंग्मेंट्स
- वापी पिंग्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(iv) सोडियम डाइक्रोमेट के प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्र निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	क्षेत्र	मात्रा	हिस्सेदारी
1	बेसिक क्रोमियम सल्फेट (चमड़ा उद्योग)	22512	44%
2	क्रोमिक एसिड (इलेक्ट्रोप्लेटिंग)	9768	19%

3	**फार्मा**	7800	15%
4	**क्रोम पिंग्मेंट्स**	5400	11%
5	**सैकरिन**	2580	5%
6	**स्पेशियल्टी डाई**	1260	2%
7	**अन्य**	2040	4%

जांच में अधिकांश प्रत्युत्तर पिंग्मेंट उद्योग से प्राप्त हुआ जो उत्पाद के प्रमुख खपत क्षेत्रों में से एक नहीं है।

(v) **कुछ आयातक घरेलू बाजार में आयातित सोडियम डाइक्रोमेट का व्यापार कर रहे हैं। मैसर्स कलर क्रोम उत्पाद का आयात करता है और तत्पश्चात घरेलू बाजार में इसका व्यापार करता है।**

(vi) **बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी जिसे डीएसके लीगल द्वारा तैयार किया गया था। डीएसके लीगल और लैन्सेस ने भी स्वतंत्र रूप से भी प्रत्युत्तर दिया। तथापि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सार्वजनिक फाइल में ऐसा कोई दस्तावेज देखा नहीं जा सका जिससे इन सभी पक्षकारों द्वारा डीएसके लीगल (लैंसेस सहित) को प्राधिकार दिए जाने का पता चलता हो। इन पक्षकारों द्वारा कोई प्राधिकार नहीं दिए जाने के आधार पर डीएसके लीगल द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर को प्राधिकारी विहीन प्रत्युत्तर माना जाना चाहिए।**

(vii) **लैन्सेस दक्षिण अफ्रीका ने असहयोग का चयन किया तथा प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए जाने के बिना लैंसेस इंडिया द्वारा दिए गए विस्तृत प्रत्युत्तरों को लैंसेस को प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करके लैन्सेस दक्षिण अफ्रीका द्वारा दिए गए प्रत्युत्तरों के रूप में देखा जाना चाहिए।**

2014 को माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी। मामले में सूचीबद्ध पक्षकारों ने इस तथ्य को महानिदेशक से छुपाने का निर्णय लिया। ऐसी स्थिति में और अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण दोनों के समक्ष पक्षकारों का प्रतिनिधित्व कर रहा है।

नामक से भी जाना जाता है। यह तर्क आधारहीन है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित सामान बीआई मानकों के अनुरूप है।

(x) **प्रमुख कच्ची सामग्री अर्थात क्रोम अयस्क का आयात दक्षिण अफ्रीका से किया जाता है और जैसाकि स्वयं दोनों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी समान है। घरेलू उद्योग यह समझ पाने में असमर्थ है कि कैसे उसके द्वारा उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता निम्न दर्ज की हो सकती है जब याचिकाकर्ता ने स्वयं स्वीकार का स्वयं प्रयोग करके प्रमुख सहायक उत्पादों का विनिर्माण और बिक्री कर रहा है।**

विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण आदि जैसे पैरामीटरों की दृष्टि उनकी विशेषताएं एक समान है। घरेलू उद्योग और आयातित उत्पाद की अनिवार्य उत्पाद संबंधी विशेषताओं की तुलना से यह पता चलेगा कि अनिवार्य

उत्पाद संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानर की तुलना आयातित सामान से की जा सकती है।

(xii) सोडियम डाइक्रोमेट डि-हाइड्रेड रूप तथा सोडियम डाइक्रोमेट एनहाइड्रस रूप के बीच जो एकमात्र अंतर वह दोनों जबकि आयातित उत्पाद में एनहाइड्रस रूप में उत्पाद शामिल है जिसमें नमी की मात्रा लगभग 2 प्रतिशत होती है। उपभोक्ता इस उत्पाद का प्रयोग उक्त में विद्यमान डाइक्रोमेट की मात्रा के अनुसार करते हैं। यदि डाइक्रोमेट की मात्रा अधिक है तो इसका अर्थ केवल यह है कि इसकी कम खपत पर्याप्त है।

स्पष्ट रूप से यह बताता है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद के प्रयोग को लेकर कोई कठिनाई नहीं है और यह कि उत्पादों को प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

मैसर्स आर्शन केमिकल्स और मैसर्स श्री कनकदुर्गा ने जांच में भाग लिया है और महानिदेशक ने इनकी मौखिक सुनवाई की है। ये उत्पादक महानिदेशक से रक्षोपाय ड्यूटी लगाए जाने का भी अनुरोध कर रहे हैं। यह भी देखा गया कि मैसर्स कोणार्क केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स श्री कनकदुर्गा ने भी प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है। यह अनुरोध किया गया है कि महानिदेशक इन हितबद्ध पक्षकारों से उचित सूचना चाहते हैं तथा तदनुसार इन याचिकाकर्ताओं के क्रम का निर्धारण करेंगे।

(xv) मैसर्स कोणार्क केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स श्री कनकदुर्गा ने जांच प्रारंभ होने के बाद प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है। इन दोनों कंपनियों के संबंध में सूचना को शामिल करते हुए समेकित क्षति का ब्योरा अलग-अलग प्रस्तुत किया जा रहा है।

(xvi) जांच प्रारंभ होने के बाद कुछ उत्पादकों ने प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है तथा अपने उत्पादन और बिक्री की मात्रा की जानकारी दी है। प्रत्युत्तर से यह नोट किया गया कि इन पक्षकारों के उत्पादन की वास्तविक मात्रा याचिकाकर्ता द्वारा आकलित मात्रा की तुलना में कम है। तदनुसार ने भारतीय उत्पादन तथा भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ता के हिस्से से संबंधित सूचना को अद्यतन किया है। संशोधित ब्यौरा संलग्न है।

(xvii) महानिदेशक ने जांच के आदेश के समय डीजीसीआईएंडएस के अनुसार आयात के आंकड़ों पर विचार किया है। डि-हाइड्रेट रूप तथा एनहाइड्रस रूप में सोडियम डाइक्रोमेट के आयात के कारण द्वितीयक स्रोत के आंकड़ों को अंगीकार किया है। याचिकाकर्ता ने हर एक और प्रत्येक आयात संबंधी लेनदेन का विश्लेषण किया है और यह पहचान की है कि आयात संबंधी लेनदेन डि-हाइड्रेटेड रूप में या एनहाइड्रस रूप में किया गया है। तत्पश्चात याचिकाकर्ता ने एनहाइड्रस रूप में किए गए आयातों को डि-हाइड्रेट रूप में परिवर्तित करके आयात की मात्रा निर्धारित की है। यह कार्य डाइक्रोमेट की मात्रा पर विचार करके किया गया है।

2014 की अवधि में इन आयातों में और तेजी से वृद्धि देखी गई। अत: यह देखा जा सकता हैकि हाल की और उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(xix) उत्पादन से संबंधित आयात में सतत वृद्धि देखी गई और यह वर्ष 2010-11 में 17 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप 2014 में इसकी हिस्सेदारी 53 प्रतिशत हो गई।

विचाराधीन उत्पाद के आयातों में तेजी से वृद्धि हुई है। यह आयात इस सीमा तक बढ़े हैं कि खपत के संबंध में आयात की हिस्सेदारी भारतीय खपत का 50 प्रतिशत हो गई है।

(xxi) आयात का अधिकांश भाग रूस से हुआ और उक्त अवधि में आयात में वृद्धि भी रूस से हुए आयात के कारण रूस के किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को प्रत्युत्तर नहीं दिया है और इसलिए उनका सहयोग शून्य है।

(xxii) विमानन उद्योग में गिरावट है और इसलिए क्रोम धातु के उत्पादन में सोडियम डाइक्रोमेट के प्रयोग में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप रूस के निर्यातकों और उत्पादकों को उन अन्य देशों को वस्तुएं निर्यात करने पर विवश होना पड़ा है जहां मांग में तेजी रही है।

(xxiii) दक्षिण अफ्रीका सोडियम डाइक्रोमेट का निर्यात जर्मनी में स्थित अपनी उस इकाई को करता है जो क्रोम ऑक्साइड ग्रीन के उत्पादन में उक्त वस्तु का उपयोग करती है। क्रोम ऑक्साइड ग्रीन के बाजार में मंदी है। इससे कंपनी को जर्मन स्थित अपने संयंत्र को किए जाने वाले निर्यात में कटौती करनी पड़ी है और उसे उभरते बाजारों की ओर रूख करना पड़ा है। टर्की (सिसकॉम) ने मांग की तुलना में अपनी क्षमता काफी बढ़ा ली है।

(xxiv) याचिकाकर्ता ने यह बताया है कि कानून के अंतर्गत निर्धारित सभी पैरामीटर यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

(xxv) याचिकाकर्ता के महानिदेशक द्वारा विचाराधीन क्षति की अवधि में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन हेतु दो संयंत्र थे। भिलाई में स्थित संयंत्र में उत्पादन वर्ष 2011-12 में देश में उत्पाद की मांग में कमी के कारण रोक दिया गया था। तदनुसार याचिकाकर्ता ने याचिका और विद्यमान प्रत्युत्तरों में क्षमता में उपयोग के निर्धारण हेतु क्षमता को कम किया है।

(xxvi) यह तथ्य कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2010-11 में भिलाई संयंत्र में कोई उत्पादन नहीं किया है का अर्थ केवल यह नहीं है कि वह क्षमता अब नदारद है। याचिकाकर्ता ने महानिदेशक से क्षमता के उपयोग का निर्धारण करने के लिए चालू क्षमताओं पर विचार करने का अनुरोध किया है न कि विद्यमान क्षमताओं पर।

(xxvii) क्षति की खरीद के दौरान विचाराधीन उत्पाद की समग्र मांग में वृद्धि हुई है।

(xxviii) आयात में वृद्धि होने के साथ आयात मूल्य में कमी आई जबकि उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है। घरेलू 2014 माह में आयात मूल्यों में 1330/-रुपए मीट्रिक टन की और गिरावट हुई जिससे कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने की बात सिद्ध हो जाती है।

(xxix) भारत में विचाराधीन उत्पाद की बढ़ती मांग तथा घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद घरेलू उद्योग के उत्पादन में उल्लेखनीय रूप से कमी आई।

(xxx) घरेलू उद्योग की क्षमता के उपयोग में भी हाल की अवधि में कमी आई है। भारत में पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद घरेलू उद्योग की विगत दो वर्षों से कम मूल्य पर आयात तथा आयात में बढ़ोतरी के कारण क्षमताएं उल्लेखनीय रूप से अनुप्रयुक्त रही हैं। घरेलू उद्योग अपनी क्षमता के केवल 32 प्रतिशत का उपयोग कर पा रहा है। भारतीय उद्योग के पास अपनी क्षमताओं का इष्टतम उपयोग करके देश में होने वाली मांग को पूरा करने की पूर्ण क्षमता मौजूद है। भारत में मांग को पूरा करने के लिए विषयगत सामान के आयात की कोई आवश्यकता नहीं है।

(xxxi) याचिकाकर्ता ने बताया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पत्र यह बताता है कि कंपनी विचाराधीन उत्पाद के रूप किसका उत्पादन तथा किस की बिक्री तथा सहायक उत्पादों के रूप में किनका उत्पादन और किनकी बिक्री कर सकती है। यहां तक कि सहायक उत्पादों के लिए भी याचिकाकर्ता की विचाराधीन उत्पाद की आवश्यकता होगी। यद्यपि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सूचित बिक्री योग्य क्षमताओं में इसकी जानकारी नहीं दी गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता की सोडियम डाइक्रोमेट संबंधी क्षमता 210 मीट्रिक टन/प्रति दिन है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पत्र इस प्रत्युत्तर के साथ संलग्न है।

(xxxii) आयात में बढ़ोतरी के कारण बाजार में आयात की हिस्सेदारी में वृद्धि तथा बाजार में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी में कमी आई है। बाजार में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी वर्ष 2010-11 में 64 प्रतिशत की तुलना 2014 की अभी हाल की अवधि में भी बाजार में घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी में और गिरावट आई है।

इसी अवधि के दौरान आयात में हुई और वृद्धि के साथ-साथ घरेलू उद्योग की बिक्री में मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है।

(xxxiv) मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होने के बावजूद घरेलू उद्योग की घरेलू बाजार में बिक्री कम हुई है।

(xxxv) इस अवधि के दौरान अपने प्रमुख ग्राहकों (रक्षोपाय ड्यूटी लगाए जाने का विरोध करने वाले पक्षकारों सहित) को घरेलू उद्योग द्वारा की गई बिक्री में भी आयात में वृद्धि होने के साथ-साथ कमी आई है।

सोडियम डाइक्रोमेट (प्रमुख ग्राहक)					
क्र.सं.	पक्षकार का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	अनुपम कॅलर एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज	***	***	***	***
2	अनुपम कलर्स प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***
3	प्रसाद इंटरनेशनल लिमिटेड	***	***	***	***
4	वापी पिग्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	***	***	***	***
5	सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	***	***	***	***
6	सोना सिंथेटिक प्रोडक्ट्स	***	***	***	***
7	शासुन फार्मास्युटिकल्स	***	***	***	***
8	आईओएल केमिकल्स	***	***	***	***
9	एमआईसीएएस	***	***	***	***
10	सोलर केम्फर्टस	***	***	***	***
	कुल योग	6936.35	6377.7	5566.6	4414.8

(xxxvi) घरेलू उद्योग पर समय पर आपूर्ति न किए जाने का आरोप केवल आयात में उपभोक्ताओं के हित को छुपाना है।

(xxxvii) घरेलू उद्योग ने नियत मूल्य पर या आयात मूल्य के समतुल्य मूल्य पर विचाराधीन उत्पाद देकर अपने उत्पाद को बेचने का हर संभव प्रयास किया है। अपने उत्पाद को बेचने के लिए उद्योग इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था।

(xxxviii) याचिकाकर्ता ने दो कारणों से डीजीसीआईएंडएस लेनदेन-वार आंकड़ों को देखने का अनुरोध किया है :

(क) विचाराधीन उत्पाद का एनहाइड्रस रूप और डिहाइड्रेटेड रूप में आयात है और इसलिए इसे एक रूप में अत: यह महत्वपूर्ण है कि लेनदेन-वार आंकड़ों पर विचार किया जाए।

(ख) लेनदेन-वार डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों में आयातकों के नाम भी शामिल होने चाहिए। अनेक आयातकों/उपभोक्ताओं द्वारा मौखिक जानकारी दिए जाने के बाद भी किसी भी आयातक/उपभोक्ता ने प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों से उनके द्वारा किए गए आयात की वास्तविक स्थिति का तुरंत पता चल जाएगा। इस सूचना से यह भी पता चलेगा कि घरेलू उद्योग की बिक्री भी मात्रा में गिरावट इन उपभोक्ताओं द्वारा किए गए आयात में वृद्धि के कारण से हुई है।

(xxxix) आयात से घरेलू मूल्यों में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। मूल्य में कटौती के परिणामस्वरूप आयात में वृद्धि और मूल्य में मंदी आई है।

क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति में बढ़ोतरी होती गई है।

(xli) निवेश पर लाभ भी ऋणात्मक रहा और क्षति की अवधि में इसकी स्थिति और खराब हो गई।

(xlii) आयात मूल्य हमेशा घरेलू उद्योग की लागत के स्तर से नीचे रहा। अत: घरेलू उद्योग को अपना मूल्य बिक्री लागत से कम रखना पड़ा जिसके कारण वित्तीय नुकसान हुआ। वित्तीय नुकसान से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। लगाई गई पूंजी पर लाभ क्षति की अवधि के दौरान ऋणात्मक रहा।

(xliii) निम्नलिखित कारणों से गंभीर क्षति का खतरा सिद्ध हो जाता है :

(ख) प्रमुख निर्यातक देशों में उत्पाद की मांग में गिरावट आई है। इसके परिणामस्वरूप विदेशी उत्पादक यथासंभव

(घ) घरेलू बाजार में आयातों ने अपनी उल्लेखनीय हिस्सेदारी बनाई हुई है और यह हिस्सेदारी बढ़ रही है।

(xliv) घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने के पीछे बढ़ते आयात के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है।

(क) उत्पाद की मांग : विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। अत: मांग में किसी कमी के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

(ख) खपत के पैटर्न में परिवर्तन : विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। खपत के पैटर्न में बदलाव से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है।

(ग) व्यापार नियामक पद्धतियां तथा विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा : ऐसी कोई व्यापार नियामक पद्धति नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति होने का आधार नहीं हो।

(घ) प्रौद्योगिकी में विकास : उत्पाद के उत्पादन संबंधी प्रौद्योगिकी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। अत: प्रौद्योगिकी में विकास क्षति का कारण नहीं है।

(ङ) क्षति का विश्लेषण केवल घरेलू प्रचालनों के लिए किया गया है। अत: घरेलू उद्योग के निर्यात संबंधी निष्पादन में संभावित गिरावट घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति का संभावित कारण नहीं है।

(च) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन : घरेलू उद्योग को क्षति का दावा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किया गया है। याचिकाकर्ता ने केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में आंकड़ों को अलग-अलग किया है तथा उपलब्ध कराया है।

(xlv) विचाराधीन उत्पाद के आयात पर रक्षोपाय ड्यूटी लगाया जाना घरेलू विनिर्माताओं के हित में होगा। इस उपाय से बढ़ते आयात के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली और क्षति रूकेगी।

(xlvi) रक्षोपाय ड्यूटी को लगाया जाना घरेलू उपभोक्ताओं के हित में होगा क्योंकि इसमें उपभोक्ताओं के हित में ही निहित है कि उपभोक्ताओं को विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति करने तथा विदेशी उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा कर पाने में सक्षम एक प्रतिस्पर्धी भारतीय घरेलू उद्योग अस्तित्व में हो।

प्रतिस्पर्धी भारतीय घरेलू उद्योग का होना कुल मिलाकर जनसाधारण के हित में है।

(xlviii) अंतिम उत्पादों की लागत पर पड़ने वाला वास्तविक प्रभाव मामूली है। घरेलू उद्योग ने यह भी उल्लेख किया है कि उपभोक्ता क्षेत्र लागत में होने वाली वृष्टि उपभोक्ताओं पर डाले जाने के लिए सक्षम है और इसलिए प्रस्तावित उपाय का प्रस्ताव बेहद मामूली पड़ेगा।

(xlix) उद्योग को उसकी अधिकतम क्षमता के साथ चला पाना कठिन हो गया है अत: वे निधियां अर्जित कर पाने तब याचिकाकर्ता बाजार में अधिकतम हिस्सेदारी बना सकेगा और CO2 प्रक्रिया आदि जैसे विभिन्न उपायों के क्रियान्वयन द्वारा प्रतिस्पर्धा का सामना कर पाने की स्थिति में होगा।

(ख) मैसर्स कोणार्क क्रोम केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

(i) विगत 3 वर्षों के दौरान कच्ची सामग्री के मूल्यों में वृद्धि हुई है जबकि उक्त उत्पाद के बहुत आयात के कारण सोडियम डाइक्रोमेट के बिक्री मूल्यों में गिरावट आई है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई।

(ग) मैसर्स निफ्टी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

(i) विगत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन से खरीदे गए क्रोम अयस्क की दरों में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

(ii) सोडा ऐश की लागत में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

अन्य विविध व्यय और सरकारी रायल्टी में वृद्धि हुई है।

(iv) उनकी गुणवत्ता अच्छी किस्म की सामग्री में निहित है जो सभी आईएसआई विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

रोजगार और बाजार में हिस्सेदारी की दृष्टि से उनके निष्पादन में गिरावट आई है।

(घ) श्री कनकदुर्गा क्रोमेट्स प्राइवेट लिमिटेड

(i) भारतीय उद्योग देश में सोडियम डाइक्रोमेट की मांग को पूरा कर सकता है।

(ii) उसके सभी साथी उत्पादकों का आयात में वृद्धि के कारण व्यापार घट रहा है।

(iii) भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित सामान सभी उपभोक्ताओं को स्वीकार्य हैं।

मैसर्स वाक्सको पिग्मेंट्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स सोना सिंथेटिक्स प्रोडक्ट्स का प्रतिनिधि) ने निम्नलिखित का उल्लेख किया है :

(i) घरेलू उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार जिस सीएफओ (प्रचालन के लिए सहमति) दी गई है वह 000 एमटी की क्षमता होने का दावा गलत है।

(ii) घरेलू उद्योग के पास न तो 86000 एमटी विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन से जनित खतरनाक अपशिष्ट के विनिर्माण या सुरक्षित निपटान से संबंधित अवसंरचना मौजूद है और न ही आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों का लाइसेंस है।

घरेलू उद्योग 36000 एमटी विचाराधीन उत्पाद तथा चूंकि बेसिक क्रोम सल्फेट और येलो सोडियम सल्फेट में क्रमश: 54000 मीट्रिक टन तथा 36000 मीट्रिक टन बेसिक क्रोम सल्फेट तथा येलो सोडियम सल्फेट के विनिर्माण हेतु प्राधिकृत है सरासर गलत है क्योंकि सीएफओ प्रत्येक श्रेणी की उत्पादन सीमा अलग-अलग तय करता है और इसकी और तरीके से व्याख्या करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है।

(iv) उक्त सीएफओ में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि घरेलू उद्योग केवल 36000 मीट्रिक टन (120X300 दिन) का विनिर्माण करने के लिए प्राधिकृत है और यदि शामिल है तब इसे घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की गणना में शामिल किया जाएगा जो 36000 मीट्रिक टन/वार्षिक के अधिकतम उत्पादन के अध्यधीन होगा।

(v) घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण हेतु अपने संयंत्र को चलाने के लिए आयातित अयस्क पर निर्भर की इतनी कम मालूसची के साथ वे भारतीय बाजार की मांग को पूरी करने में असमर्थ रहेंगे।

(vi) घरेलू उद्योग एकल उच्च ताप सह भ्ट्ठे (रिफैक्ट्री किल्न) के साथ काम चलाता है जिसके रखरखाव की लगातार जरूरत रहती है तथा इसे 2 से 3 सप्ताह के लिए बंद करना होता है जो कम आपूर्ति का एक कारण हो सकता है।

हरियाणा विचाराधीन उत्पाद के 100 प्रतिशत निर्धारित उत्पादन का इस्तेमाल सहायक उत्पादों में करता है। अत: उत्पादित विचाराधीन उत्पाद स्थानीय बाजार की मांग को पूरा करने के लिए उपलब्ध नहीं होता है।

जाजपुर भी विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग सहायक उत्पादों में करता है और वह एक नियमित विनिर्माता नहीं है।

पश्चिम बंगाल (साउथ इंडियन बैंक द्वारा नीलामी प्रक्रिया के अधीन) जैसे विचाराधीन उत्पाद के कुछ विनिर्माता या तो अस्तित्व में नहीं है या उन्होंने विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करना छोड़ दिया है जिसकी पुष्टि कारपोरेट कार्य मंत्रालय से की जा सकती है।

(x) श्री कनकदुर्गा क्रोमेट्स प्राइवेट लिमिटेड नियमित रूप से विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण नहीं करता है और किसी भी भारतीय ग्राहक द्वारा इसे विचाराधीन उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा की लिहाज से एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता नहीं माना जाता है।

बिक्री आदि से संबंधित उनके आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

(xii) घरेलू उद्योग आयातों में वृद्धि का कारण दे पाने में असफल रहा है। प्रतिवादियों ने निम्नलिखित कारणों से आयात में वृद्धि के कारणों का उल्लेख किया है :

(क) विचाराधीन उत्पाद के अधिकांश प्रयोक्ताओं को अपनी गुणवत्ता संबंधी मानकों को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला विचाराधीन उत्पाद की आवश्यकता होती है और विभिन्न अनुरोधों के बावजूद घरेलू उत्पाद उक्त को उपलब्ध करा पाने असफल रहा है और हमारी अपेक्षाओं को पूरा कर पाने में अपनी असमर्थता भी दिखाई है।

से सस्ता होने के बावजूद घरेलू क्रोम अयस्क का प्रयोग अभी भी विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण के लिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह सहायक उत्पादों की गुणवत्ता संबंधी मानकों पर खरा नहीं उतरता है।

(ग) भारत में विचाराधीन उत्पाद के अधिकांश विनिर्माता ने अपना उत्पादन या तो बंद कर दिया है या सहायक उत्पादों के आगे विनिर्माण हेतु विचाराधीन उत्पाद की स्वयं खपत कर रहे हैं।

(घ) घरेलू उद्योग की वास्तविक क्षमता उनके द्वारा दावा की गई क्षमता की आधी भी नहीं है।

(ङ) घरेलू उद्योग दक्षिण अफ्रीका से क्रोम अयस्क का आयात कर रहा है क्योंकि भारतीय क्रोम अयस्क अधिकांश भारतीय ग्राहकों की गुणवत्ता संबंधी अपेक्षा को पूरा करने में असमर्थ है।

(च) घरेलू उद्योग ने स्वयं स्वीकार किया है कि वे सहायक उत्पादों के विनिर्माण में स्वयं विचाराधीन उत्पाद की खपत कर रहे हैं जिसके कारण प्रयोक्ताओं के लिए नामात्र विचाराधीन उत्पाद उपलब्ध हो पाता है।

(xiii) जांच आरंभ करने संबंधी अधिसूचना में उपलब्ध आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वर्ष 2010-11 में विष्णु केमिकल्स की बाजार में हिस्सेदारी अन्य घरेलू विनिर्माताओं के 27.57 प्रतिशत तथा आयात के 12.01 प्रतिशत रहने की तुलना में 60.42 प्रतिशत थी। यह प्रवृत्ति लगातार बनी रही जहां विष्णु की बाजार में हिस्सेदारी 60.42 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 62.07 प्रतिशत हो गई तथा आयात की हिस्सेदारी बढ़कर 26.75 प्रतिशत हो गई। अत: वस्तुत: यह कहना गलत है कि आयात में वृद्धि होने से घरेलू उद्योग को विशेष रूप से विष्णु को कोई क्षति हुई है।

(xiv) अन्य घरेलू विनिर्माताओं (विष्णु सहित) ने या तो अपना उत्पादन बंद कर दिया है या स्वयं सहायक उत्पाद जिसके कारण विचाराधीन उत्पाद के आयात के अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है।

(xv) विष्णु केमिकल्स तथा यहां तक कि अन्य विनिर्माताओं का साझा घरेलू उत्पादन विचाराधीन उत्पाद की भारतीय बाजार में आवश्यकता को पूरा कर पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अत: विचाराधीन उत्पाद के आयात पर रक्षोपाय ड्यूटी द्वारा किसी प्रतिबंध के लगाए जाने से सहायक उद्योग को और अधिक कठिनाई होगी।

(xvi) जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की स्वयं खपत करने के अतिरिक्त विष्णु केमिकल्स ने भारत में आयात की तुलना में कहीं अधिक सस्ते मूल्य पर विचाराधीन उत्पाद का निर्यात भी किया है।

(xvii) घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि आयातक दामों को कम कर रहे हैं अर्थात वस्तुएं उनकी उत्पादन घरेलू उद्योगों का अपना निर्यात मूल्य आयात मूल्य से कम है जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद को उत्पादन लागत से कम मूल्य पर निर्यात कर रहा है।

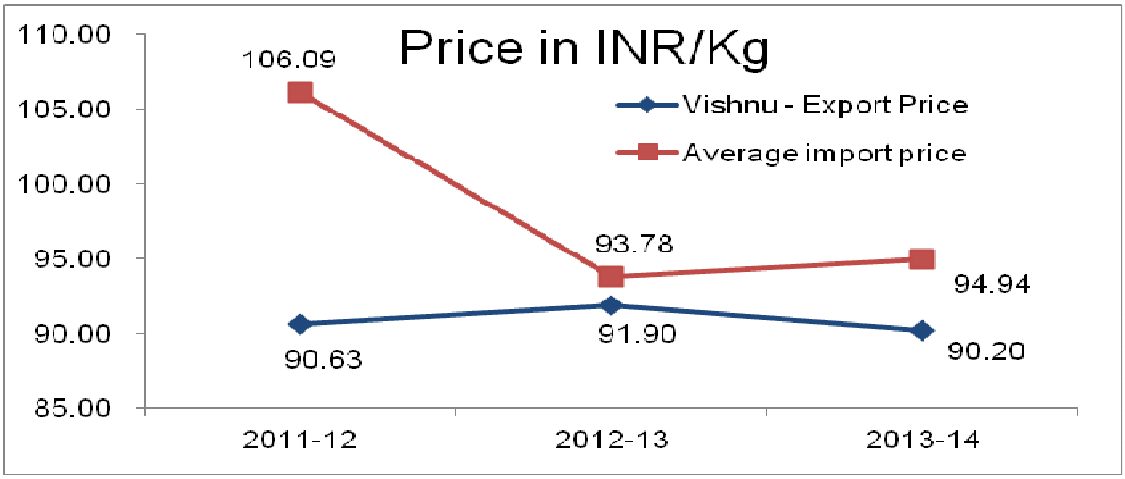

	2011-12	2012-13	2013-14
विष्णु केमिकल्स का निर्यात मूल्य औसत आयात मूल्य से कम	-17%	-2%	-5%

(xviii) यह तथ्य कि घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद को उसके आयात मूल्य से भी कम मूल्य पर निर्यात कर रहा इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए किसी भी प्रकार की रक्षोपाय ड्यूटी की आवश्यकता नहीं है।

2014 के दौरान 2400 टन क्रोम टैनिंग सॉल्ट (डानस्ट्रीम प्रोडक्ट में से एक) का निर्यात किया जो किसी भी माह के लिए उच्चतम आंकड़ा है और जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग डाउनस्ट्रीम सेगमेंट में अपनी मार्केट (भारत तथा विदेश में) विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि रक्षोपायों का प्रयोग करके डाउनस्ट्रीम घरेलू उद्योगों द्वारा रक्षोपाय ड्यूटी के लिए किए गए अनुरोध का उद्देश्य एकाधिकार की स्थिति पैदा करना है और यह विचाराधीन उत्पाद से संबंधित उत्पादों (डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट) के भारतीय उत्पादकों के हित में नहीं होगा।

(xx) व्यापार (सीएफओ) के लिए विष्णु केमिकल्स केवल 120 मीट्रिक टन/प्रतिदिन (36,000 मीट्रिक टन वार्षिक) का उत्पादन कर सकता है। वर्ष 2010-11 में 84 प्रतिशत क्षमता का उपयोग करते हुए 30,407 एमटी का गुणवत्ता मुद्दों एवं आपूर्ति में अनियमितता इत्यादि की वजह से वर्ष 2012 तथा 2013 में आंशिक कमी आई। घरेलू उद्योग के उत्पादन में अधिकतम कमी 5.8 प्रतिशत की रही और बावजूद इसके उनकी बिक्री विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष अधिक थी।

(xxi) वार्षिक रिपोर्ट 2011-12 के अनुसार कच्चे माल की कमी की वजह से घरेलू उद्योग का उत्पादन विगत वित्तीय वर्ष के दौरान सतत नहीं था तथा उन्होंने संपूर्ण अवधि के लिए कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति के लिए प्रथम तिमाही के दौरान कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुबंध किए।

(xxii) क्षमता का कम उपयोग नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग ने 2010-2014 के दौरान अपनी क्षमता का 33 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक उपयोग किया जो सच्चाई से कोसों दूर है। सीएफओ का इष्टतम क्षमता के रूप में घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन के अधिकतम उपभोग तथा निर्यात के जरिए अपनी क्षमता का इष्टतम उपयोग किया जिससे संबंधित उत्पादों के उत्पादनकर्ताओं के पास विचाराधीन उत्पाद का आयात करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा।

(xxiii) सर्वाधिक उपभोग में हुई इस महत्वपूर्ण वृद्धि की वजह से कंपनी के संपूर्ण लाभ में वर्ष 2012-13 के दौरान हुई 13 प्रतिशत की वृद्धि से वर्ष 2013-14 के दौरान 14.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(xxiv) घरेलू उद्योग ने अपनी 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट में कुल 307 करोड़ रुपए की बिक्री तथा 13.6 प्रतिशत की दर से 43.7 करोड़ रुपए के पीबीआईटी का दावा किया है। घरेलू उद्योगों की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विचाराधीन उत्पाद की बिक्री 129 करोड़ रुपए की हुई। घरेलू उद्योगों द्वारा विचाराधीन उत्पाद की बिक्री के की कल्पना करते हुए विचाराधीन उत्पाद का 43.7 करोड़ रुपए के कुल पीबीआईटी में योगदान 17 करोड़ रुपए का होता। इस पीबीआईटी को शत-प्रतिशत सूचकांक मानते हुए तथा याचिका के अनुलग्नक 9 के आधार पर वर्ष 2013-14 में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री के पीबीआईटी से 38 करोड़ रुपए (-27 प्रतिशत) का घाटा हुआ होता। घरेलू उद्योग ने लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार वास्तव में कुल 49.6 करोड़ रुपाए का ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ (पीबीआईटी) अर्जित किया। इसका तात्पर्य यह है कि विचाराधीन उत्पाद 40 प्रतिशत अर्थात 83 करोड़ रुपए होना चाहिए जबकि विचाराधीन उत्पाद की बिक्री से होने वाला ब्याज एवं कर पूर्व लाभ (-27 प्रतिशत) है।

(xxv) प्रतिवादियों ने यह बात स्वीकार की कि घरेलू उद्योगों द्वारा विचाराधीन उत्पाद की बिक्री उनकी कुल बिक्री के 40 प्रतिशत से भी अधिक है। घरेलू उद्योग निरंतर रूप से लगभग 44 करोड़ रुपए का ब्याज एंव कर पूर्व लाभ अर्जित कर रहे हैं तथा यह वर्ष 2013-14 में बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया जो व्यापार से होने वाली निवल बिक्री के लगभग 1490 के बराबर है। ब्याज एवं कर पूर्व संपूर्ण लाभ तथा प्रतिशतता की दृष्टि से उनकी लाभप्रदता में वृद्धि हुई है।

(xxvi) घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद को निरंतर उस मूल्य से नीचे के मूल्य पर निर्यात किया जो मूल्य भारतीय उपभोक्ता उस उत्पाद के लिए दे रहे थे तथा यह बात का प्रमाण है कि घरेलू उद्योग द्वारा याचिका में किया गया यह दावा कि आयात का कुल लागत मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के स्तरों से काफी भ्रामक है।

(xxvii) उत्पादों के एक हिस्से (सेगमेंट) (संबंधित उत्पादों) में अत्याधिक लाभ तथा दूसरे सेगमेंट में हानि (पीयूसी) की भी व्यापक जांच की जानी चाहिए।

(xxviii) विगत 52 सप्ताहों के दौरान शेयर की कीमतों से घरेलू उद्योग की बढ़ती लाभप्रदता परिलक्षित होती है। उनके शेयर का भाव निरंतर बढ़ा है तथा यह 6 जून को 52 सप्ताहों में सबसे उच्चतम स्तर अर्थात 110 रुपए पर पहुंच गया।

(xxix) सामान की सूची में कोई बढ़ोतरी नहीं है और विचाराधीन उत्पाद के बढ़ते आयात तथा घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद की सूची में किसी भी प्रकार की वृद्धि के बीच परस्पर कोई संबंध नहीं है। वर्ष 2011-12 से 2012-13 के दौरान भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद की निरंतर बढ़ती मांग के बावजूद घरेलू उद्योगों की इनवेंटरी में 22 प्रतिशत कमी आई है और वर्ष 2013-14 में इस इन्वेंटरी में 40 प्रतिशत की और कभी देखने को मिली।

(xxx) घरेलू उद्योगों का यह दावा है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट में 1000 से भी अधिक लोगों को रोजगार दिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि घरेलू उद्योगों द्वारा निर्मित किए जाने वाले संबंधित उत्पादों में अत: विगत 3 वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा बताई गई संख्या की जांच की जानी आवश्यक है। बताई गई संख्या में आयात में आई वृद्धि तथा उनके अपने उत्पादन में हुई बढ़ोतरी के बावजूद किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है तथा यह संख्या ज्यों की त्यों बनी हुई है।

(xxxi) घरेलू उद्योगों द्वारा मौजूदा उत्पादन प्रक्रिया को CO2 आधारित उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तित किए जाने संबंधी प्रस्ताव के लिए न्यूनतम 320 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है। सीआरआईएसआईएल जैसी रेटिंग एजेंसियों द्वारा घरेलू उद्योग के लिए क्रेडिट रेटिंग को पहले ही बंद किया जा चुका है तथा विष्णु केमिकल्स के लिए इतने बड़े पूंजीगत व्यय के लिए दीर्घकालिक ऋण लेना काफी कठिन होगा। साथ-साथ अल्पावधि के लिए इतने बड़े ऋण की ब्याज लागत भी व्यावसायिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है। अत: घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में किया गया प्रस्ताव यथार्थ नहीं है तथा इसे एक व्यवहार्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता और इससे उनकी उत्पादन प्रक्रिया तथा लाभप्रदता ज्यों की त्यों बनी रहेगी।

(xxxii) घरेलू उद्योग अपना मूलधन चुकाने में असमर्थ रहे क्योंकि उन्हें अपने ऋण को अल्पावधि ऋण के रूप में परिवर्तित करने के लिए बाध्य किया गया। परिणामस्वरूप ब्याज बहुत अधिक बढ़ गया। यह प्रवृत्ति घरेलू उद्योगों द्वारा विगत 5 वर्षों के दौरान लिए गए ऋणों से देखी जा सकती है जब दीघावधि ऋणों में भारी कमी तथा अल्पावधि ऋणों में वृद्धि बरकरार रही। विष्णु केमिकल्स ने यह बात स्वयं स्वीकार की है कि अपर्याप्त नकद प्रवाह के कारण लिक्विडिटी पर दबाव पड़ा है। अत: घरेलू उद्योगों की व्यापार अवसंरचना में परिवर्तन किए जाने की जरूरत है न कि आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने की जैसाकि उनके द्वारा दावा किया गया है तथा ऋण चुकाने से पूर्व हुई आय (ईबीआईटीडीए) के मार्जिन में 2006 में हुई 15 प्रतिशत वृद्धि वर्ष 2014 में बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई जिससे वर्ष 2006 से चार गुणी राजस्व वृद्धि तथा 5 गुणा ईबीआईटीडीए परिलक्षित होता है। पीबीआईटी में हुई 6 प्रतिशत वृद्धि के साथ रिजर्व में लगातार वृद्धि हो रही है।

(xxxiv) घरेलू उद्योग द्वारा दर्शाए गए ईबीआईटीडीए के अनुसार उनकी वित्तीय स्थिति काफी मजबूत है जबकि यदि घरेलू उद्योग द्वारा दर्शाए गए रिकार्डों में विरोधाभास है तथा मौजूदा कार्यवाहियों में जांच के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

सैनेटरी हार्डवेयर तथा केमिकल्स इत्यादि जैसे उद्योगों द्वारा क्रोम प्लेटिंग के लिए क्रोम एसिड का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। क्रोमिक एसिड का भारतीय बाजार 6000 एमटी का है इसके 60 प्रतिशत का उत्पादन भारतीय उत्पादकर्ताओं द्वारा किया जाता है और जबकि 40 प्रतिशत का आयात किया जाता है। विष्णु केमिकल्स क्रोमिक एसिड के बड़े निर्माताओं में से एक हैं जिसकी मार्केट 1400 एमटी है जो कुल मार्केट का 23 प्रतिशत तथा भारतीय उत्पादकों का 39 प्रतिशत है। क्रोमिक एसिड के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री सोडियम डी-क्रोमेट है जिसमें अंतिम उत्पाद की 80 प्रतिशत लागत शामिल है। रुचिकर तथ्य यह है कि विष्णु केमिकल्स क्रोमिक एसिड के लिए अपने विचाराधीन उत्पाद का स्वयं उपयोग करते हैं तथा अन्य उत्पादक घरेलू एवं आयातित पीयूसी पर निर्भर रहते हैं। विचाराधीन उत्पाद पर किसी भी प्रकार की रक्षोपाय ड्यूटी लगाए जाने से आयात महंगा हो जाएगा तथा इससे क्रोमिक एसिड उत्पादों के पास विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादन पर निर्भर रहने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाएगा। ऐसा करके वे प्रत्यक्ष रूप से आयातित क्रोमिक एसिड के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी जबकि वे समय पर डिलीवरी के साथ-साथ अच्छी क्वालिटी के पीयूसी के प्रापण के लिए जूझेंगे चूंकि घरेलू उद्योग स्वयं विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग कर रहे होंगे और बाजार पर स्वयं नियंत्रण कर रहे होंगे।

डिलाईनर कपड़ों एवं फर्नीचर उद्योग में भी कई अन्य प्रकार से उपयोग होता है। यह प्राथमिक रूप से चमड़ा उद्योग की जरूरतों की पूर्ति करता है जिसका मार्केट शेयर 3600 करोड़ रुपए तथा फारेक्स 3000 करोड़ रुपए का है। सीटीएस का भारत में कुल बाजार 30,000 एमटी का है जिसमें से 80 प्रतिशत का उत्पादन भारत में होता है तथा शेष 20 प्रतिशत का आयात किया जाता है। सीटीएस बाजार में भी विष्णु केमिकल्स

प्रमुख उत्पादक है जो 15,000 एमटी का उत्पादन करता है जो कुल मांग का 50 प्रतिशत तथा भारतीय उत्पाद का 60 प्रतिशत है। इस मामले में भी घरेलू उद्योग सीटीएस के उत्पादन के लिए अपने स्वयं के विचाराधीन उत्पाद का उपभोग करता है जबकि 1000 से भी अधिक उत्पादकों को या तो आयात पर या विष्णु जाने से भारतीय उपभोक्ताओं को की जाने वाली एसडीसी की आपूर्ति पर असर पड़ेगा।

(xxxvii) औषधि निर्माण : फर्मा सेक्टर में भी विचाराधीन उत्पाद का भरपूर मात्रा में प्रयोग होता है तथा इसके साथ भारतीय बाजार में बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध सामान्य दर्द निवारक दवा इबुप्रोफेन के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिलहाल इबुप्रोफेन 700 करोड रुपए का उद्योग है जिसमें केवल दो उत्पादक है केवल विष्णु विचाराधीन उत्पाद की इस उद्योग को आपूर्ति करता है तथा विकल्प के रूप में ये दो फर्मा कंपनियां भी विचाराधीन उत्पाद का आयात कर रही हैं। विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क (सेकगार्ड ड्यूटी) लगाए जाने से इबुप्रोफेन की कीमत काफी अधिक बढ़ जाएगी और परिणामस्वरूप भारत में सस्ती आयातित इबुप्रोफेन की बिक्री बढ़ेगी और ये दो घरेलू यूनिटें बंद हो जाएंगी।

(xxxviii) रंजक : लेड तथा स्ट्रोटियम क्रोमेट 500 करोड़ रुपए का उद्योग है जिसमें भारत वैश्विक उपभोग के 40 प्रतिशत का उत्पादन करता है। रंजक का भारतीय बाजार 18,000 एमटी का है जिसमें से 45-50 प्रतिशत विचाराधीन उत्पाद कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग होता है। विष्णु केमिकल्स विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र स्वीकार्य भारतीय उत्पादक है तथा इसके विकल्प की गैर मौजूदगी में इस व्यवसाय के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आयातित विचाराधीन उत्पाद पर निर्भर करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। संपूर्ण रंजक व्यवसाय की ओर से निरंतर ये शिकायतें प्राप्त होती रही हैं कि विष्णु केमिकल्स वर्ष में औसतन 2-3 महीने उत्पाद की आपूर्ति नहीं करता तथा विचाराधीन उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए उनकी इन्वेंटरी पर्याप्त नहीं है। एकमात्र आपूर्तिकर्ता होने के कारण किसी भी प्रकार के रक्षोपाय शुल्क से घरेलू उद्योग के लिए एकाधिकार की स्थिति हो जाएगी जिससे उनको मूल्य निर्धारण संबंधी शर्तें लगाने का अवसर मिलेगा और इसके न केवल भारत में अपितु वैश्विक स्तर पर रंजक उद्योग के लिए प्रतिकूल बाजार दर्शाए उत्पन्न हो जाएंगी।

(xxxix) घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका यह स्वीकार किया है कि विषयगत वस्तुओं के बढ़ते आयात तथा मूल्य कटौती और मूल्य पर प्रतिबंध के कारण घरेलू उद्योग बुरे दौर से गुजर रहा है। (सेफगार्ड ड्यूटी) लगाए जाने का मामला नहीं बनता। घरेलू उद्योग प्राइस कटिंग और प्राइस सप्रैशन के आरोप सहित विचाराधीन उत्पाद को समाप्त करने का एक मामला तैयार कर सकता है।

(च) मैसर्स लैंक्सेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

आयात का वास्तिवक डाटा निम्नानुसार है :

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	अप्रैल	मई	जून	जुलाई
आयात (एमटी)	4765	5515	7205	11105	1500	907	492	971

(ii) विचाराधीन उत्पाद दो रूपों में उपलब्ध है : एनहाइड्रोस तथा डिहाइड्रोस। दक्षिणी अफ्रीका से आने वाला विचाराधीन उत्पाद डिहाइड्रेट रूप से तथा अन्य सभी प्रमुख निर्यातक देशों से आने वाला विचाराधीन उत्पाद

एनहाइड्रोस रूप में होता है। घरेलू उद्योग ने दक्षिणी अफ्रीका के अलावा अन्य सभी देशों से आने वाले उत्पाद की मात्रा की गणना (दी गई मात्रा से +19 प्रतिशत ज्यादा) करके आयात की मात्रा को बढ़ा दिया है।

(iii) एनहाइड्रोस तथा डिहाइड्रेट सोडियम डिक्रोमेट की तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार सामग्री में नमी का अंतर 12 प्रतिशत है।

(iv) वर्ष 2014 में जनवरी से जून की अवधि के दौरान भारत में 864 टन का आयात किया गया ताकि इसे अन्य देशों को निर्यात किया जा सके तथा इसे आयातित वस्तु (पीओआई) नहीं माना जाना चाहिए चूंकि यह भारत उपमहाद्वीप में केवल ट्रांजिट के रूप में आता है ताकि इसे पुन: निर्यात किया जा सके तथा भारतीय उपभोक्ता इसका उपभोग नहीं करते हैं।

(v) घरेलू उपभोग में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि के परिणामस्वरूप कंपनी के संपूर्ण लाभ में वृद्धि हुई है तथा वर्ष 2012-13 में 13 प्रतिशत से वर्ष 2013-14 में बढ़कर 14.8 प्रतिशत हो गई है।

000 एमटी (120 X 300 दिन) का उत्पादन करने के लिए प्राधिकृत है तथा यदि अन्य उत्पादों के एक भाग के रूप में विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग हो रहा है तो इसकी गणना घरेलू उद्योग के उत्पादन के एक भाग के रूप में नहीं की जाएगी।

(vii) घरेलू उद्योगों का विचाराधीन उत्पाद के क्षमता उपयोग को अन्य उल्लिखित संबंधित उत्पादों के साथ मिला देने संबंधी तर्क अनधिकृत एवं अवैध है।

(viii) अन्य घरेलू उत्पादों ने या तो प्रदूषण मानदंडों या अन्य तकनीकी/वित्तीय समस्याओं अथवा अन्य उत्पादकों की वजह से उत्पादन बंद कर दिया है ताकि संबंधित क्रोम केमिकल्स के उत्पादन के लिए वे अपने स्वयं के उपयोग संबंधी मांग को पूरा कर सकें।

(ix) मैसर्स विष्णु केमिकल्स (डीआई) सहित अन्य सभी घरेलू उत्पादकों के लिए विचाराधीन उत्पाद तथा विचाराधीन उत्पाद के संबंधित प्रयोगों के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं को डीजी द्वारा वैधीकृत किया जाना चाहिए :

के लिए आवश्यक प्रदूषण प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित क्षमता (सोडियम डिक्रोमेट (पीयूसी) तथा बेसिक क्रोमिक एसिड सहित अन्य संबंधित प्रयोग)।

वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि)।

(ग) प्रत्येक उत्पाद के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों के बहि:स्राव की अनुमोदित सीमा।

(घ) प्रत्येक उत्पाद के लिए प्रति टन के हिसाब से खतरनाक कचरे के उत्पाद के बारे में मानक मानदंड।

(ङ) प्रत्येक उत्पाद के उत्पादन से पैदा होने वाला जोखिमपूर्ण कचरा तथा क्या इसकी मात्रा घोषित उत्पाद के समनुरूप है।

(च) अनुमोदित सीमा की तुलना में प्रत्येक उत्पाद के लिए अपशिष्टों का वास्तविक उत्सर्जन।

(छ) यदि अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा अनुमोदित सीमा से अधिक है तो ऐसे मामले में की गई कार्रवाई।

(ज) सभी संयंत्रों के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केंद्रीय एंव राज्य दोनों) में प्रदूषण से संबंधित सभी लंबित/निपटान किए गए मामले कारण सहित।

(x) घरेलू उद्योगों के निर्यात से विचाराधीन उत्पाद की स्थानीय उपलब्धता प्रभावित हुई है जिसमें परिणामस्वरूप भारी मात्रा में आयात किया गया है।

(xi) घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से भी काफी कम लागत पर निर्यात किया है तथा डीजीसीआईएंडएस के डाटा से यह भी पता चला है कि घरेलू उद्योग वर्ष 2011 से विचाराधीन उत्पाद को निरंतर भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात मूल्य से भी कम मूल्य पर बेच रहे हैं।

(xii) इस तथ्य की भी जांच की जानी चाहिए कि संयंत्र को चालू तिमाही के दौरान रखरखाव संबंधी कार्य के लिए 30 दिन हेतु बंद किया गया तथा घरेलू उद्योग ने भारतीय उपभोक्ताओं को विचाराधीन उत्पाद की डिलीवरी नहीं की पर बावजूद इसके उन्होंने रिकार्ड निर्यात के लिए बीसीएस का उत्पादन करना जारी रखा।

(xiii) घरेलू उद्योग प्राथमिक रूप से आयातित क्रोम अयस्क पर आधारित संबंधित उत्पादों को 40 से भी अधिक देशों को निर्यात करने पर ध्यान केंद्रित किए गए है जिससे घरेलू उत्पाद में पीयूसी की कमी हो गई है।

(xiv) वर्ष 2014 की प्रथम तिमाही में विगत वर्ष की तुलना में बिक्री में 13 प्रतिशत तथा राजस्व में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई और ईबीआईटीडीए 16 प्रतिशत की दर से समान बना रहा।

(xv) घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट से यह पता चला है कि ब्याज की उच्च लागत के बावजूद ह्रास एवं उच्च ब्याज दर के चलते लाभ काफी अधिक है जो घरेलू उद्योग को किसी भी प्रकार के आघात या खतरे की आशंका के विरोधाभासी है।

जो इनपुट कच्ची सामग्री की लागत में कमी को दर्शाने के साथ-साथ कम होते बिक्री मूल्य को भी इंगित करता है। राजस्व के प्रतिशत के भाग के रूप में सामग्री की लागत लगभग 50 प्रतिशत स्तर पर समनुरूप है।

(xvii) राजस्व में 4 गुनी तथा ईबीआईडीटीए में पांच गुना वृद्धि हुई है।

2014 को समाप्त वर्ष में बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया।

(xix) कर पूर्व लाभ में 6 प्रतिशत की वृद्धि।

(xx) रिजर्व में लगातार इजाफा हुआ है।

(xxi) खराब रेटिंग की वजह से घरेलू उद्योग अपनी सीएपीईएक्स परियोजना के लिए अतिरिक्त निधियां प्राप्त नहीं कर सके।

(xxii) वित्तपोषण की स्थिति एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जहां ऋणों का एक बड़ा हिस्सा दीर्घावधि ऋण से अल्पावधि ऋण में परिवर्तित हो गया है।

(xxiii) घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार अदा न की गई ऋण की मूल राशि को अल्पावधि ऋण के रूप में परिवर्तित कर दिया गया क्योंकि इनका भुगतान किया जाना संभव नहीं था। अल्पावधि ऋणों की ब्याज लागत दीर्घावधि ऋणों की तुलना में अधिक है।

(xxiv) क्रोमिक एसिड तथा बेसिक क्रोमियम सल्फेट उत्पादकों को 18 प्रतिशत वृद्धि देखने को मिलेगी तथा वे आयात का मुकाबला नहीं कर पाएंगे तथा इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योगों के लिए एकाधिकार की स्थिति आ जाएगी।

(xxv) क्रोम टेनिंग साल्ट के उत्पादन के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री सोडियम डिक्रोमेट (50 प्रतिशत) है।

(xxvi) घरेलू उद्योगों का मुख्य रूप से उद्देश्य एसडीसी का स्वयं उपभोग करना है ताकि उच्च कीमत वाले संबंधित उत्पादों का निर्यात किया जा सके।

(xxvii) क्रोमिक एसिड 120 करोड़ रुपए का उद्योग है जिसमें केवल 2 ही उत्पादक हैं : विष्णु कैमिकल्स (घरेलू उद्योग) एवं मैसर्स कलर क्रोमज।

(xxviii) यदि 20 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क लगा दिया जाता है कि इससे क्रोमिक एसिड के उत्पादन की लागत 18 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी जिससे क्रोमिक एसिड के अन्य एकमात्र भारतीय उत्पादक को हानि होगी और परिणामस्वरूप क्रोमिक एसिड के उत्पादन में घरेलू उद्योग का एकाधिकार हो जाएगा।

(xxix) विचाराधीन उत्पाद के अन्य सभी स्थानीय उत्पादक कुल बाजार मांग का 10 प्रतिशत हैं जिससे घरेलू उद्योग को यह अधिकार मिल जाता है कि वह उत्पाद को एक ऐसे मूल्य पर बेच सकता है कि जिस पर कोई नियंत्रण न हो।

(xxx) दक्षिणी अफ्रीका से अन्य देशों को किए जाने वाले निर्यात में विगत वर्ष की तुलना में 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अत: घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के अनुसार भारत में सामग्री की कोई बहुयायत नहीं है।

(xxxi) लैंक्सिस ने दक्षिण अफ्रीका से जर्मनी को किए जाने वाले निर्यात का निम्नलिखित डाटा मुहैया करवाया है तथा यह कहा है कि घरेलू उद्योग द्वारा लोक सुनवाई के दौरान किया दावा गलत है कि वर्ष दर वर दक्षिणी अफ्रीका से जर्मनी को किए जाने वाले निर्यात में कमी आई है तथा इससे भारत में भारी मात्रा में होने वाले निर्यात पर प्रभाव पड़ा है।

वर्ष	2011	2012	2013	2014 (अनुमानित)
दक्षिणी अफ्रीका से जर्मनी को किया जाने वाला निर्यात (एमटी)	20225	16738	11202	17133

(xxxii) कृपया उत्पादन की सही लागत का पता लगाने के लिए विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 से 2013-14 की अवधि की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों की पुनरीक्षा की जाए जिससे विचाराधीन उत्पाद की लाभप्रदता और अधिक स्पष्ट हो जाएगी।

(xxxiii) घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में यह उल्लेख किया है कि विचाराधीन उत्पाद का केमिकल फार्मूला CrO_3 है जो गलत ह अत: रक्षोपाय प्रारंभ किए जाने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

(xxxiv) एनहाइड्रोस तथा डिहाइड्रेट सोडियम डिक्रोमेट की तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार सामग्री में नमी की मात्रा 11 प्रतिशत है जिसका तात्पर्य यह है कि यदि विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग एनहाइड्रोस के रूप में कर लिया जाए तो यह डिहाइट्रेट के रूप में प्रयुक्त विचाराधीन उत्पाद की मात्रा से 11 प्रतिशत कम होगी।

(xxxv) घरेलू उद्योग का यह दावा है कि दक्षिणी अफ्रीका में लैंकसेस द्वारा अपनाई जाने वाली उतपादन प्रक्रिया तथा गलत है। विचाराधीन उत्पाद के निर्माण के लिए लैंकसेस द्वारा अपनाई जानी वाली प्रक्रिया कार्बन इससे भारी मात्रा में सीआर (VI) पैदा होता है जिसमें सोडियम सल्फेट मौजूद होता है।

(xxxvi) दक्षिणी अफ्रीका से आने वाला विचाराधीन उत्पाद डिहाइड्रेट होता है तथा अन्य सभी प्रमुख निर्यातक देशों से आने वाला उत्पाद एनहाइड्रोस होता है। यह दावा कि विचाराधीन उत्पाद की गुणवत्ता घरेलू उद्योग के उत्पाद क्लोराइड तथा अविलेय पदार्थों की कम मात्रा के कारण ही दक्षिणी अफ्रीका से आने वाले विचाराधीन उत्पाद को चुना।

(xxxvii) घरेलू उद्योग के पास बाजार मांग की पूर्ति के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से 36000 एमटी से ज्यादा के उत्पादन की अनुमति नहीं है।

(xxxviii) अन्य व घरेलू उत्पादकों में से 7 ने किसी भी प्रकार का प्रश्नावली उत्तर नहीं भेजा है जिसमें यह दर्शाया गया हो कि अन्य घरेलू उत्पादक घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद को बेचने की बजाए विचाराधीन उत्पाद के संबंधित उत्पाद में प्रयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

(xxxix) घरेलू उद्योग ने दक्षिणी अफ्रीका को छोड़कर अन्य सभी देशों से आने वाली उत्पाद की मात्रा को यथार्थ से 19 प्रतिशत अधिक आकलन करके आयात की मात्रा को बढ़ा-चढ़ा कर बताया है।

(xl) एनहाइड्रोस तथा डिहाइट्रेट सोडियम डिक्रोमेट की तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार सामग्री में नमी की मात्रा का मात्रा को घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद से मैच करने के लिए समान पर दिया गया है।

1 मीट्रिक टन = 1.11 मीट्रिक टन

घरेलू उद्योग ने डाटा का निम्नानुसार गलत अर्थ लगाया है :

1 मीट्रिक टन = 1.19 मीट्रिक टन (नमी की मात्रा में 19 प्रतिशत का अंतर है जो गलत है)

(xli) वर्ष 2014 की प्रथम तिमाही में विगत वर्ष की तुलना में बिक्री में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(xlii) विगत वर्ष की तुलना में राजस्व में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(xliii) ईबीआईटीडीए 16 प्रतिशत ही बना हुआ है।

	2014	2013	वृद्धि %
ईबीआईटीडीए	135	120	13%
राजस्व	836	726	15%
ईबीआईटीडीए %	16.1%	16.5%	

(xliv) निवेश पर प्राप्ति जो वर्ष 2009 में 4.06 प्रतिशत था वह वर्ष 2013 में बढ़कर 18.77 प्रतिशत हो गया। मैसर्स विष्णु केमिकल्स की संबंधित वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निवेश पर प्राप्ति जो वर्ष 2009 में 4.06 प्रतिशत थी वह वर्ष 2013 में 18.77 प्रतिशत हो गई।

2014 (वार्षिकीकृत) के दौरान स्थिर हो गया है कुल मांग तथा बाजार मांग के 21 प्रतिशत की दर से आयात भी बहुत कम है तथा यह घरेलू उद्योग के लिए कोई खतरा भी नहीं है।

(xlvi) दक्षिणी अफ्रीका के उत्पादकों के लिए जर्मनी में विचाराधीन उत्पाद की मांग में कोई कमी नहीं है और इसलिए घरेलू उद्योगों का यह दावा कि वर्ष दर वर्ष दक्षिणी अफ्रीका से जर्मनी को किए जाने वाले निर्यात में कमी गलत है।

जो सही नहीं है क्योंकि भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद को इतनी कम कीमत पर बेचना संभव नहीं है।

(xlviii) क्रोमिक एसिड तथा बेसिक क्रोमियम सल्फेट के उत्पादकों को लगभग 18 प्रतिशत वृद्धि देखने को मिलेगी तथा वे जो रक्षोपाय शुल्क से बचे हुए हैं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे तथा इससे विष्णु केमिकल्स के लिए एकाधिकार की स्थिति पैदा हो जाएगी।

(xlix) क्रोम टैनिंग साल्ट के निर्माण में प्रमुख कच्ची सामग्री सोडियम डिक्रोमेट (50 प्रतिशत) है। रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से भारतीय उपभोक्ताओं को सोडियम डिक्रोमेट की आपूर्ति बाधित हो सकती है।

(l) चूंकि घरेलू उद्योग कही न कही सोडियम डिक्रोमेट संयंत्र से जुड़े हैं जो पूर्णतया आयातित क्रोम अयस्क पर निर्भर है अत: शुल्क में आंशिक वृद्धि से घरेलू उद्योगों को एकाधिकार प्राप्त होने जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी।

(li) क्रोमिक एसिड 130 करोड़ रुपए का उद्योग है जिसमें केवल दो उत्पादक अर्थात घरेलू उद्योग एवं मैसर्स क्रोम शामिल हैं। 20 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से क्रोमिक एसिड के उत्पादन की लागत में सीधे 18

18 प्रतिशत से वृद्धि हो जाएगी तथा इसके फलस्वरूप क्रोमिक एसिड का एकमात्र अन्य भारतीय उत्पादक समाप्त हो जाएगा।

रेटिंग एजेंसियों द्वारा की जाने वाली खराब रेटिंग सीएपीईएक्स परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियां प्राप्त नहीं कर पाए।

रूस

(i) भारत में सोडियम डिक्रोमेट के कुल उत्पादन की तुलना में ओजेपीसी द्वारा निर्मित उत्पाद के निर्यात में केवल 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा यह वह कारक नहीं है जिसकी वजह से भारत में आंतरिक उत्पाद की मात्रा पर असर पड़ा हो।

(ii) घरेलू उद्योग के उत्पादन में 4 प्रतिशत की कमी आई है जो चिंता का विषय नहीं है।

(iii) वर्ष 2014 के उत्तरार्द्ध में की गई भविष्यवाणी के आधार पर ओजेपीसी द्वारा सोडियम डिक्रोमेट की उत्पादकता में 19 प्रतिशत की कमी आएगी क्योंकि उनका सोडियम डिक्रोमेट भारतीय बाजार सहित विदेशी बाजारों की प्रतिस्पर्धा के अनुरूप नहीं है।

(iv) ओजेसीएस द्वारा उत्पादित सोडियम डिक्रोमेट का मूल्य घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद से कही अधिक है।

(ज) मैसर्स मिदुरल केमिकल्स दक्षिणी अफ्रीका

(i) वर्ष 2012 में घरेलू उद्योग ने लगभग 16500 टन ब्रेसिक क्रोम सल्फेट का निर्यात किया जो उत्पादन श्रृंखला में सोडियम डिक्रोमेट से अगला उत्पाद है।

(ii) घरेलू उद्योग ने छोटे-छोटे बाजार तथा कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद विदेशी बाजार में अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है। कम लाभ की वजह से सोडियम डिक्रोमेट की स्थानीय मार्केट उन्हें आकर्षित नहीं करती। वे सोडियम डिक्रोमेट से अन्य क्रोम केमिकल्स बनाना तथा इन्हें विश्व भर में बेचना ज्यादा पसंद करते हैं।

(झ) रूसी संघ का व्यापार अभ्यावेदन

(i) रूस की ओर से निर्यात में कोई भारी कमी नहीं है। फेडरल कस्टम सर्विस आफ रशिया के अधिकारिक डाटा के अनुसरण में रूसी संघ से भारत गणराज्य को किए वस्तुओं के निर्यात में 2120 टन से 2759 की वृद्धि हुई है जो 30 प्रतिशत है। दक्षिणी अफ्रीका से किया जाने वाला आयात 1036 टन से बढ़कर 3000 टन हो गया है जो 66 प्रतिशत है तथा कजाकिस्तान गणराज्य से किया जाने वाला आयात 1036 टन से बढ़कर 2060 टन हो गया जो कि 98 प्रतिशत है।

(ii) भारत द्वारा किए जाने वाले वस्तुओं के आयात में आई वृद्धि मुख्य रूप से कजाकिस्तान तथा दक्षिणी अफ्रीका से वस्तुओं की बढ़ती डिलीवरी पर आधारित है।

(iii) जांच अवधि में भारत में वस्तुओं के आउटपुट की मात्रा में कमी नगण्य (4 प्रतिशत) है तथा विगत वर्ष उत्पादन में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(iv) वर्ष 2010-13 के दौरान भारत में किए गए वस्तुओं के कुल आयात में रूसी निर्यात के हिस्से में काफी कमी आई। रूस से भारत को किए जाने वाले निर्यात में आयात में हुई कुल वृद्धि की तुलना में काफी अधिक वृद्धि हुई है।

(v) भारतीय कंपनियों की बिक्री में कमी वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 में अधिक प्रभावित हुई। आंतरिक बाजार में वस्तुओं के उपभोग में आए परिवर्तन की वजह से ही संभाव्यता कमी आई।

अन्य देशों की बिक्री की वजह से बाजार आयातकों के हिस्से की वृद्धि प्रभावित हुई।

विगत 2 वर्षों के दौरान उन्हें दो से ज्यादा बार कम किया गया तथा वे घटकर 2010 के स्तर पर पहुंच गए जो यह दर्शाता है कि भारतीय उत्पादकों की वस्तुओं की घरेलू मांग में वृद्धि हुई है तथा विदेशी आयातकों का कोई प्रतिकूल प्रभाव बाजार पर नहीं पड़ रहा है।

औद्योगिक पद्धतियों के नवीनीकरण तथा पारिश्रमिक में हुई वृद्धि की वजह से वित्तीय घाटा हुआ।

(ix) भारतीय उद्योग में रोजगार स्तर को कम किए जाने की प्रवृत्ति के पीछे एक कारण औद्योगिक उद्यमों की पूंजीगत निधियों का आधुनिकीकरण है। यह सूचकांक प्रत्यक्ष रूप से बढ़ते आयात के नकारात्मक प्रभाव की उपस्थिति को नहीं दर्शाता है।

(x) भारतीय राष्ट्रीय उद्योगों को हुई क्षति के कारणों को भारतीय पक्ष द्वारा अभी पूर्णतया साबित नहीं किया जा सका है क्योंकि अधिकांश संकेतकों की स्थिति 2012 में अधिक खराब हुई जबकि वर्ष 2013 में सकारात्मक प्रवृत्ति देखने को मिली।

(xi) औद्योगिक क्षेत्र की खराब हालत की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि ये बाजार में मांग में आए अल्पकालिक परिवर्तन तथा वस्तुओं के भारतीय उत्पादकों की प्रभावकारिता की बढ़ती लागत की वजह से प्रभावित हुई है।

(झ) टर्की दूतावास

लोक सुनवाई के दौरान टर्की दूतावास ने यह स्वीकार किया कि सोडियम डिक्रोमेट के आयात की मात्रा के संबंध में किसी एक उद्योग का हिस्सा 3 प्रतिशत से कम है तथा इस पर रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9.1 के उपबंधों के तहत विचार किया जाना चाहिए।

(ट) दक्षिण अफ्रीका सरकार :

(i) दक्षिण अफ्रीका भारतीय बाजार तथा विश्व भर में सोडियम डिक्रोमेट की आपूर्ति करने वाले प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक है।

(ii) दक्षिणी अफ्रीका ने सोडियम डिक्रोमेट डिहाइड्रेट का उत्पादन करके भारतीय बाजार को इसका निर्यात किया जबकि अन्य प्रमुख निर्यातकों ने भारत को एनहाइड्रोस कैल्सियम क्लोराइड का निर्यात किया।

(iii) उत्पादन तकनीक तथा उत्पाद विशिष्टता के संबंध में विचाराधीन उत्पाद में कई अंतर हैं।
स्वीकार्य नहीं है चूंकि यह स्पष्ट है कि एक जैसी वस्तुओं की तुलना में नहीं की गई है।

(v) भारतीय घरेलू बाजार में किया जाने वाला विचाराधीन उत्पाद का आयात रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 के तहत दशाई गई जरूरतों की पूर्ति नहीं करता।

(vi) दक्षिण अफ्रीका अन्य इच्छुक पक्षों का इस बात में समर्थन करता है कि भिलाई संयंत्र में उत्पादन न होने का तात्पर्य यह नहीं है कि अब वहां उत्पादन क्षमता उपलब्ध नहीं है।

(vii) इस बात का स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है कि जांच की अवधि के दौरान आवेदक द्वारा बेसिक क्रोमियम सल्फेट का निर्यात क्यों बढ़ा यह बात भी प्रश्नीय है कि वर्ष 2013-14 में घरेलू बाजार में आवेदक के

उत्पाद के उपभोग में अत्यधिक वृद्धि क्यों हुई तथा यह इस तथ्य कि आयात में वृद्धि की वजह से आवेदक की उत्पादन क्षमता में कमी आई के विरोधाभासी है।

(viii) विश्वभर में उत्पन्न हो रही चुनौतियां, जो विचाराधीन उत्पादों को सकारात्मक/नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, को जांच में छोड़ दिया गया है।

(ix) असामान्यतया ईंधन की लागत में उच्च वृद्धि ने डी आई की लाभप्रदता को प्रभावित किया।

(x) आवेदक के घरेलू बाजार में अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता को प्रभावित किया और इसके बाद इसने घरेलू मांग को पूरा करने के लिए विषयगत उत्पाद की आपूर्ति की क्षमता को प्रभावित किया।

(xi) आवेदक ने ऐसे अदृश्य विकासों को नहीं दर्शाया जिनसे विचाराधीन उत्पाद का अधिक मात्रा में आयात हो सकता है और ऐसी स्थितियों में घरेलू उत्पादकों के लिए गंभीर नुकसान पैदा हो सकता है या पैदा होने का खतरा हो सकता है।

(ठ) मैसर्स सी एच डी केमिकल्स लिमिटेड

(i) रक्षोपाय ड्यूटी, यदि लगाई गई तो इससे डाउनस्ट्रीम उद्योगों को गंभीर नुकसान पैदा होगा।

(ii) प्रारंभिक अधिसूचना में साक्ष्य की सत्यता एवं पर्याप्तता की ऐसी किसी जांच को नहीं दिखाया गया है। इसलिए प्रारंभ ही परस्पर गलत है।

(iii) सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध सूचना के अनुसार डी आई द्वारा प्रदान की गई विनिर्माण क्षमता अत्यधिक संदिग्ध प्रतीत होती है।

(iv) डी आई के अलावा भारत में पी यू सी का शायद ही कोई नियमित आपूर्तिकर्ता है और इसलिए डाउनस्ट्रीम उद्योग द्वारा पी यू सी की जरूरत को पूरा करने के लिए पी यू सी का आयात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

(v) डी आई द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े से ही पता चलता है कि बाजार में इसकी भागीदारी लगातार 60 प्रतिशत से अधिक है और तुलनात्मक संदर्भ में डी आई को कोई नुकसान नहीं है।

(vi) डी आई ने अदृश्य विकास के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

(vii) आयात में वृद्धि तथा कथित नुकसान या गंभीर नुकसान के खतरे के बीच कोई अनियत संबंध नहीं है।

(viii) आयात में वृद्धि इतनी जल्दी, इतना पर्याप्त एवं इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि इससे विश्व व्यापार संगठन के मानक को पूरा किया जा सके।

(ix) डी आई ने रक्षोपाय ड्यूटी के प्रारंभ के बारे में कोई सूचना नहीं दी है जो जनहित में होता। डाउनस्ट्रीम उद्योग पर रक्षोपाय ड्यूटी लगाने के न्यूनतम प्रभाव के बारे में सांख्यिकीय आंकड़े के रूप में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया

(x) हैमकी याचिका खंड 6 में दिखाया गया मुख्य कारण मूल्य को दबाना है न कि आयातों में वृद्धि। इसलिए यह एंटी डंपिंग का मामला है।

11. हितबद्ध पक्षकारों से निम्नलिखित रिज्वाइंडर प्राप्त हुए हैं।

क. डी एस के लीगल (मैसर्स अनुपम कर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स अनुपम कर्ल्स एवं केमिकल्स इंडस्ट्रीज, मैसर्स कर्ल्स क्रोम प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स मिकास आर्गेनिक्स लिमिटेड, मैसर्स रेवेशिया पिगमेंट्स लिमिटेड, मैसर्स सोलर केमफर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स सुदर्शन केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स वापी पिगमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स वोक्सको पिगमेंट्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड एवं मैसर्स सोना सिंथेटिक्स प्रोडक्ट्स का प्रतिधिनित्व करते हुए)।

(i) डी आई का यह तर्क कि जांच में अधिकतर अनुक्रिया (रिस्पोंस) केवल क्रोम पिगमेंट उद्योग से प्राप्त हुई थी, जो कि सोडियम डाइक्रोमेट के बड़े उपभोग में भी नहीं है। प्रतिवादियों ने दावा किया कि सोडियम डाइक्रोमेट क्रोनिक एसिड इंडस्ट्री है तथा डी आई स्वयं ही इन दोनों उत्पादों का एक बड़ा विनिर्माता है। मैसर्स सोलर केमफर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने बेसिक क्रोम सल्फेट इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व किया। इसके अतिरिक्त, क्रोमिक एसिड सेगमेंट, कलर

कलर क्रोम्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने उत्तर प्रस्तुत कर दिए थे तथा उन्होंने जन सुनवाई में भी भाग लिया था। था।

(ii) मैसर्स कलर क्रोम्स भारत में पी यू सी के बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। पिछले 4 वर्षों में व्यापार की गई मात्रा कम रही है। इसके अतिरिक्त, डी आई को उत्पादक के किन्हीं आयातकों या उपभोक्ताओं द्वारा सोडियम डायक्रोमेट के व्यापार पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए।

(iii) यह रिकार्ड का मामला है कि डी एस के लीगल के नाम से प्राधिकार एवं पृथक सहमति संबंधित पक्षकारों द्वारा अग्रेषित की गई थी। एक साझा वकील या भिन्न वकील नियुक्त करने का विशेषाधिकार हितबद्ध पक्षकारों का है।

(iv) डी आई का यह तर्क है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका के पक्षकारों ने महानिदेशक से तथ्यों को छिपाया है, तथ्यात्मक रूप से गलत है और वास्तविकता से दूर है क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय रजिस्ट्री के समक्ष दायर किए जाने तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुने जाने से पहले याचिका की प्रति विरोधी पक्षकार को तामील की गई थी।

(v) जहां तक पी यू सी की गुणवत्ता का संबंध है, प्रतिवादियों ने कहा कि सल्फेट की 0.20 की मात्रा उच्चतर अनुप्रयोगों के लिए क्रोमिक अम्ल का विनिर्माण करने हेतु काफी अनुशंसित है। प्रतिवादियों ने दिनांक 12.08.2014 की अपनी प्रस्तुति के साथ ई-मेल की एक प्रति भी प्रस्तुत की है जिसमें विनिर्देश के अनुरूप डी आई की अक्षमता को दिखाया गया है।

(vi) शुद्धता, सल्फेट अशुद्धता एवं अघुलनशील अशुद्धता के मामले में डी आई द्वारा विनिर्मित पी यू सी और आयातित पी यू सी के बीच काफी अंतर है। एन्हाइड्रस सोडियम डायक्रोमेट सामग्री का एक भिन्न ग्रेड है जो भारत में बिल्कुल ही निर्मित नहीं होता है।

(vii) सोडियम डायक्रोमेट के 9 अन्य उत्पादों में से कुछ को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बंद कर दिया गया है। डी आई को किसी घरेलू विनिर्माता से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। रक्षोपाय ड्यूटी लगाने का प्रयास आयातों को रोकना है ताकि डी आई का देश में एकमात्र आपूर्तिकर्ता के रूप में पूर्ण एकाधिकार हो।

(viii) न तो डी आई द्वारा याचिका और न ही लिखित पत्र में आयात में हाल में अचानक तीव्र एवं काफी वृद्धि को दर्शाया गया है जिससे कि डी आई को नुकसान होने या नुकसान होने का खतरा हो।

(ix) वर्ष 2014-15 के लिए आयातों एवं उत्पादन हेतु डी आई का अनुमान बिल्कुल गलत है।

(x) अप्रैल-जून, 2014 की अवधि के दौरान, सोडियम डाइक्रोमेट के आयात 3469 मिट्रिक टन है। इनमें से 556 मिट्रिक टन का भारत से दुबारा निर्यात किया गया है। परिणामस्वरूप जून, 2014 की तिमाही के लिए निवल आयात 2913 मिट्रिक टन है। वर्ष भर का हिसाब लगाए जाने पर यह वर्ष 2014-15 के लिए 11652 मिट्रिक टन बैठता है जो वर्ष 2013-14 में आयातों (11521 मिट्रिक टन) के बराबर है। इस प्रकार, इस अवधि के दौरान आयात स्थिर हो गया है।

(xi) डी आई का उत्पादन एवं बिक्री इस तिमाही में न्यूनतम है और परिणामस्वरूप सभी उपभोक्ताओं ने उत्पादन बनाए रखने के लिए इस तिमाही में अधिक मात्रा में आयात किया है। इस प्रकार डी आई द्वारा दिए गए 14657 मिट्रिक टन का वार्षिक आंकड़ा कल्पनाशील एवं अतार्किक है।

(xii) डी आई को प्रत्येक वर्ष बॉयलर के सांविधिक निरीक्षण एवं वार्षिक रख-रखाव के लिए पहली तिमाही में रख-रखाव संबंधी बंदी करना पड़ता है। इसका उतपादन एवं बिक्री पहली तिमाही में न्यूनतम है। इसलिए पूर्ण वर्ष के आंकड़े को प्राप्त करने के लिए पहली तिमाही के आंकड़े के आधार पर वार्षिक आंकड़ा प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

(xiii) बिक्री मूल्य में कम हो रहे बिक्री मूल्य परिदृश्य पर पिछली 2 तिमाहियों में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार, वर्ष 2014-15 के लिए डी आई उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम 15 प्रतिशत की वृद्धि मानी

मानी जा सकती है। वर्ष 2013-14 में डी आई उत्पादन 29128 मिट्रिक टन है और ऐसा माना जा सकता है कि वार्षिक आधार पर वर्ष 2014-15 में 29128 x 115 प्रतिशत = 33497 मिट्रिक टन की वृद्धि हुई है।

(xiv) आयात में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हुई है :

(क) पी सी बी द्वारा अनुमत्य उत्पादन की वार्षिक क्षमता 36,000 मिट्रिक टन है

(ख) डी आई द्वारा आपूर्ति की गई पी यू सी आवश्यकता के अनुरूप नहीं है

(ग) डी आई अपने अधिकांश उत्पादन का स्वयं ही उपभोग कर रहा है

(घ) डी आई पी यू सी का निर्यात भी कर रहा है जिससे प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के पास आयात के अलावा कोई विकल्प ही नहीं रह जाता है

(ड.) डी आई का कम मालसूची स्तर उपभोक्ता/प्रयोक्ता के लिए बड़ा खतरा है क्योंकि डी आई द्वारा अनियमित आपूर्ति होती है।

(xv) डी आई ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि दक्षिण अफ्रीका से आयात विगत अवधि में स्थिर रहा है जिसका अर्थ है कि दक्षिण अफ्रीका से आयातों से कोई नुकसान या नुकसान का खतरा नहीं है।

(xvi) डी आई ने अपने इस दावे को पुख्ता करने के लिए कोई सहायक साक्ष्य प्रदान नहीं किया है कि रूस में उपभोग में कमी, तुर्की में विस्तार तथा दक्षिण अफ्रीका में उत्पादनों के लिए जर्मनी में उत्पाद की मांग में कमी ने निर्यातक एवं उत्पादकों को बढ़ती मांग के कारण अन्य देशों को माल का निर्यात करने के लिए बाध्य कर दिया है।

(xvii) डी आई रक्षोपाय ड्यूटी लगाने के लिए लागू किए जा रहे नियम 8 के अंतर्गत प्रदान किए गए कोई एक मानदंड भी दिखा नहीं पाया है।

(xviii) डी आई का यह तर्क कि संस्थापित क्षमता न कि तैनात की गई क्षमता को क्षमता उपयोग का निर्धारण करने के लिए माना जाना चाहिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि डाउनस्ट्रीम उद्योग का संबंध संस्थापित क्षमता से नहीं बल्कि उत्पादन करने की डी आई की वास्तविक अनुमेय क्षमता से है।

(xix) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए सी एफ ओ के अनुसार, डी आई भारत में पी यू सी की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। आंध्र प्रदेश नियंत्रण बोर्ड से डी आई द्वारा प्रस्तुत दिनांक 23.07.2014 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि सोडियम डाइक्रोमेट का 90 मिट्रिक टन बेसिक क्रोम सल्फेट के विनिर्माण के लिए डी आई द्वारा उपभोग किया जाता है तथा शेष 120 मिट्रिक टन का उपयोग सोडियम डायक्रोमेट के विनिर्माण के लिए किया जाता है जिसका उपयोग डी आई द्वारा बिक्री, स्वयं उपभोग एवं निर्यातों के लिए किया जाता है। इस प्रकार, पी सी बी के स्पष्टीकरण से डी आई के दावे को समर्थन नहीं मिलता है।

(xx) आयात मूल्य में गिरावट के संबंध में, प्रतिवादियों ने कहा है कि पी यू सी का मूल्य क्रोम अयस्क के मूल्य में वृद्धि के कारण वर्ष 2011-12 के दौरान अत्यधिक बढ़ गया जो बाद में विश्व भर में क्रोम अयस्क के मूल्यों में गिरावट के कारण वर्ष के बाद वाली अवधि में काफी कम हो गया।

(xxi) डी आई की उत्पादन लागत भी काफी कम हो गई है क्योंकि क्रोम का इसका आयात 24 रु. प्रति किलोग्राम से घटकर 14 रु. प्रति किलोग्राम हो गया है।

(xxii) उद्योग द्वारा डी आई के बाजार अंश के बारे में दी गई सूचना गलत है। वर्ष 2011-12 में डी आई का वास्तविक बाजार अंश 60.42 प्रतिशत था जबकि अन्य घरेलू विनिर्माताओं का 27.57 प्रतिशत तथा आयातों में 12.01 प्रतिशत था। बाजार के अंश से निरंतरता का रूझान दिखाई देता है जिसके द्वारा डी आई का बाजार अंश वर्ष 2013-14 में 60.42 प्रतिशत से बढ़कर 62.07 हो गया है और आयात बढ़ कर 26.75 प्रतिशत हो गया है।

(xxiii) जहां तक डी आई की बिक्री में गिरावट का संबंध है, प्रतिवादियों ने कहा कि डी आई ने डाउनस्ट्रीम उत्पादों के विनिर्माण और साथ ही निर्यातों के लिए पी यू सी का स्वयं ही उपभोग किया है। डी आई डाउनस्ट्रीम उत्पादन में अपने अधिकांश उत्पादन का स्वयं ही उपभोग कर रहा है।

(xxiv) डी आई एवं अन्य विनिर्माता का संयुक्त घरेलू उत्पादक पी यू सी के भारतीय बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार, पी यू सी की आपूर्ति में कमी है।

(xxv) डी आई ने अपने बड़े ग्राहकों को घरेलू उद्योग बिक्री गोपनीयता संबंधी सूचना से प्रदान की है इसलिए आंकड़ों के अभाव में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

(xxvi) प्रतिवादियों ने इस बात से इंकार किया है कि उपभोक्ता अपने ऑर्डरों को रद्द कर रहे हैं क्योंकि उनको सस्ते मूल्यों पर आयात उपलब्ध हैं तथा यह कहा कि आयात प्रतियोगी मूल्यों पर उपलब्ध है किंतु वांछित गुणवत्ता की कमी और डी आई द्वारा अनियमित आपूर्ति आयात के माध्यम से प्रापण को अपनाने का कारण है।

(xxvii) बिक्री की उच्चतर लागत संबंधी डी आई का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि डी आई ने महंगे फर्नेस तेल के स्थान पर सस्ते वैकल्पिक ईंधन का उपयोग किया है। साथ ही, क्रोम अयस्क का मूल्य 24 रु. प्रति किग्रा. से घटकर 14 रु. प्रति किग्रा. हो गया है। इससे उत्पादन की लागत काफी कम हो गई है और लाभप्रदता बढ़ गई है।

(xxviii) डी आई की अप्रैल-जून, 2014 (वार्षिकीकृत) के लिए बिक्री सूचकांक को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक वर्ष पहली तिमाही में उत्पादन स्तर न्यूनतम रहता है और इसलिए बिक्री की लागत उच्चतम है। डी आई पी यू सी बिक्री पर हानि नहीं उठा सकता है क्योंकि इसके विचाराधीन अवधि के लिए वर्ष दर वर्ष लाभ में वृद्धि को दिखाया है।

(xxix) डी आई का वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। वर्ष 2013-14 एवं पिछले वर्षों में डी आई का कुल लाभ एवं हानि संबंधी विवरण से पता चलता है कि पी यू सी की डी आई की बिक्री उनकी कुल बिक्रियों के 40 प्रतिशत से अधिक है। कंपनी ने समग्र रूप से लगातार लगभग 44 करोड़ रु. का पी बी आई टी अर्जित किया है और वर्ष 2013-14 में लाभ को बढ़ाकर 50 करोड़ रु. कर दिया है तथा प्रचालन से निवल बिक्री के प्रतिशत के रूप में लगभग 14 प्रतिशत है। पूर्ण पी बी आई टी एवं प्रतिशतता दोनों संदर्भों में डी आई की लाभप्रदता में वृद्धि हुई है।

(xxx) डी आई ने उन मूल्यों, जो भारतीय ग्राहक अदा कर रहे हैं, से कम मूल्यों पर पी यू सी को लगातार निर्यात किया है जो इस बात का एक और प्रमाण है कि डी आई का यह दावा भ्रामक है कि आयातों का लैंडेड मूल्य डी आई की उत्पादन लागत के स्तरों से काफी कम रहा है।

(xxxi) डी आई के लिए व्याज, कर, मूल्यह्रास एवं अपाकरण मार्जिन से पहले अर्जन में वृद्धि वर्ष 2006 के 15 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014 में 18 प्रतिशत हो गई है जिससे पता चलता है कि पूर्ण संदर्भों में वर्ष 2006 से राजस्व में 4 गुना वृद्धि तथा ई बी आई टी डी ए में 5 गुना वृद्धि हुई है। आरक्षिती में लगातार वृद्धि हो रही है और पी बी आई टी में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(xxxii) आयातों से भिन्न अन्य कारक हैं जिनके कारण डी आई को नुकसान हुआ है। निर्यात बाजार पैदा करने, कच्ची सामग्री की कमी, उत्पादन की बढ़ाकर प्रस्तुत की गई क्षमता, स्वयं का उपभोग, कम माल क्षमता, अल्पकालिक ऋणों का प्रावधान जैसे कारक डी आई को नुकसान करने के लिए जिम्मेदार हैं न कि आयात।

(xxxiii) आयातों एवं इसको नुकसान के बीच कोई अनियत संबंध नहीं है। आयातों में क्रमिक वृद्धि भारत की मांग में उत्पाद की गुणवत्ता और गुणात्मक मांग को पूरा करने के लिए प्रोद्योगिकी तथा अवसंरचना की कमी के कारण है।

(xxxiv) डी आई की स्वयं की विनिर्माण क्षमता की कमी तथा अन्य स्थानीय विनिर्माताओं के अभाव के परिणामस्वरूप पी यू सी के आयात में वृद्धि हुई है।

यदि कोई हो, कच्ची सामग्री की कमी के कारण है न कि पी यू सी के आयात में किसी वृद्धि के कारण। इसकी पुष्टि वर्ष 2011-12 की उनकी वार्षिक रिपोर्ट में की गई है।

(xxxvi) संपूर्ण पी ओ आई के दौरान डी आई की कुल बिक्रियों में कोई कमी नहीं हुई है।

(xxxvii) बाजार अंश 60.42 प्रतिशत से बढ़कर 62.07 प्रतिशत हो गया है जबकि आयात 12.01 प्रतिशत से बढ़कर 26.75 प्रतिशत हो गया है।

(xxxviii) रक्षोपाय ड्यूटी को लगाना जनहित में नहीं है क्योंकि रक्षोपाय ड्यूटी लगाने से किसी को फायदा नहीं होने जा रहा है बल्कि डी आई को फायदा होने जा रहा है क्योंकि इससे न केवल पी यू सी बाजार में अपितु डाउनस्ट्रीम उत्पादों में भी एकाधिकार पैदा करने में डी आई को सहायता मिलेगी।

(xxxix) उपभोक्ताओं पर वित्तीय प्रभाव विनाशकारी होगा क्योंकि वे न केवल अपने उत्पादों का बिक्री मूल्य बढ़ाने के लिए बाध्य होंगे बल्कि वे बड़ी मात्रा में बाजार अंश डी आई को दे देंगे। उपभोक्ता एवं जन साधारण को अंतिम उत्पादों के लिए उच्चतर मूल्य अदा करना होगा।

(xl) डी आई का अपनी मौजूदा विनिर्माण प्रक्रिया को बदलकर Co2 आधारित प्रक्रिया करने के प्रस्ताव के लिए न्यूनतम 320 करोड़ रु. के पूंजीगत निवेश की आवश्यकता होगी। डी आई के लिए क्रेडिट रेटिंग को पहले ही सी आर आई एस आई एल जैसी रेटिंग एजेंसियों द्वारा रद्द कर दी गई है और इतने बड़े पूंजीगत व्यय के लिए दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करना डी आई हेतु व्यावहारिक रूप से कठिन होगा। साथ ही अल्पकालिक ऋण के जरिए इतना अधिक उधार की ब्याज लागत वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। इसलिए, डी आई द्वारा प्रस्तुत समायोजन योजना व्यावहारिक नहीं है।

समेकित नुकसान विवरण के बारे में :

(xli) जांच में भाग ले रहे सभी घरेलू विनिर्माताओं से पी सी बी प्रमाण पत्र मांगे जाने चाहिए ताकि उनकी स्वीकृत उत्पादन क्षमताओं का सत्यापन किया जा सके।

(xlii) डी आई ने अपने पत्र में वर्ष 2014-15 के लिए 27780 मीट्रिक टन की बिक्री का अनुमान किया है और समेकित आंकड़े में यह आंकड़ा 28784 मिट्रिक टन है। इसलिए, अन्य घरेलू उद्योग की बिक्री केवल 1004 मिट्रिक टन ली गई है जो उत्पादन की कुल मात्रा का महज 3.5 प्रतिशत है। ये उत्पादन उसकी प्रारंभिक याचिक से काफी भिन्न हैं जहां यह दर्शाया गया है कि पी यू सी का अन्य विनिर्माण घरेलू उत्पादन का 28 प्रतिशत है।

(xliii) वर्ष 2014-15 के लिए बिक्री अनुमान भी सही नहीं है और इसे पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक होना चाहिए।

(xliv) कोनार्क क्रोम केमिकल्स के लाभ एवं हानि लेखा से पता चलता है कि उनकी बिक्रियां वर्ष 2010-11 से 2012-13 की अवधि में तीन गुना बढ़ी हैं अर्थात 4.31 करोड़ रु. से बढ़कर 11.6 करोड़ रु. हुई है। वर्ष 2012-13 में, उनका 17.55 लाख रु. का पी बी आई डी टी था। इसलिए कोनार्क क्रोम को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

(xlv) श्री कनकदुर्गा आनंद क्रोमेट का अनुषंगी है जिसकी श्री कनकदुर्गा में 99.5 प्रतिशत शेयरधारिता है। आनंद क्रोमेट बेसिक क्रोम सल्फेट बनाता है और इसकी बेसिक कच्ची सामग्री पी यू सी है। इसलिए यह आनंद क्रोमेट के लिए पिछड़ा एकीकरण है।

(ख) आई ओ एल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

आई ओ एल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने आई बी ओ पी आर ओ एफ ई एन आर एम सी पर 20 प्रतिशत रक्षोपाय ड्यूटी का प्रभाव दिखाने के लिए गोपनीय आधार पर आकलन प्रस्तुत किया है।

विशिष्टियां	मानदंड (किग्रा)	लैंडेड दर (रू./किग्रा)	लागत (रू./किग्रा) इंडेक्स
सोडियम डाइक्रोमेट लागत (इबूप्रोफेन कच्ची सामग्री लागत में)	* ***	*** **	***
यदि रक्षोपाय ड्यूटी के बाद सोडियम डाइक्रोमेट दर में 20 प्रतिशत की वृद्धि होतीहै (धारणा)		*** **	***
इबूप्रोफेन आर एम सी आयातित सोडियम डाइक्रोमेट पर लगाई गई रक्षोपाय ड्यूटी के साथ बढ़ती है			** **

नोट : लैंडेड दर का औसत लिया गया है - अप्रैल,14 से जुलाई, 14 इबूप्रोफेन उत्पादन के 400 मिट्रिक टन प्रति माह माना गया है।			
रक्षोपाय ड्यूटी से पहले	मात्रा (मिट्रिक टन)	लैंडेड दर (रू./किग्रा)	मूल्य (रू./लाख) इंडेक्स
सोडियम डाइक्रोमेट का मासिक उपभोग	***	*** **	***
सोडियम डाइक्रोमेट का वार्षिक उपभोग	****	*** **	***
रक्षोपाय ड्यूटी के बाद	मात्रा (मिट्रिक टन)	लैंडेड दर (रू./किग्रा)	मूल्य (रू./लाख) इंडेक्स
सोडियम डाइक्रोमेट का मासिक उपभोग	***	*** **	***
सोडियम डाइक्रोमेट का वार्षिक उपभोग	****	*** **	***

रक्षोपाय ड्यूटी के कारण सोडियम डाइक्रोमेट की लागत में वृद्धि इबूप्रोफेन का 14.68 रू. प्रति किग्रा होगी। वे इस अतिरिक्त लागत को अपने ग्राहकों को अंतरित नहीं कर पाएंगे क्योंकि इबूप्रोफेन मिश्रण नियम डी पी सी ओ 2012 के नियंत्रणाधीन है।

सोडियम डाइक्रोमेट पर रक्षोपाय से उनकी कंपनी एकल आपूर्तिकर्ता पर निर्भर हो जाएगी जिससे भारत में एकाधिकार की स्थिति पैदा होगी।

(ग) मैसर्स लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(i) मैसर्स लैंक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने रिज्वाइंडर में अपने अनुरोधों को दोहराया।

(ii) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कोनार्क एवं कनकदुर्गा की अनुमोदित क्षमता पी यू सी के लिए कुल मांग को देखते हुए कम है।

(iii) दिनांक 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए तुलना पत्र के अनुसार, मैसर्स आनंद क्रोमोट्स का कनकदुर्गा क्रोमोट्स के शेयरों में 99.5 प्रतिशत शेयर हैं। मैसर्स आनंद क्रोमेट्स केवल बेसिक क्रोमियम सल्फेट का विनिर्माण करता है और श्री कनकदुर्गा में 99.5 प्रतिशत के स्वामित्व से उनका उत्पादन पिछड़े रूप से एकीकृत किया गया है। वे पी यू सी के कनकदुर्गा क्रोमेट उत्पादन का उपयोग अपने डाउनस्ट्रीम उत्पाद बेसिक क्रोमियम सल्फेट में कच्ची सामग्री के रूप में करते हैं। इसलिए अपने धारक कंपनी आनंद क्रोमेट के कारण श्री कनकदुर्गा क्रोमेट्स द्वारा दावा किया गया नुकसान सही नहीं है। परिणामस्वरूप श्री कनकदुर्गा वर्तमान जांच में डी आई का भाग नहीं हो सकता है।

(iv) कोनार्क क्रोम की वार्षिक रिपोर्टों से पता चलता है कि कोनार्क निरंतर एवं स्थिर ई बी आई टी डी ए का रख-रखाव कर रहा है। इस प्रकार कोनार्क क्रोम को जांच अवधि के दौरान कोई नुकसान नहीं हुआ है।

(v) डी आई ने अपनी मूल याचिका में उल्लेख किया कि भारत में पी यू सी के 9 अन्य विनिर्माता हैं। उनका सभी आकलन इस गलत सूचना पर आधारित था। अब दो विनिर्माताओं का आंकड़ा उनके द्वारा प्रदान किया गया है और इनमें से एक मुख्य रूप से डाउनस्ट्रीम उत्पाद का उत्पाद है तथा पी सी बी के अनुसार अन्य अनुमेय उत्पादन सीमा से अधिक है। इसलिए डी आई का सभी आकलन गलत है और यह जांच को गुमराह करने के लिए दिया गया है।

(घ) मैसर्स विष्णु केमिकल्स का रिज्वाइंडर (टी पी एम कन्सल्टेंट द्वारा प्रतिनिधित्व)

(i) डी आई ने इस बात से इंकार किया है कि उनका मुख्य रूप से ध्यान डाउनस्ट्रीम उत्पादों को बेचना है। डाउनस्ट्रीम उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता सीमित है और डी आई ने संस्थापित क्षमता से अधिक डाउनस्ट्रीम उत्पादों का उत्पादन नहीं किया है।

(ii) हितबद्ध पक्षकारों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सी एफ ओ को गलती से सी एफ ओ आदेश पढ़ लिया है जिसका अर्थ है कि सोडियम डाइक्रोमेट की वास्तविक बिक्री योग्य मात्रा 120 एम टी पी डी है और सोडियम डाइक्रोमेट का स्वयं उपयोग 180 एम टी पी डी बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन करने के लिए किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिनांक 27.07.2014 को स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि डी आई 210 टी पी डी सोडियम डाइक्रोमेट का उत्पादन करेगा जिनमें से उत्पाद के कुछ भाग का उपभोग 180 एम टी पी क्षमता के बेसिक क्रोमियम सल्फेट का उत्पादन करने में किया जाता है।

(iii) याचिकाकर्ता का भिलाई में दूसरा संयंत्र है जो उत्पाद की अपर्याप्त मांग के कारण बेकार पड़ा हुआ है क्योंकि बाजार पर आयात का नियंत्रण है।

(iv) यह कथन कि निफ्टी केमिकल्स स्वयं ही अपने शत-प्रतिशत उत्पादन का उपयोग करता है, सही नहीं है और इसका कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। निफ्टी केमिकल्स घरेलू बाजार में उत्पाद बेचता रहा है जैसा कि दायर लिखित निवेदन से देखा जा सकता है जिसमें नुकसान अवधि में अपने उत्पाद की बिक्री के लिए आंकड़ा है। निफ्टी केमिकल्स केवल सोडियम डाइक्रोमेट के व्यवसाय में है और कोई व्युत्पन्न नहीं बना रहा है।

(v) डी आई जेसन्स केमिकल्स एंड शिवा क्रोम केमिकल्स की वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं है। हितबद्ध पक्षकार किसी विश्वसनीय साक्ष्य के बिना अन्य उत्पादकों को लक्षित कर रहे हैं और आसानी से इस तथ्य को नजरअंदाज कर रहे हैं कि याचिकाकर्ता एवं सहायक घरेलू उत्पादक अर्थात श्रीकनकदुर्गा क्रोमेट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं मैसर्स कोनार्क केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने बढ़े आयात के कारण नुकसान का दावा किया है।

(vi) हितबद्ध पक्षकारों ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि डी आई अपनी गुणवत्ता के लिए दक्षिण अफ्रीका से क्रोम अयस्क का आयात कर रहा है जो उत्पाद के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री है। डी आई और दक्षिण अफ्रीकी उत्पादक द्वारा प्रयुक्त कच्ची सामग्री एक समान है। याचिकाकर्ता एवं दक्षिण अफ्रीकी उत्पादक द्वारा अनुकरण की जा रही उत्पादन प्रक्रिया एक समान है। याचिकाकर्ता भी डाउनस्ट्रीम उत्पादों के उत्पादन के लिए पी यू सी का उपभोग कर रहा है तथा उसे बाजार में बेच रहा है। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे का कोई आधार नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित उत्पाद में गुणवत्ता की कमी है।

(vii) याचिकाकर्ता ने डी एस एम इंडेमित्सू लिमिटेड बनाम नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण के मामले में सी ई एस टी ए टी आदेश पर विश्वास किया जिसमें सी ई एस टी ए ने बताया कि गुणवत्ता कोई संगत विषय नहीं है।

को पक्षकार-वार बिक्री भी प्रस्तुत किया है। इससे पता चलता है कि सभी पक्षकार याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपभोग कर रहा है और उनका यह भी विरोध है कि उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी नहीं है।

(ix) डी आई ने इस बात से इंकार किया है कि यह और अधिक डाउनस्ट्रीम उत्पाद का उत्पादन कर रहा है और उनके पास सोडियम डाइक्रोमेट की अपर्याप्त क्षमता बची हुई है। डी आई के पास सोडियम डाइक्रोमेट का उत्पादन करने एवं बिक्री करने के लिए अपर्याप्त क्षमता है तथा डी आई और साथ ही अन्य उत्पादक भारत में मांग को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है।

(x) डी आई ने इस बात से इंकार किया कि विष्णु के लिए वर्ष 2013-14 में बाजार अंश में लगातार वृद्धि हुई है और यह 60.42 प्रतिशत से बढ़कर 62.07 प्रतिशत हो गया है। डी आई का बाजार अंश वास्तव में 64 प्रतिशत से घटकर 54 प्रतिशत हो गया है जबकि आयात का बाजार अंश 13 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया है। इसके साथ ही अन्य घरेलू उत्पादकों का बाजार अंश भी 23 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गया है। इस प्रकार, यह प्रमाणित होता है कि डी आई का विधिसम्मत बाजार अंश आयात द्वारा ले लिया गया है।

(xi) यह कथन गलत है कि निर्यात मूल्य भारत में पी यू सी के औसत आयात मूल्य से कम है। निर्यात मूल्य हाल की अवधि में जब आयात में अचानक वृद्धि हुई है आयात मूल्य से अधिक है। संबंधित उत्पाद के निर्यात में विदेशी उत्पादकों द्वारा पैदा किए गए उत्पाद का विश्व भर में कम मूल्य के कारण वर्ष 2011-12 से कमी आई है तथा घरेलू उद्योग हाल की अवधि में शायद ही किसी सामग्री का निर्यात कर रहा है।

(xii) अन्य उत्पादों की बिक्रियां (जून 2014 में क्रोम टेनिंग साल्ट का लगभग 2400 मिट्रिक टन) महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि केवल पी यू सी की सूचना पर जांच में विचार किया जाता है। पी यू सी की बढ़ती मांग और घरेलू उद्योग की पर्याप्त क्षमता के बावजूद हाल की अधिकतर अवधि में डी आई का उत्पादन घटा है। घरेलू उद्योग की बिक्रियां 2013-14 तक लगातार बढ़ने के बाद तेजी से घटी है और हाल की अवधि में बिक्रियों में काफी कमी आई है।

(xiii) घरेलू उद्योग के उत्पादन एवं बिक्रियों में अप्रैल - जून 2014 की हाल की अवधि में विशेषकर काफी कमी आई है जिस अवधि में आयात में और अधिक वृद्धि हुई है।

(xiv) उत्पादन में कमी के लिए कारणों के लिए उद्धृत की गई वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2011-12 का है जबकि आयात में वृद्धि 20112-13 से काफी घटी है। इसलिए आयातों में कमी स्पष्ट रूप से हाल की अवधि में डी आई के उत्पादन में कमी के लिए कारण है।

(xv) प्रदूषण के मुद्दों पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य हैदराबाद के संयंत्र (संयंत्र बंद) से संबंधित है न कि विशाखापत्तनम स्थित संयंत्र से (संयंत्र कार्यशील) और इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसके विशाखापत्तनम स्थित संयंत्र के साथ प्रदूषण संबंधी कोई मुद्दे नहीं हैं तथा याचिकाकर्ता को उद्योग चलाने के लिए सभी विधिमान्य लाइसेंस हैं।

(xvi) डी आई ने कहा है कि याचिकाकर्ता अपने डाउनस्ट्रीम उत्पादों की लाभप्रदता को बढ़ाने में समर्थ रहा है जबकि पी यू सी की लाभप्रदता घटी है जिससे यह बात स्थापित होती है कि आयातों में वृद्धि से घरेलू के कार्य निष्पादन पर प्रभाव पड़ा है।

(xvii) पक्षकारों द्वारा डी आई के निर्यात खंड के लिए अनुरोध असंगत है क्योंकि महानिदेशक (रक्षोपाय) केवल पी यू सी से संबंधित कार्यनिष्पादन से संबंधित है। डाउनस्ट्रीम उत्पादों के कार्यनिष्पादन में सुधार और पी यू सी के कार्यनिष्पादन में गिरावट से यह बात प्रमाणित होती है कि आयात में वृद्धि से घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है जहां तक पी यू सी का संबंध है।

वर्तमान और भविष्य में कंपनी की मैक्रो आर्थिक स्थिति द्वारा प्रभावित हुआ है।

(xix) मालसूची वर्ष 2012-13 में बढ़ने के बाद घटी है। आयात में वृद्धि न होने से, याचिकाकर्ता ने अपने उत्पादन को विनियमित करने के लिए सावधानीपूर्वक निर्णय लिया। मालसूची का वर्तमान स्तर उस ऑर्डर को पूरा किए जा सकते हैं और तदनुसार उत्पादन को विनियमित किया गया है।

(xx) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि विगत में याचिकाकर्ता का उत्पादन कच्ची सामग्री की कमी के कारण प्रभावित हुआ है। याचिकाकर्ता यह तर्क नहीं दे सकता है कि उन्होंने इस डर से उत्पाद का आयात किया है कि घरेलू उद्योग में कच्ची सामग्री का स्टॉक नहीं हो सकता है और वह पी यू सी का उत्पादन करने और उनको आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं हो सकता है।

(xxi) डी आई ने कहा कि वेबसाइट से कंपनी द्वारा नियुक्त सभी श्रेणियों (स्थायी एवं संविदात्मक) के कर्मचारियों का पता चलता है।

(xxii) यदि हितबद्ध पक्षकारों का तर्क मान भी लिया जाए कि रेटिंग कम हुई है तो इससे पता नहीं चलता है कि याचिकाकर्ता मौजूदा विनिर्माण प्रक्रिया को बदलकर O_2 आधारित प्रक्रिया करने संबंधी प्रस्ताव के लिए आवश्यक निधियां उगाह नहीं सकता है। यदि क्रेडिट रेटिंग प्रतिकूल कार्य निष्पादन के कारण कम हुई है तो इसे रक्षोपाय

ड्यूटी लगाकर बढ़ाया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि निधियां उगाहना कठिन होगा किंतु उनका उनका तर्क है कि यह असंभव नहीं होगा।

(xxiii) कथित कारक अर्थात क्रेडिट रेटिंग का कम होना, ऋणों का दीर्घकाल से अल्पकाल में बदलना या रेटिंग वास्ताव में इस बात को प्रमाणित करता है कि पी यू सी में घरेलू उद्योग को हुए नुकसान से डी आई के कार्य निष्पादन में समग्र कमी आई है।

(xxiv) डी आई का ई बी आई टी डी ए मार्जिन वर्ष 2006 में 15 प्रतिशत से वर्ष 2014 में बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया है। डी आई ने कहा है कि लगाई गई पूंजी पर 22 प्रतिशत रिटर्न भारत सरकार के कई विभागों द्वारा अच्छा लाभ माना जाता है। लगाई गई पूंजी पर 22 प्रतिशत रिटर्न मूल्यह्रास को छोड़कर है जबकि 18 प्रतिशत लाभ मूल्यह्रास से पहले का है जिसका अर्थ यह है कि लगाई गई पूंजी पर घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित रिटर्न उससे अधिक है जो मूल्य निर्धारण के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों द्वारा अच्छा एवं उचित माना जाता है।

(xxv) डाउनस्ट्रीम उद्योग के केवल आकार से यह प्रमाणित होता है कि प्रस्तावित रक्षोपाय ड्यूटी का प्रभाव नगण्य है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि प्रस्तावित रक्षोपाय ड्यूटी का प्रभाव ग्राहकों के लिए बर्दाश्त के लायक नहीं होगा।

(xxvi) आयातों में अचानक काफी वृद्धि देखी गई है। आयातों में पूर्ण संदर्भ में और साथ ही उत्पादन एवं उपभोग के संदर्भ में वृद्धि हुई है। आयात में वृद्धि से घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्रियों एवं बाजार अंश में कमी आई है। मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की क्षमता का पर्याप्त उपयोग नहीं होता है। आयात मूल्य उत्पादन की लागत से कम होता है और इस प्रकार मूल्य को दबाने की स्थिति पैदा होती है।

(xxvii) रक्षोपाय ड्यूटी को लगाने के लिए आवेदन को अन्य विभिन्न घरेलू विनिर्माताओं ने समर्थन दिया है। अन्य घरेलू उत्पादकों ने भी यह स्थापित किया है कि उनको आयातों में वृद्धि के कारण नुकसान हुआ है।

(xxviii) डी आई ने इस बात से इंकार किया है कि आयात को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया है। याचिकाकर्ता डी जी सी आई एवं एस तथा आई बी आई एस (द्वितीयक स्रोत) की सूचना के स्रोत पर निर्भर रहा है। याचिकाकर्ता ने दो प्रकार के उत्पादों एनहाइड्रस के कारण द्वितीयक स्रोत की सूचना को माना है। याचिकाकर्ता ने प्रत्येक आयात का कारोबार का विश्लेषण किया है तथा इस बात का पता किया है कि क्या अयात कारोबार डिहाड्रेट्स प्रकार से संबंधित है या एनहाइड्रस प्रकार से। इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा अपनाए गए आयात आंकड़ा डॉक वेबसाइट के अनुसार आयात आंकड़ा के अनुरूप नहीं होगा।

(xxix) घरेलू उद्योग ने 13 प्रतिशत नमी वाली मात्रा का समायोजन किया है साथ ही यह कहना गलत है कि दक्षिण अफ्रीका का ही पी यू सी हाइड्रेट है। याचिकाकर्ता ने केवल उन कारोबारों का समायोजन किया है जिनमें आयात कारोबार का समायोजन किया है जिनमें आयात कारोबार एनहाइड्रस प्रकार का है।

(xxx) इस दावे के प्रमाण में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि जनवरी - जून में 864 मिट्रिक टन का भारत में आयात केवल दोबारा निर्यात के लिए पारगमन के रूप में हुआ था। इस मुद्दों पर कानून स्पष्ट है कि भारत में आयात को आयातों में शामिल किया जाना है तथा इनका उपयोग घरेलू बाजार में उत्पाद की मांग का आकलन करने के लिए किया जाना होता है।

(xxxi) कंपनी में ऑर्डरों के अभाव के कारण तीस (30) दिनों के लिए उत्पादन बंद किया गया है। डी आई ने मरम्मत एवं रख-रखाव करने हेतु इस समय का उपयोग किया है। यह सामान्य व्यवसाय परिदृश्य है कि बंद होने की अवधि का उपयोग व्यवसाय के अन्य क्रियाकलापों के लिए किया जाता है।

(xxxii) डी आई ने बताया कि सिर्फ इस कारण से निर्यात जर्मनी से होकर किया गया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि मूल देश बदल गया है। यदि दक्षिण अफ्रीका से निर्यात को जर्मनी का निर्यात सूचित किया जाना था तो इसका अर्थ यह होगा कि दक्षिण अफ्रीका से भारत में आयात वर्ष 2012-13 में उपर विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं हो सकता था।

(xxxiii) दक्षिण अफ्रीका में केमिकल सेक्टर भारतीय बाजार पर निर्भर नहीं करता है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा उत्पादक मैसर्स लैंक्सेस काफी लाभ की स्थिति में कार्य कर रहा है और विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका के तर्क का यह अर्थ है कि भारतीय उद्योग को नुकसान होना चाहिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के उद्योग एवं इसकी अर्थव्यवस्था की उन्नति होनी चाहिए।

(xxxiv) दक्षिण अफ्रीका से भारत में उत्पाद के निर्यात वर्ष 2013 में 3000 मिट्रिक टन थे जो उनके उत्पादन का मात्र 5 प्रतिशत थे।

(xxxv) यह मामला नहीं है कि जहां घरेलू उद्योग डाउनस्ट्रीम उत्पादों का उत्पादन कर रहा है और इसकी बाजार में सोडियम डाइक्रोमेट की बिक्री के लिए अपर्याप्त क्षमता है। सोडियम डायक्रोमेट की क्षमता मांग में वृद्धि के बावजूद काफी अप्रयुक्त रह गई है।

(xxxvi) बी सी एस के स्वयं के उपभोग या निर्यातों में वृद्धि का अर्थ यह है कि याचिकाकर्ता उत्पादों के आयात में वृद्धि से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होता है जहां तक अन्य उत्पादों का संबंध है जहां पी यू सी इन्पुटों में से एक है।

12. डी आई एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अतिरिक्त रिज्वाइंडर में उठाए गए अधिकतर मुद्दे उनके द्वारा दायर पूर्व के निवेदनों के समान हैं और इन पर उपयुक्त स्थानों में तदनुसार विचार किया गया है।

महानिदेशक के जांच परिणाम

उपयोक्ताओं/आयातकों और निर्यातक राष्ट्रों की सरकारों द्वारा दायर प्रत्युत्तरों की सावधानीपूर्वक जांच की है। विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों और उनमें उठाए गए मुद्दों का इस जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर निराकरण कर दिया गया है। इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के लिए घरेलू उद्योग के अनुरोध की घरेलू विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में जांच की गई है। तदनुसार ही जांच परिणाम दिए गए हैं।

1975 की धारा 8ख में आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का विवरण है। धारा 8ख (1) में किसी वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का प्रावधान है यदि उक्त वस्तु का भारत को आयात इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में किया जाए कि उससे घरेलू उद्योग को गभीर क्षति हुई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो।

1997 में जांच को शासित करने वाले ढंग एवं सिद्धांतों का विवरण है। यह नियम सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 के अंतर्गत बनाए गए हैं। मुझे इन नियमों के अंतर्गत विधि के अनुरूप रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए सिफारिश करने की शक्ति प्रदान की गई है।

रक्षोपाय करार संबंधी प्रावधानों और डब्ल्यूटीओ निकायों के निर्णयों का अधोलिखित उपयुक्त स्थानों पर उल्लेख किया गया है। चर्चा की गई है। यह जांच उक्त नियमों के अनुसार आयोजित की गई और इस अधिसूचना तहत अंति जांच परिणाम रिकार्ड कर दिए गए है।

16. क्रियापद्धति और सूचना का स्रोत

इन आयात आंकड़ों का स्रोत डीजीसीआईएंडएस है। वर्ष 2010-11 से 2013-14 की अवधि के लिए वार्षिक आयात हैदराबाद और भिलाई में स्थित घरेलू उद्योग के घरेलू आंकड़े केंद्रीय उत्पाद शुल्क रिकार्डों से लिए गए हैं।

घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में नौ अन्य घरेलू उद्योगों के आंकड़ों प्रस्तुत किए हैं। जांच शुरूआत नोटिस के

गया।

17. जांच की अवधि

रक्षोपाय करार और गाट के संगत अनुच्छेद XIX में विशेष रूप से यह परिभाषित नहीं किया गया है कि जांच की अवधि क्या होनी चाहिए। मेरा विचार है कि भारतीय विधि में प्रावधान है कि यह सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर है कि वह यह निर्णय ऐसे विवेक का प्रयोग सोच समझ कर किया जाना चाहिए।

जिसमें प्राथमिकत: वित्त वर्ष 2010-11 से वित्त वर्ष 2013-14 (जनवरी) तक के लिए आयात आंकड़ों का उल्लेख था 2014 के लिए उपलब्ध नहीं थे। वर्ष 2013-14 के लिए दस माह के आंकड़ों को क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ वार्षिकीकृत 2014 के आंकड़े उत्तरवर्ती रूप से उपलब्ध हो गए और इसलिए वर्ष 2013-14 की अवधि के लिए वास्तविक आयात आंकड़ों पर क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है। क्षति विश्लेषण के लिए विचार किए गए सभी आंकड़े सभी हितबद्ध पर विश्लेषण के लिए विचार किया जा रहा है।

सीजनल विभिन्नताओं को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से पर्याप्तत: दीर्घतर नमूना साइज अर्थात वित्त वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक के वार्षिक आंकड़ों पर जांच की अवधि के रूप में विचार किया गया है।

उपर्युक्त को देखते हुए मेरा विचार है कि घरेलू उद्योग की क्षति का निर्धारण करने के लिए यह अवधि पर्याप्तत: दीर्घ है।

18. विचाराधीन उत्पाद

है। सोडियम डायक्रोमेट को एनहाइड्रस और सोडियम डायक्रोमेट निर्जलीकृत दोनों के बीच केवल अंतर नमी अंतर्वस्तु का है।

सोडियम डायक्रोमेट का प्रयोग कई आर्गनिक संश्रलेषणों के लिए आक्सीकरण घटक के रूप में और विशेषकर आइबूप्रोफेन के उत्पादन में बल्क ड्रग्स के रूप में प्रयोग किया जाता है।

(ख) समान या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी उत्पाद

हितबद्ध पक्षकारों में से एक मैसर्स कलर क्रोम्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्तुतीकरण किया है कि घरेलू उद्योग केवल निर्जलीकृत सोडियम डायक्रोमेट का उत्पादन करता है जबकि वे एनहाइड्रस सोडियम डायोक्रोमेट का आयात करते हैं। दोनों के बीच अंतर केवल यह है कि एनहाइड्रस वैरायटी में 0 से 1 प्रतिशत नमी होती है जबकि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित डायक्रोमेट को आयातित एनहाइड्रस सोडियम डायक्रोमेट के स्थानापन्न के रूप में नहीं माना जा सकता है। आयातित

के रूप में नहीं माना जा सकता है।

इस मुद्दे की जांच की गई। सोडियम डायक्रोमेट एक रासायिनक यौगिक होता है जिसका फार्मूला एनए$_2$सीआर$_2$ओ$_7$ होता हैा यह लवण एक हायग्रोस्कोपिक लवण होता है और सामान्यत: इस लवण का प्रहस्तन इसके निर्जलीकृत एनए$_2$सीआर$_2$ओ$_7$.एच$_2$ओ के रूप में किया जाता है। दोनों के बीच एकमात्र अंतर नमी संघटक का है और इसके अन्य 1975 के एक एकल शीर्षक 28413000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। नमी संघटक और इसलिए कीमत के रूप में अंतर के बावजूद इन उत्पादों के समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म होते हैं। मेरा यह भी विचार है कि रक्षोपाय विधि के अंतर्गत इन उत्पादों को समरूप होना अपेक्षित नहीं है। विचाराधीन उत्पाद समान या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी वस्तु होना रक्षोपाय जांच के प्रयोजनार्थ रक्षोपाय नियमावली के नियम 2(ड.) के अंतर्गत समान या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी उत्पाद है।

(ग) गुणवत्ता संबंधी मुद्दे

कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि अनुप्रवाही उत्पादों के विनिर्देशनों को पूरा करने के लिए इस विचाराधीन उत्पाद में सल्फेट और अघुलनशील की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। इस विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग के विनिर्देशन अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों से न्यून गुणवत्ता के हैं और घरेलू उद्योग से प्राप्त होने वाले विचाराधीन उत्पाद सोडियम सकरीन के भारतीय विनिर्माता विचाराधीन उत्पाद के आयातों को वरीयता देते हैं।

यह देखा गया कि हितबद्ध पक्षकारों ने स्वयंमेव इस तथ्य को स्वीकार किया है कि घरेलू उद्योग क्रोम अयस्क का और इस मामले में इस विचाराधीन उत्पाद की बिक्री कतिपय हितबद्ध पक्षकारों को कर रहा है। यह भी देखा जाता है कि घरेलू उद्योग भी इस विचाराधीन उत्पाद की खपत अनुप्रवाही उत्पादों के लिए कर रहा है और घरेलू बाजार तथा विदेशी बाजार में उसकी बिक्री कर रहा है।

इस विचाराधीन उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे की जांच की गई है। घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि घरेलू उद्योग इस विचाराधीन उत्पाद की नियमित आपूर्ति एक ही उपभोक्ता को कर रहा कुछ उपभोक्ताओं ने अपने प्रस्तुतिकरण में दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने उनको आर्डर की गई अपेक्षित मात्रा की मेरा यह विचार है कि हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे का कोई आधार नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित उत्पाद में गुणवत्ता की कमी है।

19. प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता

रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 3.2 में कतिपय सूचना को गोपनीय माने जाने का प्रावधान है। नियम में यह प्रावधान है कि किसी हितबद्ध पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन वास्तविक आधार पर करना अपेक्षित नहीं होता है जो कंपनी की गोपनीय

गोपनीय सूचना जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न हो और जिसका प्रकटन करना उक्त पक्षकार के व्यवसाय हितों को

घरेलू उद्योग तथा हितबद्ध पक्षकारों ने कुछ सूचना गोपनीय आधार पर प्रदान की है तथा उक्त सूचना का अगोपनीय पाठ प्रदान करके प्रदत्त सूचना/आंकड़ों की गोपनीयता की मांग की है। घरेलू उद्योग/हितबद्ध पक्षकारों ने 1997 तथा दिनांक 06.09.1997 के व्यापार नोटिस संख्या एसजी/टीएन/1/97 दिनांक 06.09.1997 के प्रावधानों के घरेलू उद्योग ने आवेदनपत्र दायर करते समय तथा उसके उत्तरवर्ती अवसरों पर भी गोपनीयता की मांग की है जो और जहां कहीं दावा किया गया वहां उसे स्वीकार कर लिया गया।

20. घरेलू उद्योग

वर्तमान जांच मैसर्स विष्णु कैमिकल्स द्वारा दायर एक आवेदन के अनुसरण में की जा रही है। याचिकाकर्ता का कुल भारतीय उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सेदारी है। अन्य उत्पादकों का हिस्सा केवल 30 प्रतिशत है जो आवेदक के बाजार हिस्से से कम है।

सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के खंड (6)(ख) में घरेलू उद्योग का आशय उन उत्पादों से है जिनका :

(i) भारत में समान उत्पाद या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी उत्पाद के समग्र रूप से उत्पादकों; अथवा

(ii) उन उत्पादकों से होता है जिनका समान उत्पाद अथवा भारत में प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी उत्पाद का सामहिक उत्पादन भारत में उक्त वस्तु के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है।"

उपलब्ध साक्ष्य के मद्देनजर में यह पाता हूं कि आवेदकगण नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग हैं।

21. आंकड़ों का विश्लेषण

घरेलू उद्योग द्वारा यथाप्रस्तुत अन्य उत्पादों के आंकड़ों पर भी घरेलू उद्योग और आयातों के बाजार हिस्से का विश्लेषण करने के लिए भरोसा किया गया है।

22. संवर्धित आयात

सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की केंद्रीय सरकार के अधिकारों का उल्लेख करता है और इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करता है :

"(1) यदि केंद्रीय सरकार, ऐसी जांच जिसे वह उचित समझे करने के पश्चात इस तथ्य से संतुष्ट है कि किसी वस्तु का भारत में इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में आयात किया जा रहा है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो तो यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर सकती है।"

को निम्नवत परिभाषित किया गया है :

"संवर्धित मात्रा में आयातों में वृद्धि चाहे वह उत्पादन के समग्र या संगत रूप में हुई हो, होना शामिल है।"

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि विधि अर्थात धारा 8ख और नियम में यह अधिदेश किया गया है कि आयातों घरेलू उत्पादों और खपत के संगत रूप में और समग्र रूप में करना आवश्यक हो गया है। यह भी देखा गया कि को समावेशी रूप में परिभाषित किया गया है और इस परिभाषा में दो पैरामीटर शामिल हैं अर्थात आयातों में समग्र रूप में वृद्धि तथा आयातों में घरेलू उत्पाद के संगत रूप में वृद्धि। यह भी देखा जाता है कि यह दोनों पैरामीटर एक साथ होना अपेक्षित नहीं है। संवर्धित मात्रा को घरेलू उत्पादन के संगत रूप में या समग्र रूप में मापा जाना चाहिए। किसी एक पैरामीटर की अवस्थिति। पूर्ति इस विधिसम्मत अपेक्षा को पूरा करने के लिए अनिवार्य है।

डब्ल्यूटीओ पैनल और अपीलीय निकाय ने इस मुद्दे के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि का और अधिक स्पष्टीकरण किया है तथा इन निकायों के कतिपय संगत निर्णयों का उल्लेख निम्नलिखित किया जाता है :

1. अर्जेन्टीना फुटवीयर (ईसी) (डब्ल्यूटी/डीएस/आर दिनांक 26.06.1999) में पुन: इस बात की जांच की कि क्या जांच की अवधि के शुरूआती समय के आयातों की मात्रा और अवधि की समाप्ति पर आयातों की मात्रा (अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु की तुलना) के बीच तुलना के आधार पर संवर्धित आयातों का निर्धारण करने में अनुच्छेद 2.1 और अनुच्छेद 4.2(क) के बीच कोई संगतता है। इस पैनल ने बाद में इस संबंध में अपीलीय निकाय को निष्कर्षों को ही धारित किया है :

इस तथ्य का आकलन करने में कि क्या आयातों में अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु तक वृद्धि अनुच्छेद 2.1 के अंतर्गत सवर्धित वहां अंतिम बिंदुओं के रूप में प्रयुक्त विशिष्ट वर्षों की तुलना की संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट शुरूआती निष्कर्ष की संपुष्टि या अपुष्टि कर सकती है। यदि जांच की अवधि के शुरूआती बिंदु और/या अंतिम बिंदु में केवल एक

यदि आयातों में वृद्धि वास्तव में मौजूद है तो यह अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु की तुलना और अवधि के दौरान हस्तक्षेपी प्रवृत्ति का विश्लेषण दोनों में स्पष्ट होनी चाहिए। अर्थात दोनों ही विश्लेषण परस्पर मजबूत होने चाहिए। जबकि यदि कहीं परिणाम भिन्न हो जाते हैं तो उससे कम से कम से यह संदेह होगा कि क्या इन आयातों में वृद्धि अनुच्छेद 2.1 के आशय के अनुरूप हुई है।

अर्जेन्टीना फुटवियर (ईसी) मामले में पैनल द्वारा इस संबंध में अपीलीय निकाय द्वारा उत्तरवर्ती एक जांच कि आयातों की हस्तक्षेपी प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जाना भी अनिवार्य है।

अपेक्षा बनती है कि जांच की अवधि के समय आयातों की हस्तक्षेपी प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जाना चाहिए। हम नोट

चढ़ाव) पर पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिए। जहां कहीं इन प्रवृत्तियों की जांच की अवधि के दौरान मिला दिया जाता जाता है तो यह निर्धारित करने में यह निर्णायक हो सकती है कि क्या आयातों में वृद्धि अनुच्छेद 2.1 के आशय के अनुरूप आकलन करने का सर्वोत्तम तरीका यह मूल्यांकन करना है कि क्या आयातों में होने वाली कोई कमी अस्थायी है या वह

अर्जेन्टीना फुटवियर (ईसी) में पैनल ने पुन: यह पाया कि उसके समक्ष मौजूद मामले में आयातों की मात्रा में गिरावट को आयातों की मात्रा में वृद्धि के अस्थायी विपरीत के रूप में आयातों के मात्रा में गिरावट के रूप में अभिलक्षित नहीं किया जा सका। तब उसने यह उल्लेख किया कि :

में होनी अपेक्षित है कि उससे गंभीर क्षति हो सके या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो सके .....आयातों में में वृद्धि हुई है कि उससे अनुच्छेद 2.1 का आशय पूरा हो जाता है।

तीव्र और इतनी अधिक होनी चाहिए कि उससे गंभीर क्षति कारित हो सके या गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन्न हो सके। संगत उद्धरण निम्नलिखित है :

> *"131. यह निर्धारण, कि क्या आयातों "में इतनी अधिक मात्रा में वृद्धि" की अपेक्षा पूरी होती है या नहीं केवल गणितीय या तकनीकी निर्धारण नहीं है। दूसरे शब्दों में, किसी जांच में साधारण रूप से यह दर्शाना ही पर्याप्त नहीं है कि इस उत्पाद के इस वर्ष किए गए आयात पिछले वर्ष ------- या पांच वर्ष पहले हुए आयातों की तुलना में अधिक हैं। पुन:, ऐसा पुनरावृत्तिक लगता है कि, आयातों में किसी निश्चित मात्रा में वृद्धि होना ही पर्याप्त नहीं होगा। यह वृद्धि "इतनी अधिक मात्रा" में हो कि उससे घरेलू उद्योग को क्षति कारित होने हो या गंभीर क्षति कारित होने की चुनौती उत्पन्न होने की रक्षोपाय साधन का अनुप्रयोग करने के लिए अपेक्षा पूरी होती हो, और यह भाषा रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 तथा गाट 1994 के अनुच्छेद XIX : 1 (क) दोनों में और हमारा विश्वास है कि, अपेक्षा करती है कि आयातों में यह वृद्धि, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में, पर्याप्त अभिनव, पर्याप्त अचानक, पर्याप्त तीव्र और पर्याप्ट महत्वपूर्ण हो जिससे कि "गंभीर क्षति" कारित हो सके या उसकी चुनौती उत्पन्न हो सके।"*

वाक्यांश का निर्वचन निम्नवत किया है :

8.31 [गाट 1994 का अनुच्छेद XIX :1(क) और रक्षोपाय करार ("एसए") का अनुच्छेद 2.1] में आयातों में केवल "वृद्धि" का उल्लेख नहीं है। बल्कि, उनमें संबंधित उत्पाद के आयातों में परिमाणात्मक एवं गुणवत्ता प्रकृति की "वृद्धि" के संबंध में विशिष्ट जरूरत का उल्लेख है। गाट 1994 का अनुच्छेद XIX :1(क) और एसए का अनुच्छेद 2.1 दोनों यह अपेक्षा करते हैं कि संबंधित सदस्य के भूभाग में किसी उत्पाद का आयात इतनी अधिक संवर्धित मात्रा (घरेलू उत्पादन में संगत एवं समग्र रूप से) में किया जा रहा हो कि उससे गंभीर क्षति कारित हुई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो। अत: आयातों में केवल कोई वृद्धि ही पर्याप्त नहीं होगी। बल्कि, हम अर्जेन्टीना फुटवीयर रक्षोपाय मामले में अपीलीय निकाय के जांच परिणाम से सहमत है कि यह वृद्धि, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों रूपों में, पर्याप्त अभिनव,

अचानक तीव्र और इतनी अधिक मात्रा में हो कि उससे गंभीर क्षति कारित हो या गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन्न हो सके।

अभिनव विगत में होनी चाहिए परंतु यह आवश्यक नहीं हैं कि यह अनिवार्यत: जांच की अवधि की समाप्ति तक या निर्धारण के तत्काल पहले तक होना चाहिए।

यह प्रश्न बना रहता है कि क्या संवर्धित आयातों के निष्कर्ष को वर्ष 1999 के प्रथम सेमेस्टर से वर्ष 1999 के प्रथम ेमेस्टर में आयातों में समग्र गिरावट के आलोक में अनुरक्षित रखा जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के उद्देश्य से का आशय यह नहीं है कि यह जांच प्राधिकारी के निर्धारण से तत्काल पहले की अवधि तक जारी रहे और न ही जांच की अवधि की समाप्ति तक जारी रहे। हम अपने विचारों के लिए अनुच्छेद 2.1 में कुछ सहारा प्राप्त करते हैं जिसमें प्रावधान है शब्द का प्रयोग हमें यह संकेत देता है कि यह निर्धारण करने की कोई जरूरत नहीं है कि आयातों में यह वृद्धि अब भी हो परंतु यह वृद्धि अनिवार्यत: जांच की अवधि के अंत तक या निर्धारण के तत्काल पूर्व तक होती रहे। बशर्ते कि जांचाधीन किया जा रहा हो कि उससे अनुच्छेद 2.1 की जरूरतें पूरी हो जाती हो।

अपीलीय निकाय द्वारा दिए गए निर्णय को कायम रखा और इस प्रश्न का समाधान किया कि आयातों में कितने अभिनव तौर पर वृद्धि होनी चाहिए।

चूंकि जैसा यूएस लाइन पाइप में पैनल ने किया है कि रक्षोपाय करार में एक ऐसे उत्पाद के बारे में उल्लेख है जिसका ऐसी हो का आशय यह नहीं है कि यह जांचकर्ता प्राधिकारी के निर्धारण के तत्काल पहले तक जारी रहना चाहिए और न ही इसका आशय यह है कि यह जांच की अवधि की समाप्ति तक जारी रहना चाहिए। जैसाकि पैनल द्वारा यूएस – लाइन पाइप मामले में इंगित किया गया है सर्वाधिक फोकस अधिक अभिनव आंकड़ों पर होना चाहिए परंतु ऊपर जांच की अवधि के

यदि आयातों में कई वर्ष पहले दस गुना के आसपास वृद्धि हुई है तो उससे आयातों में समग्र वृद्धि न्यून नहीं होगी। इसके एक विपरीतार्थक चरम उदाहरण देते हुए कोई व्यक्ति अधिक लंबे समय तक किसी ऐसे उत्पाद के बारे में बात नहीं कर आयातों की संख्या घटकर जीरो या जांच की अवधि के पिछले किसी बिंदु से भी न्यून स्तर पर पहुंच गई है।

दिनांक 11.11.2003) में अपीलीय निकास ने यह संपुष्टि की कि यह जरूरी नहं है कि आयातों में वृद्धि निर्धारण करने के समय भी हो रही हो और वह जांच की अवधि की संपूर्ण अवधि के लिए आयातों की प्रवृत्त की जांच करें :

हम संयुक्त राज्य के इस विचार से सहमत हैं कि अनुच्छेद 2.1 में यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि संगत उत्पादों के से केवल यह सुझाव मिलता है कि आयातों में वृद्धि हुई हो और यह कि यह विश्वास करना कि जांच की अवधि की समाप्ति जांचकर्ता प्राधिकारी को निश्चय ही यह जांच परिणाम प्राप्त करने से वंचित करेगी कि : ऐसा होते हुए भी इन उत्पादों का

यूएस-स्टील रक्षोपाय में अपीलीय निकाय ने अपने अर्जेन्टीना फुटवियर (ईसी) में दिए गए निर्णय को पुन: में पाठन के महत्व पर जोर दिया गया है और यह कहा गया है कि यह संगत संवर्धित मात्रा की गंभीर क्षति कारित करने या गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती की योग्यता से जुड़ा होना चाहिए।

की जरूरत के पाठन की महत्ता को इस संदर्भ में बल देने पर जोर देते हैं जिसमें यह प्रतीत होता है कि यह बात गाट एक ऐसी संवर्धित मात्रा होनी चाहिए जिससे घरेलू को इतनी अधिक क्षति कारित हुई हो या इतनी अधिक क्षति की चुनौती का संबंध ऐसे संगत संवर्धित आयात से है कि उसमें गंभीर क्षति कारित हुई हो या गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती पर्याप्त तीव्र और पर्याप्त महत्वपूर्ण हो .....जिससे कि गंभीर क्षति कारित हुई हो या गंभीर क्षति कारित करने ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर सक्षम प्राधिकारी की जांच की कार्रवाई के साथ उनके विश्लेषण के शेष भाग से प्राप्त हो जाता है (अर्थात् इसका उत्तर गंभीर क्षति/उसकी चुनौती और कारणात्मक) से प्राप्त हो जाता है।

यह विश्लेषण निम्नवत् किया गया है :

(क) समग्र रूप में आयातों में वृद्धि

अधोलिखित तालिका सोडियम डायक्रोमेट से संबंधित आयात सांख्यिकी दर्शाती है :

वित्तीय वर्ष	कुल आयात (एमटी)	कुल आयात (अनुक्रमित)
2010-11	4765	100
2011-12	5516	116
2012-13	7205	151
2013-14	11521	241

स्रोत : डीजीआईसीएंडएस

जो विगत वर्ष हुए 7205 एमटी के आयातों से 4316 एमटी अधिक हैं अर्थात प्रतिशत के रूप में यह वृद्धि 60 प्रतिशत है। अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु की तुलना यह दर्शाती है कि आधार वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2013-14 में आयातों 141 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जांच की संपूर्ण अवधि के दौरान आयातों में निरंतर वृद्धि हुई है। जांच की संपूर्ण अवधि के दौरान आयातों में निरंतर वृद्धि होती रही जिससे यह संकेत मिलता है कि आयातों में समग्र वृद्धि न केवल अभिनव विगत में हुई बल्कि यह वृद्धि आधार वर्ष वित्त वर्ष 2010-11 में भी हुई है।

(ख) उत्पादन के संबंध में आयातों का हिस्सा : अधोलिखित तालिका उत्पादन के संबंध में आयातों के हिस्से को प्रदर्शित करती है। जांच की अवधि के दौरान आयातों में यह वृद्धि आधार पर और विगत वर्ष दोनों की तुलना में हुई है।

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आयात (एमटी)	4765	5516	7205	11521
कुल उत्पादन (एमटी)	37840	37816	35836	36038
आयातों का हिस्सा (%)	12.59	14.58	20.10	31.96

के संगत रूप में आयातों में वृद्धि आधार वर्ष और विगत वर्ष दोनों रूपों में हुई है।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में संगत रूप से और समग्र रूप से दोनों ही तरह से वृद्धि हुई है और यह वृद्धि अभिनव अधिक में भी हो रही है और इसलिए मेरे विचार से आयातों में यह वृद्धि पर्याप्त तीव्र और पर्याप्त अचानक हुई है जो रक्षोपाय नियमों के अंतर्गत वृद्धि की शर्त को पूरा करती है।

24. गंभीर क्षति और उसके कारण

का आशय ऐसी क्षति से जिसके कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में समग्र परिक्षयण हुआ हो।

(ii) रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.2(क) और सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) की चुनौती का निर्धारण करने के लिए कतिपय सूचीबद्ध कारकों तथा अन्य संगत कारकों का मूल्यांकन

क्या दर्शाया जाना चाहिए। ऐसा कोई भी मूल्यांकन विशिष्ट मामलों के तथ्यों और संबंधित उद्योग की स्थिति के आधार पर भिन्न-भिन्न मामलों में भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए भिन्न-भिन्न होगा। चूंकि प्रत्येक न्यायोचित ठहरा सकता है। वहीं किसी दूसरे मामले में हो सकता है कि कतिपय कारकों में गिरावट न आ कि घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन उन संगत कारकों के आलोक में किया जाए जिनका उद्योग की समग्र स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो। डब्ल्यूटीओ पैनल ने अर्जेन्टीना फुटवियर मामला निकाय रिपोर्ट (डब्ल्यूटी/डीएस/121/एबी/आर दिनांक 14.12.1999 में पैरा 139 में ऐसे ही पर्यवेक्षण किए हैं।

1997 के अनुबंध (1) में निम्नलिखित प्रावधान है :

जांच में यह निर्धारित करने के लिए कि क्या संवर्धित आयात घरेलू उद्योग को गंभीर कारित कर रहे हैं या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं महानिदेशक उन सभी संगत कारकों का उद्देश्यपरक और लाभ एवं हानि तथा रोजगार के स्तर में परिवर्तन शामिल है।

पर विचार किया गया। किसी भी एकल कारक को डिस्पोजिटिव नहीं माना गया। संगत व्यवसाय चक्र के संदर्भ के अंतर्गत पर विचार घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का निर्धारण करने के लिए किया गया है।

(क) बाजार हिस्सा : जांच की अवधि के दौरन घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। इस संबंध में आंकड़े अधोलिखित तालिका में दिए गए हैं :

वित्तीय वर्ष	कुल आयात (एमटी)	घरेलू उद्योग की बिक्री (एमटी)	ग्राही खपत (एमटी)	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री (एमटी)	ग्राही खपत सहित कुल मांग (एमटी)	बाजार हिस्से का %				
						घरेलू उद्योग	ग्राही खपत	घरेलू उद्योग + ग्राही खपत	अन्य	आयात
2010-11	4765	12138	14337	7556	38796	31.29	36.95	68.24	19.48	12.28
2011-12	5516	12846	13057	7556	38975	32.96	33.50	66.46	19.38	14.15
2012- 13	7205	17151	11212	7175	42743	40.13	26.23	66.36	16.79	16.86
2013-14	11521	15780	13591	6850	47742	33.05	28.47	61.52	14.35	24.13

यह देखा जाता है कि आवेदक का बाजार हिस्सा वर्ष 2010-11 में 31.29 प्रतिशत था जिसमें लगातार वृद्धि हुई और और वर्ष 2012-13 में यह 40.13 प्रतिशत तक पहुंच गया। परंतु वर्ष 2013-14 में आवेदक का बाजार हिस्सा कम होकर

में 12.28 प्रतिशत था बढ़कर वर्ष 2013-14 में 24.13 प्रतिशत हो गया अर्थात इसमें 11.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई और सर्वाधिक अभिनव अवधि में आयातों के बाजार हिस्से में 7.27 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। यह भी देखा गया कि घरेलू घटकर वर्ष 2013-14 में 61.25 प्रतिशत हो गई और अत्यधिक अभिनव वर्षों में इसमें 66.36 प्रतिशत से 61.52 प्रतिशत प्रतिशत की कमी आई है। अत: यह देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2013-14 में आयातों ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को अपने कब्जे में लेते हुए बाजार पर अपना एकछत्र साम्राज्य बना लिया है।

(ख) उत्पादन : अधोलिखित तालिका घरेलू उद्योग तथा समस्त भारतीय उत्पादकों के घरेलू उत्पादन से संगत संबंधित आंकड़े दर्शाती है :

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	अप्रैल-जून 2014-15 (वार्षिकीकृत)
घरेलू उद्योग का उत्पादन (एमटी)	30407	30383	28608	29129	27780
अनुक्रमित	100	100	94	96	
अखिल भारतीय उत्पादकों द्वारा संचयी उत्पादन (एमटी)	37840	37816	35836	36038	
अनुक्रमित	100	100	94	95	

घरेलू उद्योग का कुल उत्पादन वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान समान स्तर पर बना रहा। वर्ष 2012-13 में उत्पादन में कुछ गिरावट आई परंतु इसमें वर्ष 2013-14 में पुन: वृद्धि हो गई। संपूर्ण भारत में उत्पादकों द्वारा कुल उत्पादन की घरेलू उद्योग के समान प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन मिली-जुली प्रवृत्ति ऐसा देखा गया कि जांच की अवधि के दौरान समग्र उत्पादन में 4.2 प्रतिशत की कमी आई है जबकि उसकी अवधि के दौरान आयातों में 141 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केवल 4.2 प्रतिशत की कमी आना कोई बहुत अधिक कमी होना नहीं है और मेरे विचार से आयातों में 141 प्रतिशत की भारी वृद्धि होने के बावजूद घरेलू उद्योग अपना आधार बनाए रखने में सक्षम रहा और इसलिए घरेलू उद्योग के उत्पादन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा।

आवेदक ने सार्वजनिक सुनवाई पश्चात् किए गए अपने प्रस्तुतिकरण में वर्ष 2014-15 के वाग्विस्तारित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जो यह दर्शाते हैं कि वित्त वर्ष 2014-15 (वार्षिकीकृत) के लिए उत्पादन में और अधिक कमी आएगी।

विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि घरेलू उद्योग को प्रतिवर्ष पहली तिमाही में बॉयलर के पहली तिमाही में इसका उत्पादन और इसकी बिक्री न्यूनतम है। इसलिए वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही के आंकड़ों को संपूर्ण वर्ष के आंकड़ों के लिए वाग्विस्तारित आंकड़ों को प्राप्त करने हेतु वार्षिकीकृत नहीं किया जा सकता है और वर्ष 2014-15 के लिए घरेलू उद्योग के आंकड़े पूर्णतया गलत है।

दिनांक 09.10.2014 को घरेलू उद्योग को सेप्टेम्बर 2014 तक के आकड़े देने को कहा गया परंतु वो यह आकड़े देने में असमर्थ रहे।

के अनुसार मैं यह उत्पादित करता हूं कि घरेलू उद्योग का उत्पादन हर वर्ष पहली तिमाही में सदैव ही न्यूनतम रहा है (जैसाकि अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है) और इसलिए पहली तिमाही के आंकड़ों के आधार पर आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर कहने की बात भ्रामक है क्योंकि इससे यह प्रदर्शित होगा कि वर्ष 2014-15 में घरेलू उद्योग का उत्पादन कम हुआ है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

घरेलू उद्योग का तिमाहीवार घरेलू उत्पाद (एमटी)				
वर्ष	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
2010-11	6638	8153	8303	7313
2011-12	6987	8443	6192	8761
2012-13	5945	6330	7780	8553
2013-14	5903	7423	6115	9688

(ग) घरेलू बिक्री के स्तर में परिवर्तन : घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों के संबंध में संगत सांख्यिकी अधोलिखित तालिका में दी गई है :

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	अप्रैल-जून 2014-15 (वार्षिकीकृत)
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां (एमटी)	12138	12846	17151	15780	11019
अनुक्रमित	100	106	141	130	
ग्राही खपत (एमटी)	14337	13057	11212	13591	
अनुक्रमित	100	91	78	95	

आवेदक ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान वर्ष 2014-15 के आंकड़े वाग्विस्तारित रूप से यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत किए हैं कि वित्त वर्ष 2014-15 की घरेलू बिक्रियों में (वार्षिकीकृत) और अधिक गिरावट आ जाएगी।

घरेलू उद्योग की बिक्री में वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है परंतु तत्पश्चात वर्ष 2013-14 में इसमें गिरावट आ गई। अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु की तुलना यह दर्शाती है कि विचाराधीन उत्पाद की बिक्री यह भी नोटिस किया जाता है कि जांच की अवधि के पहले दो वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हुई तब घरेलू उद्योग की ग्राही खपत में कमी आई और वर्ष 2013-14 में जब घरेलू बिक्रियों में कमी आ गई तब ग्राही खपत में वृद्धि हुई। आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि वर्ष 2013-14 के दौरान घरेलू उद्योग ने अपना अधिकांश उत्पादन ग्राही खपत के मोड़ दिया और घरेलू बिक्री के लिए कम मात्रा रिलीज की।

यह भी देखा गया है कि वर्ष 2011-12 को छोड़ घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान अपने उत्पादन के 100 प्रतिशत से भी अधिक बिक्री करने में सक्षम रहा जिससे यह प्रदर्शित होता है कि उनकी मालसूची की स्थिति में भी सुधार यह भी नोटिस किया जाता है कि समग्र रूप् से जांच की अवधि के दौरान बिक्री में 30 प्रतिशत तक की भारी वृद्धि हुई जिससे यह संकेत मिलता है कि आयातों में इस वृद्धि का घरेलू उद्योग की बिक्री या कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

घरेलू उद्योग के उत्पाद शुल्क रिकार्डों का सत्यापन इस विभाग के अधिकारियों द्वारा किए जाने पर मैं यह पाता हूं कि घरेलू उद्योग की बिक्रियां प्रति वर्ष पहली तिमाही में न्यूनतम रही हैं (जैसा कि अधोलिखित तालिका से देखा जा

सकता है) और इसलिए आंकड़ों का वाग्वस्तारीकरण यह दर्शाएगा कि घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वित्त वर्ष 2014-15 में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

घरेलू उद्योग का तिमाहीवार घरेलू बिक्रियां (एमटी)				
वर्ष	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
2010-11	2702	3047	3215	3174
2011-12	2156	3127	2920	4643
2012-13	3375	3528	4799	5449
2013-14	3420	3685	3768	4907

(घ) क्षमता उद्योग : अधोलिखित तालिका घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग के संबंध में संगत सांख्यिकी प्रदान करती है:

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता (एमटी	93200	86000	86000	86000
घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग (%)	33	35	33	34

घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग 33-35 प्रतिशत के बीच बना रहा जिससे यह संकेत मिलता है कि जांच की अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में मामूली सा सुधार हुआ है। जांच की अवधि के दौरान आयातों में भारी वृद्धि प्रदर्शित हुई है परंतु आयातों में इस वृद्धि का घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब वर्ष 2010-11 में आयात 4765 एमटी के न्यूनतम स्तर पर थे घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग 33 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2013-14 में आयात बहुत अधिक बढ़कर 11521 एमटी हो गए तब भी क्षमता उपयोग में मामूली सा सुधार हुआ जिससे यह संकेत मिलता है कि जांच की अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग अपने क्षमता उपयोग में सुधार करने में सफल हुआ और इस प्रकार आयातों में वृद्धि का घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग को आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 000 एमटी की क्षमता का दावा गलत है।

घरेलू उद्योग ने अपनी प्रत्युक्ति में यह प्रस्तुत किया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सीएफओ का गलत पाठन किया है क्योंकि सीएफओ के आदेश का आशय है सोडियम डायक्रोमेट की वास्तविक ब्रिकी योग्य मात्रा है। 120 एमटीपीडी और आधारभूत क्रोम सल्फेट का उत्पादन करने के लिए ग्राही रूप में प्रयोग किए गए सोडियम डायक्रोमेट की मात्रा 180 एमटीपीडी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिनांक 23.07.2014 को स्पष्टीकरण जारी किया है कि जिसमें उल्लेख किया गया है कि घरेलू उद्योग 210 टीपीडी सोडियम डायक्रोमेट का उत्पादन करेगा जिसमें से इस उत्पाद के एक भाग की खपत 180 एमटीपी क्षमता के आधारभूत क्रोमियम सल्फेट का उत्पादन करने में की जाएगी।

हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दावे का विरोध किया है और यह प्रस्तुत किया है कि आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त दिनांक 23.07.2014 का स्पष्टीकरण घरेलू उद्योग के दावे का समर्थन नहीं करता है। इसमें केवल यह उल्लेख किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा 90 एमटी सोडियम डायक्रोमेट की खपत आधारभूत क्रोम सल्फेट का विनिर्माण करने के लिए किया जाता है और शेष 120 एमटी टीका प्रयोग सोडियम डायक्रोमेट का विनिर्माण करने के लिए किया जाता है जो बिक्री ग्राही खपत और निर्यात के लिए होता है।

घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किया गया स्पष्टीकरण निम्नलिखित है :

उद्योग ने उद्धृत तृतीय संदर्भ के तहत सोडियम डायक्रोमेट की उत्पादन क्षमता 210 टीपीडी के रूप में सम्पुष्ट करने का अनुरोध किया है। इस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया जाता है कि उद्योग ने निम्नलिखित उत्पादों का उत्पादन करने के लिए दिनांक 31.12.2013 के आदेश के तहत बोर्ड से सीएफओ और उचडब्ल्यूए प्राप्त किया है जो दिनांक31.07.2016 तक वैध है।

क्र.सं.	उत्पाद/लाइन कार्यकलाप	सम्मत मात्रा
01	सोडियम बायक्रोमेट	120 एमटीपीडी
02	बेसिक क्रोम सल्फेट	180 एमटीपीडी
03	पीला सोडियम सल्फेट (सह उत्पाद)	120 एमटीपीडी

उद्योग द्वारा सीएफई अनुप्रयोग के लिए प्रस्तुत सामग्री शेष के अनुसार यह प्रस्तुत किया जाता है कि उद्योग 210 टीपीडी सोडियम बायक्रोमेट का उत्पादन करेगा जिसमें से इस उत्पाद के कुछ भाग का प्रयोग 180 टीपीडी क्षमता के का उत्पादन करने के लिए किया जाएगा। वास्तव में बिक्री योग्य सोडियम बायक्रोमेट उत्पाद 120 टीपीडी है जो उत्पाद शुल्क विवरणियों में अभिव्यक्त होगा। यही उद्योग को संप्रेषित किया जा सकता है।

इस मुद्दे की विस्तार से जांच की गई। उपर्युक्त स्पष्टीकरण की जांच करने से यह व्यक्त हुआ कि स्पष्टीकरण में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीवी) ने कहीं भी यह संपुष्टि नहीं की है कि मैसर्स विष्णु 210 एमटीपीडी विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन कर सकता है। पीसीबी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के तीन भाग हैं। स्पष्टीकरण के पहले भाग में पीसीबी ने यह संपुष्टि की है कि उद्योग ने 120 एमटीपीडी सोडियम डायक्रोमेट का उत्पादन करने के लिए बोर्ड से दिनांक 31.12.2013 के आदेश के तहत सीएफओ और एचडब्ल्यूए प्राप्त किया है और यह अनुमति 31.07.2016 तक वैध है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने केवल यह उल्लेख किया है कि मैसर्स विष्णु कैमिकल्स द्वारा पीसीबी को प्रस्तुत किए गए सीएफई (स्थपना के लिए सम्मति) के लिए उद्योग द्वारा प्रस्तुत मटीरियल बैलेंस के अनुसार यह प्रस्तुत किया जाता है कि सह उत्पाद का उत्पादन करने के लिए पुन: प्रयोग किया जाएगा।

स्पष्टीकरण के तृतीय भाग में उन्होंने केवल यह संपुष्टि की है कि वह 120 एमटीपीडी से अधिक बिक्री नहीं कर सकेंगे।

संपूर्ण स्पष्टीकरण जब उसे पूर्णता के साथ पढ़ा जाए तो उसका यह आशय निकलता है कि मैसर्स विष्णु कैमिकल्स ने एपीपीसीबी के समक्ष दायर अपने सीएफई (स्थापना के लिए अनुरोध) आवेदन में 210 एमटीपीडी सोडियम डायक्रोमेट का उत्पादन करने की और उसमें से कुछ भाग को प्रयोग बेसिक क्रोम सल्फेट का उत्पादन करने के लिए अनुमति मांगी थी केवल 120 एमटीपीडी सोडियम डायक्रोमेट का उत्पादन करने की अनुमति दी थी और यह अनुमति 31.07.2016 तक वैध पीसीबी ने यह संपुष्टि भी की है कि घरेलू उद्योग सोडियम डायक्रोमेट के केवल 120 एमटीपीडी की बिक्री ही कर सकता है और इसके उत्पाद शुल्क रिकार्डों में भी अभिव्यक्त होगा। इससे यह संपुष्टि भी होती है कि मैसर्स विष्णु कैमिकल्स 120 मेरे विचार से उससे यह संपुष्टि होती है कि मैसर्स विष्णु 120 एमटीपीडी से अधिक का उत्पादन नहीं कर सकता है और 120 एमटीपीडी तक की बिक्री कर सकता है।

यह इंगित किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग का भिलाई में एक अन्य संयंत्र भी है जहां इस समय बाजार न होने के परंतु भिलाई संयंत्र में उत्पादन न होने का आशय यह नहीं है कि यह क्षमता अब उपलब्ध ही नहीं है।

000 एमटी है जिसमें विशाखापत्तनम संयंत्र की प्रतिबंधिता क्षमता 36900 एमटी (330 दिनों को कार्य दिवस के रूप में जैसा कि घरेलू उद्योग ने दावा किया है।

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
घरेलू उद्योग की प्रभावी क्षमता (एमटी)	55600	55600	55600	55600
घरेलू उद्योग का प्रभावी क्षमता उपयोग (%)	55	55	51	52

उपर्युक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की प्रभावी क्षमता आधार वर्ष की तुलना में कम हुई तब उसकी प्रभावी क्षमता में वृद्धि हुई है।

मैसर्स विष्णु कैमिकल्स द्वारा अपनी याचिका में रिपोर्ट किए गए के अनुरूप सोडियम डायक्रोमेट के व्यवसाय से संबंधित लाभ एवं हानि की संगत सांख्यिकी दी गई है।

	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
बिक्री लागत	रुपए/किग्रा (अनुक्रमित)	100	122	119	126
बिक्री कीमत	रुपए/किग्रा (अनुक्रमित)	100	124	117	117
उतराई कीमत	रुपए/किग्रा (अनुक्रमित)	100	122	120	122
लाभ (रुपए/किग्रा)	रुपए/किग्रा (अनुक्रमित)	-100	-82	-162	-304

विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि घरेलू उद्योग का चौथी तिमाही के लिए लाभ/हानि विवरण और पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट दर्शाती है कि घरेलू उद्योग की इस विचाराधीन उत्पाद की बिक्री उसकी कुल बिक्री की 40 प्रतिशत से अधिक है। यह कंपनी समग्र रूप से लगभग 44 करोड़ रुपए का पीबीआईटी अर्जित करती है और वर्ष 2013-14 में तो इसने 50 करोड़ रुपए का अर्जन किया जो प्रतिशत के रूप में प्रचालनों से निवल बिक्री का लगभग 14 प्रतिशत है। समग्र पीबीआईटी और प्रतिशत पीबीआईटी दोनों रूप में इसकी लाभप्रदता में वृद्धि हुई है।

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट से यह सुझाव मिलता है कि उच्च ब्याज लागत परिक्षयण एवं ब्याज उच्च होते हुए भी लाभप्रदता बहुत अधिक रही है। घरेलू उद्योग ने राजस्व में 4 गुना वृद्धि और 2014 की समाप्ति पर इसमें 18 प्रतिशत का सुधार हुआ। कर पूर्व लाभ में 6 प्रतिशत का सुधार हुआ।

घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि आयात कीमत घरेलू उद्योग की विनिर्माण लागत के स्तर से कम घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें बिक्री लागत से कम करनी पड़ी जिसके कारण उसे वित्तीय घाटा हुआ।

बिक्री कीमत और उतराई कीमत से संबंधित आंकड़ों की जांच की गई। यह पाया गया कि इस उत्पाद की उतराई कीमत वर्ष 2012-13 तक बिक्री लागत के लगभग समान ही थी और केवल वर्ष 2013-14 में इन दोनों के बीच अंतर बढ़ गया घरेलू उद्योग के लिए यह कहने का कोई औचित्य नहीं है कि उसे अपनी कीमतें बिक्री लागत से कम रखनी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप इस पीयूसी में उसे घाटा हुआ। रिपोर्ट किया गया प्रति किलोग्राम घाटा इस तथ्य के कारण हुआ है कि घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की बिक्री विचाराधीन उत्पाद की उतराई कीमत से काफी कम कीमतों पर कर रहा है। घाटे को कम घरेलू उद्योग अपने सामान की बिक्री कम से कम उतराई कीमत के स्तर तक तो कर ही सकता है।

यह नोट किया जा सकता है कि इस विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग को घाटा वित्त वर्ष 2011-12 की तुलना में बढ़कर 98 प्रतिशत इस तथ्य के बावजूद हो गया था कि घरेलू बिक्रियों में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यह अवधि वह अवधि ही है जब निर्यातों में 87 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

वर्ष 2013-14 में इस विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग को रिपोर्ट किया गया घाटा वित्त वर्ष 2012-13 की तुलना में बढ़कर 88 प्रतिशत हो गया। उसी अवधि के दौरान घरेलू बिक्रियों में लगभग 8 प्रतिशत की गिरावट आई थी और निर्यात में 77 प्रतिशत की कमी आई थी।

मेरे विचार से यह तथ्य कि घरेलू उद्योग अपने माल की बिक्री उतराई कीमत/ बिक्री लागत की तुलना में काफी कम कीमतों पर कर रहा है और साथ में निर्यात बाजार में घाटे के परिणामस्वरूप उसे दावाकृत नुकसान हुआ।

(च) रोजगार

कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराए गए रोजगार के आंकड़ों तथा उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों में भी विसंगतियां हैं। घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि उसकी वेबसाइट उन सभी कर्मचारियों को दर्शाया गया है जिनकी कंपनी द्वारा सभी सेगमेंटों (स्थायी और संविदा पर) के लिए नियुक्ति की गई थी और प्रदान कराए गए रोजगार के आंकड़े उनके द्वारा अनुरक्षित हाजिरी रिकार्ड के अनुरूप हैं।

घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से यह पाया गया कि जांच की अवधि के दौरान रोजगार के स्तर में कोई भारी अंतर तब घरेलू उद्योग का रोजगार स्थिर बना रहा जैसाकि अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है :

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
घरेलू उद्योग में कर्मचारियों की औसत (संख्या)	537	509	491	490
अनुक्रमित	100	95	91	91

(छ) उत्पादकता

घरेलू उद्योग की उत्पादकता ने मिली-जुली प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। यह वर्ष 2010-11 और 2011-12 में 86 स्थिर बनी रही परंतु वर्ष 2012-13 में इसमें गिरावट आ गई। वर्ष 2013-14 की अत्यधिक अभिनव अवधि में यह एक बार बार फिर (वर्ष 2012-13 में) 81.74 प्रतिशत से बढ़ (वर्ष 2013-14 में) 83.23 प्रतिशत हो गई। जांच की अवधि के दौरान प्रेक्षण किया गया कि आयातों में जब वर्ष 2012-13 से 2013-14 के दौरान भारी वृद्धि हुई थी तब उत्पादकता भी 81.74

प्रतिशत से बढ़कर 83.23 प्रतिशत हो गई थी। अत: आयातों में वृद्धि ने घरेलू उद्योग की उत्पादकता पर अभिनव वर्ष में (2013-14 में) कोई प्रभाव नहीं डाला था।

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
घरेलू उद्योग की उत्पादकता/प्रतिदिन	86.88	86.81	81.74	83.23

(ज) मालसूची

मालसूची बढ़कर 155 प्रतिशत हो गई परन्तु इसके उत्तरवर्ती दो वर्षों में इसमें कमी आना प्रारंभ हो गई। यह नोट किया जा सकता है कि वर्ष 2012-13 और 2013-14 में जब विचाराधीन उत्पाद के आयात वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बढ़कर 30.62 तब उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में गिरावट की प्रवृत्ति हुई और यह घटकर क्रमश: 22.21 प्रतिशत तथा 39.71 प्रतिशत रह गई।

अपने उत्पाद के 100 प्रतिशत की बिक्री (घरेलू + ग्राही खपत निर्यात) की और इसलिए कोई भी मालसूची विगत वर्ष की आगे लाई गई मालसूची थी। अत: मैं यह उपपादित करता हूं कि आयातों में वृद्धि का विचाराधीन उत्पाद की मालसूची से मालसूची की घटने की प्रवृत्ति से यह सुझाव मिलता है कि रोल-ओवर मालसूची भी कम होना शुरू हो गया था और यह मालसूची का इतना अधिक न्यून स्तर यह संकेत देता है कि वह आयातों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था।

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
मालसूची (एमटी)	429	1094	851	513

26. अन्य कारक :

(क) मांग के संबंध में आयात

वित्तीय वर्ष	कुल आयात (एमटी)	कुल मांग (एमटी)	मांग की तुलना में आयातों का %
2010-11	4765	38796	12.28
2011-12	5516	38975	14.15
2012-13	7205	42743	16.86
2013-14	11521	47742	24.13

वर्तमन जांच के प्रयोजनार्थ इस विचाराधीन उत्पाद की खपत अथवा मांग का निर्धारण विभिन्न देशों से भारत में परिवर्तनों की तुलना विभिन्न स्रोतों से हुए आयातों से यह निर्धारित करने के लिए की गई कि क्या भारत में इस विचाराधीन विचाराधीन उत्पाद के आयातों में देश में इस उत्पाद की मांग या खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। उपर्युक्त 2013-14 में 24.13 प्रतिशत हो गए अर्थात पिछले चार वर्षों के दौरान आयातों में 11.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहां यह

भी नोट किया जा सकता है कि पिछले चार वर्षों में मांग में आयातों के हिस्से में 11.85 प्रतिशत की यह वृद्धि बहुत अधिक अधिक है परंतु पिछले चार वर्षों में आयातों के हिस्से में यह क्रमिक वृद्धि हुई है।

(ख) निर्यात : अधोलिखित तालिका घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यातों को दर्शाती है :

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यात (एमटी)	3952	3857	492	115
अनुक्रमित	100	98	12	3

घरेलू उद्योग के निर्यात जो वर्ष 2010-11 में 3952 एमटी थे मामूली से घटकर वर्ष 2011-12 में 95 एमटी रह यह वर्ष 2011-12 में 3857 एमटी से घटकर 492 एमटी रह गए और वर्ष 2013-14 में इनमें और अधिक गिरावट आई तथा यह कम हो मात्र 115 एमटी रह गए।

यहां यह देखा जा सकता है कि प्रतिशत के रूप में निर्यात वर्ष 2010-11 में कुल उत्पादन का 13 प्रतिशत थे। इनमें (वर्ष 2011-12) 13 प्रतिशत से तेजी से कमी हुई और वर्ष 2012-13 में यह घटकर मात्र 1.71 प्रतिशत तथा वर्ष वर्ष 2010-11 में 40 प्रतिशत थी और वर्ष 2012-13 में यह बढ़कर 60 प्रतिशत तथा वर्ष 2013-14 में 54 प्रतिशत रह उत्पादन की तुलना में बढ़कर 87 प्रतिशत (2010-11) और वर्ष 2013-14 में 100 प्रतिशत हो गई।

उपर्युक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि वर्ष 2010-11 और 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 और 2013-14 में परंतु यह घरेलू बिक्रियों में गिरावट के कारण या कम ग्राही खपत के कारण न होकर अधिकांशत: निर्यात बाजार में घाटे के कारण हुआ है। यदि निर्यात अगले दो वर्षों में वर्ष 2011-12 के स्तर पर ही बने रहते तो कुल उत्पादन जो वर्ष 2010- से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 31973 एमटी और वर्ष 2013-14 में 32871 एमटी हो गया होता। अत: मेरे विचार से निर्यातों में कमी होने का प्रभाव इस विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बाजार में बिक्री की तुलना में उत्पादन पर अधिक पड़ा।

(ग) कीमत अधोविक्रयण/अधोरदन

	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
बिक्री लागत	रुपए/किग्रा	**	**	**	**
अनुक्रमित		100	122	119	126
बिक्री कीमत	रुपए/किग्रा	**	**	**	**
अनुक्रमित		100	124	117	117
उतराई कीमत	रुपए/किग्रा	**	**	**	**
अनुक्रमित		100	122	120	122
अधोरदन		-3	-3	-6	-7

कम से कम कीमत अधोविक्रयण : प्रति किलोग्राम बिक्री लागत जांच की अवधि के दौरान बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। यह नोट किया जा सकता है कि वर्ष 2010 और 2013 के दौरान इस उत्पाद की बिक्री लागत उतराई

कीमत की तुलना में मामूली सी अधिक बनी रही और वर्ष 2013-14 में ही बिक्री लागत उतराई कीमत की तुलना में बहुत

कोई कीमत अधोरदन नहीं : संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान इस उत्पाद की बिक्री कीमत इस उत्पाद की उतराई कोई कीमत अधोरदन नहीं हुआ।

(घ) ग्राही अंतरण का उच्च प्रतिशत : इस उत्पाद का ग्राही अंतरण पिछले चार वर्षों के दौरान अपने उत्पादन का 39 प्रतिशत से 47 प्रतिशत तक बना रहा। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि इस विचाराधीन उत्पाद के ्रवाही उत्पादों की बिक्री द्वारा सृजित मार्जिन इस विचाराधीन उत्पाद की बिक्री द्वारा प्राप्त मार्जिन की तुलना में अधिक अत: घरेलू उद्योग इस विचाराधीन उत्पाद का अपने प्रचालनों में अधिकतम प्रयोग करने और इस पीयूसी की घरेलू बाजार में बिक्री मात्रा घटाने का प्रयास कर रहा है।

घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि इस उद्योग के पास सोडियम डायक्रोमेट का उत्पादन करने और उसकी बिक्री करने की पर्याप्त क्षमता है। भिलाई संयंत्र ने बाजार के अभाव में अपना उत्पादन बंद कर दिया था और आयात अभी भी आवश्यक नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग तथा अन्य उत्पादक भारत में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

ग्राही अंतरण के उच्च प्रतिशत के मुद्दे की जांच की गई और यह उपपादित किया गया कि घरेलू उद्योग के पास इस विचाराधीन उत्पाद की मांग की तुलना में अतिशय संस्थापित क्षमता 38,000 से 47,000 एमटी की है। परंतु एक तथ्य यह भी है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाए गए प्रतिबद्ध के मद्देनजर घरेलू उद्योग की प्रभावी प्रचालन क्षमता 55,600 एमटी (39600 एमटी विजाग 16000 एमटी भिलाई) है। चूंकि घरेलू उद्योग अनुप्रवाही उत्पादों का उत्पादन भी कर रहा है इसलिए यह इस विचाराधीन उत्पाद के 39 से 47 प्रतिशत तक की खपत भी कर रहा है। उसके परिणमस्वरूप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जहां घरेलू उद्योग को एक ऐसी मात्रा के साथ छोड़ दिया गया जो इस विचाराधीन उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह भी पाया गया कि वर्ष 2010-11 में जब इस विचाराधीन उत्पाद के आयात 4765 एमटी थे और घरेलू उद्योग को आयातों से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो रही थी तब भी घरेलू उद्योग ने इस विचाराधीन उत्पाद की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इस विचाराधीन उत्पाद की पर्याप्त मात्रा रिलीज नहीं की थी जिससे यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग की प्राथिमकता यह नहीं है कि पहले इस उत्पाद की खपत ग्राही रूप से अनुप्रवाही उत्पाद का उत्पादन करने के लिए की जाए और फिर इसे घरेलू बिक्री के लिए रिलीज किया जाए। इस तथ्य की संपुष्टि एक हितबद्ध पक्षकार अर्थात कलर क्रोम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण से भी होती है जिसने यह उल्लेख किया है कि उनके द्वारा आर्डर दिए जाने के बावजूद घरेलू उद्योग अपेक्षित मात्रा में आपूर्ति करने में समक्ष नहीं था।

यह मना नहीं किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास इस विचाराधीन उत्पाद की ग्राही खपत के बाद भी बिक्री करने की क्षमता है परंतु आंकड़ों से यह सुझाव भी मिलता है कि घरेलू उद्योग इस विचाराधीन उत्पाद की मांग होने के बावजूद भी घरेलू बिक्रियों के लिए इस विचाराधीन उत्पाद की निरंतर बिक्री नहीं कर रहा है और वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में आयात न्यूनतम थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस उत्पाद की घरेलू मांग होते हुए भी वे इस सोडियम डायक्रोमेट की इसका परिणाम यह हुआ कि इससे आयातों में वृद्धि हुई क्योंकि अनुप्रवाही उद्योग के पास इस विचाराधीन उत्पाद का आयात करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं रह गया था।

27. कारणात्मक संबंध

1997 में यह उल्लेख है कि सर्वधित आयातों तथा अभिकथित क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध होना अपेक्षित है।

उन सभी संगत कारकों का मूल्यांकन किया गया जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर उद्देश्यपरक एवं परिमाणत्मक प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है।

रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.2(ख) गंभीर क्षति तथा संवर्धित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित किए जाने का प्रावधान है और उसको उद्देश्यपरक साक्ष्यों द्वारा सिद्ध करना होता है।

कारणात्मक का आकलन करना एक द्विकदमीय प्रक्रिया है क्योंकि अनुच्छेद 4.2(ख) में रक्षोपाय शुल्क का आयातों के अलावा अन्य कारकों से कारित की जा रही क्षति को संवर्धित आयातों पर उपरोपित नहीं किया जाना चाहिए।

यह दर्शाना आवश्यक नहीं है कि केवल संवर्धित आयात ही अपनी निजी क्षमता से – गंभीर क्षति कारित करने में सक्षम हों।

पैरा 179) ने अनुच्छेद 4.2 का संक्षेप में निम्नलिखित निर्वचन किया है।

".....एक ऐसी स्थिति में जहां कई कारक एक ही समय" गंभीर क्षति कारित कर रहे हों, वहां संवर्धित आयातों द्वारा कारित क्षतिकारी प्रभावों के संबंध में अंतिम निर्णय केवल तभी किया जा सकता है यदि अन्य विभिन्न प्रासंगिक कारकों द्वारा कारित क्षतिकारी प्रभाव में प्रभेद और उसका पृथक्करण कर लिया जाता है। अन्यथा, कारणात्मक कारकों में से केवल एक कारक संवर्धित आयातों" का ही आकलन करने से एक अनिश्चित निर्णय प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें यह मान लिया जाता है कि अन्य कारणात्मक कारक वह क्षति कारित नहीं कर रहे हैं जिसे संवर्धित आयातों पर आरोपित किया जाता है। अनुच्छेद 4.2(ख) में गैर-उपरोपण भाषा इस तरह के अभिग्रहण प्रतिषिद्ध करती है और इसके बजाय, यह अपेक्षा करती है कि सक्षम प्राधिकारी को अन्य कारकों के क्षतिकारी प्रभाव का आकलन समुचित रूप से करना चाहिए ताकि उन कारकों को संवर्धित आयातों के क्षतिकारी प्रभावों के साथ न जोड़ा जाए। इस तरह अंतिम निर्धारण, संवर्धित आयातों और गंभीर क्षति के बीच कारण और प्रभाव के बीच वास्तविक एवं पर्याप्त संबंध समुचित रूप से निर्धारित किए जाने पर निर्भर करता है।"

कि सक्षम प्राधिकारी को तर्कसंगत एवं समुचित स्पष्टीकरण द्वारा सुव्यक्त रूप से यह सिद्ध करना चाहिए कि संवर्धित आयातों के अलावा अन्य कारकों द्वारा कारित क्षति को संवर्धित आयातों पर उपरोपित नहीं किया जाना चाहिए। यह स्पष्टीकरण स्पष्ट एवं असंदिग्ध होना चाहिए। इसमें केवल एक स्पष्टीकरण का आशय या सुझाव नहीं होना चाहिए। यह कारणात्मक संबंधों के मुद्दे की जांच कोरिया-डेयरी/डब्ल्यूटी/डीएस 98/आर दिनांक 21.02.1999) संबंधी डब्ल्यूटीओ का निर्धारण करने के लिए आधारभूत अधिगम निर्धारित किया है।

जाना चाहिए। कारणात्मक आकलन में राष्ट्रीय प्राधिकारी का यह नैतिक दायित्व है कि वह उन सभी संगत कारकों का मूल्यांकन उद्देश्यपरक एवं परिणामस्वरूप प्रकृति में करे जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इन कारकों द्वारा कारित की गई किसी भी क्षति के

7.90 कारणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए कोरिया को यह निदर्शित करना है कि घरेलू उद्योग को क्षति संवर्धित आयातों के परिणामस्वरूप हुई है। दूसरे शब्दों में कोरिया को यह निदर्शित करना है कि एसएमपीपी के आयातों ने घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण करने के पश्चात् कोरियाई प्राधिकारी का यह नैतिक दायित्व है कि वह अन्य

हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि संवर्धित आयातों तथा क्षति एवं क्षति की गंभीर चुनौती के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

जो वित्त वर्ष 2012-13 में 40.13 प्रतिशत था । घटकर वित्त वर्ष 2013-14 में 33.05 प्रतिशत रह गया अर्थात् इसमें 7.8 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि आयातों का बाजार हिस्सा जो वित्त वर्ष 2012-13 में 16.86 प्रतिशत था। बढ़कर वर्ष इससे बाजार हिस्से के संबंध में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष से तुलना करने पर वित्त वर्ष 2013-14 में कारणात्मक संबंध प्रतीत होता है परंतु यह भी देखा गया कि जांच की अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी जो वर्ष बढ़कर वर्ष 2013-14 में 16.86 प्रतिशत हो गया जिससे यह संकेत मिलता है कि आयातों के बाजार हिस्से की तुलना में यद्यपि आयातों में जांच की संपूर्ण अवधि के दौरान वृद्धि हुई है परंतु इससे पहले तीन वर्षों में घरेलू उद्योग के हिस्से पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और केवल वित्त वर्ष 2013-14 में ही ऐसा हुआ कि आयातों ने घरेलू उद्योग के हिस्से पर कब्जा कर लिया।

घरेलू उद्योग का उत्पादन पहले दो वर्षों के दौरान समान स्तर पर बना रहा, फिर वर्ष 2012-13 में इसमें गिरावट जो निर्यात बाजार की क्षति होने के कारण अधिक है। यदि आयात वर्ष 2011-12 के स्तर पर ही बने रहते तो घरेलू से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 31973 एमटी और वर्ष 2013-14 में 32871 एमटी हो गया होता। इस प्रकार संवर्धित आयातों की तुलना में निर्यात बाजार खोने के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन पर अधिक प्रभाव पड़ा है।

जांच की अवधि के पहले दो वर्षों में घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है और उसी अवधि के दौरान ग्राही खपत में कमी आई है। वर्ष 2013-14 में घरेलू उद्योग की बिक्री में तत्काल विगत वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत की कमी आई जबकि ग्राही खपत में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जांच की अवधि के दौरान ग्राही खपत तथा घरेलू बिक्री की कुल मात्रा में वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 में घरेलू बिक्री में कमी द्वारा लिए गए व्यवसाय निर्णयों के कारण हुई जिनमें घरेलू उद्योग ने इस विचाराधीन उत्पाद की अधिकतर मात्रा को ग्राही खपत के लिए अंतरित कर दिया और घरेलू बिक्री के लिए कम मात्रा यह भी प्रेक्षण किया गया कि जांच की अवधि के दौरान समग्र बिक्री में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

घरेलू उद्योग का प्रभावी क्षमता उपयोग वर्ष 2010-11 और 2011-12 में समान स्तर पर ही बना रहा परंतु इसमें वर्ष 2012-13 में 4 प्रतिशत की गिरावट आई तथा वर्ष 2013-14 में इसमें फिर 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2012-13 और 2013-14 में उत्पादन में गिरावट इस तथ्य के कारण आई है कि घरेलू उद्योग ने निर्यात बाजार खो जाने के कारण अपना उत्पादन नियंत्रित कर दिया। यदि निर्यात वर्ष 2011-12 के स्तर पर ही बना रहता तो क्षमता उपयोग जो वर्ष 2010-11 में बढ़कर वर्ष 2012-13 में 58 प्रतिशत और वर्ष 2013-14 में 59 प्रतिशत हो गया होता।

रोजगार समान स्तर पर बना रहा।

पुन: वृद्धि हुई।

घरेलू उद्योग की मालसूची में वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में वृद्धि हुई परंतु इसके उत्तरवर्ती दो इसमें गिरावट आना शुरू हो गई।

घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरन इस विचाराधीन उत्पाद में क्षति की रिपोर्ट की है परंतु यह भी पाया गया कि घरेलू उद्योग को यह घाटा इस तथ्य के कारण हुआ कि घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की बिक्री ऐसी कीमतों पर कर रही थी, जो इस उत्पाद की उतराई कीमत/ बिक्री लागत से कम है और इसके अलावा निर्यातों में भारी कमी आई।

उपर्युक्त तथ्यों से यह देखा जा सकता है कि आयातों में जांच की संपूर्ण अवधि के दौरान वृद्धि होती रही परंतु क्षमता उपयोग तथा मालसूची पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा जिससे वह घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित कर सके। उत्पादकता और मालसूची वर्ष 2013-14 में सुधार के चिन्ह प्रदर्शित कर रहे थे, जबकि बिक्री में गिरावट का कारण यह है संवर्धित आयातों ने घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं की है और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सुझाव मिलता हो कि घरेलू उद्योग का समग्र परिक्षयण हुआ है क्योंकि घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान समग्र फायदे में रहा है। उच्च ग्राही उपयोग और विचाराधीन उत्पाद की बिक्री उतराई कीमत/ बिक्री लागत से कम कीमत पर करना आदि कुछ संवर्धित आयातों तथा घरेलू उद्योग के क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं होता है।

28. गंभीर क्षति की चुनौती

घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में यह उल्लेख किया है कि गंभीर क्षति की चुनौती निम्नलिखित कारकों से सिद्ध होते हैं :

(क) घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच कीमत अंतर बहुत अधिक है।

(ख) विदेशी उत्पादकों के पास भारी मात्रा में अनप्रयुक्त क्षमता है।

(ग) आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है।

(घ) घरेलू बाजार में आयातों का हिस्सा पहले ही बहुत अधिक है और यह हिस्सा बढ़ रहा है।

यह उत्पादन की उतराई कीमत वर्ष 2012-13 तक की बिक्री लागत के लगभग समरूप बनी रही। वर्ष 2013-14 में ही विचाराधीन उत्पाद की बिक्री लागत में उतराई कीमत की तुलना में भारी वृद्धि हुई। यह नोट किया जाता है कि उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की बिक्री एक ऐसी कीमत पर कर रहा है जो इस उत्पाद की उतराई कीमत से भी कम है। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग को तब भी घाटा हुआ जब वह अपने उत्पाद की बिक्री उतराई कीमत से कम कीमत पर कर रहा था जिससे यह संकेत मिलता है कि यह समस्या आयातों में वृद्धि के बजाय कुछ अन्य कारकों से है।

भारत को सोडियम डायक्रोमेट के प्रमुख निर्यातक। घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि न कि अन्य देशों के लिए। यहां यह भी देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रतिबंध अधिरोपित किए जाने के पश्चात् भी उसकी भारी अनप्रयुक्त क्षमता है परंतु इसका आशय यह नहीं है कि घरेलू उद्योग की किसी साक्ष्य के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि विदेशी उत्पादकों की अनप्रयुक्त क्षमता घरेलू उद्योग के लिए गंभीर क्षति की चुनौती है।

आंकड़ों को विश्लेषण यह सुझाव नहीं देता है कि संवर्धित आयातों के घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है।

मांग में आयातों की हिस्सेदारी बढ़ रही है परंतु धीरे-धीरे और यह अभी भी मांग का 24.13 प्रतिशत ही है और 61.52 प्रतिशत मांग आदि मैसर्स विष्णु कैमिकल्स द्वारा पूरी की जाती है।

उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग यह सिद्ध करने में कोई भी साक्ष्य देने में असफल रहा है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई है।

29. समायोजन योजना

आयात प्रतिस्पर्धा से सकारात्मक समायोजन करने के लिए किए जा रहे प्रयासों या किए जाने के लिए योजना बनाए गए के संबंध में कोई प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार में यह प्रावधान है कि कोई सदस्य रक्षोपाय शुल्क का प्रयोग केवल उसी सीमा तक कर सकता है जिस सीमा तक गंभीर क्षति का समाधान या उससे बचने के लिए और समायोजन सुलभ करने के लिए आवश्यक हो।

निर्णायक रक्षोपाय साधन के उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को एक सीमित अवधि प्रदान करता है जिसमें वह अपना 1997 के नियम 16(2) में यह प्रावधान है कि यदि इस बात के कोई साक्ष्य न हो कि घरेलू उद्योग समाधान कर रहा है तो इस साधन में कोई अन्य विस्तार करना निषेध है।

इस मामले में घरेलू उत्पादकों ने एक समायोजन योजना प्रस्तुत की है जिसमें मुख्यत: वैकल्पिक सीओ2 अम्लीकरण प्रक्रिया की शुरूआत करके लागत में कमी करने पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रक्रिया में उत्पादित सह उत्पाद उत्पाद सोडियम वाइकार्बोनेट है जो फिल्म प्रचालन प्रक्रिया के लिए कच्चा माल है। ऐसी उम्मीद है कि इससे सल्फयूरिक

घरेलू उद्योग ने यह भी प्रस्तुत किया है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से याचिकाकर्ता को उसका उत्पादन जिसके परिणामस्वरूप उत्तरवर्ती रूप से कच्चे माल की जरूरत/सोर्सिंग बढ़ जाएगी। उच्चतर मात्रा की इनुपट की सोर्सिंग करने से कंपनी को सौदाकारी करने की शक्ति प्राप्त होगी और इसके परिणामस्वरूप पाटन लागत में धीरे-धीरे कमी होगी।

घरेलू उद्योग ने पुन: यह प्रस्तुत किया है कि रक्षोपाय शुल्क की अधिरोपण करने से ऐसी उम्मीद है कि उनका उत्पादन और क्षमता उपयोग बढ़ जाएगा और इससे उपरिशीर्ष लागत में कमी आएगी और इससे लागत और कम हो जाएगी।

हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा अपनी मौजूदा विनिर्माण प्रक्रिया को सीओ2 आधारित प्रक्रिया में परिवर्तित करने का प्रस्ताव के लिए कम से कम 320 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश चाहिए। चूंकि रेटिंग अभिकरण जैसे सीआरआईएसआईएल द्वारा क्रेडिट रेटिंग को पहले से ही मुलतबी कर दिया गया है और इसलिए व्यावहारिक रूप से घरेलू उद्योग के लिए इतने बड़े भारी पूंजी व्यय हेतु दीर्घावधिक ऋण प्राप्त कर पाना मुश्किल है और घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में की गई समायोजन योजना वास्तविकता से कोसों दूर है और उसे व्यावहारिक प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

घरेलू उद्योग के प्रस्तुतिकरण के प्रत्युत्तर में यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक स्थान पर हितबद्ध पक्षकार उच्च तर्क कर रहे हैं और लाभप्रदता में सुधार कर रहे हैं और फिर वे ऋणात्मक एवं अल्परेटिंग का तर्क भी कर रहे हैं। इस यदि क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रड कर दिया गया है तो भी इससे यह प्रदर्शित होता है कि विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण और उसकी बिक्री में सहन की गई गंभीर क्षति के कारण घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन में गिरावट आई है ओर इससे यह प्रदर्शित नहीं होता है कि याचिकाकर्ता अपेक्षित निधि की उगाही नहीं कर सकता है। केअर जिसने कंपनी को डबल बी कम रेटिंग के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को नकारती है। इस रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से क्रेडिटरेटिंग अपग्रेड की जा सकती है। हितबद्ध पक्षकारों ने स्वयं यह तर्क दिया है कि निधि की उगाही करना घरेलू उद्योग के लिए मुश्किल है। वे यह तर्क नहीं दे रहे हैं कि ऐसा करना असंभव होगा।

घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण भी किया है कि उन्होंने सीओ2 अम्लीकरण प्रक्रिया की स्थापना लागत का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन किया है और ऐसा देखा गया है कि इस पर लगभग 15 करोड़ रुपए की कुल लागत आएगी। अत: मैसर्स लैनक्सेस ने लागत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है।

मैसर्स लैनक्सेस ने यह तर्क दिया है कि निवेश लागत जिसका घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है पूर्णतया गलत और भ्रामक है। कार्बन डाइआक्साइड का प्रयोग करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन लाने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रावधारित निवेश बहुत कम है क्योंकि इसमें कार्बन डाइआक्साइड का उत्पादन करने के लिए संयंत्र पर होने वाले विचाराधीन उत्पाद की मौजूदा उत्पादन प्रक्रिया का समायोजन करने के लिए भारी निवेश की जरूरत होगी। इन संशोधनों और अतिरिक्त निवेश के बिना घरेलू उद्योग के मौजूदा तकनीकी सेट-अप में कार्बन डाइआक्साइड का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई समायोजन योजना से ऐसा प्रतीत होता है कि तकनीकी सुधार के रूप में उद्योग ने मूलत: लागत में कमी करने के लिए एक वैकल्पिक सीओ2 अम्लीकरण प्रक्रिया शुरू करने पर भरोसा किया है।

है। घरेलू उद्योग की पिछले चार वर्षों के लिए वार्षिक रिपोर्टें अपने प्रस्तावित समायोजन योजना में निवेश या रिपोर्ट के भावी योजनाओं संबंधी पैराओं में इसका कोई उल्लेख नहीं करती हैं। यह तथ्य कि वैकल्पिक सीओ2 अम्लीकरण प्रक्रिया की योजनाओं में आदर्श तौर पर परावर्तित होना चाहिए। घरेलू उद्योग द्वारा दी गई समायोजन योजना में ऐसी कोई समयसीमा नहीं है जिसके अंतर्गत यह परिवर्तन लाने की योजना निर्धारित की गई हो।

जहां तक घरेलू उद्योग के इस प्रस्तुतिकरण का संबंध है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से घरेलू उद्योग को अपने उत्पादन और क्षमता उपयोग में सुधार होने की उम्मीद है और उससे उन्हें अपना कच्चा माल खरीदने के लिए बेहतर सौदाकारी शक्ति प्राप्त होगी और उपरिशीर्ष लागत में कमी आएगी और उसके परिणामस्वरूप लागत में गिरावट मैं यह उपपादित करता हूं कि मौजूदा व्यवसाय माहौल में भी घरेलू उद्योग अपने उत्पाद में भी लगभग 9000 एमटी की वृद्धि कर सकता है और प्रदूषण नियंत्रण प्रतिबंध हट जाने से वे अपने उत्पादन में और अधिक वृद्धि कर सकते हैं। घरेलू बिक्रियों के लिए सोडियम डायक्रोमेट की प्रतिबंधित/विनियमित रिलीज ही एक कारण है जो इस उत्पाद के आयातों को प्रभावित करता है।

उपर्युक्त पर्यवेक्षणों के आलोक में मैं यह उपपादित करता हूं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई समायोजन योजना इसकी सीओ2 अम्लीकरण प्रक्रिया का क्रियान्वयन करने के लिए बिना किसी समयसीमा के है जिससे यह प्रदर्शित नहीं हो रहा है कि घरेलू उद्योग विदेशी संभरकों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अपने को कैसे समायोजित करेंगे।

30. अनपेक्षित विकास

यह नोट किया जाता है कि महानिदेशक रक्षोपाय पर ऐसा कोई स्पष्ट दायित्व/अपेक्षा नहीं है कि वह अनपेक्षित विकास का विश्लेषण करें क्योंकि भारतीय नियमावली में ऐसी कोई विशिष्ट क्रियापद्धति नहीं है जिसका अनपेक्षित विकास का विश्लेषण करने के लिए अनुसरण किया जाना चाहिए अथवा रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार भी क्रियापद्धति संबंधी ऐसा कोई विशेष उल्लेख नहीं करता है जिसका अनुपालन किया जाना चाहिए या ऐसे कोई पैरामीटर नहीं है जो अनपेक्षित विकास की जांच करने का दायित्व सौंपा गया है जिसके कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। यह माना जाता है कि यह की जांच करना जरूरी माना गया है जिनसे आयातों में वृद्धि हुई है।

कोरिया-डेयरी, अपीलीय निकाय रिपोर्ट, पैरा 84; अर्जेन्टीना-फुटवियर (ईसी), अपीलीय निकाय रिपोर्ट, पैरा 91

का सामान्य आशय यह अपेक्षा करता है कि वह विकास जिसके कारण किसी उत्पाद का इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में होना चाहिए।

अर्जेन्टीना फुटवियर (ईसी) पैरा 92

.....वास्तव में यह परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए जिससे गाट 1994 के अनुच्छेद XIX के प्रावधानों के अनुरूप

यूएस-लैम्ब पैरा 72.76

पहले सक्षम घरेलू परिस्थितियों द्वारा प्रदान कराया जाना चाहिए। इसका आशय यह है कि इस साधन में स्वयं ही इस प्रभाव का एक अभिव्यक्त निष्कर्ष होना चाहिए अन्यथा यह विधिसम्मत आधार निरर्थक हो जाएगा।

का आशय उस विकास से है जो अप्रत्याशित हो। अनपेक्षित विकास में यह अपेक्षा की जाती है कि वह विकास जिसके कारण के निश्चित सेट को निर्धारित करता है।

विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने अपने प्रस्तुतिकरणों में प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग ने न तो अपनी याचिका में और न ही अपने प्रस्तुतिकरणों में किसी ऐसे अनपेक्षित विकास का उल्लेख किया है जिसके कारण आयातों में वृद्धि हुई है।

घरेलू उद्योग में अपनी प्रत्युक्ति में ऐसे कारणों की प्रस्तुतिकरण की है जिनकी बजह से मौजूदा अनपेक्षित परिस्थितियों को दर्शाया जाना चाहिए। उन कारणों की निम्नवत जांच की गई है :

(क) घरेलू उद्योग ने रूप से प्रमुख देशों तथा अन्य सभी देशों को देशवार निर्यात के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। घरेलू ब्राजील और कोलम्बिया को किए जाने वाले निर्यातों में भारी कमी आई है जबकि भारत में उसके निर्यात में वृद्धि हुई है।

इस संबंध में मैं यह उपपादित करता हूं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि रूस से पाकिस्तान और उरूग्वे जैसे कई अन्य देशों के होने वाले आयात में वृद्धि हुई है। प्रस्तुत किए गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कुछ अन्य देशों को रूस से होने वाले निर्यातों में कमी आई है और उसी अवधि के कुछ अन्य देशों को होने वाले निर्यातों में वृद्धि हुई है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि जिससे यह स्पष्ट होता हो कि रूस या वैश्विक रूप से ऐसा कोई अनपेक्षित विकास हुआ है जिसके कारण रूप से भारत को होने वाले निर्यातों में वृद्धि हुई है। किसी देश से या किसी देश को आयातों में वृद्धि होना या कमी होना (जैसे कि निर्यातों में वृद्धि होना या कमी होना) एक सामान्य बात है और यह व्यापार उदारीकरण के प्रत्याशित परिणाम है।

क्रोम प्लेटिंग और विनिर्माण उद्योग पर प्रभाव पड़ा है और मंदी का यह दौर वर्ष 2013 में भी जारी रहा। इस मंदी के कारण संपूर्ण विश्व में विनिर्माताओं की क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया और इसलिए निर्यातकों का झुकाव भारत सहित अन्य देशों की ओर हो गया।

मैं यह उपपादित करता हूं कि घरेलू उद्योग ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो यह दर्शाता है कि इस वैश्विक मंदी ने अन्य देशों को किस तरह प्रभावित किया और भारतीय उद्योग को प्रभावित नहीं किया है। यदि वैश्विक मंदी ने क्रोम प्लेटिंग और विनिर्माण उद्योग को प्रभावित किया है तो इसका प्रभाव भारतीय उद्योग पर भी पड़ना चाहिए था। घरेलू उद्योग ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो यह सुझाव देता हो कि वैश्विक मंदी की उसी अवधि के दौरान क्रोम प्लेटिंग और विनिर्माण उद्योग का विकास हुआ तथा उसके परिणामस्वरूप भारत में इस उत्पाद की मांग में इतनी अधिक वृद्धि हुई कि अन्य देशों के उत्पादक भारत को इस विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करने में सक्षम हुए। वास्तव में औद्योगिक विकास में पिछले कई वर्षों से गिरावट आई है।।

(ग) रूस की तरह ही संपूर्ण विश्व में उड्डयन उद्योग में गिरावट आई है और इसलिए रूस में क्रोम धातु का उत्पादन करने के लिए सोडियम डायक्रोमेट के प्रयोग में भी भारी कमी हुई है। इसके कारण रूस से उत्पादकों को सोडियम डायक्रोमेट का निर्यात करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

मैं यह उपादित करता हूं कि यह मात्र एक अभिकथन है और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सुझाव मिलता हो कि उड्डयन उद्योग में संपूर्ण विश्व में या रूस में गिरावट आई है ओर इसके कारण भारत को निर्यातों में वृद्धि हुई है।

(घ) क्रोम आक्साइड ग्रीन की बाजार इस समय हल्दी है। इससे दक्षिण अफ्रीकी की कंपनी को जर्मनी में अपनी संबद्ध कंपनी को निर्यात में कमी करनी पड़ी तथा अन्य विकासशील बाजारों की तलाश करनी पड़ी।

मैं यह पाता हूं कि दक्षिण अफ्रीका से आयात के आंकड़े यह संकेत करते हैं कि घरेलू उद्योग के प्रस्तुतीकरण में विरोधाभास है। दक्षिण अफ्रीका से आयात स्थिर स्तर पर बने रहे और इस तरह के साक्ष्य का कोई संकेत नहीं है कि भारत को आयातों में अचानक वृद्धि हुई।

(ड.) तुर्की में सिस्कैम ने वर्ष 2012 में अपनी क्षमता बढ़ा ली और वह विश्व का सबसे बड़ा सोडियम डायक्रोमेट का उत्पादक बन गया। सिस्कैम की संवर्धित क्षमता ने अन्य उत्पादकों को चुनौती उत्पन्न कर दी जो इस उत्पाद की संपूर्ण विश्व में घटती मांग से पहले से ही प्रभावित है।

यह सुझाव देने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि तुर्की में सिस्कैम की संवर्धित क्षमता का उद्देश्य अनन्यत: भारत के लिए है तथा अन्य देशों के लिए नहीं। इस तरह का संकेत देने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि क्षमता में विस्तार के पश्चात अन्य देशों की तुलना में भारत को होने वाले निर्यातों में वृद्धि इतनी अधिक मात्रा में हुई है कि उससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई हो अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो।

यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराए गए साक्ष्य काल्पनिक प्रतीत होते हैं और उसके इस दावे का समर्थन नहीं करते हैं कि अनपेक्षित परिस्थितियों से सोडियम डायक्रोमेट के आयातों में ऐसी परिस्थितियों में इतनी अधिक वृद्धि हुई कि उससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित हुई अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई। आयातों में इस वृद्धि को जबतक कोई ऐसा अप्रत्याशित विकास न हुआ हों जिसके परिणामस्वरूप आयातों में अचानक वृद्धि हुई हो तब तक इसे अनपेक्षित विकास नहीं कहा जा सकता है। इसलिए सवर्धित आयातों के लिए दिया गया कारण अनपेक्षित के रूप में स्वीकार्य नहीं है।

31. जनहित

महानिदेशक (रक्षोपाय) पर घरेलू रक्षोपाय विधि के अंतर्गत सार्वजनिक हित का विश्लेषण करने से संबंधित कोई अभिव्यक्त दायित्व नहीं है। तथापि रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 3 में निम्नलिखित उल्लेख है :

कोई भी सदस्य रक्षोपाय साधन का प्रयोग विगत में स्थापित प्रक्रियाओं का अनुसरण करके उस सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जांच करके ही किया जा सकता है और गाट 1994 के अनुच्छेद X के साथ तालमेल में सार्वजनिक किया इसमें अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों का प्रत्युत्तर देने तथा अपने विचार व्यक्त करने का अवसर भी शामिल हो कि क्या इस रक्षोपाय साधन का प्रयोग करना जनहित में होगा या नहीं। सक्षम प्राधिकारी अपने जांच परिणाम देते हुए तथा विधि एवं तथ्यों के संगत मुद्दों पर तर्कयुक्त निष्कर्ष देते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे।

हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुत किया है कि कई ऐसे उदाहरण हुए है जहां घरेलू उद्योग को क्रोम एसिड के विनिर्माताओं द्वारा यथापेक्षित गुणवत्ता प्रदान करने में अपनी अक्षमता प्रदर्शित करनी पड़ा। इस विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से आयात महंगे हो जाएंगे और उसके परिणामस्वरूप क्रोम एसिड के विनिर्माताओं को आयातित क्रोमिक एसिड के साथ प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी क्योंकि घरेलू उद्योग स्वयं ही इस पीयूसी की खपत कर रहे होंगे और बाजार पर अपनी इच्छानुसार नियंत्रण कर रहे होंगे।

क्रोम टैनिंग लवण (सीटीएस) बाजार में मैसर्स विष्णु कैमिकल्स एक अग्रणी उत्पादक है और सीटीएस का विनिर्माण करने के लिए इस पीयूसी की खपत स्वयं करता है जबकि 1000 से अधिक अन्य विनिर्माताओं को आयातों या विष्णु पर निर्भर होना पड़ेगा। इसलिए इस पीयूसी पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण भारतीय उपभोक्ताओं को सोडियम डायक्रोमेट की आपूर्ति खतरे में पड़ जाएगी। घरेलू उद्योग का अधिक बल सीटीएस जैसे पीयूसी का मूल्यवर्धित उत्पाद का निर्यात बढ़ान के लिए पीयूसी की ग्राही खपत से संबंधित वृद्धि करना होगा। इससे इस पीयूसी की घरेलू उपलब्धता के अभाव में सीटीएस के अन्य विनिर्माताओं को नुकसान होगा तथा उन्हें महंगी आयातित पीयूसी पर निर्भर होना पड़ेगा।

मैसर्स विष्णु वर्ष में औसतन 2-3 माह इसकी आपूर्ति नहीं करता है। पिगमेंट उद्योग को अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए आयातित पीयूसी पर निर्भर होने के बजाय अन्य चारा नहीं रह जाता है। कोई भी रक्षोपाय शुल्क घरेलू उद्योग के लिए एक एकाधिकारवादी स्थिति पैदा कर देगा जिससे घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें बढ़ाने की एक आदर्श स्थित मिल जाएगी तथा यह पिगमेंट उद्योग के लिए एक अलाभकर बाजार स्थिति होगी।

गोपनीय आधार पर निम्नलिखित परिकलन प्रस्तुत किया है।

अनुप्रवाही उद्योग पर प्रभाव

आईओएल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स से यह दर्शाने के लिए गोपनीय आधार पर परिकलन प्रस्तुत किए हैं कि आईबुप्रोफेन आरएमसी पर 20 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से आईबुप्रोफेन की कीमत 14.68/ किलोग्राम हो जाएगी।

विवरण	मानक (किग्रा)	उतराई दर (रुपए/किग्रा)	लागत (रुपए/किग्रा)
सोडियम डायक्रोम की लागत (आइबुप्रोफेन कच्चे माल की लागत में)	x.xxx	x.xx	xx.xx
रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के पश्चात यदि सोडियम डायक्रोमेट की दर 20 प्रतिशत बढ़ जाती है (काल्पनिक)		x.xx	xx.xx
रक्षोपाय शुल्क के कराण आयातित सोडियम डायक्रोमेट से आई बुप्रोफेन आरएमसी में वृद्धि			xx.xx
नोट : उतराई दर अप्रैल, 2014 से जुलाई, 2014 तक के लिए ली गई, आईबुप्रोफेन का उत्पादन 400 एमटी प्रति माह मानते हुए			
रक्षोपाय शुल्क से पहले	मात्रा (एमटी)	उतराई दर (रुपए/किग्रा)	मूल्य (रुपए/किग्रा)
सोडियम डायक्रोमेट की मासिक खपत	xxx	x.xx	xxx
सोडियम डायक्रोमेट की वार्षिक खपत	xxxx	x.xx	xxx
रक्षोपाय शुल्क के बाद	मात्रा (एमटी)	उतराई दर (रुपए/किग्रा)	मूल्य (रुपए/किग्रा)
सोडियम डायक्रोमेट की मासिक खपत	xxx	x.xx	xxx
सोडियम डायक्रोमेट की वार्षिक खपत	xxxx	x.xx	xxxx

आईओएल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स ने प्रस्तुत किया है कि वे 14.68/किग्रा की इस अतिरिक्त लागत को अपने ग्राहकों में अंतिरत करने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि आईब्रूप्रोफेन फार्मूलेशन नियम डीपीसीओ 2012 के अंतर्गत नियंत्रणाधीन है। इसके अतिरिक्त सोडियम डायक्रोमेट पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से उनकी कंपनी एक एकल आपूर्तिकर्ता पर निर्भर हो जाएगी जिससे भारत में एकाधिकारवादी स्थिति बन जाएगी।

इसी तरह मैसर्स लैनक्सेस ने भी यह दिखाने के लिए गोपनीय आधार पर परिकलन प्रस्तुत किया है कि 20 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क का बेसिक क्रोम सल्फेट और क्रोमिक एसिड के कच्चे माल की लागत पर क्रमश: 17 प्रतिशत और 18 प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा और इसकी कुल लागत में वृद्धि होने से प्रभावित उद्योगों की निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धा में भारी कमी आ जाएगी और अत: टर्नओवर एवं लाभ मार्जिन कम हो जाएगा।

बेसिक आंकड़े :

सी आईएफ

सल्फर कीमत : *** यूएस डी/टी

सल्प्यूरिक एसिड की कीमत: ** यूएस डी/टी

सीटीएस पैकेजिंग सामग्री पेपर बैग्स : *.* यूएसडी/25 किग्रा बैग

सीटीएस पैकजिंग सामग्री 50 किग्राम के ड्रम : *.* यूएसडी/ड्रम

पैकजिंग प्लेट: ** यूएसडी/प्लेट

कल्पनिक रक्षोपाय शुल्क : 20%

अनुमानित विशिष्ट खपत कारक (एससीएफ):

एसडीसी -> सीटीएस *.** टी एसडीसी/टी सीटीएस

सल्फर-> सीटीएस *.** टी सल्फर/टी सीटीएस

एसडीसी-> सीए *.** टी एसडीसी/टी सीए (स्वतंत्र सीए उत्पादक के लिए)

सल्प्यूरिक एसिड -> *.** टी सल्फ्यूरिक एसिड/टीसीए (स्वतंत्र सीए उत्पादक के लिए)

रक्षोपाय शुल्क के बिना कच्चे माल की लागत	एससीएफ एसडीसी	एसडीसी आरएम लागत	रक्षोपाय शुल्क	एससीएफ अन्य आरएम	अन्य आरएम लागत	पैकेजिंग लागत	कुल आरएम+ पैकेजिंग लागत
	टी एसडीसी/ टी परिकृत उत्पाद	यूएसडी/टी परिकृत उत्पाद	यूएसडी/टी परिकृत उत्पाद	टी एसडीसी/ टी परिकृत उत्पाद	यूएसडी/टी परिकृत उत्पाद	यूएसडी/टी परिकृत उत्पाद	यूएसडी/टी परिकृत उत्पाद
आर एम लागत, सीटीएस उत्पादन	*.**	***	0	*.**	**	**	***
आर एम लागत सीए उत्पादन	*.**	****	0	*.**	**	***	****
रक्षोपाय शुल्क सहित कच्चे माल की लागत	एससीएफ एसडीसी	एसडीसी आरएम लागत	रक्षोपाय शुल्क	एससीएफ अन्य आरएम	अन्य आरएम लागत	पैकेजिंग लागत	कुल आरएम+ पैकेजिंग लागत
	टी एसडीसी/ टी परिकृत उत्पाद	यूएसडी/टी परिकृत उत्पाद	यूएसडी/टी परिकृत उत्पाद	टी एसडीसी/ टी परिकृत उत्पाद	यूएसडी/टी परिकृत उत्पाद	यूएसडी/टी परिकृत उत्पाद	यूएसडी/टी परिकृत उत्पाद
आर एम लागत	*.**	***	***	*.**	**	**	***

सीए उत्पादन							
आर एम लागत सीए उत्पादन	*.**	****	***	*.**	**	***	****

रक्षोपाय शुल्क द्वारा परिष्कृत वस्तु की लागत में सीसटीएस वृद्धि 18.2 प्रतिशत

रक्षोपाय शुल्क द्वारा परिष्कृत वस्तु की लागत में सीए वृद्धि 17.7 प्रतिशत

घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि अल्टीमेट उत्पाद के अनुप्रवाही उद्योग का कुल कारोबार 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। अनुप्रवाही उद्योग का आकार ही यह स्पष्ट करता है कि प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क का प्रभाव नगण्य है। उपभोक्ता सेगमेंट इस लागत को उपभोक्ताओं पर डालने में सक्षम है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी नहीं दर्शाया है कि रक्षोपाय शुल्क (प्रस्तावित) का प्रभाव उपभोक्ताओं द्वारा सहन नहीं हो पाएगा।

घरेलू उद्योग ने यह भी प्रस्तुतिकरण किया है निम्नलिखित परिकलन क्रोम टैनिंग लवण और आईब्रूप्रूफेन उद्योग पर 20 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क का प्रभाव दर्शाता है।

20 प्रतिशत शुल्क का क्रोम टैनिंग लवण पर प्रभाव

सोकिंग से लाइनिंग	43.02
डिलाइनिंग से टैनिंग	85.43
कुल लागत	128
औसत क्षेत्र	20
प्रति वर्ग फिट लागत	6.42
रसायन लागत	6.5
एम/सी लागत	5.25
रा लागत	70
प्रति वर्ग फिट लागत	81.75
बीसीएस का हिस्सा	3.25%
20 प्रतिशत शुल्क का प्रभाव	0.651%

आईब्रप्रोफेन उद्योग पर प्रभाव

डीपीसीओ के अनुसार आईब्रूप्रोफेन की कीमत	6.9	
आईब्रूप्रोफेन की मात्रा	3000	एमजी
	3	जीएम
कीमत प्रतिग्राम	2.3	
कीमत प्रति किलोग्राम	2300	
डायक्रोमेट की लागत में वृद्धि	18	
खपत कारक	0.63	
डायक्रोमेट की लागत वृद्धि	11.34	
प्रभाव	0.49%	

एक हितबद्ध पक्षकार मैसर्स लैनक्सेस ने उल्लेख किया है कि केवल चर्म उद्योग चर्म निर्यात संवर्धन परिषद ही टिप्पणी देने के लिए अर्ह है कि क्या चर्म उद्योग रक्षोपाय शुल्क का अवशोषण कर पाएगा और वह इसे ग्राहकों पर अंतरित कर पाएगा।

निर्यात उद्योग के लिए कोई भी रक्षोपाय शुल्क उद्योग को प्रतिस्पर्धी ही बना पाएगा और इसका निर्यातों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

मैसर्स विष्णु अपने सोडियम डायक्रोमेट के उत्पादन से क्रोमिक एसिड का विनिर्माण करता है और इसलिए रक्षोपाय शुल्क के कारण लागत में हुई वृद्धि क्रोमिक एसिड के अन्य भारतीय विनिर्माताओं का उपशमन कर देगी और तदद्वारा क्रोमिक एसिड के घरेलू उद्योग की एकाधिकार वादिता हो जाएगी।

विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने से जनहित के संबंध में लिए गए निर्णय में न केवल जिसका प्रतिनिधित्व याचिकाकर्ता करता है शामिल होगा बल्कि इसमें संबद्ध उत्पाद के अन्य प्रयोक्ता उद्योग भी शामिल से वंचित रह जाएंगे।

मैं मानता हूं कि सुदृढ़ घरेलू उद्योग भी आवश्यक है जो घरेलू बाजार की मांग को पूरा कर सके तथा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के अनुरूप समृद्ध हो सके और उनसे प्रतिस्पर्धा कर सके। यह वह मामला नहीं है जहां केवल घरेलू उद्योग ही सोडियम डायक्रोमेट का उत्पादन और उसकी बिक्री कर रहा हो। घरेलू उद्योग अनुप्रवाही उत्पादों का उत्पादन करने के लिए अपने द्वारा उत्पादित सोडियम डायक्रोमेट की भारी मात्रा की खपत कर रहा है और इसलिए उसकी अनुप्रवाह उत्पाद के विनिर्माताओं के साथ भारी प्रतिस्पर्धा है। रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से अनुप्रवाही उत्पाद के उत्पादों की तुलना में घरेलू उद्योग को अनुचित लाभ होगा क्योंकि अनुप्रवाही उत्पाद के उत्पादकों को एक ओर तो कच्चे माल (सोडियम डायक्रोमेट) के आयातों पर उच्चतर दर पर आयात शुल्क देना होगा या उन्हें घरेलू उद्योग से खरीदने के लिए मजबूत होना पड़ेगा और दूसरी ओर अनुप्रवाही उत्पाद बाजार में उसी घरेलू उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी जिसे रक्षोपाय शुल्क का लाभ मिल रहा होगा। इससे अनुप्रवाही उद्योग की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जो इस मामले में याचिकाकर्ता को प्राप्त लाभ की तुलना में अधिक होगा। यह भी देखा गया कि घरेलू उद्योग का सोडियम डायक्रोमेट के विनिर्माण में भारी हिस्सा है और सोडियम डायक्रोमेट बाजार में अन्य विनिर्माताओं की मौजूदगी महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण घरेलू उद्योग को बाजार में एकाधिकारिता देगा। अत: घरेलू उद्योग तथा हितबद्ध पक्षकारों के मतों पर विचार करते हुए मेरा विचार है कि सोडियम डायक्रोमेट पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से मैसर्स विष्णु कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ होगा और इसका अनुप्रवाही उत्पाद के विनिर्माताओं पर भारी प्रभाव पड़ेगा और इसलिए यह जनहित में नहीं होगा।

32. निष्कर्ष

संगत कारकों की जांच करने पर मैं यह प्रतिपादित करता हूं :

(i) इस उत्पाद के उत्पादन के संबंध में और समग्र रूप से आयातों में भारी वृद्धि हुई है।

(ii) जांच की अवधि के दौरान आयातों समग्र रूप से और उत्पादन के संबंध में वृद्धि के बावजूद आयातों ने क्षमता उपयोग और मालसूची पर प्रभाव नहीं डाला है जिसमें कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित उत्पादकता और मालसूची जैसे कुछ कारकों ने वर्ष 2013-14 के दौरान सुधार प्रदर्शित किया है जबकि वर्ष 2013-14 में बिक्री में गिरावट का कारण यह है कि घरेलू उद्योग ने इस विचाराधीन उत्पाद की अधिक मात्रा का प्रयोग ग्राही खपत के लिए किया है और घरेलू बिक्री के लिए कम मात्रा रिलीज की है। घरेलू बाजार में वर्ष 2013-14 में उनका बाजार हिस्सा कम हुआ परंतु यह हिस्सा जांच की अवधि के पहले दो वर्षों में उनके हिस्से की तुलना में अभी भी अधिक है।

बिक्री लागत में वृद्धि और पीयूसी की बिक्री इस पीयूसी की उतराई कीमत/बिक्री लागत से कम कीमत हुई हो। अत: संवर्धित आयातों एवं घरेलू उद्योग को कारित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

(iv) घरेलू उद्योग यह निदर्शन करने में सक्षम नहीं हुआ कि आयातों में यह वृद्धि अनपेक्षित परिस्थितियों के कारण आई है।

(v) यह वह मामला नहीं है जहां केवल घरेलू उद्योग ही सोडियम डायक्रोमेट का उत्पादन और उसकी बिक्री कर रहा हो। घरेलू उद्योग अनुप्रवाही उत्पादों का उत्पादन करने के लिए अपने द्वारा उत्पादित सोडियम डायक्रोमेट की भारी मात्रा की खपत कर रहा है और इसलिए उसकी अनुप्रवाह उत्पाद के विनिर्माताओं के साथ भारी प्रतिस्पर्धा है। रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से अनुप्रवाही उत्पाद के उत्पादों की तुलना में घरेलू उद्योग को अनुचित लाभ होगा क्योंकि अनुप्रवाही उत्पाद के उत्पादकों को एक ओर तो कच्चे माल (सोडियम डायक्रोमेट) के आयातों पर उच्चतर दर पर आयात शुल्क देना होगा या उन्हें घरेलू उद्योग से खरीदने के लिए मजबूत होना पड़ेगा और दूसरी ओर अनुप्रवाही उत्पाद बाजार में उसी घरेलू उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी जिसे रक्षोपाय शुल्क का लाभ मिल रहा होगा।

(vi) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समायोजन योजना में वैकल्पिक सीओ2 अम्लीकरण प्रक्रिया का क्रियान्वयन करने की कोई समय सीमा नहीं है ताकि यह प्रदर्शित हो सके कि घरेलू उद्योग भविष्य में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से होने वाली बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ समायोजन कर सके।

(vii) यद्यपि इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि हुई है तथापि मेरे विचार से यह आयात घरेलू उद्योग का भरी परिक्षयण नहीं कर रहे हैं। ऊपर किए गए विश्लेषण के आधार पर मैं यह प्रतिपादित करता हूं कि ऐसा लग रहा है कि घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है क्योंकि वे इस पीयूसी से लाभ अर्जित करने में संपूर्णता से उन्हें लाभ हो रहा है। इस किए गए लाभ के कुछ भाग का प्रयोग विचाराधीन उत्पाद के जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति में सुधार हुआ है। रक्षोपाय विधि के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करना एक आपातकालीन उपाय है और इसलिए इसमें तब तब वृद्धि की गई जब जब क्षति हुआ।

33. संस्तुति

घरेलू उद्योग की संरक्षा रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के द्वारा किया जाना अपेक्षित नहीं है और तदनुसार इस मामले की जांच को समाप्त किया जाता है।

[फा. सं. डी-22011/5/2014]

आर. के. सिंगला, महानिदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF SAFEGUARDS)

(Customs and Central Excise)

NOTIFICATION

New Delhi, the,15th January, 2015

Final Findings

Subject : Safeguard investigation concerning imports of Sodium di-chromate into India

Final Findings

G.S.R. 34(E).—Having regard to the Custom Tariff Act, 1975 and the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 thereof.

A. PROCEDURE

1. An application was filed under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 [hereinafter referred to as "Safeguard Rules"] by M/s. Vishnu Chemicals seeking imposition of Safeguard Duty on imports of Sodium dichromate as increase in imports is causing and/or threatening to cause serious injury to the domestic producers of sodium dichromate in India.

2. In order to satisfy the requirements under Rule 5 of the said Safeguard Rules, the information presented by the applicant was verified by on-site visit to the plants of the domestic producers to the extent considered necessary. The non-confidential version of verification report is kept in the public file. On being satisfied that the requirements of Rule 5 were satisfied, the Notice of Initiation of Safeguard investigation concerning imports of Sodium dichromate into India was issued under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 on 26th May, 2014 and was published in the Gazette of India Extraordinary on the same day.

3. A copy of the Notice of Initiation dated 26th May, 2014 along with copy of non-confidential version of the application filed by the Domestic Industry were forwarded to the Central Government, in the Ministry of Commerce, and other Ministries concerned, Governments of major exporting countries through their Embassies in India, and the Interested Parties listed below, in accordance with Rules 6(2) and 6(3) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997. Questionnaires were also sent, on the same day, to all known domestic producers and importers and exporters and they were asked to submit their response within 30 days.

B. Domestic Producers

(i) M/s Vishnu Chemicals,
(ii) M/s Konark Chemicals, Bhubaneswar
(iii) M/s Siddharadha Chemicals, Bhubaneswar
(iv) M/s Nifty Chemcials Pvt Ltd, Nagpur
(v) M/s Lords Chemicals,-Kolkata
(vi) M/s Jesons Chemicals, Sonepat
(vii) M/s Divya Jyothi Chemicals, Orissa
(viii) M/s Archsan Chemicals Private, Shadole
(ix) M/s Shiva Chrome Chemicals (P) Ltd, Orissa
(x) M/s Sri Kanaka Durga Chromates (P) Ltd , Vijayawada

C. Importers/User Industry

(i) M/s. Anupam Colours & Chemicals Industries, Mumbai
(ii) M/s. Anuparn Colours Private Ltd, Mumbai
(iii) M/s. Swati Petro Products Pvt .Ltd, Ambernath
(iv) M/s. Solar Chemfets Pvt Ltd, Mumbai
(v) M/s. Raveshia Colours PVT.LTD Mumbai
(vi) M/s. A.S.Enterprises, Thane
(vii) M/s. Micas Organics Ltd, Vapi
(viii) M/s. Sudarshan Chemical Industries Limited, Pune
(ix) M/s. Shri Varadayani Chemical Industries Pvt. Ltd, Gujarat
(x) M/s. Riddhi Pharma, (Gujarat)
(xi) M/s. Vapi Pigments Chemicals Pvt Ltd, Vapi —
(xii) M/s. Vapi Oxides Colours Ltd, Bulsar-
(xiii) M/s. Colour Chrome Pvt.Ltd, Kolkata
(xiv) M/s. K N Chemicals, Kanpur
(xv) M/s. lndo Tan Chemicals Ltd, Kolkata
(xvi) M/s. Shasun Pharmaceuticals Ltd
(xvii) M/s. Industrial Organics Limited, Ludhiana.
(xviii) M/s Merck Ltd , India,Navi Mumbai

(xix) M/s. Bajaj Chemical Industries, Kolkata
(xx) M/s. Grauer & Weil (India) Limited, Solan
(xxi) M/s. MERON, Cochin
(xxii) M/s. Sud — Chernie Pvt Ltd, Cochin
(xxiii) M/s. BASF India Ltd, Mangalore,
(xxiv) M/s. Hema Chemicals Industries, Baroda
(xxv) M/s. Sona Synthetic Products,Vapi –

D. Exporters

(i) M/s Lanxess Ag.Germany, Germany, DE

(ii) M/s Lanxess CISA Pvt.Ltd., South Africa
(iii) M/s Sisecam Dis Ticaret A.S, Turkey
(iv) M/s Tragon Gulf FZCO, Dubai, U.A.E
(v) M/s Nova Chrome, Russia
(vi) M/s JS Aktyubin Sk Chromium, Kazakhstan
(vii) M/s Chongqing Minfeng Chemical Co, Ltd, China
(viii) M/s Nippon Chemicals, Japan

E. Exporting country Government

(i) The Embassy of People's Republic of China
(ii) Embassy of South Africa
(iii) Embassy of Russia
(iv) Embassy of Kazhakistan

4. Request to consider as an interested parties were received from the following parties**:**

(i) M/s OJSC NPCC, Russia
(ii) M/s Lanxess India Pvt Ltd, Maharashtra
(iii) M/s Sandeep Organic Pvt. Ltd, Mumbai
(iv) M/s VOXCO Pigments and Chemicals Pvt Ltd
(v) M/s Techno Industrial Products, Kolkata
(vi) M/s Madhuchandra Techno-Chem Complex Pvt Ltd, Kanpur
(vii) European Union., New Delhi
(viii) The Trade Representation of the Russian Federation in the Republic of India, New Delhi
(ix) Republic of Turkey, Ministry of Economy
(x) M/s Konark Chrome Chemical ltd, Rourkela
(xi) M/s Sidharth Chemicals, Rourkela
(xii) M/s MidUral Chemicals SA, Switzerland

All the requests were accepted**.**

5. Most of the issues raised by them are similar to the submissions raised by other interested parties. These have accordingly been considered at appropriate places.

6. Post-Initiation submissions, as follows, were received prior to the Public Hearing:

(i) Madhu Chandra Techno Chem Pvt Ltd, Sidharth Chemicals, Konark Chrome Chemicals Pvt Ltd, Nifty Chemicals Pvt Ltd, Srikanakadurga Chromates (p) Ltd and Archsan Chemicals Pvt Ltd have stated that increased imports into India have caused significant injury to them.

(ii) **M/s Vapi pigments Pvt Ltd:** M/s Vishnu Chemicals is the lead producer of sodium di-chromate and holds major share in the Indian Market as the appellant accounts for more than 75/85% of the total production in India. Any safe guard duty would result into domination of the domestic industry which in turn would also result in the monopolistic practice by the domestic industry and Users/Consumers would be exploited.

The DI has adopted unhealthy practices wherein they had shut down without intimation to consumers resulting into disturbances of production in users units. Even after resuming the production and supplies, the price was hiked arbitrarily by the domestic industry forcing the users to buy at their prices.

The increase imports are because of their unstable, biased, and demanding policy of this producer. In 2011, and 2012, the consumers were forced to import because of unstable supply in spite of the fact that the cost prices of imports are higher. None of the overseas suppliers/producers have rigged the Indian market nor taken advantage of Indian market.

Capacity utilization is based on domestic as well the exports. Domestic industry could also be affected by the international competition. Domestic cause may not be the major contributing factor.

Domestic industry is not successful to replicate the efficient or effective technology of the lead players in the international market resulting into less cost effective. Any flaws in the technology should not be funded by the consumers/users.

Profit and Loss depend on a) Product b) Technology c) cost balancing d) machineries set up e) sales policy f) market demand g) credit orientation etc. None of the factors are balanced with this unit.

Domestic producer also has to depend on the imports of certain material like Ores, Soda Ash etc. Hence the consumers are further exposed to unstable supply chain and exchange risk.

(iii) **M/s Micas Organic Ltd, Vapi Gujrat:** Micas Organic Ltd is the leading Chrome Pigment Manufacturer in India and is consuming Sodium di chromate.

The import prices of material have been on a higher side in last three years and they are still forced to import as M/s Vishnu Chemicals are inconsistent in supply of sodium di chromate and does not have the same quality of product.

Chrome ore which is the basic raw material for production of Sodium di-chromate is produced by a single manufacture in India (Orissa Mining Corporation). This single manufacture has been increasing the basic prices of Chrome ore and raw material cost pushed the product to a unviable cost of manufacturing compared to the material available in the international market.

Details of other suppliers provided in the notice of initiation has to be verified by a competent authority as these suppliers are not available in the market for the supply of Sodium di-chromate as either they have shut down due to environmental non-compliance or they manufacture Sodium di-chromate for captive consumption for their up steam or downstream products.

The domestic industry has been importing Chrome Ore from the international market and therefore dependence on domestic industry as a Sodium di chromate supplier is at a great risk as Chrome ore is the major raw material for manufacturing of Sodium di-chromate.

Many a times domestic manufacturing facility has been shut down due to non-availability of Chrome ore raw material which has resulted in non supply of Sodium di-chromate due to which downstream product producers have to close down their manufacturing and suffered huge financial losses.

Imposition of safeguard duty on import of sodium di-chromate would result the price of their finished product (Chrome Pigments) non completive in the domestic market and give an opportunity for other international manufacturers of chrome pigments to export their product in India.

The domestic industry being single supplier of sodium dichromate will monopolise the industry and will exploit the Chrome Pigment Manufacturing industry.

The domestic industry has exported maximum when global prices were high compare to domestic prices without considering domestic concerns and domestic requirement.

The domestic industry claim that it is suffering huge financial losses is not true. The profitability of the domestic industry before interest and tax is close to 15% for the last quarter ending March 2014 and their PBIT for the last three years have been between 13-14% on year on year basis. The increased in profitability has also been visible in their increased share price based on their financial results and market performance.

Claim of the domestic industry that PUC forms more than 40% sales and are incurring losses cannot be true if they have a PBIT of almost 14%

The scrutiny of petitioner's cost audit is also needed as the DI has not disclosed the same despite the statutory requirement under companies act to file with registrar of companies.

The Indian Chrome industry will be facing a close down which manufactures close to 24000MT/year of Chrome pigments and on average employs about 1750-2000 people monthly.

Introduction of Safeguard duty will encourage imports of chrome pigments and further increase a revenue loss of Rs.240Cr. for pigment industry and there will be excise loss of Rs. 30Cr

(iv) **M/s Sona Synthetics Products:** They are a small scale pigment manufacturer and export their product to various parts of the world. They use locally manufactured as well imported Sodium dichromate. The Indian Chrome Industry is able to compete with other countries like China, Brazil, Japan etc.

The domestic industry is the only local supplier in India and holds a monopoly in the Indian local market.

Safeguard duty will be direct threat for all local manufacturers of pigments as they have to work as per the demands of the local monopoly payer which may include price hike, haphazard delivery and non conformity of the quality.

As per Notice of initiation, the domestic industry has never been able to work beyond 35% of the plant capacity even when the imports were low and they have failed to provide the required quantity whenever needed.

The main raw material for manufacturing Sodium di-chromate is Chrome ore which is being imported by the domestic industry. Any delay in procuring their raw material will have a direct impact on the production of the Sodium di-chromate which will have cascading effect on the all pigment manufacturer**.**

(v) **M/s VOXO Pigments and Chemicals Pvt. Ltd:** M/s Vishnu Chemicals accounts for 70% of production sales and anti-dumping or safeguard duty will results in monopolistic practices which may result in the exploitation of the domestic SSI users of the sodium di-chromate.

M/s Vishnu Chemicals are themselves sizably dependent on importing of their basic raw material and thus actual ends user are left with uncertainty of the availability of their basic raw material.

The sodium di-chromate is used by many SSI manufacturing units for producing pigments and saccharine. In case its availability depends on a single source producer with 70% market share in the domestic markets and no alternative from any other source, its prices can be compromised/rigged thereby making the SSI industries unviable to operate.

Many a times M/s Vishnu Chemicals in spite of their large manufacturing capacity has supply problems. As an end user of the sodium di-chromate VOXO Pigments and Chemicals have no option but to procure from other sources**.**

(vi) **M/s Raveshia Colours Pvt. Ltd, Mumbai:** M/s Vishnu Chemicals used their dominant position in the domestic market to indulge in anticompetitive practices over the past which include directly or indirectly imposing unfair or discriminatory conditions or prices in purchase or sale of goods or service, restricting or limiting production of goods. This has caused several production disturbances for units and is one of the main reasons why consumers have chosen to buy from sources other than the petitioner in order to ensure reliability and continuation of business.

The quality of the petitioner's product is substandard as compared to that of foreign producers. The domestic industry has mentioned in their petition that their technology is not cost effective as they are not using CO_2 . Their technical weakness cannot be funded by the consumers.

The sales volume of the producers has mildly decreased but the operating profit and sales revenue have increased significantly.

Any loss in clientele for the petitioner is purely a consequence of their pricing, sales and production policies. Foreign producers merely offer a much needed alternative for domestic consumers.

Imposition of safeguard duty would be catastrophic for domestic consumer of sodium dichromate.

(vii) **M/s Anupam Colours Pvt Ltd, Mumbai & Solar Chemferts Pvt Ltd:** Provisional duty should not be imposed and if imposed would cause serious injury to downstream industries in India.

As per statistics provided by the domestic industry in their application, M/s Vishnu Chemicals control 60 to 62% of Indian market while imports account for 12 to 26% of the same.

While studying the market share percentage, the total of domestic share and imports does not come to 100%.

The domestic industry has stated that manufacturing cost of their competitors is less as natural gas is very cheap. However, Government of India has imposed 7.5% basic duty on the imported raw material in order to provide sufficient protection to the Indian industry.

The domestic industry in their applicant has not provided details of the capacity, production and utilization etc of the other Indian manufacturers. Most of the manufacturers named in the application have stopped manufacturing Sodium di-chromate due to factors like unviable capacity and high cost and erratic availability of the local chrome ore. This has lead to a virtual monopoly situation in favour of the applicant, who imports ore from South Africa at prices cheaper compared to local ore prices.

The applicant is making good profits. However, because of high interest costs due to heavy borrowing, the profits are low.

The chrome pigment manufacturing industry is a labour intensive industry and imposing of interim safeguard duty will lead to substantial unemployment and closure of the units. The resulting higher prices of Chrome pigments could result in substitution by organic pigments. The applicant could take advantage of this situation and raise prices, restrict supplies.

Imports have always existed while local supply situation has not been consistent. The applicant had frequent shutdowns due to plant problems resulting in inconsistent/irregular supplies.

Pricing opportunism has been frequently resorted to by the applicant for the Indian market while domestic industry export their product at prices which are lower than the international market.

The profit before income and tax defers logic: The DI as per annual report 2010-11 claimed sales of Rs.307 Cr and PBIT of Rs. 4.07 Cr at 13.6%. The sales of PUC are Rs. 129 Cr as per DI's Annual Report. Assuming DI's sales of PUC would generate 13.6% PBIT, the contribution of PUC towards the total PBIT of 43.7 Cr would have been Rs.17 Cr. Taking the PBIT as 100% index , the PBIT of PUC sales in 2013-14 would have generated a loss of 38 Cr at (-27) PBIT. The DI actually made a PBIT of Rs.49.6 Cr in 2013-14. This means that PBIT from the downstream products must be Rs.83 Cr at 40% PBIT whereas the PBIT from sales of the PUC is (-27%). The PBIT numbers defers logic and requested to scrutinize the cost audit report prepared by their Cost Auditor.

Cost audit report for the period 2010-11 to 2013-14 may be reviewed to arrive at the correct cost of production which will help in having more clarity on the profitability of the PUC.

Year	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
Raw material Based on the above consumption as % age of sales	53.3%	55.3%	46.1%	44.2

Based on the above material costs, it is very clear that the PUC cannot make loss with the above material consumption levels as supported by the consistent and significant increase of PBIT and share price of the DI over the so called injury period. Thus DI is not suffering injury or is not under threat of injury from increased imports.

The main reason for increased imports is due to lack of availability of correct quality of PUC locally manufactured.

Lack of technology and infrastructure to meet the current global quality specification of the PUC.

Closures forced on several manufacturers due to not complying with strict environmental norms as PUC is oxidizing very toxic and dangerous material to environment.

Lack of reliable supply from DI due to dependency on imported raw material.

M/s Vishnu Chemicals primary focus is to sell downstream products from the PUC in 2013-14. They have produced 29129 MT of PUC. DI permitted Consent for operations (CFO) as per pollution is 36000 MT. The DI's claim of capacity of 86000 is false. The DI neither has the infrastructure nor the license for manufacturing or safe disposal of hazardous waste that will be generated for the manufacture of 86000 MT of PUC from the necessary pollution control authorities.

Also the DI has claimed the installed capacity at 86000 MT from 2010. However, in their web site they are currently claiming 70000 MT only. In the petition the DI claimed installed capacity for the year 2010-11 to be 93200 tons. However, in their annual report of 2010-11 they claimed a capacity of 86000 MT.

The true installed capacity of the DI & CFO and permissible limits of hazardous waste quantities needs to be validated.

Nifty Chemicals (Nagpur) & Jesons Chemicals Haryana: 100% captive consumption in the downstream products. Hence PUC produced is not available for catering to the local market demand.

Shiva Chrome Chemicals P. Ltd, Jaipur also uses PUC for downstream products and not a regular manufacturer.

Sri Kanaka Durga Chemicals, AP: Such a company does not exist. There exists a company called Sri Durga Chromate Pvt Ltd which for the past three months has not manufactured a single kilogram of PUC. Due to environmental and technical problems they are not expected to start operations in the near future.

M/s Konark Chemicals,Orissa, M/s Divyajothi Chemicals ,Orissa, M/s Harshon Chemicals Shadole M/s Lords Chemicals (Under auction) ansd M/S Sidharth Chemicals, Orissa are not operational and have stopped manufacturing PUC for the domestic market for quite some time.

List of local producers mentioned by DI in their petition is wrong and the entire information pertaining to total Indian producers sales etc are completely wrong.

Vishnu Chemicals have exported PUC at much cheaper prices compared to the imports into India during the same period. DI had also claimed that import price is lower than their costs of production. It means that Vishnu has exported the PUC below their cost of production. Hence, requested to investigate the export pricing & profitability of the DI.

Sulphate and insoluble should be minimal in the PUC in order to meet the specifications downstream products. The DI's specifications of PUC are inferior to the global standard and levels of sulphate, chloride and insoluble in the PUC from DI are much higher. Hence Indian manufactures of chromic acid, Ibuprufen, sodium saccharain prefer to import the PUC.

As per A.P Pollution Control Board's Consent for operation can only produce 120 MT per day in 2010-11. They produced 30407 MT at 84% capacity utilization when the imports were 4745 MT. Their production almost remained at the same level with marginal reduction in 2012 and 2013. The maximum drop in production of the DI is 5.8%. The main reasons for this as per the DI's annual report are due to shortage of raw material and power.

From 2011-12 to 2012-13, the DI's inventory has gone down by 22% and a further sharp and significant reduction by 40% in 2013-14. Based on this information as provided by the DI, there is no correlation between increased imports and increased in inventory levels.

DI is claiming to be employed more than 1000 thousands employees in their website. It is essential to scrutinize the numbers provided by the DI though in the past 3 years it must also be noted that the reported numbers are consistent without any sharp or significant changes despite increased in imports as well as production.

Out of the annulized import data of 1104 MT for 2013-14, 416 MT between Jan –Mar 2014 were sold on high seas to third countries. So it would be wrong to classify the 416 mt sold to third countries as part of imports into India.

The DI has given no evidence at all in support of unforeseen circumstances. The explanations given are more of mere statements and cannot be considered as unforeseen.

DI has not given any evidence in the form of statistical data regarding the minimal impact of the imposition of the safeguard duty, if any, on the downstream industry using their products as raw material and consequent impact on the public at large using the end product manufactured by the domestic industry.

(viii) **M/s Colours Chromes Pvt Ltd:** Colour Chromes are engaged in the manufacture of Chromic Acid and for such manufacture Sodium Dichromate is a major input. The manufacture of Chromic Acid is completely dependent on the use of Sodium Dichromate.

The chart formulating in Section 'c' under Market Share in the Notice appears to be erroneous as the production of Vishnu used in Captive Consumption has not been considered to give correct market share of Vishnu and others vis a vis imports.

The domestic sale index of the domestic industry has increased from 100 in 2010-11 to 130 in 2013-14 i.e. from 12138 M.T. to 15780 M.T. Thus as Vishnu has increased its domestic sale by the margin of 3642 M.T. (15780 M.T.-12138 M.T.), in the increase of the total domestic demand of 8035 M.T. Vishnu has rather been able to garner almost 45.3% of the increased market demand over the period of four years

The increase in the import by 6639 M.T in spite of the fact that Vishnu increased its domestic sale by 3642 M.T. during the material period is due to fact that one of the Indian manufacturers, M/s. Lord Chemicals ltd, 48A, Park Street, 5th floor, Kolkata- 700016 closed down its operation in the year 2012-13, which had sales of nearly 1500 M.T.

During the period of investigation the other Indian producers have continued to maintain same level of production & sale while domestic industry has increased its domestic sale by 3642 M.T. The increase in the quantity of imports has catered to the increased domestic demand which DI or other domestic manufacturers have failed to meet. Thus, the increase in the quantity of imports is not at the expense of any of the domestic producers, much less at the cost of DI, which is on the contrary found to increase its domestic sale by 3642 M.T. during the material period.

Domestic industry has all along remained the dominant manufacturer of Sodium Dichromate in India and occupies 73% of the total domestic production. DI not only sells Sodium Dichromate in the domestic market and exports, but also consumes a substantial quantity in the manufacture of subsequent derivatives, mainly Chromic Acid, Basic Chromic Sulphate (BCS), Saccharin and K3. The domestic industry has diverted much more material for captive consumption, reducing the availability of Sodium Dichromate for its domestic sale. This has necessitated imports to meet the Country's rising demand.

Being in position of dominance, as a supplier of Sodium Dichromate in the country, record proves that it has been always the intention of Vishnu to decimate the Indian manufacturers of Chromic Acid and other derivatives by regulating and controlling the supply of Sodium Dichromate at its' own will on the one hand and also to charge arbitrary price for the same.

The other Indian derivative manufacturers have been already suffering from the monopolistic dominance of Vishnu and since they could find an alternative source of Sodium Dichromate from overseas market, Vishnu is determined to curb that source so as to maintain its repression over such Indian manufacturers by sustaining its monopoly

The reasons for the domestic consumers of Sodium Dichromate to import Sodium Dichromate, at a price which is higher than DI's export price are

(a) DI charges an abnormally high rate in the domestic market as compared to the price at which it is able to export, thereby rendering all derivative manufacturers unviable.

(b) The quality of the product is inferior to the quality of the imported material.

(c) The batch consistency is far inferior as compared to the imported material.

(d) There is no reliability of supplies and commitment to fulfill the contracts agreed upon.

There is always an attempt to extort from the smaller derivative manufacturers as DI controls more than 75% of the domestic production and is running a monopolistic business.

During 2009-10, Colour Chromes placed order for supply of 820 M.T. against which it was supplied only 362 M.T. Similarly, in the year 2011-12 against 110 M.T. Colour Chromes received 98.5 M.T., in 2012-13 against 210 M.T. Colour Chromes received 204 M.T. and in 2013-14 against 100 M.T. it received only 83 M.T.

DI has deliberately made short supply with a clear intention to hamper the business of Colour chromes. Vishnu has obviously chosen to sell the Sodium Dichromate in the market and captively use the same in the manufacture of the derivatives itself, rather than enabling the Indian manufacturers to produce the same and cater to their customers of such derivatives.

DI has set up installed capacity much higher than the domestic requirement over a long period. It was done possibly aiming at the export market. In the year 2010-11 when import was only 11% and when there was no so called threat of injury, caused by the import of Sodium Dichromate, the capacity utilisation of Vishnu remained at 33% and till 2013-14 the capacity utilisation is found to be 34%. DI has not made any effort to utilize more of its installed-capacity. Since the installed-capacity utilisation has remained more or less constant, the increase in import is not the reason for DI's not being able to register further increase in the capacity utilisation.

DI has been able to increase its domestic sales during the material period, it can be at least concluded that no loss, has been suffered by it, or if at all is attributable to the increase in the imports of Sodium Dichromate.

DI is a profit making concern over the last several years. It has had an operating profit of Rs. 56 Crore per year for the last 2 years. This is evidence enough that DI is not selling below its cost of production. The attempt to implement safeguard duty is for the sole purpose of extorting higher price from its customers and to augment its position further as a monopoly supplier in India as it already commands around 75% of the total production in India.

The production as well as sales of the domestic industry has remained almost constant during the material period. When the domestic supply has remained constant, it is very clear that due to the inability of the indigenous manufacturers to increase their production to cope up with the increased demand in the domestic market, the gap has been bridged by imports.

The Vishnu is a profit making company for the last several years and therefore is under no price pressure, which can be verified by his Balance Sheet

The production levels in the Indian industry have remained more or less constant.

The quantum of domestic sales of Vishnu has increased from 2010-11 to 2013-14, i.e. from 12138 MT to 15780 MT, by 30%, despite imported material coming into the country.

Capacity utilization has remained constant.

Inventory levels have continuously reduced to 513 MT in 2013-14 amounting to only 4.7 days production. This clearly shows that there is no upsurge in inventory. Rather it indicates production is unable to keep pace with demand.

The productivity and employment remains constant for the last 4 years.

Imposition of safeguard duty on Sodium Dichromate will definitely result in closure of many downstream units and lead to huge loss of jobs. It will leave the field open to DI to indulge in monopolistic and restrictive trade practices, which is very damaging to all consumers.

For the manufacture of Sodium Dichromate, DI regularly imports Soda Ash & Chrome Ore, which is available in plenty in the Indian market. The purpose is obviously to get Soda Ash & Chrome Ore at a competitively cheaper price, so that the manufacturing cost of Sodium Dichromate in its hand can be less. The Sodium Dichromate being the raw material for Chromic Acid, manufactured by Colour Chromes and others, DI wants to impede the alternative source of Sodium Dichromate at a competitive price from the overseas suppliers, so that Colour Chromes or others do not have any other option, but to buy from DI at a higher price and also as per its deliberately erratic manner of supply.

If DI wants to enjoy the option of import of Soda Ash & Chrome Ore from the competitive global market, it should not have any grudge against the manufacturers of

Chromic Acid and other derivatives of Sodium Dichromate, to have the same advantage of sourcing their inputs from the competitive global market at a lesser price.

DI produces only Sodium Dichromate Dihydrate, whereas Colour Chromes, like many others, imports Anhydrous Sodium Dichromate. The difference between the two is that anhydrous variety contains moisture about 0 to 1% whereas the hydrated variety produced by DI contains moisture around 12-14%. Therefore, the sodium dichromate manufactured and supplied by DI cannot be considered as a substitute of the imported anhydrous sodium dichromate. The imported variety cannot be treated *as "like article"* in terms of Rule 2 (e) of the Safeguard Rules to qualify for imposition of Safeguard duty.

Colour chrome has submitted the photocopies of emails received from DI regretting its inability to meet the international specifications. The Test reports of Vishnu and that of the foreign suppliers are also submitted indicating that there is substantial difference in purity of the product as well as the levels of sulphate (SO4) and chloride (Cl) content. The sulphate content and chloride content in Sodium Dichromate is very critical for the manufacture of Chromic acid, manufactured by Colour Chromes. Chromic acid produced from domestic Sodium Dichromate has high levels of sulphate and chloride impurities, which are present predominantly in the raw material, Sodium Dichromate and is not acceptable to the organized Chromic Acid user in India and world-wide. Therefore the Sodium Dichromate manufactured and supplied by Vishnu cannot be wholly compared as a substitute of the imported Sodium Dichromate Dihydrate.

If Safeguard duty is imposed, it will definitely kill all the domestic manufacturers of derivatives in a very short time, being unviable due to both non-availability and high price of Sodium Dichromate, as they will be totally dependent on the supply of DI. Since Vishnu is also engaged in the manufacture of the same derivatives of Sodium Dichromate, it will usurp the market of all such derivative manufacturers and will remain as a single player in the Indian market. An inevitable consequence the end-users of such derivatives will be left with only one source of supply i.e. Vishnu and may ultimately have to turn to import of those derivatives and again possibly necessitating further imposition of safeguard duty on the import of such derivatives at the behest of Vishnu on the similar pleas that Vishnu has advanced now.

(ix) **M/s Sudharshan Chemicals Industries Ltd:** DI enjoys a monopoly of sodium dichromate production within India producing approximately 75% of total domestic output. The petitioner has indulged in anticompetitive practices over past which include directly or indirectly imposing unfair discriminatory conditions or prices in purchase or sale of goods or services; restricting or limiting production of goods and services or the market; indulging in practices resulting in denial of market access.

The impact of imposition of safeguard duty would be catastrophic for the domestic consumer of sodium dichromate as increase in costs would leave the producers of lead chrome pigment to take drastic measures such as shutting production facilities and relying on outsourced production.

The sales volume of the producer has mildly decreased but the operating profit and sales revenue have increased significantly. This upward movement in the rupee – volume because of ever-increasing margin of the producers and their unwillingness to pass forward cost benefit to the consumer**.**

(x) **M/s Sona Synthetic Products:** They are a small scale pigment manufacturer and use sodium dichromate as raw material to manufacture inorganic pigments and lead chrome pigments.

DI is the only local supplier and thus holds a monopoly in the local market.

As per notice of initiation, DI has never been able to work beyond 35% of the plant capacity even when the import was low and as per their experience DI has failed to provide the required quantity whenever needed.

DI has been importing raw material (chrome ore) for manufacturing sodium dichromate and any delay in procuring their raw material will have a direct impact on the production of sodium dichromate which will have a cascading effect on all the pigments manufacturers. Imports as an alternative option of imports will always help the industry by not being dependent on only one local manufacturer.

(xi) **M/s Bajaj Chemicals Industries:** There were some 20 manufactures of sodium bichromate in India. All of them except one or two have closed their units due to pollution and other problems. DI is

having somewhat monopoly business in our country. Imposition of safeguard duty will kill all those units who are using sodium bichromate as a raw material.

(xii) **Turkey Embassy:** As per official statistics in International Trade Centre released by the Republic of India, Turkey's individual share with regards to quantity in sodium dichromate import even in 6 –digit HS Code represent a ratio below 3% which should be taken into account under the provision of Article 9.1 of the Agreement of Safeguard.

(xiii) **M/s Lanxess India Pvt Ltd:**

(a) The reasons for the increased imports of PUC is a supply inability due to :-

(i) Raw material shortages: In its annual report 2011-12, DI is stating that its production has been negatively impacted by raw material shortages.

(ii) Increased captive use of PUC of DI: PUC is the most important raw material for a wide variety of industrially manufactured chrome materials, e.g chromic acid, chrome tanning salts, chrome oxide etc. The margin generated by the sale of these downstream products of PUC is higher than the margin achieved by the sale of PUC, hence all PUC producers try to maximize the captive use of PUC in their operations and reduce the volumes of PUC sold externally. The figures provided by the DI in its application indicate there is a sharp increase of the captively used PUC from 2012-13 to 2013-14. The increase in captive use correlates exactly with an increase in PUC imports during the same period.

(iii) Other domestic producers ceased production during the POI: Not all domestic Indian PUC producers were able to comply with increased environmental standards and lost their license to operate. Thus, existence of a valid license to operate for PUC may be verified from Environmental Protection Bureaus. In the absence of these domestic Indian PUC producers, the increase of imports of PUC is a consequence of the reduced domestic production capacity.

(b) DI has not suffered economic damages from imported PUC as

(i) The PBIT of DI has continuously increased during the POI: During the last 2 years when increase in imports was significant the PBIT has continuously grown both in absolute as well as in relative terms.

(ii) DI is exporting PUC at price levels below the corresponding import prices for PUC into India.

(iii) No correlation between inventory levels and imports of PUC during POI. Despite increasing imports of PUC, the inventory level has come down by more than 50% since 2011.

(c) A safeguard duty on PUC is likely to result in a-

(i) Quasi monopolistic Market position of DI: The existing market share of DI is in the order of 30.-35%. This market share is likely to be even higher depending on the number of closed plants up to 50%. In the absence of imported PUC, the already dominant market position of DI would further increase and results in a quasi –monopolistic situation, which will ultimately to the disadvantage and the severe threat to all Indian downstream PUC consumers.

(ii) Deteriorated international competitiveness of the domestic Indian Chrome Chemicals industry

(d) The impact of a safeguard duty on the raw material costs of basic Chrome Sulfate and chromic acid is as follows:

Product	Assumed safeguard duty rate	Absolute increase in raw material costs	Relative increase in raw material costs
Basic chrome sulfate	20%	130 USD/t	17%
Chrome Acid	20%	430 USD/t	18%

The resulting increase in total cost increase would significantly reduce the competitiveness of the affected industries in their export market and hence reduce the turnover and profit margin.

(xiv) **M/s Trigon Gulf FZCO:** They export to India industrial users Anhydrous Sodium dichromate which is not manufactured either by M/s Vishnu Chemicals or any other company. The Indian industry needs this specific grade by virtue of its superior technical parameters and performance. The petitioner has clearly mentioned that product offered by them has moisture content of 11% whereas the product exported by them has a moisture content of max0.5% Thus, these two products are different products.

The petitioner is the single largest producer of the product and imposition of an specific duties will mean placing this individual company in a privilege position.

M/s Vishnu Chemicals exports their products and that too at prices lower than international prices.

The DI is dependent on import source for their raw material thus the user industry will become very vulnerable should the import of sodium dichromate be restricted.

(xv) **M/s Mid Ural Chemicals S.A.:** The petition enjoys a monopoly of Sodium dichromate. There have been several previous instances wherein the producer have restricted supply by arbitrarily ceasing or limiting product without intimation, causing several production disturbances for domestic consumers and is one of the main reasons why consumers have chosen to buy from sources other than the petitioner.

Quality of the product is substandard as compared to foreign producers.

They themselves have mentioned that their technology is not cost effective as they are not using CO_2. For their technical weakness exporters and buyers should not be penalised.

Their petition provides proof of their absolute anti competitive pricing policies. The sales volume of the producers has mildly decreased but the operating profit and sales revenue have increased significantly. This upward movement of rupees- volume is because of ever increasing margin of the producers and their unwillingness to pass forward costs benefits to the consumers.

There are no unforeseen circumstances responsible for the increase of imports.

Petitioner claim on reduced profitability may be on account of obsolete technology.

Product produced by them is anhydrous while the one sold by the petitioner is dehydrate. Thus, it is not a case of fully similar product.

A genuine and substantial casual relationship between the imports and alleged injury suffered by the petitioner is lacking.

The safeguard duty is not in public interest as petitioner has more than 75% market share and imposition of safeguard duty would place them in a monopolistic position.

There is absence of causal link between surge in imports and serious injury to domestic market.

There is absolutely no reason for considering provisional safeguard measures as no critical circumstances exist in the case.

Safeguard duty is an emergency device designed to relive the domestic industry of an acute injury caused by radical increase in imports. Gradual increase over a long period of the time is unlikely to put a domestic in a situation that justifies an emergency remedy like safeguard duty.

7. A public hearing was held on 05.08.2014. The notice for which was sent to all interested parties on 17.07.2014. In response to this notice following interested parties attended the public hearing.

(i) M/s Vishnu Chemicals
(ii) M/s Nifty Chemicals
(iii) M/s Konark Chrome Chemicals
(iv) M/s Sri Kanakdurga Chromates Pvt Ltd
(v) M/s Colour Chrome Pvt Ltd
(vi) M/s Solar Chemferts Pvt Ltd
(vii) M/s IOL Chemicals and Pharma
(viii) M/s Shasun Pharmaceuticals
(ix) M/s Madhu Chandra Techno Chem Complex
(x) M/s Sona Synthetic Products
(xi) M/s Sudharshan Chemicals

(xii) M/s Vapi Pigments Pvt Ltd
(xiii) M/s Micas Organics Ltd
(xiv) M/s Raveshia Colurs Pvt Ltd
(xv) M/s Anupam Colour Chrome
(xvi) M/s VOXCO Pigments
(xvii) M/s Lanxess India
(xviii) M/s Anupam Colour Pvt Ltd
(xix) DSK Legal

8. The last date of filing written submission was 12.08.2014. All the written submission filed on or before were placed in the public file and circulated amongst all different interested parties in order to enable them to file rejoinders, if any, by 20.08.2014. On request, Embassy of South Arica was granted time to file their response by 03.09.2014. The submission received from Government of South Africa was again circulated amongst interested parties with request to offer their comments by 10.09.2014

9. On 30.07.2014, Hon'ble High Court of Punjab and Haryana passed an order wherein court has directed to grant a hearing to M/s Chandigarh Chemicals Pvt Ltd. in the case. As per the direction of Hon'ble High Court, M/s Chandigarh Chemicals Pvt Ltd was heard on 10.09.2014 in the presence of Domestic Industry. The DI was allowed to file their rejoinder on point raised by M/s Chandigarh Chemicals Pvt Ltd by 18.09.2014. On request of DSK Legal and M/s Lanxess the time to file their response on additional rejoinder filed by the domestic Industry was extended till 31.10.2014.

10. The individual submissions made by the domestic Industry and interested parties after the Public hearing are recorded in a consolidated manner and are being dealt with herein below:

A. M/s Vishnu Chemicals Pvt Ltd (Represented by TPM Consultants)

(i) There has been no response from the exporters. There has been no response from producers from Russia (which is the major supplier of subject goods into India) and from South Africa and Kazakhstan. Only the Indian Agent of Lanxess, South Africa has filed submission (but no questionnaire response). Apart from the exporters, only two traders have responded.

(ii) No information has been filed by the Lanxess, exporter from South Africa, and the traders namely, Trigon Gulf Fzo, Dubai and Midural Chemicals SA-Switzerland, in the form and manner prescribed by the Director General.

(iii) Following importers and consumers have submitted response and have also participated in the oral hearing but none of the parties have filed the importer questionnaire response.

- Colour Chrome-
- Anupam Colours Industries
- Anupam Colours Pvt Ltd
- Sudarshan Chemical Industries Ltd
- Micas Organic Ltd
- Raveshia Colors
- Solar Chemferts Pvt. Ltd.
- Sona Synthetics Products
- Voxco Pigments
- Vapi Pigments Pvt Ltd.

(iv) The major consumer segments of Sodium Dichromate are as follows:

SN	Segment	Volume	Share
1	Basic Chromium sulphate (Leather Industries)	22512	44%

2	Chromic acid (Electroplating)	9768	19%
3	Pharma	7800	15%
4	Chrome Pigments	5400	11%
5	Saccharin	2580	5%
6	Speciality dyes	1260	2%
7	Others	2040	4%

The majority response in the investigation has been from the pigment industries, which is not even amongst the major consumption segment of the product.

(v) The some of the importers are trading the imported Sodium Dichromate in the domestic market. M/s Colour Chrome imports the product and then trades it in the domestic market.

(vi) A large number of consumers used a power point presentation which was prepared by DSK Legal. DSK Legal and Lanxes also made submissions independently. However, it is not clear whether DSK Legal filed any legal authorization before the Director General (Safeguards). The parties on whose behest DSK Legal made submissions were also listed in the presentation made by DSK Legal. However, no document could be seen in public file which shows authorisation by all these parties to DSK Legal (including Lanxess). In the absence of any authorization by these parties, the submissions made by DSK Legal should be considered as submissions without authorization.

(vii) Lanxes South Africa has preferred a non cooperation and Lanxes India has made elaborate submissions without filing of questionnaire response should be seen as submissions made by Lanxes South Africa using Lanxes as a proxy.

(viii) The writ petition was filed by DSK Legal before Hon'ble High Court on 5th August, 2014 The parties listed in the matter preferred to hide the fact from the Director General. This is all the more relevant and important in a situation where the same Counsel represented the parties before Delhi High Court and before the Director General.

(ix) The product under consideration in the present petition is "Sodium Dichromate" also known as 'sodium bichromate' in anhydrous and di-hydrate form. The argument is baseless. The goods produced by the petitioner are as per BI Standards.

(x) The major raw material, i.e., chrome ore, is being imported from South Africa, which is, as contested by Lanxess itself, of the best quality. The process adopted by petitioner and Lanxess is also the same. The domestic industry fails to understand then how the quality produced by it can be inferior when petitioner itself is admittedly producing and selling some of the major downstream products by captively using Sodium Dichromate, which is also being produced and sold by the consumers of the product under consideration.

(xi) The goods produced by them are like article to the goods imported in India. Both the products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. Comparison of essential product properties in respect of domestic product and imported product would show that the goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods in terms of essential product properties.

(xii) The only difference between Sodium dichromate di-hydrate from and sodium dichromate anhydrous form is of the moisture content in the two. Petitioner produces sodium dichromate in dihydrate form, which has moisture content of 13 %, whereas the imported product includes product in anhydrous form, which has moisture content of approx 2%. The product is used by the consumers for the content of dichromate present in it. If dichromate content is higher, it only means lower consumption is sufficient.

(xiii) The fact that the consumers of all segments have been using sodium dichromate produced by the applicant clearly shows that there is no difficulty in using the product produced by the applicant and that the products are substitutable.

(xiv) Vishnu Chemicals Limited commands a "major proportion" in the Indian production. M/s Konark Chemicals Pvt Ltd, M/s Madhuchandra Chemicals, M/s Nifty Chemicals, M/s Arshan Chemicals and M/s Sri Kanakadurga have participated in the investigation and the oral hearing conducted by the Director General. These producers are also requesting the Director General to impose safeguard duties. It is also seen that M/s Konark Chemicals Pvt Ltd and M/s Sri Kanakadurga have also submitted questionnaire response. It is requested that the Director General seeks appropriate information from these interested parties and determine petitioners standing accordingly.

(xv) M/s Konark Chemicals Pvt Ltd and M/s Sri Kanakadurga have filed questionnaire response post initiation of investigation. Consolidated injury statement by including information in respect of these two companies is being filed separately.

(xvi) Post initiation, some producers have filed questionnaire response and disclosed their production and sales volumes. It is noted from the response that the actual volume of production by these parties is lower than the volume assessed by the petitioner. Accordingly, petitioner has updated the information with regard to Indian production and share of petitioner in Indian production. The revised statement is enclosed.

(xvii) The Director General has considered import data as per DGCI&S at the time of initiation. However, in view of imports of sodium dichromate in dihydrate form and anhydrous form, petitioner has adopted secondary source data. Petitioner has analysed each and every import transaction and has identified whether the import transaction pertains to di-hydrated form or anhydrous form. Thereafter, petitioner has determined import volumes by converting anhydrous form imports into dihydrated form. This has been done by considering the dichromate content.

(xviii) Import have registered significant surge in absolute terms. The imports have further increased sharply in the period April-June 2014. It would thus be seen that there is a sudden, sharp and significant increase in imports in the recent period.

(xix) Imports in relation to production have shown continuous increase and has increased significantly from 17% in 2010-11 to a significant share of 53% in April-June 2014.

(xx) The imports of product under consideration have increased rapidly in relation to Indian consumption of product under consideration. Imports have increased to such an extent that the imports in relation to consumption constitutes 50% of Indian consumption.

(xxi) The majority of imports were from the Russia and the surge in imports over the period is also because of imports from Russia. Imports from South Africa in fact remained at stable level over the period. Further, none of the exporters from Russia have responded to the authority and are therefore non-cooperative.

(xxii) The aviation industry is in downtrend and therefore the usage of Sodium Dichromate for the production of Chrome metal has declined significantly. This has forced the exporters and producers from Russia to export goods to other countries with growing demand.

(xxiii) South Africa exports sodium dichromate to its plant in Germany which uses the goods in producing chrome oxide green. The market of chrome oxide green is in downtrend. This has forced the company to cut down exports to its related plant in Germany and look for other growing markets. Turkey (Siescom) has expanded capacity much more than demand.

(xxiv) The petitioner submits that the all the parameters illustrated under the law shows injury suffered to the domestic industry.

(xxv) The petitioner had two plants for production of product under consideration in the injury period considered by the Director General. The production in the plant at Bhilai was suspended in 2011-12 in view of lack of demand for the product in the country. Accordingly, petitioner has reduced the capacity for the purpose of determination of capacity utilization in the petition and present submissions.

(xxvi) The mere fact that petitioner has not produced in Bhilai plant in 2011-12 does not imply that the capacity is no longer available. The petitioner requested the Director General to kindly consider the installed capacities and not deployed capacities for determining capacity utilisation.

(xxvii) The overall demand for the product under consideration over the injury period has increased.

(xxviii) With the increase in imports the imports price has declined whereas the costs of production has increased. DI has submitted an evidence to show that the import prices have further declined to Rs 1330/MT in the month of July 2014 thus establishing severe injury to the domestic industry.

(xxix) Production of domestic industry declined significantly despite growing demand of the product under consideration in India and sufficient capacity with the domestic industry.

(xxx) Capacity utilization of the domestic industry has also declined in the recent period. Domestic industry is facing significant unutilized capacities due to low priced imports and surge in imports in last two years despite sufficient capacities in India. Domestic Industry is utilizing only 32% of its capacities. The Indian Industry has full capability to meet the demand in the country by utilizing its capacities to the optimum. Imports of subject goods are not needed to meet the demand in India.

(xxxi) Petitioner submitted that the letter from Pollution Control Board refers to what the company can produce and sell as product under consideration and what the company can produce and sell as downstream products. Even for downstream products, the petitioner requires product under consideration. This is however not reported in the saleable capacities reported by Pollution Control Board The Pollution Control Board has clarified that the sodium dichromate capacity of the petitioner is 210MT/day. Letter from Pollution control Board is enclosed with this submission.

(xxxii) Increased imports have led to increase in market share of imports and reduction in market share of the domestic industry. Market share of the domestic industry declined from 64% in 2010-11 to 54% in 2011-12. The market share of the domestic industry post initiation in the most recent period of April-June 2014 has further declined.

(xxxiii) Sales of the domestic industry have declined sharply after increasing till 2012-13. There is significant decline in the sales volumes of the domestic industry in April-June 2014 period which coincides with further increase in imports in this period.

(xxxiv) Despite significant increase in demand, sales of the domestic industry in the domestic market have declined.

(xxxv) Domestic industry's sales to its major customers (including the parties opposing the imposition of safeguard duties) over the period have also declined with the increase in imports.

SODIUM DICROMATE (MAJOR CUSTOMERS)					
SN	PARTY NAME	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	Anupam Colour & Chemical Industries.	***	***	***	***
2	Anupam Colours Pvt Ltd.	***	***	***	***
3	Prasad International Ltd.	***	***	***	***
4	Vapi Pigments Pvt Ltd.	***	***	***	***
5	Sudarshan Chemical Industries Ltd.	***	***	***	***
6	Sona Synthetic Products	***	***	***	***
7	Shasun Pharmaceuticals	***	***	***	***
8	IOL Chemicals	***	***	***	***
9	MICAS	***	***	***	***
10	Solar Chemferts	***	***	***	***
	GRAND TOTAL	6936.35	6377.7	5566.6	4414.8

(xxxvi) The allegation on the domestic industry of non timely supply is merely to cover up the consumers' interest in imports.

(xxxvii) DI has made every effort to sell its product by offering the PUC at fixed price or at par with the import prices. There could not have been more efforts than this by the industry to sell its product.

(xxxviii) Petitioner has requested to call the DGCI&S transaction wise data for two reasons –

a) There are imports of anhydrous form and dihydrated form of the product under consideration and the same are required to be expressed in one form, it is therefore important to adopt transaction wise data.

b) The transaction wise DGCI&S data shall also contain name of the importers. Since none of the importers/consumers have filed questionnaire response even when a number of importers/consumers made oral submissions, the DGCI&S data would readily show the factual position with regard to imports made by them. The information would show that the decline in sales volumes of the domestic industry is because of increase in imports by these consumers.

(xxxix) The imports are significantly undercutting the domestic prices. The price undercutting is resulting in increased imports and is causing price suppression.

(xl) The domestic industry is suffering significant financial losses. Further, the losses suffered by the domestic industry kept increasing throughout the injury period.

(xli) Return on investment was also negative and deteriorated over the injury period.

(xlii) Import price have remained below the level of cost of the domestic industry. Therefore, the Domestic Industry had to keep its prices below the cost of sales resulting in financial losses. The financial losses are crippling the Domestic Industry. The return on capital employed has remained negative throughout the injury period.

(xliii) The threat of serious injury is established by the following factors –

(a) The price difference between domestic and imported product is quite significant;
(b) The demand of the product in the major exporting countries has declined. Resultantly, the foreign producers are looking for additional markets to the extent possible;
(c) The volume of imports has increased significantly in a relatively short period;
(d) Significant share in the domestic market is already held by the imports and such shares are increasing.

(xliv) There are no other factors that may be attributing to the serious injury to the domestic industry other than increased imports.

(a) Demand of the product: Demand of the product under consideration has increased. Thus, the injury to the domestic industry is not due to any decline in demand.

(b) Changes in the patterns of consumption: The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Changes in the pattern of consumption could not have contributed to the injury to the domestic industry.

(c) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers: There is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry

(d) Developments in technology: Technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.

(e) The analysis of injury is in respect for domestic operations only. Therefore, possible deterioration in the export performance of the domestic industry is not a possible cause of claimed injury to the domestic industry.

(f) Performance of other products being produced and sold by the domestic industry: Claimed injury to the domestic industry is on account of product under consideration. Petitioner has segregated data and provided in respect of product under consideration only.

(xlv) The imposition of safeguard duty on imports of product under consideration would be in the interests of domestic manufacturers. The measure would prevent further injury to the domestic industry from increased imports.

(xlvi) Imposition of safeguard duty would be in the interests of domestic consumers, as it is in the consumers' interest to have a competitive Indian domestic industry capable of supplying the product under consideration to the consumers and compete with foreign producers.

(xlvii) It is in the interests of the public at large to have a strong, competitive Indian domestic industry.

(xlviii) The eventual impact on the cost of the end products is insignificant. DI further submitted that the consumer segments are capable of passing on the cost increase to the consumers and therefore, the impact of proposed measures would be extremely negligible.

(xlix) It has become difficult to run the industry to its maximum capacity hence unable to generate any funds. If the safeguard duty is imposed, petitioner will be able to attain the maximum market share and are in a position to face competition by implementing various measures such as CO2 process etc.

(B) M/s Konark Chrome Chemicals Pvt Ltd.

(i) During last 3 years the raw material prices has gone up whereas sale prices of sodium dichromate has gone down due to heavy import of the said product causing injury to domestic industry.

(C) M/s Nifty Chemicals Pvt Ltd

(i) During last three years the rates of Chrome ore purchased from Orissa Mining Corporation have gone up 30%.

(ii) The cost of Soda Ash has been increased by 30%.

(iii) Cost of lime, the labour charges, transportation charges, other miscellaneous expenses and Govt royalty have gone up.

(iv) Their quality is good quality material, matching with all ISI specifications.

(v) They have manufacturing capacity of 200 Tonnes. Their performance has deteriorated in terms of production, capacity utilization, domestic sales, profits, employment and market share.

(D) Sri Kanakadurga Chromates Pt Ltd,

(i) Indian industry can take demand of sodium dichromate in the country.

(ii) All their co-producers are losing business due to increase in imports.

(iii) The goods produced by Indian industry are acceptable to all consumers**.**

(E) DSK Legal (Representing M/s Anupam Colours PvtLtd, M/s Anupam Colours and Chemical Industries, M/s Colours Chrome Pvt Ltd, M/s Micas Organics Ltd,M/s Raveshia Pigments Ltd, M/s Solar Chemfertss Pvt Ltd, M/s Sudharshan Chemicals Industries Ltd, M/s Vapi Pigments Pvt Ltd, M/s Voxco Pigments and Chemicals Pvt Ltd and M/s Sona Synthetics Products) have submitted the following submissions**:**

(i) DI's permitted CFO (Consent for Operations) as per Pollution Control Board is 36,000 MT. Hence the DIs claim of capacity of 86,000 is false.

(ii) The DI neither has the infrastructure nor the license for manufacturing or safe disposal of hazardous waste that will be generated for the manufacture of 86,000 MT of PUC from the necessary pollution control authorities.

(iii) The contention of DI that as per CFO given by the Pollution control board DI is authorize to manufacture PUC 36,000MT and Basic Chrome sulphate and Yellow sodium sulphate, 54,000 MT & 36,000 MT respectively as Basic chrome sulphate and Yellow sodium sulphate also contains some percentage of PUC,

which would make it 86,000 MT falls flat as CFO provides for production limit of each category separately and leaves no room for any different interpretation.

(iv) It has been categorically mentioned in the said CFO that DI is authorize to manufacture 36,000 MT (120*300 days) only and PUC if any forming part of other products would be included to calculate the production of PUC by DI, subject to a maximum production of 36000mt/annum.

(v) DI is dependent on imported Ore to operate their plant to manufacture PUC.and is maintaining minimal inventory of ~6 days of PUC, their petition for safeguard duty defies logic as they will not be able to meet the Indian market demand with such low inventories of the PUC which is dependent on the imported raw material for manufacture.

(vi) DI operates with a single refractory kiln, which requires frequent maintenance and needs to shut down for 2 to 3, weeks which could be one of the causes for short supply.

(vii) Nifty Chemicals (Nagpur) & Jesons Chemicals, Haryana use 100% captive production of the PUC in the down-stream products. Hence PUC produced not available for catering to the local market demand.

(viii) Shiva Chrome Chemicals P Ltd, Jajpur also uses PUC for down-stream products and not a regular manufacturer.

(ix) Some of the manufacturers of PUC like DivyaJothi Chemicals, Orissa, Harshon Chemicals, Shadole and Lords Chemicals, West Bengal (under Auction process by South Indian Bank) are either non-existent or have stopped manufacturing the PUC and same can be confirmed from the Ministry of Corporate Affairs.

(x) Sri Kanakadurga Chromates Pvt Limited does not regularly manufacture PUC and cannot be considered by any Indian customer as a reliable supplier both in terms of quality and quantity of PUC.

(xi) List of local producers mentioned by Vishnu Chemicals in their petition is wrong and data with respect to domestic market, production, sales etc. cannot be relied.

(xii) DI has failed to provide the reason for increase in imports. Respondents have submitted the following reasons for increase in import is due to the following reasons:

(a) Most of the users of PUC require high quality PUC for meeting their quality standards and despite several requests DI has failed to provide the same and has also shown incapability to meet our requirements.

(b) Domestic Chrome Ore despite being cheaper than the imported ore, which is the basic raw material for PUC is still not being used for the manufacture of PUC as that does not meets the quality standards of down-stream products.

(c) Most of the manufacturers of PUC in India have either closed their productions or are captively consuming the PUC for further manufacture of downstream products.

(d) DI actual capacity is not even half of what has been claimed by them.

(e) DI is importing Chrome Ore from South Africa as the Indian chrome ore is not able to meet the quality requirement of most of the Indian customers.

(f) DI themselves are admittedly captively consuming PUC in manufacture of downstream products, which hardly leaves PUC available for the users.

(xiii) Data available in the initiation notification indicates that the market share of Vishnu Chemicals in the year 2010-2011 was 60.42% as compared to 27.57% of other domestic manufacturers and 12.01% of the imports. This has shown a consistent trend whereby market share for Vishnu increased from 60.42% to

62.07% in the year 2013-14 and Imports have increased to 26.75%. Therefore, it is factually incorrect to say that increase in imports has caused any damage to DI and Vishnu specifically.

(xiv) The other domestic manufacturers (including Vishnu) have either stopped their productions or are captively consuming the PUC in the manufacture of downstream product; there is not enough PUC available for the users, leaving them with no option but to import the PUC.

(xv) Combined domestic production of Vishnu Chemicals and that of other manufacturers is not enough to cater the need of Indian market of PUC. Therefore, any restriction by way of safeguard duty on the import of PUC would make it further difficult to the downstream industry.

(xvi) During the POI apart from captively consuming the PUC, Vishnu Chemicals have also exported PUC at much cheaper prices compared to the imports into India.

(xvii) DI has claimed that there is price undercutting by the importers i.e. goods are imported at price less than their cost of production. However, DI's own export price is less than the import price indicating that DI is exporting the PUC at less than cost of production.

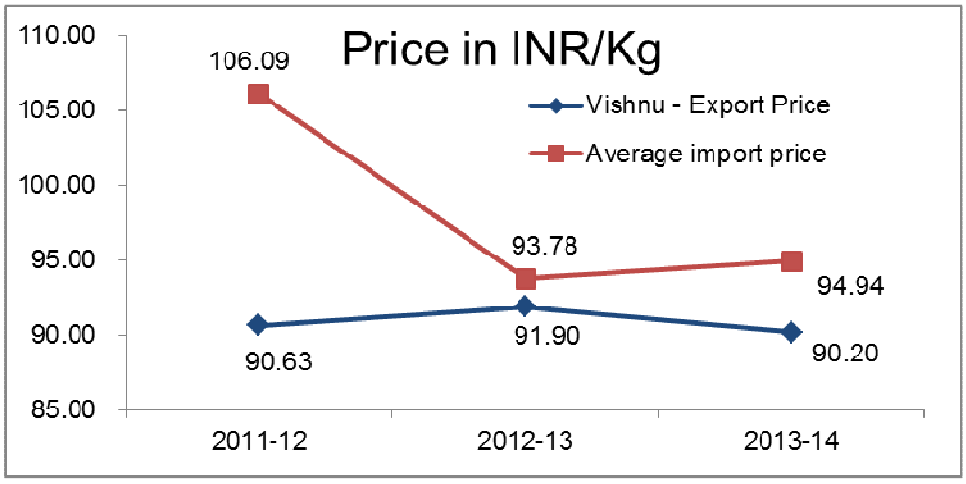

	2011-12	2012-13	2013-14
Vishnu chemical's export price lower than Average import price by	-17%	-2%	-5%

(xviii) The fact that the DI is consistently exporting at much lower price than the import prices of PUC is a clear indication that there is no need for safeguard duty for the PUC.

(xix) Respondents also pointed out that Vishnu had exported around 2400 Tonnes of Chrome Tanning Salts (one of the downstream product) in the month of June, 14, which was highest figure for any month and that shows that DI is concentrating on developing its market (India &abroad) in the downstream segment and is trying to create its dominance in the downstream market by using safeguard measures. Hence DI's request for safeguard duty is to create a monopolistic situation and will not be in the best interest of the Indian manufacturers of the down-stream products from PUC.

(xx) For Operation (CFO), Vishnu Chemicals can only produce 120 mt / day (36,000 MT, annually). In 2010-11, they produced 30,407 at 84% capacity utilization when the imports were 4,745 mt. Their production almost remained at the same level, with marginal reductions in 2012 and 2013 due to the

CFO permitted levels, lack of technology, quality issues and supply irregularities. The maximum drop in production of the DI is 5.8%. Despite this their sales were higher as compared to previous years.

(xxi) As per Annual Report 2011-12, due to shortage of raw material the production of DI was not continuous during last financial year and they have entered contracts with raw material supplies during 1st quarter for smooth supply for entire period.

(xxii) There is no capacity underutilization. DI has shown to have utilized 33% to 35% of their capacity in 2010-2014, which is away from reality. Taking CFO as the optimum capacity the utilization would be around 80% to 84%. Therefore, DI has utilized their capacity at the optimum with captive consumption of their production and also the exports, leaving no option for the downstream users but to import the PUC.

(xxiii) The significant increase in captive consumption has also translated in significant increase of profitability of the overall company from 13% in 2012-13 to 14.8% in Q4 2013-14.

(xxiv) The DI as per their annual report of 2010-11 claimed total sales of Rs 307 Cores and PBIT of Rs 43.7 Crores at 13.6%. The sales of PUC are Rs 129 Crores as per DIs Annual report. Assuming the best case scenario for the DIs sales of PUC also generating 13.6% PBIT, the contribution of PUC towards the total PBIT of Rs 43.7 Crores would have been Rs 17 Crores. Taking this PBIT as 100% index and based on Annexure 9 of the petition, the PBIT of PUC sales in 2013-14 would have generated a loss Rs 38 Crores at (-27%) PBIT. The DI actually made a PBIT of Rs 49.6 Crores in 2013-14 as per Audited Financial results. This means the PBIT from the down-stream products of PUC must be Rs 83 Crores at 40% PBIT whereas the PBIT from sales of the PUC is (-27%).

(xxv) Respondents submitted that the DI's sale of PUC forms more than 40% of their total sales. Also, DI overall consistently makes a PBIT of around Rs 44 Crores and improved it to Rs 50 Crores in 2013-14 and around 14% as a percentage of Net Sales from operations. Both in terms of absolute PBIT and in percentage their profitability has gone up.

(xxvi) The DI has exported the PUC consistently at prices below the prices which the Indian customers are paying is further proof that the claim made by the DI in petition the landed price of imports have remained significantly below the levels of cost of production of the DI are misleading.

(xxvii) High profitability in one segment of products (downstream products) and losses in another segment (PUC) further requires detailed and thorough investigation.

(xxviii) The increased profitability of the DI is evident from the share price movement in the last 52 weeks. Their share price has consistently increased and reached 52 week high of Rs 110 on 6th June.

(xxix) There is no increase in the inventory and there is no correlation between increasing imports of the PUC and any increase of inventory of PUC manufactured by the DI. Despite the continuous increase in demand of the PUC in the Indian market from 2011-12 to 2012-13 the DIs inventory has gone down by 22% and a further sharp and significant reduction of inventory by 40% in 2013-14**.**

(xxx) DI is claiming to be employing more than 1000 employees in their website. Considering the PUC is the main raw material for all the down-stream products manufactured by the DI, it is essential to scrutinize the numbers provided by the DI though in the past 3 years. The reported numbers are consistent without any sharp or significant changes despite increase in imports as well as their own production**.**

(xxxi) DI proposal to change its existing manufacturing process to CO2 based process requires a minimum capital investment of Rs. 320 Crores. Credit rating for DI has already been suspended by rating agencies like CRISIL and it would be practically difficult for Vishnu to long term loan for such huge capital expenditure. At the same time interest cost of such huge borrowing by way of short term loan is not commercially viable. Therefore, as made by DI in their petition is far away from reality and same cannot be accepted as a feasible proposal. Leaving their production process and profitability as it is.

(xxxii) DI was unable to repay the principal loan amount and they were forced to renegotiate their loans as short term loans. As a result their interest payments have increased tremendously. This trend can be seen from the borrowings of DI for last 5 years where there is considerable decrease in long terms loans and increase in short term loans showing a consistent trend. Vishnu has itself claimed that liquidity has stretched due to insufficient cash flows increasing interest costs. Therefore, it is the business structure of DI which requires major overhauling and not the curb on imports as claimed by them.

(xxxiii) Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) margin for DI has shown increase from 15% in 2006 to remarkable 18% in 2014, which shows revenue growth of 4 times since 2006 and EBITDA of 5 times in absolute terms. There is continuous addition in reserve with PBIT improving by 6%

(xxxiv) The EBITDA as shown by DI, they are in sound financial position, which though in reality show different picture considering their borrowing structure. Hence, there is contradiction in the records as shown by DI and same cannot be relied for the purpose of investigate the present proceedings.

(xxxv) Chrome Acid is essential used for Chrome Plating by industries such as Automobiles, Sanitary Hardwares and Chemicals etc. Indian market size of Chromic Acid is roughly 6,000 MT annually and 60% of the same is catered by the domestic manufacturers and 40% by imports. Vishnu Chemicals is the one of the leading manufacturers of Chromic Acid with a market of 1,400 MT, which is 23% of the total market and 39% of Indian producers. Main raw material for the Chromic Acid is Sodium D-chromate, which comprises of 80% of the cost of final product. Interesting fact is that Vishnu Chemicals captively consumes its own PUC for the manufacture of Chromic Acid and other manufacturers relies on both domestic as well as imported PUC. Any imposition of safeguard duty on PUC would make imports expensive and leaving no option with the Chromic Acid manufacturers but to rely on domestic production of PUC. By doing so they will have to compete with imported Chromic Acid directly, where they will struggle to procure good quality PUC with timely delivery as DI themselves would be using the PUC and controlling the market at their own will.

(xxxvi) Chrome Tanning Salt (CTS) is main raw material for leather industry with various uses in automobiles, leather, designer apparels and furniture etc. It primarily caters to the need of leather industry, which has a market share of Rs. 3,600 Crores and forex of more than Rs. 3,000 crores. CTS has a total market of 30,000 MTs in India with 80% being manufactured in India and 20% being imported CTS. Even in CTS market, Vishnu Chemicals is leader with 15,000 MT productions, which is 50% of the total demand and 60% of Indian production. In this case also DI consumes its own PUC in order to manufacture CTS, where more than 1000 other manufactures have to rely on imports or Vishnu Chemicals. Therefore, any safeguard duty on PUC would risk the reliable supply to Indian consumers of SDC.

(xxxvii) Pharmaceuticals: PUC is considerably used in the Pharma sector as well in formation of medicines such as Ibuprofen, which is a common pain killer available in Indian market with a reasonable price. Currently, Ibuprofen is a Rs. 700 Crores industry with only two manufacturers having more than 1,000 employees. In India, only Vishnu is supplying PUC to this industry and as an alternate, these two pharma companies are also importing PUC. In case of safeguard duty on the PUC, prices of Ibuprofen will go up dramatically resulting in sale of cheaper imported Ibuprofen in India and closer of these two domestic units.

(xxxviii) Pigments: Lead and Strontium Chromates is a 500 Crores industry with India manufacturing 40% of the global consumption. Indian market size in pigments is around 18,000 MT, which contains 45-50 % PUC as raw material. Vishnu is the only acceptable Indian manufacturer of PUC and in absence of any alternate to Vishnu, this industry has no option but to rely on imported PUC in order to cater to their needs. There have been consistent complaints by the entire pigment industry that on an average Vishnu is not supplying for 2-3 months in an year and their inventory levels are low to meet the regular demand of PUC. Any safeguard duty will create a monopolistic situation for DI being a sole supplier, which will create an ideal situation for them to dictate the pricing terms and unhealthy market conditions for the pigment industry not only in India but globally.

(xxxix) DI has submitted in their petition that the DI is suffering very badly due to the significant increase of the imports of subject goods and price underselling and price suppression. Therefore a case for imposition

of safeguard duty cannot be made on this pretext. The DI can try and make out a case of dumping of product under consideration with an allegation of price undercutting and price suppression.

(F) M/s Lanxess India Pvt Ltd.

(i) As per Ministry of Commerce and Industry, Government of India, actual import data is as follows:

Year	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	April	May	June	July
Import (MT)	4765	5515	7205	11105	1500	907	492	971

(ii) There are two forms in which the PUC is available - Anhydrous and Dihydrate form. PUC from South Africa is Dihydrate and from all other major exporting countries is Anhydrous.The DI has exaggerated the import quantity by calculating the quantity (+19% than the given quantity) coming from all the countries except South Africa.

(iii) As per the technical specifications of Anhydrous and dihydrate Sodium dichromate, the difference in moisture content of the material is12%.

(iv) In the period Jan-June 2014, 864 Tonnes were imported into India for 3 rd country exports which should not be considered in the POI since this quantity comes into Indian subcontinent only as transit for re export and it is not consumed by the Indian consumers.

(v) Significant increase in captive consumption has also translated in significant increase of profitability of the overall company from 13% in 2012-13 to 14.8% in Q4 2013-14**.**

(vi) It has been categorically mentioned in the said CFO that DI is authorized to manufacture 36.000 MT (120*300 days) only and PUC if any forming part of other products would not be counted to calculate the production of DI.

(vii) DI's argument of mixing the capacity utilization of PUC with the other downstream products mentioned is unauthorized and illegal.

(viii) Other domestic manufacturers of PUC have either stopped manufacturing due to pollution norms and other technical/financial problems or manufactures in order to serve their own captive consumption to manufacture downstream chrome chemicals.

(ix) DG should validate all the following points for all the domestic manufacturers including M/s Vishnu Chemicals (DI) of PUC and other downstream applications of the PUC**:**

(a) Approved capacity by pollution authorities needed per annum for each product that can be manufactured (Sodium dichromate (PUC) and other downstream applications including Basic Chromium Sulphate, Chromic Acid).

(b) Whether Production declared to the entire government department is consistent. (like Central Excise, PCB, Annual report etc)

(c) Approved limits for discharge of effluents by Pollution control authorities for each Product

(d) Standard norms with respect to generation of hazardous waste in volume per ton of production for each product.

(e) Generation of hazardous waste from the manufacture of each product and whether such quantity is correct in relation to the production declared.

(f) Actual discharge of effluents for each product as against the approved limits.

(g) Action taken in case effluent discharge is more than the approved limits.

(h) Status of all the cases pending / cleared along with reasons, relating to the pollution issues in Pollution control board (both central and state) for all the plants.

(x) DI's export has impacted local availability of PUC resulting in higher imports.

(xi) DI exported at price levels significantly lower than the selling prices of the domestic industry and the DGCI&S DATA also revealed that continuous PUC exports of DI since 2011 at price levels below the corresponding import prices for PUC into India.

(xii) The fat that plant was shut down for maintenance for 30 days during current quarter and DI did not deliver PUC orders to Indian customers but still continuously produced BCS for record exports requires verification.

(xiii) The DI is primarily focusing on exports to over 40 countries on downstream products based on imported chrome ore resulting in unavailability of PUC in domestic product.

(xiv) Latest Q1 2014 shows increase in sales by 13% compared to previous year, revenue increases by 15% compared to previous year and EBITDA remains consistent at 16%.

(xv) Annual Reports of DI suggests that Profitability even after depreciation and interest is very high despite high interest costs which contradict the injury or threat of injury to the DI.

(xvi) Material and operational costs stable reflecting the drop in input raw material costs resulting also in softening selling prices. Material costs as a % of revenue consistent at around 50% levels.

(xvii) There is 4 times growth in revenues and 5 times growth in EBIDTA

(xviii) EBITDA margin is stable and it improves to 18% in year ending Mar 14.

(xix) Profit before tax improves to 6%.

(xx) Continuous addition to reserves

(xxi) Due to poor ratings DI cannot get additional funding for its CAPEX projects

(xxii) The funding position has reached a stage were major portion of the loans have become short term loans from long term loans

(xxiii) A per Annual reports of DI Non repayment of the principal loan amounts and consequently were re-negotiated as short term loan as it cannot be serviced any longer. Interest costs of short term loans are much higher compared to the long term loans.

(xxiv) Chromic acid & Basic Chromium Sulphate manufacturers will face nearly 18% increase and will not be able to compete with imports which are protected against Safeguard duty and will result in monopolistic situation for DI.

(xxv) Main raw material for manufacturing Chrome Tanning Salt is Sodium dichromate (50%)

(xxvi) DI's focus is to increase captive consumption of SDC to export value added downstream products.

(xxvii) Chromic Acid is Rs 130 Crore Industry with only 2 Indian manufacturers: Vishnu Chemicals (DI) & M/s Colour Chromes.

(xxviii) If 20% safeguard duty is imposed cost of manufacturing of Chromic acid would go up straight by 18% and would kill the only other Indian manufacturer of Chromic Acid which would lead to monopoly of the DI in chrornic acid as well.

(xxix) All other local manufacturers of PUC constitute less than 10% of the total market demand, which gives an undue advantage to the DI to sell the product at a price which could not be monitored controlled.

(xxx) Exports from South Africa to other countries up by 49% compared to last year, hence no dumping of material into India as claimed by the DI.

(xxxi) Lanxes has provided the following data of export from South Africa to Germany and stated that the DI's Claim during public hearing that the exports from South Africa to Germany has reduced over the years and this has effected in the huge amount of exports into India is not correct.

Year	2011	2012	2013	2014 (Estimated)
Export from South Africa to Germany (MT)	20225	16738	11202	17133

(xxxii) Cost Audit Reports for the period 2011-12 to 2013-14 may kindly be reviewed by department to arrive at the correct cost of production which will help in having more clarity on the profitability of the PUC

(xxxiii) The DI in their petition has mentioned the chemical formula of the PUC as CrO_3 which is incorrect therefore initiation of safeguard should not be considered.

(xxxiv) As per the technical specification of Anhydrous and dehydrate Sodium dichromate, the difference in moisture content of the material is 11% which would mean volume of PUC if consumed in the form of Anhydrous would be 11% lesser than volume of PUC consumed in the form of dehydrate.

(xxxv) The claim of DI that the manufacturing process adopted by Lanxess in South Arica and the petitioner is same is not correct. Lanxess method of manufacturing the PUC is based on Carbon dioxide wheras the DI is not using the same technology and therefore its process results in a high amount of Cr(VI) containing sodium sulphate.

(xxxvi) PUC from South Africa is dehydrated and from all other major exporting counties is anhydrous. The claim that that quality of the PUC is the same as manufactured by the DI and Lanxess is incorrect. May of the consumers selected PUC from South Arica due to its low content of sulphate, chloride and insoluble substances.

(xxxvii) DI does not have the consent for operation to manufacture more than 36000MT from the Pollution Control Board to cater to the market demand.

(xxxviii) Out of 9 other domestic producers, 7 have not sent any questionnaire response indicating that other domestic manufacturers are all focused on the downstream application of PUC rather than selling PUC to the domestic market.

(xxxix) The DI has exaggerated the import quantity by calculating 19% more than the real quantity coming from all countries except South Africa.

(xl) As per the technical specifications of Anhydrous and dehydrate Sodium dichromate, the difference in moisture content of the material is 11%. All material which are Anhydrous , quantity is equalized to match the product manufactured by the DI.

1MT = 1.11MT

DI has misinterpreted the data as:

1 MT = 1.19 MT (19% is the difference in moisture content which his incorrect)

(xli) Latest Q1 2014 shows increase in sales by 13% compared to previous year

(xlii) Revenue increases by 15% compare to previous year

(xliii) EBITDA remains consistent at 16%

	Apr –June 2014	Apr –June 2013	Increase %

EBITDA	135	120	13%
Revenue	836	726	15%
EBITDA %	16.1%	16.5%	

(xliv) Return on investment increased from 4.06% in 2009 to 18.77% in 2013.As per Annual report of respective years of M/s Vishnu Chemicals Return on investment has increased from 4.06% in 2009 to 18.77% in 2013.

(xlv) The import is not recent enough, sudden enough, sharp enough and significant enough. Imports after a moderate increase have stagnant in the most recent period Apr –June2014 (annualized). Also imports are insignificant to the total demand and at 21% of total market demand cannot a threat to cause injury to DI

(xlvi) There is no reduction in demand for the PUC in Germany for the producers in South Africa and therefore DI's claim that exports from South Africa to Germany has reduced over the years and this has affected in the huge amount of exports into India is not correct.

(xlvii) DI claimed that the import price of PUC is Rs1330 MT is not correct as it is impossible to sell the PUC in the Indian market at such lower prices.

(xlviii) Chromic acid & Basic Chromium Sulphate manufacturers will face nearly 18% increase and will not be able to compete with imports which are protected against safeguard duty and will result in monopolistic situation for Vishnu.

(xlix) Main raw material for manufacturing Chrome Tanning Salt is Sodium dichromate (50%). Safeguard duty will increase risk of reliable supply of Sodium dichromate to Indian consumers.

(l) Since DI is backward integrated with Sodium dichromate plant which is completely dependent on imported Chrome ore, implementing even a marginal increase in duty structure would become monopolistic advantage to the DI.

(li) Chromic Acid is Rs. 130 Cr industry with only 2 Indian manufacturer i.e DI and M/s Colour Chrome. With imposition of 20% safeguard duty the cost of manufacturing of chromic acid would go up straight by 18% and this would eliminate the only other Indian manufacturer of Chromic Aci.

(lii) The DI has planned to do CAPEX and to reduce the costs. However, with poor ratings by the Rating Agencies DI cannot get additional funding for its CAPEX projects.

(G) M/s OPEN JOINT STOCK COMPANY, Russia

(i) The share of export of production of manufacturing by OJPC in comparison with total production of Sodium dichromate in India increased by 3.2% only and isn't the factor influencing on volume of internal production in India.

(ii) The production of DI decreased by 4% and that is inconsiderable.

(iii) Based on the prediction for the 2nd half of year 2014, t he productivity of OJPC for Sodium dichromate will decrease by 19% because their Sodium dichromate doesn't meet competition at foreign markets including Indian market.

(iv) The prices of Sodium dichromate produced by OJCS is higher than the price of product manufactured by DI

(H) M/s MidUral Chemicals SA

(i) In 2012 DI had exported around 16500 t of basic chrome sulphate which is next product in the production chain after Sodium dichromate.

(ii) DI has increased its market share in foreign market in spite of shirking market and strong competition. Local market of Sodium dichromate is not attractive to them due to low profitability. They prefer to produce other chrome chemicals from sodium dichromate and sell it worldwide.

(I) The Trade Representation of the Russian Federation

(i) There is no sharp rise of exports from Russia. In accordance with the official data of the Federal Customs Service of Russia, the export of the Commodity from the Russian Federation to the Republic of India has increased from 2120 tons to 2759 tons that is by 30%. Import from South Africa has increased from 1036 tons to 3000 tons that is by 66% and from the Republic of Kazakhstan - from 1036 tons to 2060 tons, that is by 98%.

(ii) The rise of the Commodity import by India is mainly based on growing deliveries from Kazakhstan and South Africa.

(iii) In the examination period, the reduction of volume of output of the Commodity in India is insignificant (4%), and in the last year the production's volume was increased by 2%.

(iv) The share of the Russian export in the total import of the Commodity in India in 2010- 2013 years was substantially reduced. The export volume from Russia to India has risen insignificantly in compare with the total increase of import.

(v) The reduction of sales volume of Indian companies was effected only in 2013 in compare with 2012. The reduction probably was caused by changing of the Commodity consumption at the internal market.

(vi) The share of Russian producers at the Indian internal market is sufficiently small: it was 4.8% in 2010, 2.4% in 2011, 5.2% in 2012 and 5.3% in 2013 year. Thus, increase of the market importers' share was affected mostly at the cost of other countries' sales.

(vii) In spite of the increase of stocks of the Commodity at Indian enterprises in 2011, in the last 2 years they were reduced more than two times and practically reached the level of 2010 year indicating the rise of domestic demand for the Commodity of Indian producers and the absence of negative influence of foreign importers.

(viii) The financial losses are induced by growth of costs to the purchase of the raw materials, renewal of industrial capacities or increase in wages.

(ix) The tendency of reduction of the employment level at the Indian industry can be caused by modernization of capital funds of industrial enterprises. This index does not indicate directly to the appearance of negative influence of increased import.

(x) The cause of injury to the Indian national industry has not been fully proved by Indian Side because the majority of indicates have showed insignificant worsening in 2012 and have showed the positive trend in 2013.

(xi) The tendency of insignificant worsening of industrial sectors' indicates may be effect by short-term change of demand at the market and by costs of the growth of effectiveness of Indian manufacture of the Commodity.

(J) Embassy of Turkey:

Embassy of Turkey during public hearing submitted that Turkey's individual share with regards to quantity in sodium dichromate import is below 3% which should be taken into account under the provision of Article 9.1 of the Agreement of Safeguard.

(K) South Africa Government:

(i) South Africa is one of the major suppliers of Sodium dichromate to Indian market and worldwide.

(ii) South Africa produced and exported sodium dichromates dihydrate whilst other major exporters exported anhydrous calcium chloride to India market.

(iii) There are differences in the PUC in terms of manufacturing technology as well as product specification.

(iv) The contention of applicant that there was an increase in imports in absolute terms is not acceptable since it is clear that like and like items were not compared.

(v) Imports of the PUC into India domestic market do not meet the requirement under Article 2.1 of the Agreement of Safeguards.

(vi) South Africa supports other interested parties that non-production in the Bhilai plant does not imply that the capacity is no longer available.

(vii) Clarification is needed as why the applicant's exports of basic chromium sulphate increased during the period of investigation. It is also questionable why there was a sharp increase in consumption in the domestic market of the applicant in 2013/14 and this contradicts the fact that the applicant's production capacity declined due to increase in imports.

(viii) The challenges occurring globally which might have positively/negatively affected the products under consideration have been omitted in the investigation.

(ix) Abnormally high increase in cost of fuel affected the profitability of DI.

(x) Other factors in the domestic market of the applicant affected the production capacity of the domestic industry and in turn this affected the ability to supply the subject product in order to meet the domestic demand.

(xi) The applicant did not indicate unforeseen developments that may have led to the product under consideration being imported in increased quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to domestic producers.

(L) M/s CHD Chemicals Limited

(i) Safeguard duty if imposed would cause serious injury to the downstream industries.

(ii) Initiation notification does not demonstrate any such examination of accuracy and adequacy of the evidence. Hence initiation per-se is wrong.

(iii) As per the information available in public domain the manufacturing capacity as provided by the DI appears to be highly doubtful.

(iv) Apart from DI there is hardly any regular supplier of the PUC in India and therefore there is no option but to import the PUC in order to cater to the need of PUC by the downstream industry.

(v) The figures provided by DI itself shows that it enjoys a market share of more than 60% consistently and in relative term also its market share has shown an increasing trend along with the increase in imports. Hence there is an absence of any injury to the DI.

(vi) DI has not given any evidence in support of unforeseen development.

(vii) There is no causal link due to increase in imports and alleged injury or threat of serious injury.

(viii) The increase in imports is not sudden enough, sharp enough and more importantly significant enough to fulfill the most essential WTO standard.

(ix) The DI has not provided any information about the initiation of the safeguard duty which would be public interest. No evidence has been provided in the form of statistical data regarding the minimal impact of the imposition of the safeguard duty on the downstream industry.

(x) The main cause shown in Section 6 of their petition is price suppression and not increases in imports. Therefore, it is a case of anti dumping.

11. Following rejoinders have been received from the Interested Parties**.**

A. **DSK Legal** (Representing M/s Anupam Colours Pvt Ltd, M/s Anupam Colours and Chemical Industries, M/s Colours Chrome Pvt Ltd, M/s Micas Organics Ltd,M/s Raveshia Pigments Ltd, M/s Solar Chemfertss Pvt Ltd, M/s Sudharshan Chemicals Industries Ltd, M/s Vapi Pigments Pvt Ltd, M/s Voxco Pigments and Chemicals Pvt Ltd and M/s Sona Synthetics Products).

(i) DI argument that the majority response in the investigation was only from the chrome pigment industry which is not even amongst the major consumption of the Sodium dichromate is not correct. Respondents claimed that the biggest consumer of Sodium dichromate is the Basic Chrome Sulphate & Chromic Acid Industry and DI, itself is a big manufacturer of both these products. M/s Solar Chemferts Pvt. Ltd. represented the Basic Chrome Sulphate industry. Further, from the Chromic Acid segment, Colour Chromes Pvt Ltd had submitted their response and they also participated in the public hearing.

(ii) M/s Colour chromes is one of the largest consumers of PUC in India. Quantities traded in the last 4 years have been miniscule. Moreover, DI should not have any objection to trading of sodium dichromate by any of the importer or consumers of the product.

(iii) It is a matter of record that authorization and separate consent in the name of DSK Legal was forwarded by the respective interested parties. It is prerogative of interested parties to appoint either one common counsel or different counsel.

(iv) The argument of DI that the parties to writ petition filed before Hon'ble Delhi High Court hide this fact from the Director General is factually incorrect and far from reality as a copy of the petition was served on the opposite side before same id filed with the Delhi High Court registry and is heard by the Hon'ble High Court.

(v) As regards to quality of the PUC, respondents submitted that Sulphate content of 0.20 is highly recommended for the manufacturing of chromic acid required for high end applications. Respondents have also submitted a copy of email with their submission dated 12.08.2014 showing DI's inability to match the specification.

(vi) There is substantial difference between PUC manufactured by DI and imported PUC in purity, sulphate impurity and insoluble impurity. Anhydrous Sodium dichromate is a different grade of material not manufactured in India at all.

(vii) Out of the 9 other producers of Sodium dichromate, a few have been closed by the pollution control Board. DI has no competition from any domestic manufacturer. The attempt to impose safeguard duty is to inhibit imports so that DI has a total monopoly as sole supplier in the country.

(viii) Neither the petition filed by DI nor the written submission has shown recent enough, sudden enough, sharp enough and significant enough increase in import so as to cause or threaten to cause any injury to DI

(ix) DI's projection for imports and production for 2014-15 are totally incorrect.

(x) During the period April-June 2014, imports of sodium dichromate are to the tune of 3469 MT. Out of which, 556 MT have been re- exported out of India. Consequently, the net import for June 2014 quarter is 2913 MT. Upon annualization, it comes out to 11652 MT for the year 2014-15 which is similar to the imports in year 2013-14 (11521MT). Thus, imports have stagnated over this period.

(xi) Production and sales of DI is lowest in this quarter and consequently all consumers have resorted to higher imports in this quarter to maintain production. Thus, the annualized figure of 14657 MT given by DI as hypothetical and illogical.

(xii) DI every year has to take a maintenance shutdown in the first quarter for statutory inspection for boiler and yearly maintenance. Its production and sales are lowest in the first quarter. Hence data of first quarter cannot be annualized to get extrapolated figures of whole year.

(xiii) The sales value has increased by 15% in the last 2 quarters on a declining sales price scenario. Thus, DI production for 2014-15 may be taken to increase by at least 15% over previous year. DI's production 29128 MT in 2013-14 and can be assumed to increase by 29128 x 115% = 33497 MT in 2014-15 on an annualizes basis.

(xiv) Increase in import has taken place because of following reasons:

(a) Annual Capacity of Production permitted by PCB is 36,000 MT

(b) PUC supplied by DI is not as per the requirement

(c) DI is captively consuming the majority of their production

(d) DI is also exporting the PUC leaving users/consumers with no option but to import

(e) Low inventory level of DI is major threat to the consumer/user with irregular supplies by DI.

(xv) DI themselves accepted that imports from South Africa have remained stable over the period which means no injury or threat from injury has been caused by imports from South Africa.

(xvi) DI has not provided any supportive evidence to strengthen their claim that decline in consumption in Russia, expansion in Turkey and reduction in demand for the product in Germany for the producers in South Africa has forced the exporter and producers to export goods to other countries with growing demand.

(xvii) DI has failed to show any single parameter provided under Rule 8 being attracted for imposition of safeguard duty.

(xviii) (DI's argument that the installed capacity and not the deployed capacity should be considered for determining capacity utilization cannot be accepted as downstream industry is not concerned with the installed capacity but the actual permissible capacity of DI to produce.

(xix) As per CFO provided by Pollution Control Board, DI is not capable of catering to the demand of PUC in India. The clarification dated 23.07.2014 produced by DI from the Andhra Pradesh Pollution Control Board states that 90MT of Sodium di-chromate is consumed by the DI for manufacture of Basic Chrome Sulphate and balance 120MT is used for manufacture of Sodium dichromate which is used by DI for sale, captive consumption and exports. Thus, PCB clarification does not support DI's claim.

(xx) Regarding decline in import price, respondents have submitted that price of PUC rose abnormally during the year 2011-12 due to increase in the price of Chrome ore which subsequently fallen in the later year due to fall in chrome ore prices globally.

(xxi) DI's cost of production has also fallen as its import of chrome has fallen from Rs.24/Kg to Rs.14/Kg.

(xxii) The market share of DI provided by industry is wrong. The actual market share of DI in the year 2010-11 was 60.42% as compared to 27.57% of other domestic manufacturers and 12.01% of the imports. The market share shows consistent trend whereby market share of DI increased from 60.42% to 62.07% in the year 2013-14 and imports have increased to 26.75%.

(xxiii) As regard to decline in sales of DI, respondents submitted that DI has captively consumed the PUC for manufacturing of downstream products and also the exports. DI is captively consuming the majority of their production in the downstream production.

(xxiv) Combined domestic production of DI and that of other manufacturer is not enough to cater the need of Indian market of PUC. Thus, there is deficit supply of PUC.

(xxv) Di has provided the domestic industry sales to its major customers as confidential therefore no comments can be provided in the absence of figures.

(xxvi) Respondents denied that consumers are cancelling their orders as imports are available to them at cheaper prices and submitted that imports are available at competitive prices but the lack of desired quality and irregular supply by the DI is the reason for adopting procurement through import.

(xxvii) DI's contention of higher cost of sales cannot be accepted as DI has switched over from costly furnace oil to cheaper alternative fuel. Also, chrome ore price has slumped from Rs.24/Kg to Rs.14/kg. This has greatly reduced the cost of production and increased profitability.

(xxviii) DI's cost of sales index for April –June 2014(annaulised) cannot be accepted as every year the production level in 1ST quarter is the lowest and therefore, the cost of sales is highest. DI cannot be

incurring a loss on PUC sales as it has shown increased profit year after year for t he period of consideration.

(xxix) DI is in sound financial position. The DI's total profit and loss statement for Q4 2013-14, and previous years shows that the DI's sale of PUC forms more than 40% of their total sales. The company overall consistently makes a PBIT of around Rs.44 Crores and improved it to Rs.50 crores in 2013-14 and around 14% as a percent of net sales from operations. Both in terms of absolute PBIT and in percent DI's profitability has gone up.

(xxx) The DI has exported the PUC consistently at prices below the prices which the Indian customers are paying is further proof that the claim made by the DI that the landed price of imports have remained significantly below the levels of cost of production of the DI are misleading.

(xxxi) Earnings before interest, Taxes, depreciation and amortization (EBITDA) margin for DI has shown increase from 15% to 2006 to remarkable 18% in 2014 which shows revenue growth of 4 times since 2006 and EBITDA of 5 times in absolute terms. There is continuous addition in reserve with PBIT improving by 6%.

(xxxii) There are other factors other than imports which have attributed to the injury to the DI. The factors like creating an export market, shortage of raw material, hyped capacity of production, captive consumption , low inventory capacity, provision of short term loans are responsible for causing injury (if any) to the DI and not the imports.

(xxxiii) There is no causal link between the imports and injury to it. The gradual increase in the imports is due to lacks technology and infrastructure to meet quality of product in demand or even the quantitative demand of India.

(xxxiv) Lack of DI's own manufacturing capacity coupled with absence of other local manufacturers has resulted in increase in import of PUC.

(xxxv) Real injury or threat of injury, if any, to DI is due to shortage of raw material and not because of any increase in the import of PUC. This is confirmed by their Annual Report of 2011-12.

(xxxvi) There is no decline in total sales of DI during the entire POI.

(xxxvii) The market share has gone from 60.42% to 62.07% as compared to imports which have improved from 12.01% to 26.75%.

(xxxviii) Imposition of safeguard duty is not in public interest as any imposition of safeguard duty is going to benefit nobody but DI as it will assist it in creating monopoly not only in the PUC market but also in the downstream products.

(xxxix) The financial impact on consumers would be devasting as not only they would be forced to increase the selling price of their products, they would also hugely lose market share to DI. The consumer and public at large would have to pay a much higher price for the end products.

(xl) DI proposal to change its existing manufacturing process to CO_2 based process would require a minimum of capital investment of Rs.320 Crores. The credit rating for DI has already been suspended by rating agencies like CRISIL and it would be be practically difficult for DI to get long term loan for such huge capital expenditure. At the same time interest cost of such huge borrowing by way of short term loan is not commercially viable. Therefore, adjust plan submitted by DI is not feasible.

On consolidated injury statement:

(xli) PCB certificates should be asked for from all the domestic manufactures participating in the investigation so as to verify their sanctioned production capacities.

(xlii) DI in their submission have projected sales of 27780 MT for 2014-15 and in the consolidated data, the figure is 28784 MT. Therefore, other domestic industry sales has been taken at only 1004 MT which is barely 3.5% of the total quantity of production, balance 96.5% being of Vishnu. These productions are at substantial variance to his initial petition where it is shown that other manufacture of PUC constitutes 28% of domestic production.

(xliii) Sales projection for 2014-15 is also incorrect and it should be 15% higher than the previous year.

(xliv) Profit and loss account of Konark Chrome Chemicals indicates that their sales have trebled over the period 2010-11 to 2012-13 from Rs.4.31 Cr to Rs.11.6 Cr. In 2012-13, they had a PBIDT of RS. 17.55 lacs. Therefore, Konark Chrome has not suffered any injury.

(xlv) Sri Kanakadurga is a subsidiary of Anand Chromate which has 99.5% share holding in Sri Kanakadurga. Anand Chromates produces basic chrome sulphate and its basic raw material is PUC. Therefore, it is a backward integration for Anand Chromates.

(B) IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd have submitted the calculation on confidential basis to show the impact of 20% safeguard duty on IBOPROFEN RMC

Particulars	Norms (Kg)	Landed Rate (Rs/Kg)	Cost (Rs/Kg) INDEXED
Sodium Dichromate Cost (in Ibuprofen raw material cost)	*.***	***.**	***
If sodium dichromate rate increased by 20% after safeguard duty (Assumption)		***.**	***
Ibuprofen RMC increase due to Safeguard duty imported Sodium dichromate			**.**
Note: landed rate taken Avg. Apr-14 to July 14, Ibuprofen production consider 400 mt/month			
Before Safeguard duty	Qty (MT)	Landed Rate (Rs./Kg)	Value (Rs./Lacs) Indexed
Monthly consumption of sodium dichromate	***	***.**	***
Yearly consumption of sodium dichromate	****	***.**	***
After Safeguard duty	Qty (MT)	Landed Rate (Rs./Kg)	Value (Rs./Lacs) Indexed
Monthly consumption of sodium dichromate	***	***.**	***
Yearly consumption of sodium dichromate	****	***.**	***

The increase in sodium dichromate cost due to Safeguard duty would be Rs.14.68/kg of Ibuprofen. They would not be able to transfer this additional cost to their customers as IBUPROFEN formulation is under control under rule DPCO 2012.

With safe guard on sodium dichromate their company would be dependent on single suppliers which will create the monopolistic situation in India.

(C) M/s Lanxess India Pvt Ltd

(i) M/s Lanxess India Pvt Ltd reiterated their submissions in the rejoinder.

(ii) The approved capacity of Konark and Kanakadurga as per Pollution Control Board is insignificant considering total demand for the PUC.

(iii) As per the balance sheet for the year ending 31.03.2013, M/s Anand Chromates owns 99.5% of the shares of Kanakadurga Chromates. M/s Anand Chromates manufacturers only basic chromium sulphate and with 99.5% ownership in Sri Kanakdurga their production is backward integrated. They use kanakdurga chromates production of PUC as their raw material in their downstream product Basic Chromium Sulphate. Hence injury claimed by sri konakdurga chromates because of their holding Company Anand Chromate is incorrect. Consequently Sri Kanakadurga cannot be part of the DI in the current investigation.

(iv) Annual reports of Konark Chrome indicate that Konark is maintaining a consistent and stable EBITDA. Thus Konark Chrome has not suffered any injury during the period of investigation.

(v) The DI mentioned in their original petition that there is 9 other manufacturer of the PUC in India. All their calculation was based on this wrong information. Now data of two manufacturers is provided by them and one of these is produce mainly for downstream product and other exceeds the permissible production limit as per PCB. Hence all calculation of the DI are incorrect and given to mislead the investigation.

(D). Rejoinder of M/s Vishnu Chemicals (Represent by TPM Consultants)

(i) DI has denied that their primary focus is sell downstream products. The capacity to produce downstream product is limited and the DI has not produced the downstream products beyond installed capacity.

(ii) The interested parties have misread the Pollution Control Board's CFO as CFO order meant that the actual saleable quantity of sodium dichromate is 120MTPD and Sodium dichromate would captively be used to produce Basic Chrome sulphate of 180 MTPD. The Pollution Control Board has issued clarification dated 27.07.2014 stating that DI will produce Sodium dichromate of 210 TPD, out of which part of the product is consumed in the production of basic chromium sulphate of capacity 180MTP.

(iii) The petitioner has another plant in Bhilai which has been lying idle on account of insufficient demand for the product as market is captured by imports.

(iv) The statement that Nifty Chemicals captively uses 100% of its production is incorrect and without any supporting evidence. Nifty Chemicals has been selling the product in the domestic market as can be seen from the written submission filed which has data for sales of its product over the injury period. Nifty Chemicals is only into the business of Sodium dichromate and is not making any derivatives.

(v) DI is not aware of the actual status of Jessons Chemicals and Shiva Chrome Chemicals. The interested parties are targeting other producers without any credible evidence and conveniently ignoring the fact that the petitioner and the supporting domestic producers viz M/s Sri Kanakadurga Chromates Pvt Ltd and M/s Konark Chemicals Pvt Ltd have claimed injury due to increased imports.

(vi) The interested parties have themselves accepted that DI is importing chrome ore from South Africa for its quality which constitutes major raw material for the product. The raw material used by the DI and South African producer is same. The production process followed by the petitioner and South African producer is the same. The petitioner is also consuming the PUC for production of downstream products and selling the same in the market. Therefore there is no basis for the claim of interested parties that product produced by petitioner lacks quality.

(vii) Petitioner relied on CESTAT order in the matter DSM Idemitsu Limited Vs. Designated Authority wherein the CESTA held that quality is not a relevant consideration.

(viii) The petitioner has also submitted the party wise sales to various parties who attended Public Hearing indicates that all parties are consuming the goods produced by the petitioner and also contending that the quality of the product is not good.

(ix) DI has denied that it is producing more downstream products and is left with insufficient capacity of Sodium dichromate. The DI has significant capacity for producing and selling Sodium dichromate and the DI along with other producers are sufficient to cater to the demand in India.

(x) DI denied that there is consistent increase in market share for Vishnu from 60.42% to 62.07% in year 2013-14.The market share of the DI has in fact declined from 64% to 54% whereas market share of imports has increased from 13% to 28%. Also, market share of the other domestic producers have also declined from 23% to 18%. Thus, establishing that the legitimate market share of the DI have been taken away by imports.

(xi) The statement that export price is lower than the average import price of PUC in India is false. The export price is higher than the imports price in the recent period when imports have surged. The exports of the product concerned have declined since 2011 -12 due to globally low prices of the product created by the foreign producers and the domestic industry is hardly exporting any material in the recent period.

(xii) Sales of other products (around 2400 MT of Chrome Tanning Salts in the month of June 2014) are immaterial as only information of the PUC is considered in the investigation. The production of DI has declined in the most recent period despite growing demand of the PUC and sufficient capacity with the domestic industry.

Sales of the domestic industry have declined sharply after increasing till 2012-13 and sales in most recent period have significantly declined.

(xiii) The production and sales of the domestic industry has declined significantly especially in the most recent period of April –June 2014 coinciding with the period where the imports have further surged.

(xiv) The Annual report quoted for reasons for drop in production is of the year 2011-12 whereas surge in imports took place from 2012-13 and the production sales started declining significantly from 2012-13.Therefore, increase in imports is clearly the reason for decline in production of the DI in the recent period.

(xv) The evidence provided by the interested parties on the issues of pollution relates to the plant in Hyderabad (closed plant) and not the plant at Vishakhapatnam (operational plant) and therefore is immaterial. There are no pollution related issues with its Visakhapatnam plant and petitioner has all valid licenses to run the industry.

(xvi) DI submitted that the petitioner has been able to improve its profitability of the downstream products whereas the profitability of the PUC has declined establishing the surge in imports has impacted the performance of the domestic industry.

(xvii) The request to call for the segment exporting of the DI made by the parties is irrelevant as the Director General (Safeguards) is concerned only with the performance concerning PUC. Improvement in performance of the downstream products and deterioration in the performance of the PUC establishes that increased imports have caused injury to the domestic industry as far as PUC is concerned.

(xviii) Market share is an indicator of overall present and future business of a company. The share market is influenced by the macro economics situation of the company in the past, present and future.

(xix) The inventories have been reduced after increase in 2012-13. With surge in imports, the petitioner took cautions decision to regulate its production. The present level of inventories are sufficient to meet the order that could be placed by the customers and regulate the production accordingly.

(xx) There is no evidence that the production of the petitioner in the past suffered due to shortage of raw material. The petitioner cannot plead that they had imported the product in the fear that the domestic industry may not have stocks of raw material and may not be in a position to produce PUC and supply to them.

(xxi) DI submitted that the website shows employees employed by the company for all the segments (Permanent and contractual)

(xxii) Even if argument of interested parties is accepted that credit rating has been downgraded, it does not show that the petitioner cannot raise the funds required for the proposal to change existing manufacturing process to CO_2 based process. If the credit rating has been downgraded due to adverse performance, the same can be upgraded with the imposition of safeguard duty. The interested parties have contended that it would be difficult to raise funds but they are not contending that it would be impossible.

(xxiii) The alleged factors such as downgrading of the credit rating or shifting of loans from long term to short term in fact establishes that injury suffered by the domestic industry in the PUC has led to overall impairment in performance of DI.

(xxiv) On EBITDA margin for DI has shown increase from 15% in 2006 to remarkable 18% in 2014, DI has submitted that 22% return on capital employed is considered as reasonable profit by large number of Government of India's department. 22% return on capital employed is after excluding depreciation, whereas 18% profit before depreciation, which implies that the return on capital employed earned by the domestic is much lower than what is considered reasonable and fair by various Government authorities for price fixation.

(xxv) The mere size of downstream industry establishes that the impact of proposed safeguard duty is negligible. The interested parties have not shown that the effect of proposed safeguard duty shall be unbearable on the consumers.

(xxvi) Imports have shown a sudden significant increase. Imports have increased in absolute term as well as in relation to production and consumption. Increase in import has led to the decline in production, sales and market share of the domestic industry. Capacity of the domestic industry is significantly unutlized despite increase in demand. Import price is lower than the cost of production and thus causing price suppression.

(xxvii) The application for imposition of safeguard duty has been supported by various other domestic manufacturers. Other domestic producers have also elaborated that they have also suffered injury on account of increase in imports.

(xxviii) DI denied that imports are inflated. The petitioner had relied on the source of information DGCI&S as well as IBIS (secondary source). Petitioner has considered information from secondary source because of two forms of product, anhydrous and dehydrates. Petitioner has analysed each and every import transaction and has identified whether the import transaction pertains to dihydrated form or anhydrous form. Therefore import data adopted by the petitioner shall not reconcile to the import data as per DOC WEBSITE.

(xxix) Domestic industry has adjusted 13% moisture content. Also it is incorrect to state that PUC from South Africa alone are di hydrate. The petitioner has adjusted only those transactions wherein the import transaction is of anhydrous form.

(xxx) No evidence has been given to substantiate the claim that in Jan-June 864 MT were imported into India only as transit for re export. Law is clear on the issue that imports into India are to be included in the imports and utilized to calculate the demand of the product in the domestic market.

(xxxi) The production suspension for 30 days has been due to lack of orders with the company. DI has utilized this time for undertaking repairs and maintenance. It is normal business phenomena that the shut down time is utilized for other business activities.

(xxxii) DI stated that merely because exports take place via Germany does not imply that the country of origin changes. If export from South Africa were to be reported as Germany exports, it would have implied that imports into India from South Africa could not have been more than the volumes specified above in 2012-13 and 2013-14.

(xxxiii) The Chemical sector in South Africa does not depend on the Indian market. The largest producer from South Africa M/s Lanxess is operating at high profitability and has exports to various global destinations. Argument of South Africa government implies that the Indian industry should suffer, because an industry in South Africa and its economy should prosper.

(xxxiv) Exports of the product from South Africa to India were 3000 MT in 2013 which is a meager 5% of their production.

(xxxv) It is not a case where the domestic industry is producing downstream products and it is left with insufficient capacity for sale of Sodium dichromate in the market. The capacity of the sodium dichromate is largely unutilized despite increase in demand.

(xxxvi) The increase in captive consumption or exports of BCS implies that the petitioner is not directly impacted by the increased imports of the product in as far as other products are concerned where the PUC is one of the inputs.

12. Most of the issues raised by DI and other interested parties in their additional rejoinder are similar to the earlier submissions filed by them and these have accordingly been considered at appropriate places

EXAMINATION AND FINDINGS:

13. I have carefully gone through the case records and the replies filed by the domestic producers, users/importers, exporters and exporting government. Submissions made by various parties and the issues arising there from are dealt with at appropriate places in the findings below. The request of the DI for imposition of safeguard duty on the import of product under consideration has been examined with reference to the domestic law as well as international law. The findings have been given accordingly.

14. Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 deals with imposition of Safeguard Duty on imports. Section 8B(1) provides for imposition of Safeguard Duty by the Central Government on an article if the article is being imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry.

15. The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provide the manner and principles governing investigation. These Rules have been made under section 8B of the Customs Tariff Act, 1975. I have been conferred powers under these Rules to make recommendations for imposition of safeguard duty in terms of law.

The provisions of Agreement on Safeguards and the decisions of the WTO bodies have been stated/discussed at appropriate places below. The investigation has been conducted in accordance with the said Rules and the Final Findings are recorded through this notification.

16. Methodology and Source of Information:

The source of Import data is DGCI&S. Reliance has been placed on DGCI&S data for the annual import figures for the period 2010-11 to 2013-14. The domestic data has been taken from the Central Excise Records of Domestic Industry situated at Vishakhapatnam, Hyderabad and Bhilai.

The DI had submitted the data of nine other domestic industries in the petition. In response to notice of initiation, the domestic industry viz M/s Konark Chrome, Sri Kanakdurga Chromates and Nifty Chemicals have submitted their production and sales data. Thus, data of production and sales of these domestic industries as mentioned in the notice of initiation has been revised and accordingly injury analysis has been done in the case.

17. Period of Investigation:

The Customs Tariff Act, 1975, the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997, the Agreement on Safeguard and the relevant Article XIX of GATT do not specifically define what the Period of Investigation should be. I am of the view that law in India provides discretion to the Competent Authority to decide upon the length of period which may be able to give fair amount of comparison in respect of increased imports and other factors leading to serious injury. Of course, such discretion has to be exercised judiciously.

In the instant case, the Notice of Initiation was issued on 26.05.2014, which primarily contains the import data from F.Y 2010-11 to FY 2013-14 (Jan) as DGCIS data for the month of February & March 2014 was not available at that time.. The ten months data for 2013-14 was annualized for the purpose of injury analysis. However, subsequently data for February and March 2014 was available and therefore actual import data for the period 2013-14 was considered for the purpose of injury analysis. All import data considered for injury analysis was also placed in the public file for the examination of all interested parties. Besides, all information so received, including the most recent information, is being considered for analysis.

In order to neutralize seasonal variation, if any, sufficiently longer sample size i.e annual data from FY 2010-11 to 2013-14 has been considered as the Period of Investigation.

In view of the above, I feel period of investigation is sufficiently long for the purpose of determination of injury to Domestic Industry.

18. Product under Investigation:

(a) The product under investigation (PUC) is "Sodium dichromate" classified under Customs sub-heading 28413000 of the Customs Act, 1975. Tariff Sodium dichromate is also known as sodium dichromate in anhydrous and dihydrate form. The only difference between Sodium dichromate dihydrate and Sodium dichromate anhydrous is of the moisture content in the two.

Sodium dichromate is used as oxidizing agent for many organic synthesis and bulk durgs especially in ibuprofen production. It is used in metal finishing industries, anti corrosive applications, water treatment chemicals, pigments, paints etc. It is also used in manufacture of other chromium chemicals.

(b) Like or directly competitive product:

One of the interested parties M/s Colour Chromes Pvt Ltd has submitted that DI produces only Sodium Dichromate Dihydrate, whereas they imports Anhydrous Sodium Dichromate. The difference between the two is that anhydrous variety contains moisture about 0 to 1% whereas the hydrated variety produced by DI contains moisture around 12-14%. Therefore, the sodium dichromate manufactured and supplied by DI cannot be considered as a substitute of the imported anhydrous sodium dichromate. The imported variety cannot be treated *as "like article"* in terms of Rule 2 (e) of the Safeguard Rules to qualify for imposition of Safeguard duty.

The issue has been examined. Sodium dichromate is the chemical compound with the formula $Na_2Cr_2O_7$. The salt is a hygroscopic compound and usually the salt is handled as its dihydrate $Na_2Cr_2O_7 \cdot 2H_2O$. The only difference between the two is presence of moisture contents and all other properties like boiling point, melting point, density , solubility in water etc are similar.. It is also found that under Custom classification Sodium dichromate whether dihydrate or anhydrous are classified under one single heading 28413000 of the Customs Act, 1975. Despite difference in terms of moisture content, and therefore may be price, these products have similar basic physical and chemical characteristics. I am also of the view that under Safeguards law the product are not required to be identical. The product under consideration needs to be a like or directly competitive article. The difference in moisture content does not render the two products as different product Thus, I consider Sodium dichromate whether dihydrate or anhydrous are like or directly competitive products in terms of Rule 2 (e) of the Safeguard Rules for the purposes of safeguard investigation.

(c) Quality Issues:

Some of the interested parties have submitted that Sulphate and insoluble should be minimal in the PUC in order to meet the specifications downstream products. The DI's specifications of PUC are inferior to the global standard and levels of sulphate, chloride and insoluble in the PUC from DI are much higher. Hence Indian manufactures of chromic acid, Ibuprufen, sodium saccharain prefer to import the PUC.

It is observed that the interested parties have themselves accepted the fact that DI is importing chrome ore from South Africa for its quality which constitutes major raw material for the product and selling the PUC to some of the interested parties in the case. It is also seen that the domestic industry is also consuming the PUC for production of downstream products and selling the same in the domestic market and overseas market.

The issue of quality of the PUC has been examined. The domestic industry has submitted the sufficient evidence to show that DI has been regularly supplying the PUC to the same consumers who are now claiming that PUC of the product produced by DI is not of high quality. In fact some of the consumers have claimed in their submission that DI had not supplied the required quantity ordered by them which also indicates that quality is not the issue for these consumers. Thus, I am of the view that there is no basis for the claim of interested parties that product produced by petitioner lacks quality

19. Confidentiality of information submitted:

Rule 7 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 and Article. 3.2 of WTO Agreement on Safeguards provide for confidentiality treatment to certain information. The rules provide that an Interested Party is not required to disclose such information on actual basis which is confidential information of the company and disclosure of which can cause serious prejudice to the business interests of such party, which is not in public domain and which the petitioner has not disclosed before public at large in the past.

The Domestic Industry and interested parties have provided some information on confidential basis and sought confidentiality on the information /data submitted by providing NCV of the said information. The Domestic Industry/Interested parties have provided non- confidential version of the data as per the provisions of Safeguard Rules 1997 and Trade Notice No. SG/TN/1/97 dated 06.09.1997. Further, the Domestic Industry has submitted reasons for seeking confidentiality at the time of filing of the application and subsequently also which appears to be reasonable and, therefore, has been accepted, wherever claimed.

20. Domestic Industry:

The present investigations are taken up pursuant to an application made by M/s. Vishnu Chemicals. The share of petitioner is around 70% of the total production in India. The share of other producers is 30 %, which is less than the market share of the applicant.

Clause (6) (b) of Section 8B of the Customs Tariff Act .1975 states that "domestic Industry" means the producers-

(i) as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or

(ii) whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India

In view of the evidence available, I find that the applicants constitute the 'Domestic Industry" as per the rules.

21. Data analysis:

The analysis of data has been done primarily in relation to the domestic industry only. At some places the data of others producers as submitted by the DI has also been relied upon to analyze market share of imports and domestic industry.

22. Increased Imports:

Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 deals with the power of the Central Government to impose safeguard duty and provides as follows:

"(1) If the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to Domestic Industry, then, it may, by notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article :"

Further, Rule 2(c) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 defines 'increased quantity' as follows:

"increased quantity" includes increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production."

From the above, it is seen that law i.e. Section 8B and the Rules mandate increase in imports as a basic prerequisite for the application of a safeguard measure. Thus, to determine whether imports of the product under consideration have "increased in such quantities" for purposes of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of the increase in imports, in absolute terms or in relation to domestic production. It is also seen the expression "increased quantity "has been defined in inclusive terms and the definition includes two parameters i.e. increase of imports in absolute terms and increase of imports in relative terms to domestic production. It is also seen that both these parameters need not exist together. The increased quantity is to be measured either in absolute terms or in relative to domestic production. The satisfaction/existence of one parameter is sufficient to fulfill the legal requirement.

The WTO Panels and Appellate bodies have further explained the international law on this issue and some of the relevant decisions of these bodies are narrated below:

I. The Panel in *Argentina — Footwear (EC)(WT/DS/R dated 25.06.1999)*further examined whether there is consistency with Articles 2.1 and 4.2(a) in making a finding of increased imports on the basis of a comparison between the volume of imports at the starting-point of an investigation period and the volume of imports at the end of that period ("endpoint- to-end-point-comparison"). The Panel, later upheld in this respect by the Appellate Body, came to the conclusion that:

8.156"[I]n assessing whether an end-point-to-end-point increase in imports satisfies the increased imports requirement of Article 2.1, the sensitivity of the comparison to the specific years used as the end-points is important as it might confirm or reverse the apparent initial conclusion. If changing the starting-point and/or ending-point of the investigation period by just one year means that the comparison shows a decline in imports rather than an increase, this necessarily signifies an intervening decrease in imports at least equal to the initial increase, thus calling into question the conclusion that there are increased imports."

8.157 "In other words, if an increase in imports in fact is present, this should be evident both in an end-point-to-end-point comparison and in an analysis of intervening trends over the period. That is, the two analyses should be mutually reinforcing. Whereas here their results diverge, this at least raises doubts as to whether imports have increased in the sense of Article 2.1."

It was further examined by the Panel in *Argentina — Footwear (EC)*, in a finding subsequently confirmed by the Appellate Body, considered, in this connection, that an analysis of intervening trends of imports was indispensable:

8.159 "[T]he question of whether any decline in imports is 'temporary' is relevant in assessing whether the 'increased imports' requirement of Article 2.1 has been met. In this context, we recall Article 4.2(a)'s requirement that 'the rate and amount of the increase in imports' be evaluated. In our view this constitutes a requirement that the

intervening *trends* of imports over the period of investigation be analysed. We note that the term 'rate' connotes both speed and direction, and thus intervening trends (up or down) must be fully taken into consideration. Where these trends are mixed over a period of investigation, this may be decisive in determining whether an increase in imports in the sense of Article 2.1 has occurred. In practical terms, we consider that the best way to assess the significance of any such mixed trends in imports is by evaluating whether any downturn in imports is simply temporary, or instead reflects a longer-term change."

The Panel in *Argentina — Footwear (EC)* further found that in the case before it the decline in the volume of imports could not be characterized as a temporary reversal of an increase in the volume of imports. It then stated that:

8.161 "[T]he Agreement requires not just an increase (i.e., any increase) in imports, but an increase in 'such … quantities' as to cause or threaten to cause serious injury. … the increase in imports must be judged in its full context, in particular with regard to its 'rate and amount' as required by Article 4.2(a). Thus, considering the changes in import levels over the entire period of investigation, as discussed above, seems unavoidable when making a determination of whether there has been an increase in imports 'in such quantities' in the sense of Article 2.1

II. The Appellate Body in Argentina-Footwear (EC) (WT/DS/121/AB/R dated14.12.1999 held that the increase in imports must have been recent, sudden, sharp and significant enough to cause or threaten to cause serious injury. Relevant extract there from is as follows:

"131. [T]he determination of whether the requirement of imports 'in such increased quantities' is met is not a merely mathematical or technical determination. In other words, it is not enough for an investigation to show simply that imports of the product this year were more than last year—or five years ago. Again, and it bears repeating, not just any increased quantities of imports will suffice. There must be 'such increased quantities' as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry in order to fulfill this requirement for applying a Safeguard measure. And this language in both Article2.1of the Agreement on Safeguards and ArticleXIX:1(a)of the GATT1994, we believe, requires that the increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause 'serious injury'."

.

III. The Panel on US-Wheat Gluten(WT/DS/166/R dated 31.07.2000, interpreted the phrase "in such increased quantities" as follows:

8.31 " [A]rticle XIX:1 (a) of the GATT 1994 and Article 2.1 [of the Agreement on Safeguards ("SA")] do not speak only of an 'increase' in imports. Rather, they contain specific requirements with respect to the quantitative and qualitative nature of the 'increase' in imports of the product concerned. Both Article XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 SA require that a product is being imported into the territory of the Member concerned in such increased quantities (absolute or relative to domestic production) as to cause or threaten serious injury. Thus, not just any increase in imports will suffice. Rather, we agree with the Appellate Body's finding in Argentina—Footwear Safeguard that the increase must be sufficiently recent, sudden, sharp and significant, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause serious injury."

IV. Further, the WTO panel in the case of *US — Line Pipe (WT/DS 202/R/29.10.2001)*, found that "there is no need for a determination that imports are presently still increasing. Rather, imports could have 'increased' in the recent past, but not necessarily be increasing up to the end of the period of investigation or immediately preceding the determination"

7.207"[T]here remains the question of whether the finding of increased imports can be maintained in light of the decline in absolute imports from the first semester of 1998 to the first semester of 1999. In order to answer this question we recall our discussion regarding the meaning of 'recent', and our finding that 'recent' does not imply an analysis of the present. We are also of the view that the fact that the increase in imports must be 'recent' does not mean that it must continue up to the period immediately preceding the investigating authority's determination, nor up to the very end of the period of investigation. We find support for our view in Article 2.1, which provides 'that such product is being imported … in such increased quantities'. The Agreement uses the adjective 'increased', as opposed to 'increasing'. The use of the word 'increased' indicates to us that there is no need for a determination that imports are presently still increasing. Rather, imports could have 'increased' in the recent past, but not necessarily be increasing up to the end of the period of investigation or immediately preceding the determination. Provided the investigated product 'is being imported' at such increased quantities at the end of the period of investigation, the requirements of Article 2.1 are met."

V. In *US—Steel Safeguards (WT/DS/248/R*, *WT/DS/249/R*, *WT/DS/251/R*,*WT/DS/252/R*, *WT/DS/253/R*, *WT/DS/254/R*, *WT/DS/258/R*, *WT/DS/259/R*, dated 11.07.2003 the Panel, in findings upheld by the Appellate Body, addressed the question of how recently the imports must have increased and concurred with the Panel's view in *US — Line Pipe* in stating as follows:

10.161 "As the Panel in *US — Line Pipe* did that Article 2.1 of the Agreement on Safeguards speaks of a product that 'is being imported … in such increased quantities'. Thus, imports need not be increas*ing* at the time of the determination; what is necessary is that imports *have* increas*ed*, if the products continue 'being imported' in (such) increased quantities. The Panel, therefore, agrees with the *US — Line Pipe* Panel's view that the fact that the increase in imports must be 'recent' does not mean that it must continue up to the period immediately preceding the investigating authority's determination, nor up to the very end of the period of investigation. As pointed out by the Panel in *US — Line Pipe*, the most recent data must be the focus, but should not be considered *in isolation* from the data pertaining to the less recent portion of the period of investigation. However, as indicated by the present continuous 'are being', there is an implication that imports, in the present, remain at higher (i.e. increased) levels."

10.163 "Whether a decrease in imports at the end of the period of investigation, in the individual case, prevents a finding of increased imports in the sense of Article 2.1 of the Agreement on Safeguards will, therefore, depend on whether, despite the later decrease, a previous increase nevertheless results in the product (still) 'being imported in (such) increased quantities'. In this evaluation, factors that must be taken into account are the duration and the degree of the decrease at the end of the relevant period of investigation, as well as the nature, for instance the sharpness and the extent, of the increase that intervened beforehand."

10.164 "To give an extreme example, a short and very recent slight decrease would not detract from an overall increase if imports have increased tenfold over the several years beforehand. Conversely, to give an opposite extreme example, one could no longer talk about a product that 'is being imported in (such) increased quantities' or in fact in *any* increased quantities at all, if, at the time of the determination, import numbers have plummeted nearly to zero or to a level below any past point in the period of investigation."

VI. The Appellate body In *US — Steel Safeguards (WT/DS 248/AB/R*, *WT/DS 249/AB/R*, *WT/DS 251/AB/R*, *WT/DS 252/AB/R*, *WT/DS 253AB/R*, *WT/DS 254/AB/R*, *WT/DS 258/AB/R*, *WT/DS 259/AB/R*, dated 10.11.2003) confirmed that imports need not be increas*ing* at the time of the determination and insisted on the investigating authority's obligation to examine the trends of imports over the entire period of investigation:

367 "We agree with the United States that Article 2.1 does *not* require that imports need to be relevant products continue 'being imported' in (such) increased quantities. We also do *not* increasing at the time of the determination. Rather, the plain meaning of the phrase 'is being imported in such increased quantities' suggests merely that imports must *have* increased, and that the believe that a decrease in imports at the end of the period of investigation would necessarily prevent an investigating authority from finding that; nevertheless, products continue to be imported 'in such increased quantities."

The Appellate Body in *US — Steel Safeguards*, further reiterated its ruling made in *Argentina* —of Article XIX: 1(a) of the *GATT 1994* and Article 2.1 of the Agreement on Safeguards *Footwear (EC)* and emphasized the importance of reading "such increased quantities" in the context which confirm that such increased imports must be linked to the ability of the relevant increased imports to cause serious injury or threat thereof:

346 "We reaffirm this finding [*Argentina — Footwear (EC)*]. In that appeal, we underlined the importance of reading the requirement of 'such increased quantities' in the context in which it appears in both Article XIX:1(a) of the GATT 1994and Article 2.1 of the *Agreement on Safeguards*. That context includes the words 'to cause or threaten to cause serious injury'. Read in context, it is apparent that 'there must be 'such increased quantities' as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry in order to fulfill this requirement for applying a safeguard measure.' Indeed, in our view, the term 'such', which appears in the phrase 'such increased quantities' in Articles XIX:1(a) and 2.1, clearly links the relevant increased imports to their ability to cause serious injury or the threat thereof. Accordingly, we agree with the United States that our statement in *Argentina — Footwear (EC)* that the 'increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough and significant enough … to cause or threaten to cause serious injury', was a statement about 'the entire investigative responsibility of the competent authorities under the Safeguards Agreement', and that '[w]hether an increase in imports is recent, sudden, sharp and significant enough to cause or threaten serious injury are questions that are answered as the competent authorities proceed with the remainder of their analysis (i.e., their consideration of serious injury/threat and causation)."

23. Keeping in view the above requirements of law with regard to 'increased imports', analysis has been done as below on the basis of objective and quantifiable data:

(a) Increased Imports in absolute Terms:

The following table shows the import statistics relating to Sodium dichromate:

Financial Year	Total Import (MT)	Total Import (indexed)
2010-11	4765	100
2011-12	5516	116
2012-13	7205	151
2013-14	11521	241

Source: DGCI&S

The total import of Sodium dichromate in 2013-14 has been 11521 MT showing increase of 4316 MT over previous year's import of 7205 MT, i.e., the increase is 60 % in percentage term. End-point to end-point comparison indicates that there is an increase in imports by 141% in 2013-14 as compared to base year 2010-11. During the entire period of investigation there has been continuous increase in imports indicating that import has increased in an absolute terms not only in the recent past but also from base year FY 2010-11.

(b) Share of Imports relative to production: The table below gives statistics of imports relative to the production. The share of imports has gone up during period of investigation both from the base year as well as from the preceding year.

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Import (MT)	4765	5516	7205	11521
Total production (MT)	37840	37816	35836	36038
Share of Imports (%)	12.59	14.58	20.10	31.96

Therefore, it is noted that there is an increase in import in relative terms also as imports in relation to production in 2013-14 have increased both from the base year and preceding year.

From the above analysis, It is clear that there is substantial increase in imports of product under consideration both in absolute terms as well as in relation to production and such increase is also happening in recent period and hence in my view the increase in import is significant enough, sharp enough and sudden enough which satisfies the condition of increase import under safeguard rules.

24. Serious Injury and Causes Thereof:

(i) Section 8B (6) (C) of the Customs Tariff Act, 1975 defines the expression of serious injury. "Serious injury" means as an injury causing significant overall impairment in the position of a domestic industry.

(ii) Article 4.2(a) of the Agreement on Safeguard and Annexure to Rule 8 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 technically require that certain listed factors as well as other relevant factors must be evaluated to determine serious injury or threat of serious injury. However, these provisions do not specify what such an evaluation must demonstrate. Any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining". In one case, for example, there may be significant decline in sales, employment and productivity which will show "significant overall impairment" in the position of the industry, and therefore will justify a finding of serious injury. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate "significant overall impairment" of the industry. Thus, in addition to a technical examination of all the listed factors and any other relevant factors, it is essential that the overall *position* of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry. Similar observation have been made by WTO Panel in Para 139 of Argentina footwear Case Appellate Body Report (WT/ DS 121/AB/R dated 14.12.1999)

(iii) The Annex (1) to the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997 provides as follows:

"In the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a demonstrate industry, the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment."

25. Accordingly, in analyzing serious injury, all factors which are mentioned in the rules as well as other factors, which are relevant, have been considered. No single factor has been considered as dispositive. All relevant factors within the context of the relevant business cycle and conditions of competition, which are relevant to the affected industry, have been considered to evaluate the overall position of the domestic industry as below:

(a) Market Share: Market share of domestic producers has fallen during the investigation period. The data in this regard is given in the table below:

Financial Year	Total Import (MT)	Sales of DI (MT)	Captive Consumption (MT)	Sales of other Indian Producers (MT)	Total Demand including captive consumption (MT)	% of Market Share				
						DI	Captive consumption	DI + Captive consumption	others	Import
2010-11	4765	12138	14337	7556	38796	31.29	36.95	68.24	19.48	12.28
2011-12	5516	12846	13057	7556	38975	32.96	33.50	66.46	19.38	14.15
2012- 13	7205	17151	11212	7175	42743	40.13	26.23	66.36	16.79	16.86
2013-14	11521	15780	13591	6850	47742	33.05	28.47	61.52	14.35	24.13

It is seen that the Applicant had a market share of 31.29 % in 2010-11 which continuously increased and reached upto 40.13% in 2012-13 but in year 2013-14 the market share of the applicant fell to 33.05 %. Thus, though the market share of DI increased in first three years of the period of investigation, it decreased in the recent period of 2013-14 by 7.08 % and in my view it is significant decline in the recent period, On the other hand, the market share of import increased from 12.28% in 2010-11 to 24.13 % in 2013-14 i.e, by 11.85/% and in the most recent period the market share of import has increased by 7.27%. It is also observed that share of sales of Domestic Industry including captive consumption has also decreased from 68.24 % (2010-11) to 61.52% (2013-14) and in the recent years it has decreased from 66.36% to 61.52%. Thus, it may be seen that imports have captured the market at the cost of the DI's share in the recent year F.Y 2013-14.

(b) Production: The table below gives relevant statistics relating to domestic production of 'domestic industry' and of all Indian Producers.

Year	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	Apr-June 2014-15 (Annualized)
Production by 'domestic industry' (MT)	30407	30383	28608	29129	27780
Indexed	100	100	94	96	
Cumulative production by all Indian producers (MT)	37840	37816	35836	36038	
Indexed	100	100	94	95	

The total production of domestic industry remained at the same level during 2010-11 & 2011-12. In the year 2012-13 there was a decline in the production but it again increased in the year 2013-14. The total production by all Indian producers show trend similar to the Domestic Industry.

From the above analysis, it is clear that the production of domestic industry during the period of investigation has shown mixed trend. It declined marginally in 2012-13 but again increased in year 2013-14. However, it is observed

that during the period of investigation overall production has declined by mere 4.2% only whereas imports have increased by 141% during the same period. The decline of mere 4.2 % is not significant enough and in my view despite massive increase of 141% in imports, DI could able to hold its ground and thus has not impacted the production of the domestic industry.

The applicant in the post Public Hearing submission has also submitted the extrapolated data for 2014-15 to show that production for FY 2014-15 (Annualized) would further decrease.

Various interested parties have submitted that Domestic industry every year has to take a 30 days maintenance shut down in the first quarter for statutory inspection for boiler and yearly maintenance. Consequently, its products and sales are lowest in the first quarter. Therefore, first quarter data of 2014-15 cannot be annualized to get the extrapolated figures for the whole year and the DI's projection for 2014-15 is totally incorrect.

On 09.10.2014, the DI was also asked to submit the domestic data up to September 2014 but they failed to provide it.

As regard to extrapolated data for 2014-15, on the basis of Excise records of the domestic industry which has been verified by this office, I find that production of DI is always at lowest in the first quarter of every year (as seen in the table below) and thus extrapolation of data on the basis of Q1 data would be misleading as it would show that the production of domestic industry would decrease in FY 2014-15 and therefore cannot be accepted.

QUARTER WISE DOMESTIC PRODUCTION OF DI (MT)

Year	Q1	Q2	Q3	Q4
2010-11	6638	8153	8303	7313
2011-12	6987	8443	6192	8761
2012-13	5945	6330	7780	8553
2013-14	5903	7423	6115	9688

(c) Change in level of domestic sales: The table below gives relevant statistics relating to domestic sales of the domestic industry.

Year	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	APR-JUNE 2014-15 (Annualized)
Domestic sales by 'domestic industry' (MT)	12138	12846	17151	15780	11019
Indexed	100	106	141	130	
Captive Consumption (MT)	14337	13057	11212	13591	
Indexed	100	91	78	95	

The applicant during Public Hearing has also submitted the extrapolated data for 2014-15 to show that the domestic sales for FY 2014-15 (Annualized) would further decrease.

The sales of DI have shown an upward ward trend from 2010-11 to 2012-13 but declined thereafter in 2013-14. End point to end point comparison indicates that sales of the PUC has increased by 30 index points but in most recent period it has decreased by 9 index points. However, it is also noticed that during first two years of the investigation period when domestic sales have increased the captive consumption of the domestic industry has decreased and in 2013-14 when domestic sales decreased the captive consumption has increased. The data reflects that in year 2013-14, the domestic industry has diverted more of its production for captive consumption and released less quantity for domestic sale.

It is also seen that except in year 2011-12 domestic industry could able to sell more than 100% of its production during the period of investigation reflecting that position of their inventory has also improved. Further, it is also noticed that overall the sales during the period of investigation has increased significantly by 30 percent indicating that increased in imports has not impacted the overall sales of the domestic industry.

Like production, on the basis of verification of Excise records of the Domestic Industry by the officers, I find that sales of the DI are always lowest in the first quarter of every year (as seen from the table below) and thus extrapolation of data to show that the sales of domestic industry would decrease in FY 2014-15 cannot be accepted as it will not give the correct projection of the sales for year 2014-15.

QUARTER WISE DOMESTIC PRODUCTION OF DI (MT)				
Year	Q1	Q2	Q3	Q4
2010-11	2702	3047	3215	3174
2011-12	2156	3127	2920	4643
2012-13	3375	3528	4799	5449
2013-14	3420	3685	3768	4907

(d) Capacity Utilization: The table below gives relevant statistics relating to capacity utilization of the domestic industry.

Year	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Installed capacity of 'domestic industry' (MT)	93200	86000	86000	86000
Capacity utilization of 'domestic industry' (%)	33	35	33	34

The capacity utilization of the DI varies between 33-35% indicating that capacity utilization has improved marginally during the period of investigation. During the period of investigation imports have shown significant increase but this increase in import has not affected the capacity utilization of the domestic industry. When the import was minimum at 4765 MT in year 2010-11 the capacity utilization of the domestic industry was 33% whereas when the import increased substantially to 11521 MT in 2013-14, the capacity utilization has also improved marginally indicating that despite increase in import during the period of investigation, DI could able to improve its capacity utilization and thus increase in imports has not impacted the capacity utilization of the domestic industry.

Some of the Interested parties have submitted that Domestic Industry permitted Consent for operations (CFO) as per Andhra Pradesh Pollution Control Board is 36000 MT. Thus, DI's claim of capacity of 86000 MT is false.

The Domestic Industry in their rejoinder submitted that the interested parties have misread the Pollution Control Board's CFO as CFO order meant that the actual saleable quantity of sodium di-chromate is 120MTPD and Sodium dichromate would captively be used to produce Basic Chrome sulphate of 180 MTPD. The Pollution Control Board has issued clarification dated 23.07.2014 stating that DI will produce Sodium di-chromate of 210 TPD, out of which part of the product is consumed in the production of basic chromium sulphate of capacity 180 MTP.

Interested Parties have disputed the claim of the Domestic Industry and submitted that the clarification dated 23.07.2014 obtained from the Andhra Pradesh Pollution Control Board does not support DI's claim. It merely stated that 90MT of Sodium di-chromate is consumed by the DI for manufacture of Basic Chrome Sulphate and balance 120MT is used for manufacture of Sodium di-chromate which is used by DI for sale, captive consumption and exports.

. The clarification obtained by the DI is reproduced below:

" The industry vide reference 3rd cited, requested to confirm the production capacity of Sodium Bichromate as 210 TPD. In this regard it is to submit that the industry obtained CFO & HWA of the Board vide order dated 31.12.2013 for production of the following products which is valid up to 31.07.2016.

Sr.No	Products/line Activity	Consented quantity
01	Sodium Bichromate	120 MTPD
02	Basic Chrome Sulphate	180 MTPD
03	Yellow Sodium Sulphate (By product)	120 MTPD

As per the material balance submitted by the industry for CFE application, it is to submit that the industry will produce Sodium Bichromate of 210 TPD out of which part of the product is reused in the production of co-product Basic Chrome Sulphate of capacity 180 TPD. The actual salable product Sodium Bichromate is 120 TPD which will be reflected in excise returns. The same may be communicated to the industry."

The issue has been examined in detail. The examination of aforesaid clarification has revealed that nowhere in the clarification Pollution Control Board (PCB) has confirmed that M/s Vishnu can produce 210 MTPD of PUC. The clarification given by PCB has three parts. In first part of the clarification, PCB has confirmed that the industry obtained CFO & HWA of the Board vide order dated 31.12.2013 for production of 120 MTPD Sodium dichromate and this permission valid up to 31.07.2016.

In the second part, Pollution Control Board (PCB) has merely stated the fact as mentioned in the CFE application submitted by M/s Vishnu Chemicals to PCB that "as per material balance submitted by the Industry for CFE (Consent for establishment) application, it is to submit that the industry will produce Sodium dichromate of 210 TPD out of which part of the product is reused in the production of co-product Basic chrome sulphate of capacity 180 TPD".

In the third part of the clarification they have only confirmed that they cannot make sales beyond 120MTPD.

The whole clarification when read in totality means that M/s Vishnu chemical in their CFE (Consent for establishment) application filed before AP PCB had sought permission to produce 210MT PD of sodium dichromate and out of which they would use part for production of basic chrome sulphate but AP PCB, while granting consent, has only allowed permission to produce only 120 MTPD of Sodium dichromate and this permission is valid up to 31.07.2016. Further, PCB has also confirmed that DI can make sales 120 MTPD of Sodium dichromate only and this should also reflect in the excise records. This also confirms that M/s Vishnu Chemicals cannot sell more than permitted limit of production of 120 TPD. Thus, in my view this confirms that M/s Vishnu cannot produce more than 120 MTPD and can make sales up to 120 MTPD.

Further, it may be pointed out here that the domestic industry has another plant in the Bhilai where production is suspended due to lack of market but that non- production in the Bhilai plant does not imply that the capacity is no longer available.

Thus, in my opinion although DI has an installed capacity of 86000 MT/Annum but their effective/operational capacity is 55600 MT which includes 39600 MT (considering 330 days as working days) restricted capacity at Vishakhapatnam plant and 16000 MT capacities at Bhilai plant. Thus, their capacity utilization is about 52% and not 34% as claimed by the domestic industry.

Year	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Effective capacity of 'domestic industry' (MT)	55600	55600	55600	55600
Effective capacity utilization of 'domestic industry' (%)	55	55	51	52

From the above data it may be seen that effective capacity of the domestic industry has decreased from the base year but it increased in the year 2013-14 when import of the PUC was at its peak.

(e) Profit and loss: The table below gives relevant statistics relating to profit and loss of the domestic industry relating to business of Sodium dichromate as reported by M/s Vishnu Chemicals in their petition.

	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Costs of Sales	Rs./Kg. (Indexed)	100	122	119	126
Selling Price	Rs./Kg. (Indexed)	100	124	117	117
Landed price	Rs./Kg. (Indexed)	100	122	120	122
Profit (Rs./kg.)	Rs./Kg. (Indexed)	-100	-82	-162	-304

Various interested parties have submitted that DI's Q4 2012-13 profits /loss statement and Annual Report of previous year to show that DI's sale of PUC forms more than 40% of their total sales. The company overall consistently makes a PBIT of around Rs. 44 Cr and improved it to Rs. 50 Cr in 2013-14 and around 14% as percentage of net sales from operations. Both in terms of absolute PBIT and in per cent, their profitability has gone up.

It is also submitted that DI's annual reports suggest that profitability even after depreciation and interest is very high despite high interest costs. The DI has registered 4 times growth in revenues and 5 times growth in EBIDTA and it improves to 18% in year ending Mar 14. The profit before tax improves to 6%.

The DI submitted that import price have remained below the level of cost of manufacture of the domestic industry. Therefore, the domestic industry had to keep its prices below the cost of sales resulting in financial losses.

The data for cost of sales, selling price and landed price has been examined. It is found the landed price of the product is nearly at par with cost of sales up to 2012-13 and it is only in 2013-14 the gap between the two has widened. Therefore, there is no justification for the domestic industry to keep its prices below the cost of sales resulting in financial losses in PUC. The reported loss per kg is due to the fact that the domestic industry is selling their product at price significantly lower than landed price of the PUC. In order to minimize the losses, the DI could have very well sold their goods at a price at least at the level of landed price.

In year 2012-13, it may be noted that the loss of domestic industry in PUC has increased by 98% as compared to FY 2011-12 despite the fact that there is a 34% increase in domestic sales. This period also coincides with the period when export has registered a decline of 87%.

Similarly, in year 2013-14 the reported loss of domestic industry in PUC has further increased by 88% as compared to F.Y 2012-13. During the same period domestic sales has declined by mere 8% and export has registered a decline of 77%.

Thus, in my view, the fact that the domestic industry is selling their goods at significantly lower selling price in comparison to landed price/cost of sales coupled with loss of export market has resulted in the loss as claimed by them.

(f) Employment:

Some of the interested parties have submitted that there is discrepancy in the employment data provided by the domestic industry and data available on their website. DI has submitted that the website shows employees employed by the company for all the segments (Permanent and contractual) and employment figures provided is as per attendance record maintained by it.

Even from the data submitted by the domestic industry it is found that there is no significant change in the level of employment during the period of investigation. The number of employees (on average) shows marginal decrease from 537 MT (2010-11) to 490 (2013-14) in four years. However, it is also noticed that when import was at its peak in 2012-13 and 2013-14, the employment of the domestic industry remained stable as apparent from the table below.

Year	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Avg. number of employees in 'domestic industry' (NOS.)	537	509	491	490
Indexed	100	95	91	91

(g) Productivity:

The productivity of domestic industry has shown mixed trend. It remained stable in 2010-11 and 2011-12 at 86% but declined in year 2012-13. In the most recent period of 2013-14, it again increased from 81.74% (2012-13) to 83.23% (2013-14). Overall productivity has declined during the period of investigation from 86.88% in 2010-11 to 83.23% in 2013-14 However, it is observed that when import increased significantly from 2012-13 to 2013-14, the productivity also improved from 81.74% to 83.23%. Thus, increased in imports have not impacted the productivity of the domestic industry in the recent year (2013-14).

Year	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Productivity/day 'domestic industry'	86.88	86.81	81.74	83.23

(h) Inventory:

The inventory of the product was 1.4 % to 3.6% of DI's production. It increased significantly by 155% in year 2011-12 when import increased by only 16% but thereafter it started decreasing in subsequent two years. It may be noted that in the period 2012-13 & 2013-14 when the import of the PUC increased by 30.62% & 59.90% year on year basis, the inventory of the product during the same period had shown decreasing trend and it decreased by 22.21% & 39.71% respectively.

It may be seen that the domestic industry, except in year 2011-12, could able to sell (domestic + captive consumption +exports) 100% of its production and thus any inventory is roll over inventory of previous years. Thus, I find that increase in imports has no correlation with the inventory of the PUC. In fact decreasing trend of the inventory suggests that even roll over inventory has also started to decrease and reflects that industry has started improving in the recent years. Also such low level of inventory indicates that Domestic Industry could able to compete with the increase in imports.

Year	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Inventory(MT)	429	1094	851	513

26. Other factors:

(a) Import in relation to Demand:

Financial Year	Total Imports (MT)	Total Demand (MT)	% of import with respect to Demand
2010-11	4765	38796	12.28
2011-12	5516	38975	14.15
2012-13	7205	42743	16.86
2013-14	11521	47742	24.13

For the purpose of the present investigations, the consumption or demand for the product under consideration is determined as the total of imports of product into India from different countries, domestic sales of the Domestic Industry (DI) including captive consumption and domestic sales of other domestic producers. Changes in demand/consumption so determined over the period have been compared with the changes in the imports from various sources in order to determine whether imports of product under consideration in India have increased significantly in relation to consumption or demand for the product in the country. It is noticed in the table above that the import with respect to demand has increased from 12.28% in 2010-11 to 24.13% in 2013-14, i.e., by 11.85% during last four years. It may be noted here that 11.85% increase in share of import in demand in last four years is significant but this increase in share of import in last four years is gradual.

(b) Exports: The table below gives information on exports by the domestic industry.

Year	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Exports by 'domestic industry'(MT)	3952	3857	492	115
Indexed	100	98	12	3

Exports of the Domestic Industry were 3952 MT in year 2010-11, it decreased marginally by 95 MT in year 2011-12. However, in year 2012-13 the exports of DI declined sharply from 3857 MT (2011-12) to 492 MT and in 2013-14 it further declined to mere 115 MT.

It may be seen here that in percentage term exports were 13% of the total production in 2010-11. It decreased sharply from 13 % (2011-12) to 1.71% in 2012-13 and 0.39% in 2013-14 During the same period, sales of DI, excluding captive transfer, in relation to production was 40 % in 2010-11 and it increased to 60 % in 2012-13 and 54% in 2013-14 and sales of DI including captive transfer have increased from 87 % (2010-11) of production to 100% in 2013-14.

The above analysis indicates that decline in production in 2012-13 and 2013-14 as compared to 2010-11 & 2011-12 is not due to decline in domestic sales or less captive consumption but more due to loss of exports market. The loss of exports impacted their capacity utilization. Had the export remained even at the level of 2011-12 in the next subsequent two years, the total production would have increased from 30407 MT in 2010-11 to 31973 MT in 2012-13 and to 32871 MT in 2013-14. Thus in my view decrease in exports has affected the production more than the sales of the PUC in the domestic market.

(c) Price under selling/undercutting

	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Costs of Sales	Rs./Kg.	**	**	**	**
Indexed		100	122	119	126
Selling Price	Rs./Kg.	**	**	**	**
Indexed		100	124	117	117
Landed price	Rs./Kg.	**	**	**	**

Indexed		100	122	120	122
undercutting		-3	-3	-6	-7

Minimal price underselling: Cost of sales per /kg shows increasing trend during period of investigation. It may be noted that cost of sales of the product between 2010 & 2013 remained marginally more than the landed price and it is in year 2013-14 only that cost of sales becomes much more than landed price. Thus, except in 2013-14, there is minimal under selling of the product.

No price undercutting: The selling price of the product during entire period of investigation is less than the landed price of the product. Thus, there is no price undercutting.

(d) High percentage of captive transfer: The captive transfer of the product is 39% to 47% of their production during the last four years. Some of the interested parties have submitted that the margin generated by the sale of these downstream products of PUC is higher than the margin achieved by the sale of PUC, hence the domestic industry tries to maximize the captive use of PUC in their operations and reduce the volumes of PUC sold in domestic market.

The DI has submitted that the industry has significant capacity for producing and selling Sodium dichromate. The Bhilai plant has suspended production due to lack of market and imports are not necessary as the domestic industry along with other producers are sufficient to cater to the demand in India.

The issue of high percentage of captive transfer has been examined and it is found that the domestic Industry has excessive installed capacity of 38000 to 47000 MT with respect to demand of the PUC but it is also a fact that in view of restriction imposed by pollution control board the effective operating capacity of the domestic industry is 55600 MT [39600 MT Vizag + 16000 Mt Bhilai]. Since the domestic industry is also producing downstream product, it has been consuming about 39 to 47% of its PUC production. This has resulted into a situation where Domestic Industry has left with a quantity which is not sufficient to cater the demand of the PUC. It is also observed that even when the import of the PUC was at 4765 MT in 2010-11 and the domestic industry was not facing any competition from the import, the domestic industry had not released the significant quantity of PUC to cater the domestic demand of the PUC which indicates that priority of the domestic industry is to first consume the product captively to produce the downstream products and then release it for the domestic sales. This fact is also confirmed by the submission of one of the interested party viz M/s Colour chrome Pvt. Ltd which has stated that despite the order being placed by them,, the domestic Industry could not able to supply the required quantity.

It is not denied that the domestic industry has capacity to sell the PUC even after captive consumption of the PUC but the data also suggests that the domestic industry has been consistently not selling the PUC for domestic sales even when there is a demand of the product and import was at lowest in 2010-11 & 2011-12. it appears that they regulated the domestic sale of the sodium dichromate even when there was a domestic demand of the product and thus in my view this has resulted in increase in imports as downstream industry has no option but to import the PUC.

27. Causal link:

Rule 5(3)(c) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules,1977 states that the requirement of a causal link between increased imports and alleged injury or threat of serious injury.

For the purpose of determining causation, all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of the industry have been evaluated.

Article 4.2(b) of the Safeguard Agreement provides for establishment of causal link between the increased imports and serious injury and the same has to establish on the basis of objective evidence.

The assessment of "causation" is a two-step process, since Article 4.2(b) establishes two distinct legal requirements for competent authorities in the application of a safeguard measure. First, there must be a demonstration of the "existence of the causal link between increased imports of the product concerned and serious injury or threat thereof". Second, the injury caused by factors other than the increased imports must not be attributed to increased imports.

With respect to the first step of the causation analysis, the Appellate Body (Appellate Body Report, US - Wheat Gluten, para. 70; Appellate Body Report, US - Line Pipe, para. 209) has indicated that to establish causation pursuant to Article 4.2(b), it is not necessary to show that increased imports alone - on their own - must be capable of causing serious injury.

With regard to the "non-attribution" step, the Appellate Body *(Appellate Body Report, US - Lamb, para. 179)* has summarized the interpretation of Article 4.2 as follows:

"…In a situation where several factors are causing injury "at the same time", a final determination about the injurious effects caused by increased imports can only be made if the injurious effects caused by all the different causal factors are distinguished and separated. Otherwise, any conclusion based exclusively on an assessment of only one of the causal factors – increased imports - rests on an uncertain foundation, because it assumes that the other causal factors are not causing the injury which has been ascribed to increased imports. The non-attribution language in Article 4.2(b) precludes such an assumption and, instead, requires that the competent authorities assess appropriately the injurious effects of the other factors, so that those effects may be disentangled from the injurious effects of the increased imports. In this way, the final determination rests, properly, on the genuine and substantial relationship of cause and effect between increased imports and serious injury"

Appellate Body Report, US - Line Pipe, para. 217. "…to fulfil the requirement of Article 4.2(b), last sentence, the competent authorities must establish explicitly, through a reasoned and adequate explanation, that injury caused by factors other than increased imports is not attributed to increased imports. This explanation must be clear and unambiguous. It must not merely imply or suggest an explanation. It must be a straightforward explanation in express terms"

The issue of causal link was also examined by the WTO Panel on Korea-Dairy (WT/DS98/R dated 21.02.1999 and this Panel has set forth the basic approach for determining "causation" :

7.89 "In performing its causal link assessment, it is our view that the national authority needs to analyse and determine whether developments in the industry, considered by the national authority to demonstrate serious injury, have been caused by the increased imports. In its causation assessment, the national authority is obliged to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry. In addition, if the national authority has identified factors other than increased imports which have caused injury to the Domestic Industry, it shall ensure that any injury caused by such factors is not considered to have been caused by the increased imports."

7.90 "To establish a causal link, Korea has to demonstrate that the injury to its Domestic Industry results from increased imports. In other words, Korea has to demonstrate that the imports of SMPP cause injury to the Domestic Industry producing milk powder and raw milk. In addition, having analyzed the situation of the Domestic Industry, the Korean authority has the obligation not to attribute to the increased imports any injury caused by other factors."

The interested parties have claimed that there exists no causal link between increased imports and injury and threat of injury.

In the instant case as the market share of DI has declined from 40.13% in FY 2012-13 to 33.05% in FY 2013-14 i.e. by 7.08% with the corresponding increase in the share of imports from 16.86% in FY 2012-13 to 24.13% in 2013-14, the causal link appears to have established in respect of market share in FY 2013-14 as compared to immediate preceding year but it is also observed that during the first three years of the investigation period, share of DI has increased from 31.29 % in 2010-11 to 40.13% in 2012-13 where as share of import has increased from 12.28% in 2010-11 to 16.86% 2013-14 indicating that share of DI has increased more than the share of import. Thus, even though import has increased throughout the investigation period, it has not affected share of the domestic industry in the first three years and it is only in the FY 2013-14 that import has taken the share of domestic industry.

The Production of DI remained at the same level in first two years then decreased in 2012-13 and again increased in 2013-14. Overall production decreased by 4% which is more because of loss of export market. Had the export remained at the level of 2011-12, the production of the domestic industry would have increased from 30407 MT in 2010-11 to 31973 MT in 2012-13 and 32871 MT in 2013-14. Thus, loss of export market rather than increase in imports has impacted the production of the domestic industry.

In first two years of period of investigation, sales of the domestic industry have increased and during the same period captive consumption has decreased. In the third 2013-14 sales of the DI has decreased by 8% as compared to immediate preceding year whereas the captive consumption increased by 21%. The total quantity of captive consumption and domestic sales has increased during the period of investigation. The decrease of domestic sales in 2013-14 is because of the business decision of the domestic industry wherein domestic industry has diverted more quantity of PUC for captive consumption and released less quantity for domestic sales. Moreover it is also observed that overall sales during the period of investigation have increased by 30%.

Effective capacity utilization of the domestic industry remained at same level in 2010-11 & 2011-12, it decreased by 4% in 2012-13 but again increased by 1% in 2013-14. The decrease in production in year 2012-13 & 2013-14 is due to the fact that domestic industry has regulated their production due to loss of export market. Had the export remained at the level of 2011-12, the capacity utilization would have increased from 55% (2010-11) to 58% (2012-13) and 59%(2013-14)

Employment first decreased in first two years when increase of import was lowest. However, when increase in import was at its peak during 2012-13 & 2013-14, employment remained at the same level.

Productivity remained at same level in 2010-11 & 2011-12 when increase in import was lowest then it decreased in 2012-13 and again increased in 2013-14 when import of PUC was at its peak.

Inventory of the product increased in 2011-12 as compared to 2010-11 but it started decreasing in subsequent two years in 2012-13 & 2013-14 when import increased by maximum quantity.

The domestic industry has reported loss in PUC during the period of investigation but it is also found that loss is due to the fact that domestic industry is selling its product at a price which is lower than landed price/cost of sales of the product and there is a significant decline in exports.

From the above facts, it may be seen that import has been increasing throughout the period of investigation but increase in imports have not affected relevant economic parameters viz production, sales, productivity, employment, capacity utilization and inventory so as to cause serious injury to the domestic industry. In fact some of the factors like production, employment, productivity and inventory show sign of improvement in year 2013-14 whereas reasons for decline in sales is that the domestic industry has diverted more quantity of PUC for captive consumption. Thus, in my opinion increased imports have not caused injury to the domestic industry and there is no evidence to suggest overall impairment of the domestic industry as the domestic industry is in overall profit during the period of investigation. In fact other factors like decline in exports, capacity restrain in view of restriction imposed by the Pollution Control Board, high captive utilization and sale of PUC at a price lower than landed price/cost of sales are some of the factors which are more responsible for loss in PUC, if any, to the domestic industry. Hence there is no causal link between increased imports and injury caused to the domestic industry.

28. Threat of Serious Injury:

The domestic industry has stated in their application that the threat of serious injury is established by the following factors:-

(a) The price difference between domestic and imported product is quite significant
(b) The foreign producers are holding significant unutilized capacity.
(c) The volume of imports has increased significantly
(d) Significant share in the domestic market is already held by the imports and such share is increasing.

The landed price of the product is nearly at par with cost of sales up to 2012-13. It is only in 2013-14, the cost of sales of the PUC has increased significantly as compared to landed price. During the same period it may be noted that DI is selling their product at a price which is even less than landed price of the product which is almost at par with cost of sales. The fact that DI has registered loss even when it is selling its product well below landed price indicates that problem is due to some other factors rather than increase in imports.

Russia, South Africa and Kazakishtan are the major exporters of Sodium di-chromate to India. The DI has not submitted any evidence to show that how much unutilized capacity these countries are having and whether this unutilized capacity is possibly meant for India and not for other countries. It is also seen here that the DI itself is holding significant unutilized capacity even after restriction imposed by Pollution Control Board but that does not mean that this unutilized capacity of DI is meant for export to one particular county. Thus, in the absence of any evidence it cannot be said that unutilized capacity of foreign producers is threat of serious injury to the domestic industry.

The volume of the import has increased but it is still less than the total domestic sales of the domestic industry. However, the analysis of the data does not suggest that increased imports have caused serious injury to the domestic industry.

The share of import in demand is increasing but it is gradual and is still only 24.13% of the demand and 61.52 % of the demand is still met by M/s Vishnu Chemicals.

In view of the above facts, it is seen here that DI has failed to produce sufficient evidence to suggest that there is a threat of serious injury to the DI.

29. Adjustment Plan:

Rule 5(2) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997 requires submission of a statement on "efforts being taken or planned to be taken or both to make positive adjustment to import competition". The WTO Agreement on Safeguard provides that a member shall apply safeguard measure only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and facilitate adjustment.

The purpose of definitive safeguard measure is to provide the domestic producers with a limited period of time in which to restructure so as to more effectively compete with the imports. Section 8B (4) of Customs Tariff Act 1975 and Rule 16(2) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997 prohibits any possible extension of measure if there is no evidence that the domestic producers are adjusting.

The domestic producers in this case have laid down adjustment plan which mainly focuses on cost reduction by introduction of an alternate CO_2 acidification process. In this process, the byproduct produced is sodium carbonate which is a raw material for the kiln operation process. This is expected to reduce the consumption of sulphuric acid by 80%. Petitioner thereafter plans to totally eliminate sulphuric acid. This will result into reduction cost of production by about Rs. *****/- per ton.

The domestic industry also submitted that with imposition of safeguard duty, petitioner expects to increase its production which would subsequently result in higher requirement/sourcing of raw material. Sourcing of higher volume of inputs would provide company bargaining power and this would result into reduction of cost of production gradually.

The domestic industry further submitted that with imposition of safeguard duty, it is expected that their production and capacity utilization would increase and this would lead to reduction in the overheads costs leading to further decline in costs.

The Interested parties have submitted that DI's proposal to change its existing manufacturing process to CO_2 based process would require a minimum capital investment of Rs.320 Cr. Since credit rating has already been suspended by rating agencies like CRISIL and therefore it would be practically difficult for DI to get long term loan for such huge capital expenditure and the interest cost of such huge borrowing by way of short term loan is not commercially viable. Therefore, adjustment plan made by DI in their petition is far away from reality and cannot be accepted as a feasible proposal.

In response to Domestic industry's submission has submitted that at one place the interested parties are arguing high and improving profitability and then they are also arguing about negative and poor rating. For the sake of argument, even if credit rating has been downgraded, it shows that the overall performance of the DI has deteriorated as a result of serious injury suffered in the manufacture and sale PUC and it does not show that petitioner cannot raise the funds required. The latest rating given to the petitioner company by CARE, which rates the company as Double B Minus, negates the contention of the interested parties on poor rating. The credit rating can be upgraded with the imposition of safeguard duty. The interested parties themselves have contended that it would be difficult for the DI to raise the funds. They are not contending that it would be impossible.

The domestic industry has also submitted that they had undertaken a study to analyze the cost of setting up CO_2 acidification process and it is seen that the total cost estimated around Rs.15 Crores. Thus, M/s Lanxess has exaggerated the costs.

M/s Laxness has contended that the investment costs mentioned by the domestic industry are completely incorrect and misleading. The investment to change the production process in order to use carbon dioxide provided by the domestic industry is significantly low as it only considers the investment into a plant to generate carbon dioxide. In addition, significant investments are necessary to adjust the existing production process for PUC. Without these modification and additional investments, carbon dioxide cannot be used in the existing technical set-up of DI.

It appears from the adjustment plan submitted by the domestic industry that the domestic industry in terms of technology improvement basically relied on the introduction of an alternate CO_2 acidification process for costs reduction. However, there is no concrete time-bound plan for implementation of positive adjustments envisaged by the DI. The Annual Reports of the domestic industry for last four years did not mention proposed adjustment plan in their investment or future plan paras of the reports. The fact that the introduction of an alternate CO_2 acidification process requires additional funds; it should ideally be reflected in the future plan of the domestic industry in the Annual reports. The adjustment plan given by the DI has no actual time frame within which the domestic industry has been planning to fix such changes.

As regard to DI's submission that with imposition of Safeguard measure DI expects to improve their production and capacity utilization and that would give them better bargaining power to purchase raw material and also would lead to reduction in the overheads costs leading to further decline in costs, I find that in current business atmosphere also DI could still increase their production by nearly 9000 MT and with removal of pollution control restriction they can even further increase their production. It is the restrictive/regulated release of Sodium dichromate for domestic sales which is influencing the imports of the product.

In view of the above observation, I find that the adjustment plan submitted by the domestic industry is without any time frame for implementation of its CO_2 acidification process so as to show that the domestic industry would adjust to heightened competition from foreign suppliers.

30. Unforeseen Circumstances:

It is noted that there is no express obligation/requirement on the Director General (Safeguards) to analyse unforeseen circumstances as there is no specific requirement either in Indian Rules on the methodology that should be followed for analyzing unforeseen developments or the WTO Agreement on Safeguards which also does not make any prescription with regard to the methodology that should be followed or the parameters that must be met in deciding unforeseen developments. The Agreement on Safeguards read with Article XIX of GATT, however, obligates the national authorities to examine the "unforeseen developments" which led to the serious injury to the Domestic Industry. It is understood that this Directorate has consistently been examining the issue of "unforeseen developments" in its investigations. It is, therefore, considered important to examine the unforeseen developments or circumstances which have led to increased imports.

Appellate Body Report, Korea – Dairy*, para. 84; Appellate Body Report,* Argentina – Footwear (EC) *,para. 91.*

"…the ordinary meaning of the phrase "as a result of unforeseen developments" requires that the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been "unexpected".

Appellate Body Report, Korea – Dairy*, para. 85; Appellate Body Report,* Argentina – Footwear (EC)*, para. 92*

"… [These] circumstances *…must be demonstrated as a matter of fact in order for a Safeguard measure to be applied consistently with the provisions of Article XIX of the GATT 1994..."*

Appellate Body Report, US – Lamb, *paras. 72, 76.*

In the *US –Lamb* case the Appellate Body clarified that the "demonstration" must be provided by the competent domestic authorities before taking the measure. This means that the measure itself must contain an express finding to this effect, otherwise its legal basis is flawed

The Appellate Body in Argentina-Footwear (EC case) held that the phrase "Unforeseen Developments" means the developments which were unexpected. 'Unforeseen developments' requires that the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been 'unexpected'. The Appellate Body in Korea-Dairy case held that unforeseen developments are developments not foreseen or expected when member incurred that obligation.

The Appellate Body, in Argentina-Footwear (EC), then held that the requirement of "unforeseen developments" did not establish a separate "condition" for the imposition of safeguard measures, but described a certain set of "circumstances"

The various interested parties in their submissions have submitted that domestic Industry neither in their petition nor in their submission has specified any unforeseen circumstances that led to increase in imports.

The domestic industry in their additional rejoinder submitted the reasons to show the existence of unforeseen circumstances. These reasons are examined as follows:

(a) The DI submitted the data showing country wise exports from Russia to major countries and to all other countries. The domestic industry has submitted that Russian exports to Brazil, China, and Colombia have declined drastically while the same has increased significantly for India.

In this regard, I find that the data submitted by the domestic industry indicates that exports from Russia have declined to number of countries like Austria, Brazil, China, Columbia Iran, Korea and Romania and during the same period exports from Russia have increased to number of other countries namely India, Germany, Hon Kong, Latvia, Mexico, Pakistan and Uruguay. Data submitted only suggests that exports from Russia to some

countries have decreased and during the same period exports have increased to some other countries. There is no evidence to suggest that there exists an unexpected development in Russia or globally which led to increase in exports to India from Russia. Increased or decreased imports (just as increased or decreased exports) from or to any country are the normal and indeed expected consequence of trade liberalization.

(b) The domestic Industry has also submitted that global recession in the last quarter of 2012 has affected the automobile, chrome plating and construction industry and this recession also continued in 2013. Because of this recession, the capacity with global manufacturers became unutilized and therefore, the exporters have turned to other market including India.

As regard to argument that global recession has led to increase in import to India, I find that the Domestic Industry has not submitted any evidence to show how global recession has affected other countries and has not affected the Indian Industry. If the global recession has indeed affected the automobile, chrome plating and construction industry globally then it should also have affected the Indian Industry. The Domestic Industry has not submitted any evidence to suggest that Indian automobile, chrome plating and construction industry grew during the same period of global recession and as a result demand in India for the product has increased significantly so as to attract producers of other countries to export PUC to India. In fact it is a well known fact that industrial growth in India which includes automobile industry is in downtrend for last couple of years.

(c) The aviation industry globally as also in Russia is in downtrend and therefore the usage of Sodium dichromate for the production of chrome metal in Russia has declined significantly. This has forced the producers from Russia to export Sodium Dichromate.

I find that this is a mere statement and there is no evidence to suggest that aviation industry globally or in Russia is in downtrend and because of which exports have increased to India.

(d) The market of chrome oxide green is in downtrend. This has forced the South Africa Company to cut down exports to its related plant in Germany and look for other growing market.

I find that the data of import from South Africa indicates that there is a contradiction in the submission of the domestic industry. The import from the South Africa remained at the stable level and there is no evidence to indicate that imports have increased suddenly to India.

(e) In Turkey, Sisecam has enhanced its capacity in 2012 and became world largest Sodium dichromate producer. The enhanced capacity by Siescam has further posed threat to the other players who are already affected with the decline in demand of the product globally.

Again there is no evidence to suggest that enhanced capacity of Sisecam in Turkey is meant exclusively for India and not for other countries. There is no evidence to indicate that after enhancement of capacity, exports to India in comparison to other countries have increased in such a large quantity that it has caused serious injury or threaten to cause serious injury to the domestic industry.

It may be seen that whatever evidences provided by the DI appear to be hypothetical and do not support its claim that unforeseen circumstances have resulted in import of Sodium dichromate in such increased quantity and under such condition that it has caused serious injury or threaten to cause serious injury to the domestic industry. There is no evidence to show existence of unexpected development which has led to sudden increase of import into India. Thus, in my view increase in import in itself cannot be considered as unforeseen circumstances unless unexpected development exists which has resulted into sudden increase of imports. Therefore, the reasons given for increased imports cannot be accepted as unforeseen.

31. Public Interest:

There is no express obligation/requirement on the Director General (Safeguards) to analyse Public Interest under domestic safeguard law. However, Article 3 of the Agreement on Safeguards states as follows:

"A Member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT 1994. This investigation shall include reasonable public notice to all Interested Parties and public hearings or other appropriate means in which importers, exporters and other Interested Parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, inter alia, as to whether or not the

application of a safeguard measure would be in the public interest. The competent authorities shall publish a report setting forth their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law."

The interested parties have submitted that there have been numerous instances where domestic industry has shown its inability to provide the quality as required by the manufacturers of chromic acid. Any imposition of safeguard duty on PUC would make imports expensive and as a result manufacturers of chromic acid have to compete with imported chromic acid directly as domestic industry themselves would be consuming the PUC and controlling the market at their will.

In the Chrome Tanning salt (CTS) market, M/s Vishnu Chemical is the leader and consumes its own PUC in order to manufacture CTS whereas more than 1000 other manufacturers have to rely on imports or Vishnu. Therefore, any safeguard duty on PUC would risk the reliable supply to Indian consumer of Sodium dichromate. The DI's focus is to increase captive consumption of PUC to increase exports of value added products of PUC such as CTS. This will leave other manufacturers of CTS in lurch in absence of availability of domestic PUC and expensive imported PUC.

As on average M/s Vishnu is not supplying for 2-3 months in a year, the pigment industry has no option but to rely on imported PUC in order to cater to their needs. Any safeguard duty will create a monopolistic situation for domestic industry which will create ideal situation for the DI to dictate the pricing terms and unhealthy market conditions for the pigment industry.

The interested parties have submitted the following calculation on confidential basis to show that imposition of safeguard duty will result into injury to downstream industry,

Effect on downstream industry:

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd have submitted the calculation on confidential basis to show the impact of 20% safeguard duty on IBOPROFEN RMC would be Rs.14.68/kg of Ibuprofen.

Particulars	Norms (Kg)	Landed Rate (Rs/Kg)	Cost (Rs/Kg)
Sodium Dichromate Cost (in Ibuprofen raw material cost)	x.xxx	x.xx	xx.xx
If sodium dichromate rate increased by 20% after safeguard duty (Assumption)		x.xx	xx.xx
Ibuprofen RMC increase due to Safeguard duty imported Sodium dichromate			xx.xx
Note: landed rate taken Avg. Apr-14 to July 14, Ibuprofen production consider 400 mt/month			
Before Safeguard duty	Qty (MT)	Landed Rate (Rs./Kg)	Value (Rs./Lacs)
Monthly consumption of sodium dichromate	xxx	x.xx	xxx
Yearly consumption of sodium dichromate	xxxx	x.xx	xxx
After Safeguard duty	Qty (MT)	Landed Rate (Rs./Kg)	Value (Rs./Lacs)
Monthly consumption of sodium dichromate	xxx	x.xx	xxx
Yearly consumption of sodium dichromate	xxxx	x.xx	xxxx

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd have submitted that they would not be able to transfer this additional cost of Rs.14.68/kg to their customers as IBUPROFEN formulation is under control under rule DPCO 2012. Also imposition of safeguard duty on sodium dichromate their company would be dependent on single suppliers which will create the monopolistic situation in India.

Similarly M/s Lanxess have also submitted the calculation on confidential basis to show that the impact of 20% safeguard duty on the raw material costs of basic Chrome Sulphate and chromic acid is 17% and 18% respectively and resulting increase in total cost would significantly reduce the competitiveness of the affected industries in their export market and hence reduce the turnover and profit margin.

Basic data:

Sodium dichromate price: **** USD/ t, CIF

Sulphur price : *** USD /t

Sulphuric Acid price: ** USD/t
CTS packaging material paper bags: *.* USD/25 kg Bag
CA packaging material 50 Kg drum: *.* USD/ Drum
Packaging Pallet: ** USD/Pallet
Assumed Safeguard duty: 20%

Estimated Specific Consumption factor (SCF):
SDC -> CTS *.** t SDC/t CTS
Sulphur-> CTS *.** t Sulfur/t CTS
SDC-> CA *.** t SDC/ t CA (for independent CA producer)
Sulphuric Acid -> *.** t Sulphuric acid/t CA (for independent CA producer)

Raw material cost w/o Safeguard duty	SCF SDC	SDC RM Costs	Safeguard duty	SCF Other RM	Other RM Costs	Packaging Costs	Total RM+ Packaging costs
	t SDC/ t finished product	USD/ t finished product	USD/ t finished product	t SDC/t finished product	USD/ t finished product	USD/ t finished product	USD/ t finished product
RM Costs CTS – Production	*.**	***	0	*.**	**	**	***
RM Costs CA - Production	*.**	****	0	*.**	**	***	****
Raw material cost with Safeguard duty	SCF SDC	SDC RM Costs	Safeguard duty	SCF Other RM	Other RM Costs	Packaging Costs	Total RM+ Packaging costs
	t SDC/ t finished product	USD/ t finished product	USD/ t finished product	t SDC/t finished product	USD/ t finished product	USD/ t finished product	USD/ t finished product
RM Costs CTS – Production	*.**	***	***	*.**	**	**	***
RM Costs CA - Prduction	*.**	****	***	*.**	**	***	****

Finished goods costs increase CTS by Safeguard duty 18.2%
Finished goods costs increase CA by Safeguard duty 17.7%

Domestic industry has stated that the downstream industry of the ultimate products has a turnover in excess of Rs. 1 lac Cr. The mere size of downstream industry establishes that the impact of proposed safeguard duty is negligible. The consumer segment is capable of passing on the cost to the consumers. The interested parties also have not shown that the effect of proposed safeguard duty shall be unbearable on the consumers.

The domestic industry has also submitted the following calculation to show the impact of 20% safeguard duty on the Chrome tanning salt and ibuprofen industry.
Impact of 20% duty on chrome tanning salt.

Soaking to liming	43.02
Deliming to tanning	85.43
Total Cost	128
Avg Area	20
Cost per sq ft	6.42
Chemical Cost	6.5
M/C cost	5.25
Raw cost	70
Cost per sq ft	81.75
Share of BCS	3.25%

Impact of 20% duty	0.651%

Impact on Ibuprofen industry

Price of ibuprofen as per DPCO	6.9	
Quantity of ibuprofen	3000	mg
	3	gm
Price per gram	2.3	
Price per kg	2300	
Incrase in cost of dichromate	18	
Consumption factor	0.63	
Increase in cost of dichromate	11.34	
Impact	0.49%	

One of the interested parties Viz M/s Lanxess has stated that only the leather Industry-Council of leather exports is qualified to comment on whether the leather industry can easily absorb the safeguard duty and pass it on to its customers.

Any safeguard duty for an export industry can only make that industry uncompetitive and this could adversely affect the exports.

M/s Vishnu Chemicals manufactures chromic acid from its own production of sodium dichromate and therefore any increase in cost on account of safeguard duty would eliminate the only other Indian manufacturer of Chromic Acid and thereby would lead to monopoly of the domestic industry in chromic acid.

A decision concerning the public interest in applying safeguard measures to the imports of the product under investigation involves not only the industry represented by the Petitioners, it also encompasses other user industries of the product concerned, which all will be heavily disadvantaged if a decision to impose a safeguard measure is taken because it would deprive them of reasonably priced product of desired quality/specifications.

I appreciate that a strong and robust domestic industry is also a requirement which can fulfill the need of the domestic market and can grow in tandem and in competition to foreign suppliers. However, this is not the case where the domestic industry is only producing and selling Sodium dichromate. The domestic industry has also been consuming significantly large quantity of its own production of the Sodium dichromate to produce the downstream products and hence in direct competition with the manufacturers of downstream products. Any imposition of safeguard duty would give undue advantage to domestic industry vis-s vis downstream product producers as producers of downstream product on one hand either have to pay higher rate of import duty on import of raw material (sodium dichromate) or forced to buy from the domestic industry and on the other hand have to compete in downstream product market with the same domestic industry who would get the benefit of safeguard measures. This would, in turn, have adverse effects on the competitive ability of downstream industry that outweighs any possible benefit to the Petitioners in this case. It is also noticed that the domestic industry has the major share in the manufacturing of sodium dichromate and presence of other manufacturers is not significant in the market of sodium dichromate. Therefore, any imposition of safeguard duty would give almost monopoly to the DI in the market. Thus, considering all the views of the domestic industry and interested parties, I am of the view that imposing any safeguard duty on sodium dichromate would give unfair advantage to the M/s Vishnu Chemicals Pvt ltd and it will affect the large number of downstream product manufacturers and therefore would not be in public interest.

32. Conclusion:

On examination of relevant factors I find that:

(i) There has been a significant increase in imports in absolute terms as well as in relation to production.

(ii) Despite increase in imports during the period of investigation both in absolute term and in relation to production, imports have not affected relevant economic parameters viz production, sales, productivity, employment, capacity utilization and inventory so as to cause serious injury to the domestic industry. In fact some of the factors like production, productivity and inventory show sign of improvement in year 2013-14 whereas reason for decline in sales in 2013-14 is that the domestic industry has used more quantity of PUC for captive consumption and released less quantity for domestic sales. Their market shares in the domestic market in 2013-14 although decreased but still more than their share in the first two years of the period of investigation.

(iii) Other factors like decline in exports, capacity restrain in view of restriction imposed by the Pollution Control Board, increase in cost of sales and sale of PUC at a price lower than landed price/cost of sales of the PUC are some of the factors which have caused injury, if any, to the domestic injury. Hence there is no causal link between increased imports and injury caused to the domestic industry.

(iv) The domestic industry is not able to demonstrate that increase in imports is due to existence of unforeseen circumstances.

(v) It is not the case where the domestic industry is only producing and selling Sodium dichromate. The domestic industry has also been consuming significantly large quantity of its production of the Sodium dichromate to produce the downstream products and hence in direct competition with the manufacturers of downstream products. Any imposition of safeguard duty would give undue advantage to domestic industry vis-s vis downstream product producers as producers of downstream industry on one hand have to pay higher rate of import duty and on the other hand have to compete in downstream product market with the same domestic industry who would get the benefit of safeguard measures. Therefore, imposition of safeguard duty is not in public interest.

(vi) Adjustment plan submitted by the domestic industry has no time frame for implementation of its alternate CO_2 acidification process so as to show that the domestic industry would adjust to heightened competition from foreign suppliers in near future

(vii) Though there is increase in imports of PUC yet such imports, in my view are not causing significant overall impairment to the DI. On the basis of analysis made above, I find that the DI at the most seems to be suffering injury, since they are not able to make profits with regard to the PUC. However, the DI is in profits in totality. The profits made could be partly used to compete with the increased cheaper imports of PUC. In fact in the November 2014, the domestic industry has announced 10% dividend which also shows that overall position of the domestic industry has improved. The protection under the Safeguard law is an emergency measure and therefore, has to be extended when the injury in a case causes 'significant overall impairment'.

33. Recommendations:

In view of the above, in my view, the DI does not deserve to be protected by imposition of safeguard duty and the investigation in this case is terminated, accordingly.

[F. No. D-22011/5/2014]

R. K. SINGLA, Director General

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.